ISSN-0971-8397

योजना

विशेषांक

जनवरी 2013 | विकास को समर्पित मासिक | ₹ 20

सुशासन

भारत 2013

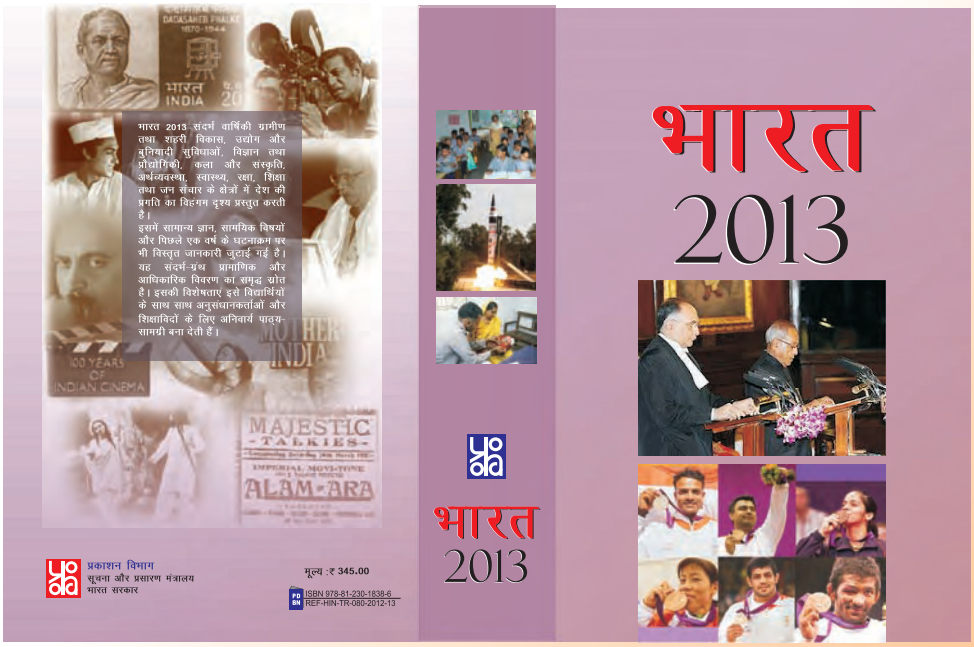

मूल्य : 345.00

अपनी अग्रिम प्रति जल्दी बुक कराएं
हमारे सेल्स एंपोरियम और बिक्री कार्यालयों से सम्पर्क करें

- **नई दिल्ली**
  सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड
  फोनः 011–24367260, 24365610
  फैक्सः 011– 24365609
- **दिल्ली**
  हॉल नम्बर–196, पुराना सचिवालय
  फोनः 011–23890205
- **कोलकाता**
  8, एस्प्लेनेड ईस्ट
  फोनः 033–22488030
- **तिरुअनंतपुरम**
  प्रेस रोड, नियर गवर्नमेंट प्रेस
  फोनः 0471–2330650
- **बंगलुरु**
  प्रथम तल , 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन,
  कोरामंगला
  फोनः 080–25537244
- **पटना**
  बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग,
  अशोक राजपथ
  फोनः 0612–2683407
- **नवी मुंबई**
  701, 'सी' विंग, 7वीं मंजिल,
  केंद्रीय सदन, बेलापुर
  फोनः 022–27570686
- **चेन्नई**
  'ए' विंग राजाजी भवन,
  बेसेंट नगर
  फोनः 044–24917673
- **हैदराबाद**
  ब्लॉक नं.–4, प्रथम तल,
  गृहकल्प कॉम्प्लेक्स,
  एम.जी.रोड, नामपल्ली
  फोनः 040–2460538
- **लखनऊ**
  हाल नं. 1, द्वितीय तल,
  केंद्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलीगंज
  फोनः 0522–2325455
- **गुवाहाटी**
  के.के.बी.रोड, न्यू कालोनी,
  हाऊस नं.–7, चेनीकुथी
  फोनः 0361–2665090
- **अहमदाबाद**
  अंबिका कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल,
  पालदी
  फोनः 079–26588669

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

www.publicationsdivision.nic.in
e-mail: dpd@sb.nic.in
dpd@mail.nic.in

योजना

वर्ष : 57 • अंक : 1 • जनवरी 2013 • पौष-माघ, शक संवत 1934 • कुल पृष्ठ : 76

प्रधान संपादक
राजेश कुमार झा

वरिष्ठ संपादक
वी. एम. वनोल

संपादक
रेमी कुमारी
सीमा रानी

संपादकीय कार्यालय
538, योजना भवन, संसद मार्ग,
नयी दिल्ली-110 001
दूरभाष : 23717910, 23096738
टेलीफैक्स : 23359578
ई-मेल : yojanahindi@gmail.com
वेबसाइट : www.yojana.gov.in
www.publicationsdivision.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
वी.के. मीणा

व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन)
सूर्यकांत शर्मा

दूरभाष : 26100207, 26105590
फैक्स : 26175516
ई-मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण : **जी. पी. धोपे**

इस अंक में

• संपादकीय	–	5
• भारत में सुशासन की चुनौतियां नयी पहल की ज़रूरत	बाल्मीकि प्रसाद सिंह	7
• समय की ज़रूरत - ई-प्रशासन	समीर कोचर	13
• सुशासन और विकास	योगिंदर के अलघ	16
• ग्रामीण ई-प्रशासन	अर्पिता शर्मा	20
• सुशासन की उपयुक्त व्यवस्था की ओर	धरमपाल	24
• वैश्विक प्रतिस्पर्धा में चुनौतियां और सुशासन	रहीस सिंह	27
• सभ्य समाज, सुशासन और नयी तक़नीकें	प्रांजल धर	31
• पारदर्शिता व दक्षता से सुशासन संभव	कैलाश चंद्र पपनै	37
• सुशासन की अवधारणा	अवधेश कुमार	41
• क्या आप जानते हैं? : गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां	–	43
• जन आकांक्षाओं पर खरा उतरता सूचना का अधिकार कानून	मनीष कुमार चौबे	45
• सुशासन और मीडिया की भूमिका	पूनम कुमारी	48
• सुशासन तथा ई-प्रशासन	नितेश कुमार श्रीवास्तव	51
• झरोखा जम्मू-कश्मीर का : करगिल : महिला शिक्षा की बेमिसाल पहचान	–	53
• सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ते क़दम	सुरेश अवस्थी	55
• शोधयात्रा : भोजन पकाने की स्वचालित मशीन	–	59
• अनुकरणीय पहल : सामुदायिक श्रमदान से सफल हुआ सफ़ाई अभियान	अवनीश सोमकुवर	61
• सुशासन, पंचायतीराज और महिलाएं	अजय कुमार सिंह	63
• गांधीजी आज भी प्रासंगिक हैं	सुभाष सेतिया	65
• स्वामी विवेकानंद : नये युग के प्रवर्तक	सरोज कुमार वर्मा	70

योजना **हिंदी के अतिरिक्त असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु तथा उर्दू भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। पत्रिका मंगवाने हेतु, नयी सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें : व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन), प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड IV, तल VII, आर.के.पुरम, नयी दिल्ली-66 दूरभाष** : 26100207, 26105590 तार : सूचनाप्रकाशन।

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के लिए आप हमारे निम्नलिखित बिक्री केंद्रों पर भी संपर्क कर सकते हैं : सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 (दूरभाष : 24367260, 5610), हाल सं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 (दूरभाष : 23890205) * 701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर, नवी मुंबई-400614 (दूरभाष : 27570686) * 8, एसप्लानेड ईस्ट, कोलकाता-700069 (दूरभाष : 22488030) * 'ए' विंग, राजाजी भवन, बंसल नगर, चेन्नई-600090 (दूरभाष : 24917673) * प्रेस रोड नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट, तिरुवनंतपुरम-695001 (दूरभाष : 2330650) * ब्लॉक सं-4, पहला तल, गृहकल्प, एमजी रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500001 (दूरभाष : 24605383) * फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलुरु-560034 (दूरभाष : 25537244) * बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना-800004 (दूरभाष : 2683407) * हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-H, अलीगंज, लखनऊ-226024 (दूरभाष : 2225455) * अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, पालडी, अहमदाबाद-380007 (दूरभाष : 26588669) * के.के.बी. रोड, नयी कॉलोनी, मकान संख्या-7, चेनीकुटी, गुवाहाटी-781003 (दूरभाष : 2665090)

चंदे की दरें : वार्षिक : ₹ 100 **द्विवार्षिक** : ₹ 180; **त्रैवार्षिक** : ₹ 250; **विदेशों में वार्षिक दरें : पड़ोसी देश:** ₹ 530; **यूरोपीय एवं अन्य देश** : ₹ 730।

योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। ज़रूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए *योजना* उत्तरदायी नहीं है।

आपकी राय

बच्चे देश का भविष्य

योजना का नवंबर 2012 अंक पढ़ा। बच्चे देश के भविष्य होते हैं और भविष्य पर आधारित यह अंक बेहद अच्छा निकला है। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, मनोरंजन, संरक्षण सभी की तलाश अंक ने की है। बाल शिक्षा बच्चों के भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। बाल शिक्षा पर आशुतोष शुक्ल का लेख बेहतरीन है जो न केवल दुर्लभ आंकड़ों और नये विचारों के माध्यम से बाल शिक्षा की जरूरत का आईना दिखाता है बल्कि ज़मीनी सच्चाइयों को भी उज़ागर करता है। 'मिड डे मिल' और 'सर्व शिक्षा अभियान' कैसे भारत के संविधान के समता एवं शिक्षा के मूल अधिकारों को धता बता रहा है और किस हद तक उसे अपने में समेटे हुए हैं ये सारी बातें, बाल शिक्षा वाले लेख में स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। यह लेख बहुत ही ज्ञानपरक है। 'भारतीय बच्चों में कुपोषण' नामक लेख में लेखिका प्रेमा रामचंद्रन ने बच्चों के स्वास्थ्यगत पहलुओं पर विचार किया है जो बहुत ही दारूण है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण एवं बालाधिकार आयोग की अध्यक्ष शांता सिन्हा के लेख में बाल संरक्षण के जिन पहलुओं पर ज़ोर दिया गया है वो हमारे बच्चों एवं समाज के प्रति हमारे दायित्वों को बताते हैं। बाल मनोरंजन पर प्रांजल धर ने अच्छी तस्वीर खींची है। निजामुद्दीन जी का 'राष्ट्रीय केसर मिशन' पर लेख अच्छा है, चंदा आर्य ने बालश्रम जैसी बुराई को दुनिया के सामने रखा है।

मैं *योजना* का अध्ययन कई वर्षों से कर रही हूं। नवंबर अंक बहुत ही ज्ञानपरक है। आशा है हमें ऐसे ही बेहतरीन अंक मिलते रहेंगे।

दिया

प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश

भारत निर्माण में बाधक है बालश्रम

बाल सरोकार पर केंद्रित *योजना* का नवंबर अंक बेहतरीन लगा। लेखिका चंदा आर्य का लेख 'बालश्रम: एक विडंबना'सरकार की नीतियों को आईना दिखाने वाला है। हम हर वर्ष 12 जून को बालश्रम निषेध *दिवस* मनाते हैं और इस पर लंबे-चौड़े भाषण देते हैं। लेकिन वास्तव में हम इसे रोकने के प्रति कितने जागरूक हैं? बालश्रम अनैतिक तो है ही, गैरकानूनी भी है। परंतु जिस तरह से इस कानून की धज्जियां उड़ायी जा रही हैं, उसे देखते हुए हैरत होती है। एक तरफ सरकार बचपन बचाओ आंदोलन चला कर 6-14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा पर ज़ोर दे रही है और दूसरी तरफ लोग बच्चों को काम पर लगा कर निर्भीक होकर इस कानून को तोड़ रहे हैं।

किसी भी चौक-चौराहे पर स्थित होटलों, चाय की दुकानों, मोटर गैराजों आदि में सहज ही 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करते देखा जा सकता है। हद तो तब हो जाती है, जब बुद्धिजीवी वर्ग के लोग अपने घरों में नौकर के रूप में इनसे कार्य करवाते हैं। इन लोगों का बड़ों की अपेक्षा बच्चों को नौकर के रूप में रखने पर ज्यादा ज़ोर होता है। इन बच्चों से काम में कोई गलती होने पर उनसे अमानवीय व्यवहार किया जाता है जैसे उन्होंने कोई जघन्य अपराध कर दिया हो। जिस समय इन्हें स्कूल जाकर अपना भविष्य संवारना होता है, ऐसे वक़्त में इनसे काम लेकर हम इनका भविष्य अंधकारमय तो करते ही हैं, साथ ही भारत निर्माण की राह में भी बाधा डालते हैं। अगर देखा जाए तो इसके लिए इनके परिजन भी समान रूप से दोषी हैं जो सरकार द्वारा नि:शुल्क शिक्षा योजनाएं चलाए जाने के बावजूद चंद पैसों की ख़ातिर इन्हें काम पर

लगा कर इनका भविष्य चौपट करते हैं। इसी का नतीज़ा है कि आज हम बाल श्रमिकों वाले देशों की पंक्ति में खड़े हैं। इसके उन्मूलन के लिए हमें और सरकार को जागरूक होने की आवश्यकता है तभी शिक्षित भारत का सपना पूरा हो पाएगा।

अभिमन्यु पांडेय

धनबाद, झारखंड

आइये! बचपन बचाएं

यो*जना* का नवंबर अंक पढ़ा। काफी ज्ञानवर्द्धक और ज्ञानोपयोगी लगा। अंक में सभी विद्वानों के लेख सारगर्भित और रोचक लगे। लेखिका शांता सिन्हा का आलेख 'बाल अधिकारों का संरक्षण' एवं अन्य लेख जैसे- 'भारतीय बच्चों में कुपोषण', 'भविष्य की पूंजी : निहितार्थ और सरोकार', 'बाल शिक्षा', 'सरकार द्वारा संचालित बाल योजनाएं', एवं 'बालश्रम : एक विडंबना' भी अच्छे लगें।

एक पुरानी कहावत है कि 'बच्चे ही देश का भविष्य' हैं। यह सत्य है कि यही बच्चे आगे चलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन बच्चों के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं और उन योजनाओं को सुचारू रूप से कार्यान्वित भी किया जा रहा है। बच्चों के कल्याण और उन्नति के लिए गैर-सरकारी संगठन भी सक्रिय हो कर काम कर रहे हैं।

संविधान निर्माताओं ने भी सुरक्षित बाल्यावस्था और बाल अधिकारों के संरक्षण को भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला माना है। संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की धारा 39 (एफ) में कहा गया है कि बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए बच्चों को स्वतंत्रता और सम्मान के साथ अवसर और सुविधाएं दी जाती है और शोषण तथा नैतिक और भौतिक तिरस्कार के विरुद्ध बच्चों और युवाओं को संरक्षण दिया जाता है। शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए धारा 45 में संकल्प किया गया है कि संविधान के लागू होने के दस वर्षों के भीतर राज्य के सभी बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करनी होगी। यह नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक दी जाएगी।' बच्चों के शिक्षा के अधिकार को मौलिक कर्तव्य में जोड़ दिया गया है। अब संविधान में 10 के बजाय 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं।

स्वतंत्रता के 60 वर्षों से भी अधिक वर्षों के बाद भी यह देखा गया है कि बच्चों को अभी भी अपने अधिकार पूर्ण रूप से नहीं मिल पाए हैं। वर्तमान में बाल्यावस्था के प्रति ख़तरे और गहरे व गंभीर हो गए हैं। आज अधिकाधिक बच्चे हाशिए पर खड़े हैं और अनेक ज़ोखिम झेल रहे हैं। हज़ारों-लाखों बच्चों को भरपेट भोजन नसीब नहीं होता। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं तो लगभग नगण्य हैं और यदि हैं भी तो बहुत कम। भूख और कुपोषण के शिकार इन बच्चों का जीवन असमय ही मृत्यु का शिकार हो जाता है। प्राय: शैशवावस्था और बाल्यावस्था में ही वे काल कवलित हो जाते हैं। आजकल बच्चों की तरस्करी भी खूब हो रही है और वे प्राय: अपने घर से दूर एक परदेसी मज़दूर के रूप में काम करते नज़र आ जाते हैं। बाल-विवाह, बच्चों की तस्करी और लड़कियों के साथ भेदभाव आज प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं और ऐसे बच्चों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही है।

आज बचपन पर तमाम तरह के हमले हो रहे हैं तथा वे तरह-तरह के अभावों से गुज़र रहे हैं जिनका उन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पोषण और स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत अधिकारों और सुविधाओं का लाभ सुलभ नहीं होने के कारण उनका विकास उचित ढंग से नहीं हो पाता और वे कुपोषित रह जाते हैं।

बच्चों के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई तरह की योजनाएं चलायी जा रही हैं। ये योजनाएं शिशुओं, बढ़ते बच्चों और किशोरों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए अलग-अलग नामों से संचालित होती हैं।

शशिशेखर श्रीवास्तव

छपरा, बिहार

योजनाएं भ्रष्टाचार मुक्त हों

यो*जना* का नवंबर अंक पढ़ा जोकि बाल सरोकार पर केंद्रित है। अंक में बच्चों के लिए बनाए गए कानूनों और संविधान में बच्चों को दिए गए अधिकारों की संपूर्ण जानकारी दी गई है। हमारे देश में कुपोषण से ग्रस्त बच्चों का आंकड़ा भी दिया गया है साथ ही सरकार कुपोषण से निपटने के लिए क्या-क्या क़दम उठा रही है, इस बात की भी पूरी जानकारी दी गई है। देश में बच्चे किन-किन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं यह भी बताया गया है। देश में गत वर्षों में कितने बच्चे अब तक लापता हुए हैं, एवं छोटे बच्चों के प्रति आए दिन बढ़ते अपराधों के बारे में भी अंक में चर्चा है। बच्चों के मनोरंजन के लिए अब तक क्या-क्या कार्य हुए हैं इस बारे में भी ढेर सारी जानकारी दी गई है। अंक महत्वपूर्ण जानकारियों से भरपूर है। बच्चों से संबंधित विभिन्न जानकारियां विस्तारपूर्वक दी गई हैं। हमारा देश निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर है। नित नये-नये आविष्कार हमारे देश में हो रहे हैं। हर क्षेत्र में हमारे देश में तरक्क़ी हो रही है। परंतु अब भी कुछ ऐसी बातें हैं, जिसने हमारे देश को अभी भी पीछे रखा है। अगर बच्चों के बारे में बात करें, तो हम पाएंगे कि हमारे देश में अभी भी सैकड़ों की तादाद में ऐसे बच्चे हैं जो कूड़ा-करकट बीनने के लिए मज़बूर हैं। जिन बच्चों के हाथों में क़िताबें होनी चाहिए वे बोरियां लेकर प्लास्टिक व गत्ता बीन रहे हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते भी छोटे-छोटे बच्चे देखे जा सकते हैं। आज भी ढाबों व चाय की दुकानों पर बच्चों को काम करते देखा जा सकता है। छोटे-छोटे बच्चों के साथ आए दिन दुष्कर्म के मामले सामने आते रहते हैं। जहां एक ओर अमीर लोग लाखों-करोड़ों रुपये अपनी पार्टियों में फूंक देते हैं, वहीं दूसरी ओर सैकड़ों बच्चे भूखे पेट सोने को मज़बूर हैं। ग़रीबी की वज़ह से भरपेट भोजन तक उन्हें नसीब नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं करती। सरकार ज़रूरी क़दम उठाती भी है, लेकिन योजनाएं ज़रूरतमदों तक

पहुंचते-पहुंचते दम तोड़ देती है या फिर व्यवस्था के चक्रव्यूह में फंसकर ठीक से पूरी नहीं हो पातीं। मिड डे मील योजना पूरे देश में लागू है, जोकि काफी अच्छी योजना है। परंतु इसमें भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। पर्वतीय क्षेत्रों के स्कूलों में अध्यापकों की भारी कमी है। दूर-दराज के कई स्कूलों में तो अध्यापक अपनी मर्जी से आते-जाते हैं जिससे छात्रों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी दूर पर्वतीय क्षेत्रों में स्थिति दयनीय है। बीमार बच्चों को समय से इलाज मिलना मुश्किल होता है। डॉक्टरों की कमी के चलते जिला चिकित्सालयों का हाल ठीक नहीं है। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, अगर उनका बचपन सही दिशा में नहीं गया तो देश का यह भविष्य अधर में लटक जाएगा। बड़े-बड़े वातानुकूलित कमरों में बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाने से कुछ नहीं होगा। जब तक उन योजनाओं को ठीक से लागू नहीं किया जाएगा। और भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक देश का सर्वांगीण विकास असंभव है।

महेंद्र प्रताप सिंह

मेहरागांव, अल्मोड़ा, उत्तराखंड

दलितों पर विशेषांक निकाले

मैं *योजना* का नियमित पाठक हूं। *योजना* का प्रत्येक अंक संग्रहणीय ज्ञान का सागर होता है। वर्तमान समय में बाज़ारों में तमाम पत्रिकाएं हैं लेकिन *योजना* की तुलना किसी भी दूसरी पत्रिका से नहीं हो सकती क्योंकि इस पत्रिका में देश की विभिन्न समस्याओं पर सारगर्भित, गंभीर और विचारपूर्ण आलेखों के साथ-साथ हम जैसे शोध छात्रों के लिए भी भरपूर सामग्री मिल जाती हैं। इस संदर्भ में *योजना* का महत्व बहुत अधिक है एवं बयान से परे है। आजकल मैं लाइब्रेरी में जाकर *योजना* के पुराने अंक पढ़ रहा हूं। वाकई आप लोगों का काम बहुत प्रशंसनीय है।

योजना को पढ़ते हुए मैंने पाया कि आप समय-समय पर विशेषांक निकालते रहते हैं। अत: आपसे विनम्र निवेदन है आप अपने आगामी अंको में दलितों पर विशेषांक निकालें। मैं चाहूंगा कि आप मेरे सुझाव पर जरूर सोचें। आज भी हमारे देश में सर पर मैला ढोने का रिवाज़ है। इस विषय पर भारत की नयी पीढ़ी क्या कहती है अथवा सरकार की क्या नीति व योजनाएं हैं? आगामी अंकों में भी इस विषय पर अगर कुछ सामग्री ही दे सकें तो मुझे अच्छा लगेगा। अंत में निवेदन है कि भविष्य में योजना का कोई अंक लोक-संस्कृति पर केंद्रित करें।

खेमकरण 'सोमन'

पी.जी. कॉलेज, रूद्रपुर

योजना
आगामी अंक

फरवरी 2013

योजना का फरवरी 2013 अंक **प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण** पर केंद्रित होगा।
इस अंक का मूल्य होगा मात्र ₹ 10 ।

मार्च 2013 बजट विशेषांक

विगत वर्षों की भांति *योजना* मार्च, 2013 का अंक **बजट** 2013-14 पर केंद्रित विशेषांक होगा।
इस अंक का मूल्य होगा मात्र ₹ 20 ।

संपादकीय

आधुनिक युग में सुशासन की अवधारणा की यात्रा अनेक चरणों से होकर गुज़री है। स्वतंत्रता के पूर्व, महात्मा गांधी के सुशासन की अवधारणा में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अनिवार्य था। इसमें ग्राम पंचायतों और राजनीतिक व्यवस्था में सबसे निचले स्तर के लोगों को अधिकार संपन्न बनाना शामिल था। परंतु 1990 के दशक के प्रारंभ में सुशासन का विचार एक ऐसे मुहावरे में बदल चुका था जो एशिया और अफ्रीका के ऋणग्रस्त देशों के लिए दानदाता देश शर्तों के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। विश्व के अनेक भागों में इसे सामाजिक अशांति और राजनीतिक उथल-पुथल के लिए दोषी ठहराया जाता था। दमन और शक्ति के दुरुपयोग से मुक्त सुशासन की अवधारणा आज आकर्षण का विषय बनी हुई है। सहभागी विकास, निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और अपनी नियति के बारे में स्वयं निर्णय लेने के लिए लोगों के सशक्तीकरण की मांग पर आधारित नीतिगत प्रयासों से सुशासन की अवधारणा को मज़बूती मिली है।

उल्लेखनीय है कि प्रशासन का अर्थ इस जटिल विश्व में सरकार और सामाजिक क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बीच संवाद और निर्णय लेने की प्रक्रिया है। महत्वपूर्ण होने के बावजूद प्रशासन की अवधारणा केवल सरकार तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसे राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना के जटिल संबंधों के बीच निर्णय लेने की प्रक्रिया, क्रियान्वयन और उत्तरदायित्व के अंतर्संबंधों के रूप में देखा जाना चाहिए।

सुशासन के लिए जिन मूल्यों की आवश्यकता होती है उनमें मिलजुल कर निर्णय लेना, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, राजनीतिक प्रणाली में दक्ष और उत्तरदायी संरचना, कानून का शासन और निष्पक्ष समानता शामिल है। एक ऐसा समाज जो सुशासन के आदर्शों को अपनाना चाहता है उसे इन्हीं मूल्यों पर कार्य करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश के विकास में लोगों को उनका उचित अंशलाभ मिल रहा है। इस दिशा में अनेक प्रयास किए गए हैं जिनका लोगों के जीवन पर और प्रशासन की संरचना के साथ उनके संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के रूप में लोगों के हाथ में एक शक्तिशाली साधन मिला है। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। ऐसे अनेक प्रकरण हैं जहां इस अधिकार का उपयोग लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया गया है। लालफीताशाही, निर्णय लेने में देरी और भ्रष्ट व्यक्तियों को दंडित करने में यह कानून उपयोगी साबित हुआ है। राज्य सरकारें लोक सेवा के चार्टर लेकर आई हैं जिनमें सरकारी विभागों के लिए विभिन्न कार्यों की समय-सीमा निश्चित की गई है। आशा की जाती है कि भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता को जन्म देने वाली लोकसेवा की अदायगी में विलंब से उपजी लोक शिकायतों का इससे निराकरण हो सकेगा।

प्रशासकीय और राजनीतिक सूचना-तंत्र प्रशासन को लोगों के प्रति जवाबदेह और संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ई-प्रशासन के प्रयास उन कुछ महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक हैं जो सरकार के काम करने के तरीक़े और नागरिकों के साथ उनके संबंधों में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। देश के अनेक भागों में ई-प्रशासन के जरिये लोगों के प्रश्नों के उत्तर ढूंढे जा रहे हैं। एक ओर जहां सूचना का विस्तार एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है वहीं प्रशासन की यह विधि सूचना संचार प्रौद्योगिकी का लाभ लक्षित लाभार्थियों और सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लोकनीति के दृष्टिकोण से आवश्यक कार्रवाई के लिए भी लोगों को प्रेरित करने में यह सहायक सिद्ध हुई है।

यह सही है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया से समाज के एक बड़े वर्ग के दूर रहने से प्रशासन गैर-जिम्मेदार हो जाता है और शोषणकारी प्रणाली को जन्म देता है। पंचायती राज संस्था ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष और सहभागी प्रशासन का एक अनिवार्य मंच बन चुकी है। इन संस्थाओं में आरक्षण से महिलाएं सशक्त हुई हैं। पुरुष प्रधान समाज का अधिकार समाप्त करने और महिलाओं के साथ सामाजिक और राजनीतिक भेदभाव को समाप्त करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

सुशासन एक गतिशील धारणा है। इसके अनेक पहलू हैं जिनके बारे में विस्तृत चर्चा *योजना* के प्रस्तुत अंक में की गई है। यहां यह दोहराना उचित होगा कि प्रशासन केवल सरकार के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। समाज और सरकार के बीच निरंतर और निर्णायक चर्चा आवश्यक है ताकि सुशासन के सिद्धांतों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सके।

योजना के पाठकों को नववर्ष की अनेक शुभकामनाएं। ❑

Success Guru AK MISHRA's™

ART of SUCCESS

Free Seminars Organised by

in

CHANAKYA™
IAS ACADEMY
Nurturing Leaders of Tomorrow

Next Seminars

Venue	Date	Time
PATNA: Sri Krishna Memorial Hall, Patna	Sunday, 6th January 2013	10 am to 2 pm
PUNE: Ganesh Kala Krida Manch, Adj to Nehru Stadium, Swargate, Pune	Sunday, 13th January 2013	10 am to 2 pm
NEW DELHI: Siri Fort Auditorium, Asiad Village Complex, August Kranti Marg, New Delhi	Sunday, 27th January 2013	11 am to 3 pm

Reprogramme your mind with administrative traits and ensure your success in Civil Services Examination through

Success Guru AK Mishra's *Art of Success*™

seminars and

AK Mishra's Human Software Development Programme™

Forthcoming Seminars at

Ahmedabad, Mumbai, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Ranchi, Hazaribagh, Lucknow, Jaipur, Chandigarh, Jammu, Srinagar, Guwahati

For details & free registration call: 09650299662/3/4
Email: seminar@sucessguruakmishra.com

Corporate Office: 124, Satya Niketan, Opp. Venkateshwara College, Near Dhaula Kuan, New Delhi-21 Ph.: 011-64504615

Website: akmishra.com SuccessGuruAKmishra akmishra5

YH-226/2012

भारत में सुशासन की चुनौतियां
नयी पहल की ज़रूरत

● बाल्मीकि प्रसाद सिंह

पंद्रह अगस्त, 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रसिद्ध संबोधन 'नियति से साक्षात्कार' में जन प्रतिनिधियों और सेवियों के समक्ष इन शब्दों में उनके दायित्वों का उल्लेख किया था, 'ग़रीबी, अज्ञानता और बीमारियों को ख़त्म करने के लिए एक समृद्ध, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थान की रचना आवश्यक है, जो महिलाओं और पुरुषों के जीवन में न्याय और परिपूर्णता सुनिश्चित करें।' ये काम अब भी चल रहे हैं। इन कार्यों की गहराई में जाकर देखें तो स्पष्ट रूप से ये कार्य शासन से परिमंडल में आते हैं।

शासन का कोई मान्य सिद्धांत नहीं है। उदारवादी हों या रुढ़िवादी, समाजवादी हों या वामपंथी, इनके बीच शासन को लेकर अलग-अलग विचार रहे हैं। हाल के वर्षों में शासन शब्द एक फैशनेबल तरीक़ा हो गया है और कई तरह से इसका उपयोग किया जाने लगा है और यह बड़ी संख्या में निजी और सार्वजनिक प्रभाव क्षेत्रों में व्याप्त हो चला है। हम यहां सार्वजनिक अधिकार क्षेत्रों पर ही चर्चा को सीमित करेंगे। हमारा मतलब शासन के उस स्वरूप से है, जो राज्य की क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा करते हुए अपने नागरिकों की सेवा करता है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, कानून का शासन और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, जीवनचर्या और खाद्य सुरक्षा तक की

सेवाएं प्रदान करता है।

शासन का कोई भी सिद्धांत तब तक बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं कहलाता, जब तक इसे इसके वर्तमान संदर्भ में न देखा जाए।

एक सक्षम, प्रभावी और लोकतांत्रिक सरकार ही सामाजिक न्याय के साथ-साथ सुव्यवस्थित समाज की सबसे अच्छी हितपोषक होती है। इसी तरह इस बात को भी तवज्ज़ो दी गई है कि प्रशासनिक प्रणाली न सिर्फ़ संस्थान और इसके कानूनी नियामक यांत्रिकी के अनुकूल हों, बल्कि बाज़ार, नागरिक समाज और लोगों के सांस्कृतिक मूल्यों को देखते हुए राज्य और क्षेत्र- विशेष के भी अनुरूप हो। इस तरह राज्य का प्रमुख दायित्व अनुकूलन, समर्थ बनाना और संयोजन करना होना चाहिए। नागरिक समाज और बाज़ार सरकार की तरह अपनी भूमिकाओं का निर्वाह प्रभावी तरीक़े से नहीं कर सकते हैं और इस तरह वे सरकार के प्रतिपूरक नहीं हो सकते।

भारत समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवादी विकास मॉडल की ओर बढ़ने की वैश्विक परिचर्चा से अलग नहीं है। सौभाग्य से भारत सार्वजनिक एकाधिकार से अब तक अछूता रहा है। देश का नागरिक समाज सार्वजनिक मुद्दों से जुड़ा रहा है और सामाजिक सुरक्षा ज़रूरतों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, बाल सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य देखभाल को उन्नत बनाने और महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकारी हस्तक्षेप ज़रूरी तत्व माने गए हैं।

देश का राजनीतिक नेतृत्व, नीति निर्माताओं और क़ारोबारी दिमाग रखने वालों के मन में यह तीव्र इच्छा है कि देश को इक्कीसवीं सदी में आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है। हालांकि लोकतंत्र की ज़रूरतें भारतीय राजनीतिक नेतृत्व को ग़रीबी के कारणों, असमानता और आम आदमी की बदहाली पर गहराई से सोचने पर मज़बूर करती हैं।

राष्ट्रीय मूल्य

शासन की अवधारणा को निर्णायक रूप में स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले महात्मा गांधी और संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं के अनुरूप ही निर्मित किया गया है। उस वक़्त भारतीय संदर्भों में एक गणराज्य के निर्माण के समक्ष जो मूल्य थे, वे राष्ट्रीयता, प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता, गुटनिरपेक्षता और मिश्रित अर्थव्यवस्था आदि थे। आज

राष्ट्रीयता का अर्थ राज्यों के बीच समन्वय या सरदार पटेल द्वारा प्रभावी रूप से देसी रियासतों के एकीकरण से आगे जाकर देश के ट्रिलियन डॉलर सकल घरेलू उत्पाद पर आधारित अर्थव्यवस्था से ज़्यादा जुड़-सा गया है।

एक दूसरा ऐतिहासिक निर्णय भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने का रहा है। धर्म का हमेशा से हमारे निजी जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। धर्म और जातीय समूहों का राजनीतिकरण आज अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गया है। आज राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हमारी राजनीति में सांप्रदायिक और पंथगत धारणाओं का स्थान काफ़ी अहम हो गया है।

पिछले साठ सालों में हमारी आदर्श मानसिकता के संदर्भ लोक अभिरुचियों से निर्धारित होते रहे हैं। यह अलग बात है कि इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। वर्ष 1991 से लेकर अब तक हम लगातार धीरे-धीरे पूंजीवादी राह पर आगे बढ़ते रहे हैं।

प्रजातंत्र भारत में शासन का हृदय स्वरूप है। बावजूद इसके क्रियात्मक स्वरूपों में प्रजातंत्र की कई कमियां भी उजागर हुई हैं। लोक सेवा से लेकर विधायिका और राजनीतिक प्राधिकरणों तक जवाबदेही का स्तर कमज़ोर दिखाई देता है। उच्च स्तर पर प्रशासनिक नियंत्रण कमज़ोर है और संसदीय समितियों की कतिपय अनदेखी समस्या के अहम हिस्से हैं। राजनीति का अपराधीकरण और चुनावी राजनीति में जाति और धर्म की बढ़ती दखलअंदाजी चिंतनीय विषय हैं।

गणतंत्र के आरंभिक दिनों में कार्यपालिका का कामकाज़ काफी हद तक स्वायत्त था। राजनीतिज्ञों, ख़ासकर मंत्रियों का दखल सत्तासीन कुलीनों और शक्तिशाली हित-समूहों के पक्ष में संसाधनों के आवंटन की मांग के साथ शुरू हुआ। राज्यों में सन् 1960 के बाद मंत्रिमंडल की अस्थिरता और लोक सेवा की निरपेक्षता पर दबाव बढ़ने लगा। गठबंधन सरकारों के चरित्र के कारण केंद्रीय प्राधिकारों के विखंडन ने 1980 के बाद इस समस्या को बढ़ाने में मदद की। लेकिन चुनाव के बाद चुनाव जैसी स्थितियों से जूझते हुए देश के आम आदमी ने अपनी आवाज़ लगातार बुलंद की है। अपने प्रतिनिधियों को इस तरह बदला है कि राज्य से लेकर केंद्र तक की सरकारें बदलती रही हैं। इस प्रक्रिया को नागरिक समाज के समूहों, मीडिया और सक्रिय न्यायपालिका का समर्थन मिला है और इसने कार्यपालिका को जवाबदेह बनाने की मांग को और भी तेज़ किया है। अब लोकतंत्र वास्तव में चुनावी समयांतराल से सुशासन की ओर बढ़ चुका है।

सुशासन

विश्व के सभी नागरिक अपने राष्ट्र, राज्य और इसके अंगों से उच्च गुणवत्ता के प्रदर्शन की आशा रखते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि नागरिकों को भी खुले रूप से और पूर्ण रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता का अवसर मिले। सुशासन का संबंध जवाबदेह राजनीतिक नेतृत्व, प्रखर नीति-निर्माताओं और कार्यकुशल लोक सेवकों से है। सशक्त नागरिक समाज के साथ-साथ स्वतंत्र प्रेस और स्वतंत्र न्यायपालिका सुशासन की पूर्व शर्त हैं।

भारतीय संदर्भों में आखिरकार सुशासन का क्या अर्थ है? सुशासन के केंद्रीय चुनौती है सामाजिक विकास। 14 अगस्त, 1947 को अपने प्रसिद्ध भाषण 'नियति से साक्षात्कार' में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस चुनौती को इन शब्दों में व्यक्त किया था, ''ग़रीबी, अज्ञानता, रोग और अवसर की असमानता का ख़ात्मा।'' सुशासन का उद्देश्य सामाजिक अवसरों का विस्तार और ग़रीबी उन्मूलन होना चाहिए। संक्षेप में, जहां तक मेरी धारणा है, सुशासन का अर्थ न्याय की रक्षा, सशक्तीकरण, रोज़गार और सेवाओं का प्रभावी निष्पादन है।

न्याय की सुरक्षा

न्याय की सुरक्षा के साथ कई पहलू आपस में जुड़े हुए हैं जिनमें जीवन की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा, न्याय की पहुंच और कानून का शासन आदि आते हैं।

शांति को ख़तरा

सबसे महत्वपूर्ण जन हितकारी सेवा है– सुरक्षा, ख़ासकर जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना। भारतीय राष्ट्र-राज्य स्थितियों की जटिलताओं से अवगत हैं और इसके लिए कानून और लोकतंत्र की मज़बूती, सामाजिक सद्भाव, आतंकी तत्वों की हार, घुसपैठ और नक्सली हिंसा के ख़िलाफ़ लोकतंत्र को निर्णायक समर्थन ज़रूरी है।

न्याय तक पहुंच

न्याय तक पहुंच इस मूलभूत सिद्धांत पर आधारित है कि लोग कानून के सही क्रियान्वयन पर अपना विश्वास रखें। इसके वास्तविक क्रियान्वयन में कई किस्म के कारक आड़े आते हैं। कई लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है और वे अपनी ओर से कानूनी मदद नहीं जुटा पाते। सबसे बड़ी चुनौती कानूनी प्रक्रिया का लंबा खिंचना और महंगा होना है। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका के समक्ष त्वरित निष्पादन में कर्मियों और संसाधनों की कमी भी आड़े आती है। इस तरह न्याय तक पहुंच स्थापित करने के लिए प्रणाली में समाधान के तत्वों की ख़ासी ज़रूरत महसूस की जाती है तथा साथ ही ज़रूरतमंद नागरिकों की सहायता के लिए तदर्थ रूप में कुछ क़दम उठाने की भी आवश्यकता है।

कानून का शासन

सुशासन की अवधारणा निर्विवाद रूप से नागरिकों के जीवन के अधिकार, स्वाधीनता और उनकी खुशियों से जुड़ी है। लोकतंत्र में कानून के शासन के द्वारा ही यह सब सुनिश्चित किया जा सकता है। कानून के शासन की सर्वसम्मत अवधारणा यही है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। यह अच्छी तरह से स्पष्ट हो कि 'कानून का शासन', 'कानून के द्वारा शासन' से अलग चीज़ है। 'कानून के द्वारा शासन' का अर्थ है कि कानून सरकार का यंत्र है और सरकार कानून से ऊपर है, जबकि कानून के शासन का मतलब कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इस ढांचे के अंदर ही कानून न सिर्फ़ अपने नागरिकों को स्वाधीनता की गारंटी देता है, बल्कि यह सरकार की निरंकुशता को नियंत्रित करते हुए सरकार को सही निर्णय लेने के लिए मज़बूर भी करता है। कानून का शासन ऐसा स्थापित तथ्य है जिसके समक्ष सभी समान हैं। यह औपचारिक और क्रियाविधिक न्याय प्रणाली में खासतौर से सुरक्षित किया गया है, जिसके कारण ही स्वतंत्र न्यायपालिका शासन के लिए महत्वपूर्ण औजार के समान है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को कानून में बराबर के अधिकार दिए गए हैं और कानून के मुताबिक बराबर की सुरक्षा प्रदान की गई है। किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता, जब तक कि कानून द्वारा स्थापित प्रावधानों में ऐसी ज़रूरत न हो। इस प्रकार राज्य हर व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा और स्वाधीनता की रक्षा के लिए बाध्य है। कानून के स्तर पर किसी भी प्रशासनिक कार्य की जांच करने का अंतिम अधिकार न्यायालय को ही है। अगर कोई भी प्रशासनिक या कार्यपालक कार्रवाई कानून की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, तो पीड़ित पक्ष द्वारा सक्षम न्यायालय में उचित मामला दाखिल करने के साथ ही उस कार्रवाई पर रोक लगाई जा सकती है। इस प्रक्रिया का आवश्यक उपसिद्धांत ही 'न्यायिक सक्रियता' के रूप में जाना जाता है। कार्यपालिका की उपेक्षा के कारण उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में बड़ी संख्या में जनहित याचिकाएं दायर की जाती हैं। हालांकि इसमें प्रशंसनीय रूप से काम हुआ है, लेकिन इसने न्यायाधीशों को अपना काम करने में सतर्कता और सावधानी बरतने के लिए सचेत भी किया है।

सशक्तीकरण

ग़रीबी उन्मूलन के लिए सशक्तीकरण का मूल उद्देश्य इस अंतर्भावना पर आधारित होना चाहिए कि ग़रीब लोग ही विकास कार्यक्रमों और विकास की प्रमुख एजेंसियों के केंद्र में रहें।

मेरा अनुभव यह रहा है कि ग़रीब लोगों को जब भी लोक कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जाता है, वे हमेशा सार्वजनिक कोष के उपयोग में प्रभावी बुद्धिमता प्रदर्शित करते हैं।

हमारा संविधान दो मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है, जिससे समानता का निर्णायक भाव परिलक्षित होता है। एक, सभी के लिए अवसरों की समानता और दूसरा, शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन दूर करने का सिद्धांत। सवाल यह नहीं है कि किस तरह सरकारी नौकरियों में आरक्षण से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, बल्कि वास्तव में किस तरह सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग लाभान्वित हो पाते हैं।

सरकारी नौकरियों में सुरक्षा प्रावधान सुनिश्चित करते वक्त ग़रीब छात्रों के लिए कोई विशेष देखभाल नहीं की जाती क्योंकि संविधान सिर्फ़ 'शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन' को मान्यता देता है न कि आर्थिक पिछड़ेपन को और इसी नियम का सरकारी नौकरियों में पालन किया जाता है।

16 नवंबर, 1992 को भारत सरकार की सेवाओं में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के पक्ष में 27 फीसदी आरक्षण का फ़ैसला बहाल रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने (इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ व अन्य) उनके अंदर सामाजिक रूप से संपन्न व्यक्तियों/समूहों को बाहर रखा, जो 'क्रीमीलेयर' कहलाते थे। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे भारत सरकार को 'क्रीमीलेयर' को ओबीसी से बाहर करने के लिए सामाजिक-आर्थिक मानक स्पष्ट करने को कहा। इसके तहत सरकारी सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत और धनी किसानों के परिवारों के बच्चों को भी सरकारी सेवाओं में आरक्षण से बाहर किया गया है। हाल ही में सरकार ने कानून बनाया है कि ऐसे लोग, जिनकी वार्षिक आय ढाई लाख या उससे ज़्यादा है, उनके बच्चों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण नहीं दिया जाएगा।

संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर सकारात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन के तहत राज्य को इस बात के अधिकार दिए गए हैं कि वे न सिर्फ़ सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े लोगों, अनुसूचित जातियों-जनजातियों की बेहतरी के लिए विशेष प्रावधान सुनिश्चित करें, बल्कि महिलाओं और बच्चों के लिए भी विशेष प्रावधान बनाएं। पिछले साठ सालों में इस दिशा में कई सार्थक क़दम उठाए गए हैं। एक महत्वपूर्ण क़दम स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है।

आज भारत के पांच लाख गांवों में लगभग 3.3 लाख चुने हुए पंचायत प्रतिनिधि हैं, जिनमें से 10 लाख से अधिक महिलाएं हैं। ग्रामीण जीवन में अब प्रत्यक्ष चुनावों का प्रवेश हो चुका है और भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक चरित्र के अनुरूप वहां लोकतंत्र की ताक़त के प्रति जागरुकता दिख रही है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस काम को और मज़बूती प्रदान की है।

रोज़गार

भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सामने युवाओं के लिए लाभकारी रोज़गार के सृजन की एक बड़ी चुनौती है। आज युवाओं को ऐसी शिक्षा के साथ तैयार करने की आवश्यकता है कि वे प्रयोजनमूलक शिक्षा और तक़नीक का कौशल हासिल कर सकें। इसमें इंटरनेट भी शामिल है। इससे रोज़गार के बाज़ार में उन्हें रोज़गार हासिल करने में सहूलियत होगी, साथ ही जो अपना काम (स्वरोज़गार) करना चाहते हैं, उन्हें भी फायदा होगा।

इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में रोज़गार हासिल करने पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ में, ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के क्षेत्र विस्तार और अन्य योजनाओं के अलावा भारत निर्माण योजना की रफ़्तार बढ़ाने की भी ज़रूरत है। इसके साथ ही निजी क्षेत्र में भागीदारी और स्व-सहायता समूहों के साथ लघु वित्त संस्थाओं को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

रोज़गार और क्षेत्रीय विविधता

हम आर्थिक विकास के ऐसे स्तर पर हैं, जहां भारत के दक्षिण और पश्चिमी राज्यों ने

आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से काफी विकास किया है, जबकि उत्तर और पूर्वी राज्य पीछे रह गए हैं। इस असमानता के कारण जो आक्रोश पनप रहा है उससे नक्सलवाद और घुसपैठ बढ़ी है। यह सही है कि राष्ट्र-राज्य इस तथ्य से भलीभांति परिचित हैं, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में बड़े पैमाने पर निवेश करके ही क्षेत्रीय असमानता की खाई पाटी जा सकती है। इस दिशा में पूर्वोत्तर राज्यों में रोज़गार का सृजन एक उत्प्रेरक का काम करेगा।

सेवाओं का निस्तारण

सेवाओं के प्रभावी निष्पादन योजना का प्रमुख भाग इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि मांग का प्रवाह नीचे से ऊपर हो, न कि ऊपर से नीचे की ओर। भारत में लोक सेवा निष्पादन में जिन तीन प्रमुख संस्थाओं ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है, वे हैं– न्यायपालिका, मीडिया और नागरिक समाज।

संविधान के गठन में ही मौजूद स्वतंत्र न्यायपालिका इसमें काफ़ी सहायक रही है। न्यायपालिका ने अर्थपूर्ण तरीक़े से वहां हस्तक्षेप करके चीज़ें ठीक की हैं, जहां कार्यपालिका सेवाओं के निष्पादन में अक्षम साबित हुई। जनहित याचिका लोगों और गैर-सरकारी संगठनों के लिए महत्वपूर्ण औजार साबित हुए हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों ने ही बदलाव के लिए दबाव बनाने का काम किया है। इन्होंने आम लोगों की आकांक्षाओं को उभारा है, जिससे अधिकारियों पर अच्छा काम करने का दबाव बढ़ा है। पर्यावरण से लेकर शिक्षा तक के क्षेत्र में बड़ी संख्या में गैर-सरकारी संस्थाओं ने ऐसी संस्थाओं का रूप ले लिया है, जो आम लोगों के सरोकारों को समय-समय पर सामने ला रहे हैं।

प्रशासनिक प्रतिक्रिया

लोक सेवा के निस्तारण में भारतीय प्रशासन का परिदृश्य कुछ सफ़ल नवाचारों और बड़ी संख्या में दयनीय प्रदर्शनों का गवाह है। जवाबदेह प्रणाली की सामान्य कमज़ोरियां सेवाओं में सुधार की दिशा में बड़ी रुकावटें हैं। औपनिवेशिक काल से ही प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता का अभाव दिखाई देता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार ने भी अन्याय और हितवाद को बढ़ावा दिया है।

मेरे अपने अनुभव से यह बात सामने आई है कि जब भी राजनीतिक नेतृत्व ने प्रमुख लोक सेवकों को सीधी पहुंच का अवसर दिया है, यह संभव है कि ऐसे मुद्दे सुलझ जाते हैं, जो ज़मीनी स्तर पर राजनीतिक नेताओं और राज्य सरकारों के मतभेदों और विभिन्न समूहों के आपसी हितों के कारण जटिल हो जाते हैं। राज्य नेतृत्व द्वारा दिया गया लोक समर्थन हमेशा लोक सेवकों को ग़रीबों तक पहुंच पाने में सहायता प्रदान करता है। वे तब वैसे राजनीतिक हस्तक्षेप की परवाह नहीं करते, जिसका उद्देश्य समाज के संपन्न व्यक्ति या समूह के हित में हो।

संकेत स्पष्ट हैं कि जब राजनीतिक नेतृत्व द्वारा सही तरीक़े से सशक्तीकरण होता है, तब एक परियोजना निदेशक अथवा एक जिला दंडाधिकारी को न सिर्फ़ सेवा निष्पादन के लिए एक प्रभावी यंत्र के रूप में कार्यांतरित किया जा सकता है, बल्कि उनका गुणवत्ता और समयबद्ध निष्पादन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

क्षमता निर्माण

संगठन के लगभग सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण को विस्तृत रूप से स्वीकार किया गया है, ताकि सेवा की गुणवत्ता और ग्राहक की संतुष्टि हासिल करने में सफलता मिले।

संघीय गणतंत्र में शक्ति के विकेंद्रीकरण को ग्रामीण और शहरी जनता के उत्थान में आवश्यक माना गया है।

स्थानीय प्रशासन के सशक्तीकरण से नौकरशाही के बाहर भी अधिकाधिक संख्या में लोगों के अंदर सामुदायिक ज़रूरतों को पूरा करने का विश्वास जगता है और उच्चाधिकारियों से स्वीकृति के बगैर भी बिना हिचकिचाहट के अच्छे लोक कार्य करने को बढ़ावा मिलता है।

क्षमता निर्माण में सबसे निर्णायक तत्व नेतृत्व है। सांगठनिक संस्कृति को बढ़ावा देने वाला अच्छा नेतृत्व क्षमता निर्माण का समन्वित हिस्सा है। क्षमता निर्माणकर्मियों से उत्तरदायी व्यवहार के साथ-साथ वांछित और तयशुदा परिणाम देने की मांग करता है। इसका अर्थ एक ऐसा प्रयास है, जिसमें व्यक्ति या संस्थान को उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराया जा सके। क्षमता निर्माण का माहौल बनाने के लिए सूचना तक पहुंच, भागीदारी, नवाचार और जवाबदेही की ज़रूरत होती है।

सुशासन की अन्य प्रमुख चुनौतियां

मैं राजनीति के अपराधीकरण और भ्रष्टाचार को सुशासन की प्रमुख चुनौतियों के रूप में संदर्भित करना चाहूंगा।

राजनीति का अपराधीकरण

राजनीतिक प्रक्रिया का अपराधीकरण और नेताओं, लोकसेवकों और व्यापारिक घरानों के बीच की सांठ-गांठ का शासन और लोक नीतियों के कार्यान्वयन पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। राजनीतिक जमात तो अपना आदर ही खो रही है।

यह सही है कि आमजन और मीडिया मूकदर्शक नहीं हैं। न्यायिक जवाबदेही ने कई विधायकों और मंत्रियों को जेल भेजने में सफ़लता हासिल की है। लेकिन कानून की आंख में धूल झोंकने के भी कई तरीक़े ईज़ाद किए जा चुके हैं। मुक़दमे का सामना कर रहे कई अपराधी जमानत पर बाहर आ जाते हैं और खुलेआम घूमते हैं। यह ज़रूरी है कि अपराधियों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए। यह समय की मांग है कि जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 में संशोधन कर ऐसे लोगों को अयोग्य क़रार दिया जाए, जिनपर न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मामलों में गंभीर आरोप निर्धारित किए हैं।

भ्रष्टाचार

भारत में उच्च स्तर का भ्रष्टाचार शासन की गुणवत्ता को बढ़ाने में बड़ी रुकावट साबित हो रहा है। जहां मानवीय लालच स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, वहीं आधारभूत कारक और भ्रष्ट व्यक्ति को सजा देने की लचर प्रणाली से देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है।

ऐसे में लोक जागरुकता की मज़बूती के लिए जागरूक कार्यक्रम और वर्तमान भ्रष्टाचार निरोधी एजेंसियों की मज़बूती की ख़ास आवश्यकता होगी। लोक प्रशासन में सूचना का संवैधानिक अधिकार एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में सामने आया है।

अवलोकन

सामाजिक समरसता में धर्म और संस्कृति महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। धर्म की शांत और सहनशील प्रवृत्ति और बहुलवादी सांस्कृतिक मूल्य सुशासन के मूलभूत आधार हैं। बावजूद इसके धर्म और लोकतंत्र में कोई विभिन्न संबंध नहीं है। लोकतंत्र किसी धर्म

का नहीं होता। भारतीय लोकतंत्र स्वाधीनता आंदोलन की देन है, जो बहुलवादी मूल्यों और विभिन्न विश्वास और जातीय पृष्ठभूमि के लोगों के साथ समान व्यवहार को प्राथमिकता देता है। इसकी गारंटी संविधान देता है, न्यायपालिका इसे संरक्षित रखती है और इसी मूल्य प्रणाली में नेतृत्व का विश्वास भी है।

भारतीय लोकतंत्र शासन की संरचना के केंद्र में है। यह अवसर का सृजन करता है, नेतृत्व को ताक़त देता है और आशा का संचार करता है। भारत की राष्ट्रीय मूल्य प्रणाली के बड़े विचलनों ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली के साथ-साथ लोकसेवा के बौद्धिक ढांचे, पुलिस और न्यायपालिका पर भी अपना प्रभाव डाला है।

राष्ट्रीय मूल्यों में विचलन का असर नये लोकतांत्रिक अनुभव तथा क्षेत्रीय और वैश्विक परिवेश में बदलाव के रूप में नज़र आ रहा है। भारत ने सार्वजनिक क्षेत्र की आर्थिक नीतियों की अन्यतम ऊंचाइयों से धीरे-धीरे बाज़ार के स्थायित्व की ओर रुख किया है और 1991 के बाद से ही पूंजीवाद की राह पर बढ़ा है। यह सही है कि पूंजीवाद भारतीय राष्ट्र-राज्य का स्वीकार्य ढांचा नहीं है। गठबंधन सरकारों के युग में राष्ट्रीय सरकार को ऐसी विधि अपनानी पड़ी है, ताकि आर्थिक सुधारों का परिणाम आर्थिक वृद्धि के तौर पर नज़र आए। सही विदेश नीति के दंगल में भी सच है। यह कहना सही होगा कि विश्व में सुशासन के धुंधले बिंब के बावजूद भारतीय उत्पादों का अपना विशेष महत्व और आस्वाद है।

इस बात को सर्वत्र प्रशंसा मिल रही है कि सुशासन न सिर्फ़ अच्छी नीतियों पर निर्भर है, बल्कि प्रविधि और अच्छी नीतियों की संरचना और उसका क्रियान्वयन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बुद्धिजीवी के साथ-साथ प्रशासक भी इस बात से सहमत हैं कि निर्णय लेने में सार्वजनिक क्षेत्रों के क्षमता निर्माण और कानून का शासन में लोक समाज की भागीदारी से सेवाओं का निष्पादन गुणवत्तापूर्ण और सही समय पर सुनिश्चित किया जा सकता है।

देश में सुशासन की अवधारणा और क्रियान्वयन इस बात की मांग करता है कि एक ऐसी रचनात्मक यांत्रिकी और प्रविधि हो जो एक-दूसरे की क्षमताओं के प्रतिपूरक के रूप में तीन प्रमुख कारकों को सशक्त बनाए। ये कारक हैं–सरकार, बाज़ार और लोक समाज। केंद्र और राज्यों के सभी शासन के कार्यों में स्पष्ट रूप से बड़े हित समूहों का खुलासा हुआ है, जिसकी यथास्थिति बनाए रखने में रुचि है। यह सरकार के बदलाव के प्रभावी कारक और सामाजिक न्याय के रास्ते में आड़े आता है।

सामाजिक व्यवस्था में बाज़ार एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन सच यह है कि बाज़ार के सिद्धांतों को समाज और राजनीति में शामिल करने की इज़ाज़त नहीं दी जा सकती। ज़ाहिर है, कोई भी लोकतांत्रिक सरकार बाज़ार को अनियंत्रित और नियमनों से मुक्त नहीं छोड़ सकती।

ऐतिहासिक असमानताओं की वज़ह से ग़रीब ग़रीब ही हैं। ऐसा राज्य द्वारा उन्हें सशक्त करने में असक्षम रहने और उन्हें उनका देय नहीं मिल पाने के कारण भी है। लोकतांत्रिक शासन की मांग है कि राज्य लंबे समय तक सिर्फ़ समाज के संपन्न और संगठित क्षेत्रों की ज़रूरतें ही पूरी न करें और दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं की असंगठित और ग़रीब होने के कारण उपेक्षा न करे।

शासन में बहुक्षेत्रीय दृष्टि जो बढ़ोतरी में सहायक है, उसके साथ-साथ समदृष्टि से ही सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है। सार-संक्षेप यही है कि गैर-सरकारी संगठन, स्वसहायता समूह, महिला समूह, कानूनी सहायता संगठन और अन्य कई नागरिक समाज के तत्व इसमें प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। ठीक उसी तरह, जैसे सरकार बाज़ार को नियंत्रित करती है, ताकि इसके दुरुपयोग का असर समाज पर न पड़े, नागरिक समाज की भूमिका यह सुनिश्चित करने में है कि सरकार न सिर्फ़ नागरिकों के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी हो, बल्कि यह सामाजिक न्याय की गारंटी देने के लिए अपनी भूमिका का निर्वाह भी करे।

सौभाग्य से यह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है कि राष्ट्रीय और कई राज्य सरकारों के दृढ़निश्चय की वज़ह से आर्थिक पिरामिड के निचले हिस्से पर एक सुरक्षा जाल तैयार हुआ है। परमिट, कोटा, लाइसेंस राज के पश्चात के दिनों में मध्यम वर्ग आर्थिक प्रयासों से खासा लाभान्वित हुआ है। उद्योग जगत के कप्तानों में सामाजिक जागरुकता पैदा करने की आवश्यकता भी अब ज़्यादा महसूस की जा रही है। इन बदलावों को गति देने की ज़रूरत अब साफ़तौर पर दिख भी रही है।

स्वाधीनता आंदोलन के बाद आंतरिक मूल्यों के विघटन अथवा बड़े विचलन से लोकतांत्रिक संस्थाओं और सरकार के कामकाज़ पर विपरीत असर पड़ रहा है।

हम पूंजीवादी नवाचार के युग में प्रवेश कर रहे हैं। इससे बड़ी संख्या में लोग कट रहे हैं और बाज़ार के कानून प्राकृतिक परिवेश के लिए भी ख़तरा बन रहे हैं। लेकिन, सौभाग्यवश स्थितियों पर लगातार कमज़ोर होता नियंत्रण और लोगों के दैनंदिन जीवन पर पड़ता प्रभाव और असमानता से राज्य अपनी भूमिका में वापस आ रहे हैं। आतंकवाद के ख़तरों ने भी राष्ट्र-राज्य की मज़बूती की अवधारणा को बल प्रदान किया है।

हालांकि जिस तरह हम लगातार वैश्विक बाज़ार से जुड़ते जा रहे हैं, परमिट युग की वापसी की संभावना उतनी ही कम होती जा रही है, फिर भी लोगों के जीवन की बेहतरी को सुनिश्चित करने वाला सुशासन सरकारी गतिविधियों और उसके कार्य पर ही निर्भर करता है।

लोकतंत्र की गुणवत्ता और कार्यपालिका और न्यायपालिका से जुड़े लोक सेवकों की क्षमता और प्रतिबद्धता ही देश के प्रदर्शन के तीन प्रमुख क्षेत्रों सशक्तीकरण, रोज़गार और सेवाओं के प्रभावी निष्पादन को निर्धारित करेंगी। गांधी-नेहरू युग के बाद शासन में नागरिक समाज की भूमिका काफी निर्णायक हो गई है। विकास की रफ़्तार बढ़ाने में गैर-सरकारी संगठन, महिला समूह, ट्रेड यूनियन, सहकारी संस्थाएं, गिल्ड, विश्वासी संगठन जैसे नागरिक समाज सभी ज़रूरी हैं। लोगों की भागीदारी के बगैर, उनकी आवाज़ के बगैर, उनके प्रतिनिधित्व के बगैर कोई भी कार्यक्रम सिर्फ़ यांत्रिक रूप से ही संचालित किया जा सकता है। आज हमें ख़ासकर दो क्षेत्रों– महिला और जीवनोपयोगी कार्यक्रमों में आविष्कारकों की ज़रूरत है।

महिलाएं सुशासन की कुंजी हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं में उनके बढ़ते प्रतिनिधित्व से भारतीय राजनीति को स्थायित्व मिला है। महिलाएं मेज पर रचनात्मक, क्रियात्मक और संपोषित समाधान प्रस्तुत कर सकती हैं। आर्थिक कार्यक्रमों में भी महिलाओं की भागीदारी

को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाओं में हमें परिणाम देने वाले, शिक्षाप्रद और संभालने योग्य नेतृत्व मिल सकते हैं।

दूसरा आशय जीवनयापन है। जीवनयापन का मतलब फैक्ट्री में की जाने वाली नौकरी नहीं है। इसे सामाजिक-आर्थिकी और स्थानीय संसाधनों से भी जोड़ा जाना चाहिए। इसका मतलब उन पारंपरिक क्षमताओं के उन्नयन से भी है, जो अनंतकाल से लोगों ने कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन और कपड़ा उद्योग आदि से हासिल किया है। ऐसे कौशल के उन्नयन में निवेश से प्रकृति के साथ मधुर संबंध बनाने में भी मदद मिलेगी।

सदियों से चली आ रही सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के मद्देनज़र भारत पूंजीवादी विकास मॉडल के भारतीय राजनीति को स्थायित्व प्रदान करने में सफल नहीं हो सकता। दूसरी ओर त्वरित आर्थिक विकास भी भारतीय युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आविष्कारकों को ऐसे तरीक़े विकसित करने की ज़रूरत है, जो तेज़ विकास के साथ-साथ गांधीवादी मूल्यों के साथ लोकतांत्रिक मिज़ाज़ को भी जोड़े रखने में सफ़ल साबित हों।

जहां तक सेवा का तात्पर्य है, मेरी प्रमुख चिंता देश की प्रमुख सेवाओं– भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा से है, जो स्थानीय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। आज वे तेज़ी से आमजन के बीच अपनी साख खोते जा रहे हैं। यह सिर्फ़ सरकार के लिए ही नहीं, बल्कि इन सेवाओं के लिए भी समीचीन है कि वे इस मामले की गहराई में जाएं, क्योंकि आमजन और लोकसेवकों के बीच साख की कमी से कुछ भी ठोस चीज़ हासिल नहीं हो पाएगा।

सौभाग्य से सरकार, बाज़ार और नागरिक समाज में नवाचार हो रहे हैं। सुशासन का चरित्र और इसके तत्वों में लोगों की नयी मांग और अपेक्षाओं के अनुरूप बदलाव आता जाएगा। लोकतांत्रिक शासन को अपने नेतृत्व से यह अपेक्षा बढ़ेगी कि वे इन अपेक्षाओं के अनुरूप जीवंतता दर्शाएं और राजनीति के संस्थानों को नागरिकों के कल्याण के प्रभावी उपकरण के रूप में ढालने में सहायक हों।

हम इस बात से भी अवगत हैं कि देश में लगभग प्रतिदिन लाखों विद्रोह हो रहे हैं। आवश्यकता लाखों समझौतों की है जो सरकार, बाज़ार और नागरिक समाज को ग़रीबों के हित में सामूहिक रूप से काम करने का मार्ग प्रशस्त कर सके। ❑

(लेखक प्रख्यात विद्वान, चिंतक और लोक सेवक हैं। वे भारत सरकार में गृह सचिव (1997-99) और राजदूत रह चुके हैं। वे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक (1999-2002) भी रह चुके हैं। *बहुधा* और *पोस्ट 9/11* उनकी नवीन कृतियां हैं, जिन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नयी दिल्ली से प्रकाशित किया गया है। वर्तमान में वे सिक्किम के राज्यपाल हैं।

ई-मेल : balmikipsingh@yahoo.co.uk, bpsias@gmail.com)

योजना

सदस्यता कूपन

नयी सदस्यता / नवीकरण / पता बदलने के लिए (जो लागू होता हो उस पर '✓' का चिह्न लगाएं।)

मैं ..... (पत्रिका का नाम एवं भाषा) का ❑ वार्षिक (100 रुपये) ❑ द्विवार्षिक (180 रुपये)

❑ त्रिवार्षिक (250 रुपये) सदस्य बनने का इच्छुक हूं। डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर संख्या ..... तारीख .....

नाम .....

वर्ग ❑ विद्यार्थी ❑ शिक्षक ❑ संस्था ❑ अन्य

पता :.....

.....

पिन .....

नवीकरण/पता बदलने के लिए कृपया अपनी सदस्य संख्या यहां लिखें :.....

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर ***अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग*** के नाम से बनवाएं और कूपन के साथ इस पते पर भेजें : व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड-IV, सातवां तल, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

समय की ज़रूरत - ई-प्रशासन

● समीर कोचर

नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार करते हुए सरकार ने अनेक उपाए किए हैं। इनमें से एक है एमसीए-21, जो कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली सेवा से जुड़ी है। आनलाइन आयकर रिटर्न, पासपोर्ट सेवा केंद्र आदि से भी यह संबंधित है। सरकार ने 2014 तक 1,100 ई-प्रशासन सेवाओं की योजना बनाई है और वह इस पर 40,000 करोड़ रुपये का निवेश करने वाली है। इस निवेश में क्षमता-निर्माण के लिए ज़रूरी सभी हार्डवेयर और सॉफ्टेयर की लागत शामिल है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने नागरिकों के लिए 'ऐट योर सर्विस' या '*मी सेवा*' शुरू की है। क़रीब 6,000 '*मी सेवा*' के द्वारा प्रतिदिन कोई 50,000 अनुरोध निपटाए जाते हैं। इस सेवा के द्वारा रोज़ाना लगभग 1 लाख आवेदन निपटाने की क्षमता जुटाई गई है। इसके द्वारा अनेक प्रकार के आवेदन निपटा दिए जाते हैं जो अभी तक बाबुओं की दया पर निर्भर थे। आवेदन पर, रखे गए डाटाबेस के आधार पर कार्रवाई की जाती है और नागरिकों को एक स्थान पर सभी जवाब मिल जाते हैं। इसमें राजस्व, पंजीकरण, नगरपालिका प्रशासन और शिक्षा जैसे सेवा माध्यम शामिल हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने अपने नागरिकों की सुविधा के लिए एक सेवा शुरू की है जिसे *महागोव क्लाउड* नाम दिया गया है। इसके कारण लागत में कमी आई है। स्टोरेज क्षमता में वृद्धि, नम्यता, कहीं से भी सूचना प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध हुई है व रोज़ाना सॉफ्टवेयर अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस वजहों से यह सेवा शुरू करने का फ़ैसला किया गया। इसको राज्य के डाटा केंद्र ने लागू किया है और इसका इस्तेमाल विभिन्न विभाग अपनी वेबसाइट और एप्लीकेशन होस्टिंग के लिए कर रहे हैं। राज्य के कुल 42 विभागों में से 25 इस व्यवस्था में शामिल हैं। इसके 70 अनुप्रयोग हैं। स्टोरेज और मेमोरी के प्रावधानों से फायदा उठाते हुए संसाधनों का कुशल उपयोग किया जाता है एवं काम के अनुसार उनका आवंटन किया जाता है। नियोजित अनुरक्षण के बिना पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। इस तरह से प्रक्रिया संबंधी कुशलता बढ़ती है।

लेख के शुरुआत में जिन दृष्टांतों की चर्चा की गई है, उन्हें तैयार करते समय प्रौद्योगिकी को ज़रूरत के अनुकूल बनाया गया। उन्हें वर्तमान बिजनेस मॉडल के अनुकूल बनाया गया। इन्हें वर्तमान व्यवस्था, नीति-निर्धारण, बजट, निर्णय प्रक्रिया से अलग किया गया। पहले इस प्रक्रिया में बड़े अधिकारी शामिल होते थे। बाद में इन्हें सरकारी काम के अनुरूप बनाया गया। पिछले 10 वर्षों में हमने काफी कुछ सीखा है, पहले व्यवस्था काम नहीं कर रही थी। अब इस व्यवस्था से सिद्ध हो गया है कि ई-प्रशासन से जुड़ी सेवाएं नागरिक केंद्रित होनी चाहिए न कि प्रौद्योगिकी केंद्रित। नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए सरकार को इसे एक बड़ी चुनौती मानना तथा यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हर विभाग अलग-थलग होकर काम करता है और उसका खुद का मूल सुविधा ढांचा, नेटवर्क आदि होता है।

नागरिक और व्यापार सरकारी सूचना और सेवाओं तक बेहतर पहुंच चाहते हैं। वे चाहते हैं कि प्रक्रिया सरल, कागज़ी काम कम से कम और संपर्क सफल हों। नागरिक उम्मीद करते हैं कि उन्हें मिलने वाली सेवाओं में नम्यता और सुविधा हो तथा ऑनलाइन सारी सेवाएं मिल जाएं और उनके अनुरोध का तुरंत उत्तर मिले। जटिलताओं से तंग नागरिक चाहते हैं कि उन्हें छोटी-छोटी सेवा पाने के लिए दर-दर न भटकना पड़े, साधारण से काम के लिए अनेक प्रकार के फार्म आदि न भरने पड़े और सेवाएं सातों दिन व पूरे महीने उपलब्ध हों, लेकिन यदि परंपरागत सेवाओं को सातों दिन व पूरे महीने उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर विचार किया जाता है तो इस पर बहुत ज़्यादा लागत आ सकती है।

विभिन्न लोगों की पसंद के हिसाब से बहु-माध्यम सेवा उपलब्धता (उदाहरणार्थ, वेब, फोन, टेक्स्ट मैसेज और व्यक्तिगत) की व्यवस्था की जा सकती है। अधिक लागत वाले माध्यमों से लोगों को किफ़ायती माध्यमों की ओर उन्मुख करके लागत घटाई जा सकती है। एक और महत्वपूर्ण कारक है—सामाजिक समावेशन। ज़्यादातर सरकारी सेवाओं के सबसे बड़े लाभार्थी होते हैं ग़रीब और वंचित वर्गों के लोग। लेकिन ये वे वर्ग हैं जो प्रौद्योगिकी के उपयोग में सबसे कमज़ोर पड़ते हैं। प्रौद्योगिकी वाले समाधान उपलब्ध कराने का मुख्य लक्ष्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों को अन्यत्र इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराना और सामाजिक रूप से जनता की सहायता करना।

जहां नागरिकों को उपयोगी प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना एक प्रगतिशील क़दम है,

वहीं सरकारी एजेंसियों में इसके लिए समन्वय लाना एक मुश्किल काम है। ऐसे काम तब सफल होते हैं जब एजेंसियों में आपसी सहयोग हो और वे एक-दूसरे के साथ सूचना और संसाधनों को साझा करें। इसके लिए सशक्त और प्रभावी प्रौद्योगिकी आवश्यक है और इसके बिना निष्कपट प्रयास भी विफल हो सकते हैं तथा उनमें आपसी संवाद टूट सकता है।

प्रौद्योगिकी की प्रगति ने नयी संभावनाओं को जन्म दिया है और सरकार की भूमिका से लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। इनमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं :

- क्लाउड कंप्यूटिंग को एक सक्षम आईसीटी प्रोविजनिंग मॉडल माना जाए। इसे लागत में किफ़ायत एवं नयी सेवाएं उपलब्ध कराने का रास्ता समझा जाए।
- सोशल मीडिया जिसमें नागरिकों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अधिक संतुष्टि मिले।
- अनोखी पहचान वाली प्रौद्योगिकी जिससे अंतर-एजेंसी सहयोग और सूचनाओं के आदान-प्रदान में वृद्धि हो।
- ओपन डाटा एवं गवर्मेंट डाटा स्टोर्स द्वारा अधिक से अधिक लोगों तक सूचनाओं का प्रसार हो सके।

यह आवश्यक है कि ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी क्षमताओं को इकट्ठा किया जाए जिनसे सरकार की ईंड टू ईंड (end to end) प्रौद्योगिकी की ज़रूरतें पूरी हो सकें। इसके साथ ही, उनमें खुलेपन का विकास किया जाए जो ऐसी बहु-व्यापारिक विश्व के विकास के लिए ज़रूरी है जिसमें सरकारें काम करती हैं। प्रौद्योगिकी एवं समाधानों से पूरा लाभ पाने के लिए ज़रूरी है कि सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यापक संगठनात्मक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन लाया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रौद्योगिकी पुराने तौर-तरीक़ों में फंस कर न रह जाए बल्कि वह नागरिकों एवं व्यापारों को परिवर्तन का प्रभाव महसूस करा सके।

भारत सरकार के अर्द्ध-संघीय स्वरूप को देखते हुए लोकतंत्रीय प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए केंद्र और राज्यों तथा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच सहयोग आवश्यक है। यह सहयोग ई-प्रशासन के लिए भी ज़रूरी है। चाहे ई-प्रशासन से राजकोषीय संचालन हो, शहरी नियोजन अथवा ग्रामीण सड़क संपर्क की बात हो, मध्य प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। कोषागार एवं लेखा निदेशालय ने सुनिश्चित किया है कि उसके 4.8 लाख कर्मचारी, 4.9 लाख वेंडर और लगभग 15,000 पेंशनर, सभी को ई-भुगतान के ज़रिये भुगतान प्राप्त हो। इस समय इस राज्य के 187 कोषागारों/उप-कोषागारों में ई-भुगतान की सुविधा उपलबध है।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एमजीएनआरईजीएसएमपी के साथ अन्य योजनाओं जैसे पीएमजीएसवाई आमेलन (कनवर्जेंस) का अच्छा उदाहरण है। जहां स्थाई परिसंपत्तियां सृजित की जाती हैं। मध्य प्रदेश में क्लस्टर अप्रोच के द्वारा 50 जिलों में सड़कों का विकास किया जा रहा है। ठेकेदारों के विवरण, ऑनलाइन हैं ख़र्च और प्रगति के विवरण उचित समय पर उपलब्ध हैं। राज्य सरकार ने सरकार प्रायोजित सरकार-उन्मुख ग़रीबी उन्मूलन तथा अन्य सामाजिक योजनाओं के एनपीए की ऑनलाइन मानिटरिंग भी शुरू की है। बैंकों द्वारा दाखिल रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट के आधार पर और बैंकों की बकाया राशि को बकाया भू-राजस्व मानकर वसूली की जाती है। हितधारकों यानी तहसील, बैंक शाखा, नोडल डिस्ट्रिक्ट ब्रांच, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और जिला कलेक्टर को वेब-आधारित बीआरआईएससी सॉफ्टवेयर द्वारा वसूली से संबंधित वास्तविक समय सूचना दी जाती है। ऑनलाइन परीक्षा के कारण अब फाइलों पर हाथों से काम नहीं करना पड़ता जिससे समय की भारी बचत हुई है तथा कुशलता में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। अब तक 1,00,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किए हैं जिनमें से 8,032 उम्मीदवारों की परीक्षा हो चुकी है। एमआईएस का पूरा विवरण ऑनलाइन उपलब्ध है। यही नहीं, प्रदेश के 110 कस्बों/नगरों की नगर विकास योजना बनाई जा चुकी है जबकि 270 नगरपालिकाओं की विकास योजना बनाई जा रही हैं। ये सभी विकास योजनाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

कमज़ोर वर्ग को प्राथमिकता देने की नीति अपनाने का महत्व बहुत ज़्यादा है। सभी विकास कार्यक्रमों के द्वारा कमज़ोर वर्ग तक पहुंच बनाने के प्रयास हो रहे हैं चाहे यह वित्तीय समावेशन हो, स्वास्थ्य सेवाएं हों अथवा ई-प्रशासन। इसी संदर्भ में ई-जिला परियोजनाओं में तेज़ी लाने की बात है। उदाहरण के लिए इसे राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना के अंतर्गत मिशन मोड प्रोजेक्ट माना गया था लेकिन इसकी प्रगति धीमी है और यह अन्य राष्ट्रीय परियोजनाओं की तरह इस वर्ग में शामिल करने लायक नहीं हैं। जिला प्रशासन व सरकार के लिए वे महत्वपूर्ण हैं जहां सरकार और जनता के बीच अधिकांशतः संपर्क होता है। ई-डिस्ट्रिक्ट (जिला) परियोजना इसी अनुभव को मूर्त रूप देने के लिए बनाई गई थी। इसका उद्देश्य यह अनुभव बढ़ाना और नागरिकों को निर्विघ्न सेवा प्रदान करने की विभिन्न विभागों की क्षमता बढ़ाना था। इनमें अग्रणी कार्यालय नागरिक सुविधा केंद्रों के रूप में काम कर रहे थे। ऐसे कार्यालय हर जिले में बनाए जाने हैं। ये कार्यालय जिला, तहसील, सब डिविजन, ब्लॉक और ग्राम-स्तर पर भी खुलने थे। इनकी स्थापना सेवाओं को उपलब्ध कराने के सामान्य सेवा केंद्रों के द्वारा की जाती है।

ई-जिला परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है- जिला प्रशासन के लिए कुशल इलेक्ट्रॉनिक कार्य व्यवस्था सुगमता से लागू करना। कठिन भू-भाग वाले असम जैसे राज्य में यह एक मुश्किल परियोजना साबित हो रही है। एएमटीआरओएन (एमट्रॉन) ने यह चुनौती स्वीकार की है और दो जिलों- गोआलपाड़ा और सोनितपुर के 10 विभागों को इसमें संयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य जवाबदेही, कुशलता और संचालनों में पारदर्शिता बढ़ाना है ताकि जनता इससे अधिकाधिक लाभान्वित हो सके। इनके

द्वारा अब नागरिक डिजिटल हस्ताक्षर वाले दस्तावेज़ प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन फार्म का प्रारूप मानकीकृत किया जा चुका है। अब इस प्रारूप का इस्तेमाल हर सीएससी/ई-जिला केंद्र सेंटर द्वारा किया जा सकता है। जनता के संपर्क में आने वाले सभी अधिकारियों को एकल विंडो सेवा देने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। यह सिस्टम प्रोसेस ड्राइवन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है, चैंपियन ड्राइवन जैसा नहीं।

एनईजीपी के बावजूद भारत में अभी ई-प्रशासन लागू करने के लिए पूरे तौर पर आईसीटी फ्रेमवर्क का प्रचलन नहीं हुआ है। ई-प्रशासन पूरी तरह लागू करने के लिए टेक्नीकल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मूल सुविधा विकसित करनी पड़ेगी। इसके लिए बेहतर संपर्क विकल्प देने होंगे। नये (कनेक्टिविटी) विकल्पों में तेज़ ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की ज़रूरत पड़ेगी। 3जी और 4जी जैसे वायरलेस नेटवर्क भी ज़रूरी होंगे। भारत में सेलुलर फोनों के कारण दूर-संचार में क्रांति आ चुकी है। लेकिन ख़र्चीले और जटिल होने के कारण अभी इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। अब पता चला है कि नवंबर 2013 तक देश की सभी 2.5 लाख पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जब तक कनेक्शन नहीं मिलते, तब तक ई-प्रशासन की बात सोची भी नहीं जा सकती।

हम यह मानकर चलते हैं कि हम लोग ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जब प्रौद्योगिकी पहले के मुक़ाबले काफी अधिक संचालन क्षमता उपलब्ध कराती है और मानक आधारित एकीकरण काफी ज़्यादा वास्तविक हैं, हम आगे बढ़ने के लिए अधिक संरचना युक्त दृष्टिकोण अपना सकते हैं। सफल ई-गवर्नेंस की अगुवाई भी वास्तविक रूप में सरकार को ही करनी होगी। लेकिन इस काम में निजी क्षेत्र के भागीदार सरकार की मदद कर सकते हैं। भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी उपाय टुकड़ों में लागू किया है। इसमें समग्र दूरदृष्टि नहीं अपनाई गई है। इसके परिणामस्वरूप लाभ सीमित रहे हैं। नये पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप (पीपीपी) का इस्तेमाल सीमित रूप से किया गया है और इसकी समीक्षा किए जाने की ज़रूरत है।

दुनियाभर में सार्जनिक निजी भागीदारी मॉडल को ई-प्रशासन सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए उपयुक्त माना गया है। इससे कुशलता, रफ़्तार और निरंतरता बढ़ती है। विकासशील देशों में ई-प्रशासन शुरू करने में सबसे बड़ी बाधा है संसाधनों की कमी। दक्षता का स्तर नीचा होना तथा निष्पादन के लिए प्रोत्साहन न मिलना अन्य बाधाएं हैं। भारत में भी स्थिति इससे भिन्न नहीं है। ई-प्रशासन में सार्वजनिक निजी भागीदारी का प्रयोग अनेक बाधाएं दूर करने में सहायक हो सकता है और साथ ही, निजी क्षेत्र के लिए अवसरों की वृद्धि भी करता है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल कई रूपों में अपनाया जा सकता है। यह बीओओ, बीओओटी (बिल्ड-ऑन-आपरेट-ट्रांसफर) हो सकता है। एक निश्चित समय के लिए भी बीओटी हो सकता है। इसे रियायती ठेका भी कह सकते हैं। संयुक्त उद्यम अथवा निजी वित्तीय उपाय भी कह सकते हैं। इसके द्वारा रणनीतिक निवेश आदि के लिए भागीदार बनाकर आंशिक निजीकरण किया जा सकता है। इसके पीछे विचार यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र में जिम्मेदारी की भावना लाई जाए, साथ ही उसमें निजी क्षेत्र जैसी कुशलता हो तथा ज़ोखिम में भी भागीदारी हो। अच्छी गुणवत्ता और निजी क्षेत्र जैसा कामकाज का स्तर सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी होगा कि मानक तय कर लिए जाएं। भारत सरकार में इस समय प्रबंधन मानक तैयार किए जा रहे हैं और अंतर-संचालन, तक़नीकी तथा सुरक्षा के मानकों के मसौदे तैयार किए जा रहे हैं।

दुनिया के अनुभवों से पता चला है कि सूचना प्रौद्योगिकी ऐसा क्षेत्र है जो पीपीपी मॉडल के सर्वथा उपयुक्त है। यह ड्राइविंग लाइसेंस तैयार करने, संगठनों के बिलों की वसूली और भू-लेख के प्रबंधन आदि के लिए बहुत उपयुक्त है। सरकार ने इन क्षेत्रों में आईटी के इस्तेमाल पर निवेश किया है। उनके पास संसाधन सीमित हैं, समय की भी कमी होती है अथवा पर्याप्त ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। यदि इनमें पूंजी निवेश किया जाता है तो निश्चय ही किसी-न-किसी विभाग पर निवेश में कमी करनी होती। इससे जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, आवास, उद्योग आदि प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए सरकारों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी पर पूंजी निवेश बहुत सोच समझकर करना होता है। उदाहरणार्थ– आंध्र प्रदेश की सरकार ने कंटेंट और डिजिटाइजेशन डाटाबेस पर ख़र्च किए जिससे ये क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए लाभप्रद बन गए। टिवन्स परियोजना की पायलट परियोजना चलाई गई जो आकर्षक दिखी। इसमें नागरिकों को सेवाएं देने में निजी क्षेत्र को शामिल कर परियोजना का सफल संचालन किया गया। मूल सुविधाओं के सृजन में सरकार ने निजी क्षेत्र को पूंजी निवेश के लिए आकर्षित किया है। हाईटेक सिटी जैसी सुविधा के सृजन में ऐसा ही किया गया। इसी प्रकार से, सरकार ने हाईस्पीड आप्टिकल फाइबर नेटवर्क बनाने के लिए रॉयल्टी-मुक्त आवागमन सुविधा देने का प्रावधान किया। ई-प्रशासन अनुप्रयोगों के संभावित प्रयोगों के कारण उनकी व्यापारिक व्यवहार्यता बढ़ गई है।

ई-प्रशासन में सफलता प्राप्ति के लिए नागरिकों, सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी ज़रूरी है। ई-प्रशासन प्रक्रिया के लिए निरंतर सूचना प्रवाह और ग्राहकों की समुचित प्रतिक्रिया जानना भी आवश्यक होता है। इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक सेवाओं का प्रयोग करने वाले अधिकारियों, नागरिकों, निवासियों तथा व्यापारियों के विचारों की भी लगातार जानकारी मिलनी चाहिए। ई-प्रशासन उपयोगी ढंग से काम करे, इसके लिए सबसे निचले स्तर के लोगों की प्रतिक्रिया मिलनी भी ज़रूरी होती है। इसीलिए ई-प्रशासन से संबंधित दूरदृष्टि में सभी हितधारकों (सरकारी तथा गैर-सरकारी) की दूरदृष्टि सम्मिलित होनी चाहिए। ❑

(समावेशी विकास और नागरिकता के मुद्दों के विद्वान समीर कोचर स्कोच ग्रुप के अध्यक्ष हैं।

ई-मेल : info@skoch.in)

सुशासन और विकास

● योगिंदर के अलघ

भारत को अपने सुदीर्घ स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनूठे अनुभवों से गुज़रना पड़ा है। यह सत्याग्रह, अहिंसा और आदर्शवाद से ओतप्रोत एक जनांदोलन था। आदर्शवाद के लक्ष्यों को हम स्वतंत्रता के दशकों बाद भी न भुला सकें। इन्हीं आदर्शवादी सिद्धांतों की पृष्ठभूमि के कारण गठबंधन सरकारों और विकेंद्रीकृत संस्थाओं के साथ सामंजस्य बिठाने में हमें कठिनाई आ रही है। जहां तक बुनियादी समस्याओं की बात है, देश में असहजता का माहौल है और तमाम प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ विचार योग्य बिंदु इस प्रकार हैं :

- राज्य (सरकार) को यदि लोगों की प्रत्यक्ष सेवा के मार्ग से हटना है तो उसे आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों के लिए नियामक ढांचा तैयार करना होगा। नागरिक संस्थाओं को सरकारी विकेंद्रीकृत स्थानीय संस्थाओं, सहकारिताओं, स्वयंसेवी संगठनों और इसी प्रकार के अन्य मिश्रित रूप वाले नये संगठनों की तरह काम करने के लिए संस्थागत ढांचा, प्रोत्साहन और निषेध की व्यवस्था तथा वित्तीय संरचना तैयार करनी होगी।
- विशेषकर जल, उत्तम भूमि और ऊर्जा जैसे गैर-नवीकरणीय संसाधनों का अभाव और गहरा सकता है। इन संसाधनों को दीर्घावधि तक बचाए और बनाए रखना कठिन हो सकता है।
- व्यक्तियों और समूहों के अधिकारों पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाएगा। निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी पर ज़ोर रहेगा। इसके कारण सरकार की शक्ति के प्रयोग में अधिकाधिक निष्पक्षता और आत्मसंयम की आवश्यकता बढ़ेगी। इसी से जुड़ी है पारदर्शिता और सूचना के अधिकार की मांग।
- कमज़ोर वर्गों के संरक्षण की मांग उठेगी, फिर चाहे वे ऐतिहासिक रूप से वंचित हों अथवा बाज़ारीकरण के शिकार बनकर उभरे हों। महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों, जनजातीय समूहों, मानसिक और शारीरिक रूप से बाधित लोगों जैसे विशिष्ट समूहों के मानवाधिकारों के संरक्षण पर ध्यान देना होगा।
- यहां यह महत्वपूर्ण है कि बढ़ते अभावों और समस्याओं का ज्ञान आधारित समाधान ढूंढने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का सहारा लेना होगा। सूचना प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी, सिस्टम्स नेटवर्किंग, नवाचार और रणनीतिक प्रबंधन के माध्यम से समस्याओं के समाधान पर अधिक ज़ोर दिया जाएगा।
- प्रबुद्ध वर्गों को लगेगा कि सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक अंतर्संबंधों और उनके परिणामस्वरूप उपजे तनावों के कारण सुरक्षा-सरोकार अधिक गंभीर होते जा रहे हैं। ऊर्जा, भोजन और जल सुरक्षा जैसे बुनियादी मुद्दे भी गंभीर रूप ले सकते हैं। इनके समाधान के संस्थागत आयाम सहज़ होंगे, ऐसा कहना कठिन होगा।

जहां तक नियामक निकायों का प्रश्न है, भारतीय प्रशासनिक कर्मियों, महाविद्यालय के प्राचार्य के नेतृत्व वाले समूह ने उन पर तीखे प्रहार किए हैं। सर्वश्रेष्ठ नियामकों में से एक, डॉ. एस.एल. राव ने टेरी (द एनर्जी एंड द रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट) के एक शोधपत्र में इन निकायों की संरचना और उनमें अमल के बारे में बुनियादी सवाल उठाए हैं। सरकारी कार्य में सबसे अधिक दबाव नियुक्तियों के बारे में आता है। ऊर्जा मंत्री के रूप में मैंने अपने मंत्रालय के सचिव के साथ मिलकर योजना आयोग के एक सदस्य को जोकि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रह चुके थे, को ऊर्जा निकायों में वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियों की सलाह देने वाली परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया। यह पारदर्शी नियुक्ति

प्रक्रिया, अगस्त, 1997 में संसद में रखे गए सीईआरसी अधिनियम पर काफी विचार-विमर्श के बाद अपनाई गई थी। ज़ाहिर है कि नियमन का प्रबंधन, सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है और उस पर मुक्त रूप से तथा पारदर्शिता के साथ चर्चा होनी चाहिए।

भूमि एवं जल

विकेंद्रीकरण के मुद्दे कुछ और ही तरह के होते हैं। राज्य (सरकार) की नीति में इसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए ताकि उन लोगों की मदद की जा सके जो स्थानीय और वैश्विक सरोकारों के केंद्र में रहकर अपनी सहायता स्वयं करते हैं। बारहवीं योजना की तैयारियों से स्पष्ट है कि, लक्ष्यों के संदर्भ में, भूमि एवं जल के परस्पर संबंधित क्षेत्रों में, कामकाज काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यह समस्या खाद्य सुरक्षा, रोज़गार और ऊर्जा की पर्याप्तता के केंद्रों में हैं।

आंशिक रूप से समस्याएं इसलिए खड़ी होती हैं, क्योंकि प्रशासकीय प्रणालियां और वित्तीय नियम सार्वजनिक अथवा कार्पोरेट क्षेत्र के लिए बनी होती हैं। यही हाल वैश्विक वित्तीय संस्थाओं का है। सहकारिताओं, कंपनियों, स्वयंसेवी संगठनों और सरकारों की मिश्रित संगठनात्मक शैलियों की नवीन पद्धति वाली संस्थाओं को काम करने का समान अवसर नहीं मिल पाता। उदाहरणार्थ, घाटे में चल रही अनुदानित विद्युत प्रणाली एक नवीकरणीय समूह की तुलना में कम मूल्य पर सेवा देकर, उसे बाज़ार से बाहर कर सकती है। सुधार ही इस समस्या का दीर्घकालिक निदान हो सकता है। एक ऐसा सुधार, जिसमें स्थापित समूहों को दिए जाने वाले अनुदान (सब्सिडी) और संरक्षणों को समाप्त कर दिया जाए। थोड़े समय के लिए, जो संरक्षण दिया जाए, वह सभी समूहों के लिए एक जैसा होना चाहिए। ये सुधार अलोकप्रिय हैं। कंपनी विधेयक में उत्पादक कंपनियों से संबंधित प्रावधानों को यह कहते हुए वैचारिक आधार पर तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है कि वह कार्पोरेट क्षेत्र में नहीं आते हैं। इस प्रकार के विकास के लिए प्रोत्साहन और हतोत्साहन प्रणालियों की संरचना ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी स्तर पर संसाधनों का दुरुपयोग न हो सके। जितने संसाधन उपलब्ध हों, उन्हीं के साथ काम चलाया जाए। परंतु कुछ संसाधन ऐसे भी होते हैं जिनका राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर तो अभाव होता है, परंतु स्थानीय स्तरों पर उनमें लचीलापन होता है। अत: उनको जुटाने के लिए उच्च स्तर पर नीतिगत बदलाव की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, न्यूयार्क के नागरिक निकायों के कर-मुक्त बॉड ख़रीदना सरल है, परंतु विकासशील देशों में स्थानीय संस्थाओं के बॉंड का बाज़ार तैयार करने पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। अहमदाबाद नगर निगम ने बिना सरकारी गारंटी के बॉंड जारी करने का जो एक बड़ा और अनूठा प्रयास किया था, उसे इस प्रकार के दृष्टांत के तौर पर देखा जाता है। ये मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि राज्य के पास अब पैसा नहीं बचा है। बारहवीं योजना के अनुसार राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद (सघउ) के प्रतिशत के तौर पर राजकोषीय घाटा अधिकांश प्रमुख राज्यों में धारणीय राजकोषीय घाटे की तुलना में कहीं अधिक है। जिन राज्यों से उदाहरण प्रस्तुत करने की आशा की जाती है, वे लापरवाही से पैसा ख़र्च कर रहे हैं और यह तब हो रहा है जब ग्यारहवीं योजना में बुनियादी संरचना पर सार्वजनिक व्यय में काफी कमी देखी गई। इस समय इस बारे में अधिक कुछ कहना निरर्थक है, क्योंकि यह इस आलेख का विषय नहीं है। सार्वजनिक व्यय की स्थिति शोचनीय है और जो संसाधन हैं ही नहीं, उन्हें स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करना अव्यावहारिक होगा।

अत: यदि ऋणदाय रणनीति का पुनर्गठन करने की आवश्यकता है तो उसे स्थानीय वित्त के पुनर्गठन से जोड़ना होगा। भूमि, जल और शहरी विकास के लिए पिछले तीन बजटों में स्थानीय निकायों की जो सहायता की गई, उन अच्छी योजनाओं को स्थानीय प्रशासन की संरचनाओं और वित्तीय संसाधनों के साथ जोड़ना होगा। इसमें भारी धनराशि की आवश्यकता होगी। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां अब स्थानीय योजनाओं में भी धन लगा रही हैं। हमें हाल की वैश्विक नीतियों का अध्ययन करना होगा और इसे स्थानीय वित्त से जोड़ना होगा। परियोजनाओं का मूल्यांकन करते समय विभिन्न स्तरों पर प्रशासन की प्रभावोत्पादकता पर ध्यान देना होगा। भूमि एवं जल आधारित ग़रीबी दूर करने वाले विकास कार्यक्रमों को व्यापक आकार देने के लिए सुधार प्रक्रिया को काफी गहराई में जाना होगा। इसे प्रशासकीय और विधायी प्रक्रियाओं में गहरे से उतारना होगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ रही है और साथ ही विविध रूप ग्रहण कर रही है। उदाहरण के तौर पर श्रमबल में कृषि का अंश गिरकर क़रीब 53 प्रतिशत के आसपास आ गया है। एक बात और शहरीकरण को विकेंद्रीकृत ढंग से अपनाए जाने की आवश्यकता होगी। इस सबके कारण परिहवन, ऊर्जा, क़चरा निपटान और शहरी नियोजन जैसे मुद्दों को अलग-अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यहां ध्यान देने की बात है कि भारत में शहरीकरण की पद्धति विकेंद्रीकृत है। एक ओर जहां बहुत छोटी शहरी बस्तियां विकास नहीं कर पा रही हैं, वहीं प्रथम श्रेणी के शहरों में छोटे शहरों (एक लाख से अधिक जनसंख्या) का अंश काफ़ी अधिक है। शहरीकरण को केंद्रविमुखी और केंद्राभिमुखी, दोनों प्रकार के बलों के नतीज़े के तौर पर देखा जाता है। अस्सी के दशक में, शहरी विकास दर जहां 3.8 प्रतिशत से गिरकर 3.12 प्रतिशत पर आ गई, वहीं प्रथम श्रेणी के नगरों में यह दर 6.39 प्रतिशत से बढ़कर 8.39 प्रतिशत तक पहुंच गई। तमाम संशय के बावजूद यह प्रवृत्ति जारी है।

बड़े शहर को केंद्र बनाकर बसने वाली बस्तियों (संकुलों) वाले शहरीकरण की नीति को सबसे अधिक पसंद किया जाता है। यह नीति केवल ग्रामीण उत्पाद और रोज़गार पर ही केंद्रित नहीं होनी चाहिए। वास्तव में, भारत जैसी गतिशील अर्थव्यवस्था में गांव और छोटी बस्ती के बीच अंतर काफी हानिकर हो सकता है और इससे पूर्वानुमान में तमाम तरह की विकृतियां आ सकती हैं। अधिक लाभदायी सोच यह होगी कि एक ऐसी नीति तैयार की जाए जिसमें विविध कृषि प्रधान क्षेत्रों और उत्पाद केंद्रों के आसपास समृद्धि के क्षेत्र आकार ले सकें। भारत में इस प्रकार की संभावनाएं हैं। परिवहन, भूमि उपयोग, बुनियादी संरचना और प्रौद्योगिकी प्रसार की नीतियों, सभी को इस उद्देश्य के निमित्त तैयार किया जा सकता है। यह वास्तव में अधिक टिकाऊ व्यवस्था होगी। महानगरों (दस लाख से अधिक जनसंख्या) की अपेक्षा छोटे प्रथम श्रेणी के नगरों में मलिन बस्ती वासियों की संख्या 25 से 40 प्रतिशत कम है।

त्वरित और विकेंद्रीकृत शहरी विकास में शामिल लोक प्रबंधन के मुद्दे इतने स्पष्ट हैं कि उनको और विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रौद्योगिकी की जानकारी, विकेंद्रीकृत नियोजन पर ज़ोर और आत्मनिर्भर संस्थाओं जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है, परंतु अभी तक कोई बड़ी पहल नहीं हुई है। अगले चरण के लिए ये बड़ी चुनौतियां बनने जा रही हैं। सही ढंग से संसाधन जुटाना और उनका उचित उपयोग करने की योग्यता, महत्वपूर्ण मुद्दा होगा।

प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता को एक मिशन के रूप में अपनाना जारी रहेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए यह ज़रूरी है। सभी जानते हैं कि परम सुपर कंप्यूटर के विकास के बाद भारत के सुपर कंप्यूटरों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ने हाल ही में बताया है कि तमाम प्रतिबंधों के कारण, भारत परमाणु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर हो सका है। अत: प्रौद्योगिकी हासिल करने में आने वाली कठिनाइयों के कारण कुछ ऐसे प्रयासों की आवश्यकता है, जिसे पूरा करना ही जीवन का लक्ष्य (मिशन) है। भारत में यूरेनियम के भंडार सीमित है, परंतु थोरियम के भंडार प्रचुर मात्रा में है। इसलिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाले परमाणु बिजलीघर जैसी परियोजना तैयार की गई है। ऊर्जा समस्या के दीर्घकालिक निदान में थोरियम आधारित इस परियोजना का विशेष महत्व है। परमाणु ईंधन चक्र को पूरा करने की दिशा में यह एक बड़ा क़दम है। थोरियम ऊर्जा का अपेक्षाकृत सस्ता और प्रचुर स्रोत है।

यह कहना महज़ आशावादिता होगी कि वित्तीय और संसाधन लागत में वास्तविक कमी लाने वाले अधिक उपभोक्ता हितैषी और धारणीय उत्पादों को पेश करने वाली और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाली नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाने की नीतियां पहले से ही मौजूद हैं। शुरुआत अवश्य हुई है, परंतु अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अस्थाई वित्तीय और मौद्रिक उपाय जो, लागत में कमी लाने वाली प्रौद्योगिकियों और नये-नये उत्पादों के मूल्य में सुधार लाता है, उनको और समर्थन देने की आवश्यकता है। इन सब को संभव बनाने वाले मानक परिवेश, उत्तम प्रवर्तन और संगठनात्मक सुधार को और बड़े धरातल की आवश्यकता है। इसके साथ ही ऐसे नेटवर्क की भी आवश्यकता है जो प्रक्रिया को गति दे सकें। बाज़ार में पैठ जमाने के लिए वित्तीय प्रलोभन की भी आवश्यकता होगी। वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों को इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सूचना और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में सफ़लताओं से सभी परिचित हैं जिसके निर्यात में 60 प्रतिशत वार्षिक की विकास दर रही है। मंदी के इस दौर में भी क़रीब 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इन प्रणालियों को दोहराने और विस्तार देने के लिए हमारे संगठन एवं नेटवर्किंग प्रणालियों में भारी खामियां रही हैं। दक्षिण कोरिया के कोरियाई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग प्रणाली को सहजतापूर्वक अपनाया जा सकता है। उपयोग करने वालों के लिए प्रौद्योगिकी सरलता से उपलब्ध होती हैं। तक़नीक, वित्तीय व्यवस्था, सर्वोत्तम कार्यपद्धति, कर प्रणाली और अन्य सहायक प्रणालियां चुटकी बजाते उपलब्ध होती हैं। भारत में अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) की सांख्यिकी में छोटी कंपनियों में निवेश के आंकड़े शामिल नहीं किए जाते। भारत में केवल उन्हीं फर्मों के आरएंडडी आंकड़ों को मान्यता दी जाती है जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पंजीकृत हैं। संगठित क्षेत्र के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की (एसएंडटी) पर व्यय विक्रय का क़रीब डेढ़ प्रतिशत है। यदि लघु क्षेत्र को भी जोड़ लिया जाए तो यह प्रतिशत बढ़कर दो तक पहुंच सकता है।

यह हक़ीक़त है कि लघु उद्योग क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार आकलन उपलब्ध नहीं हैं। यह घोर चिंता का विषय है। इस क्षेत्र के साथ नेटवर्किंग बनाए रखना औद्योगिक प्रौद्योगिकी नीति का ख़ास सरोकार होना चाहिए। लघु उद्योग क्षेत्र की निर्यात में एक अहम भूमिका है। लागत कम करने और नये-नये उत्पादों के प्रचलन के लिहाज़ से इस क्षेत्र में बाज़ार के दबावों को सहने की पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए।

प्रशासनिक प्रणालियों को एक रणनीतिकार की तथा परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करने की भूमिका निभानी होगी। ये जटिल मुद्दे हैं और इनका सुशासन के साथ गहरा रिश्ता है। उदाहरण के तौर पर विद्युत क्षेत्र का अनुभव ही ले लीजिए। पिछली सदी में नब्बे के दशक के प्रारंभ में निजी क्षेत्र को निवेश की अनुमति दी गई; परंतु पूर्वोपेक्षी संस्थागत शर्तों को पूरा नहीं किया गया। विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) विधेयक का प्रारूप समय से संसद में पेश नहीं किया जा सका और जब अगस्त 1997 में सदन के पटल पर रखा गया, तो वह कालातीत हो चुका था। सरकार पहले अध्यादेश लेकर आई और फिर बाद में विधेयक प्रस्तुत किया और फिर इसमें संशोधन कर उस धारा को हटा दिया गया जो कृषि क्षेत्र के लिए न्यूनतम आवश्यक दरों और राज्यों के विद्युत विनियामक आयोगों की अनिवार्य शक्तियों से संबंधित थी। विद्युत पारेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी से संबंधित विधेयक को संसद की स्थाई समिति ने 1997 में एक लंबी बहस के बाद मंज़ूरी दे दी। संसद में यह विधेयक आसानी से पारित हो गया और इसे अनेक दलों का समर्थन मिला। ऊर्जा दक्षता विधेयक के प्रारूप पर 1996 से बहस हो रही थी। लंबे समय के बाद अंतत: विद्युत विधेयक पारित हुआ। कानून बनने और संस्थाओं की स्थापना में देरी ने विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण क्षेत्र में निवेश को गंभीर रूप से प्रभावित किया। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की समीक्षा में यह तथ्य स्पष्ट रूप से उजागर हुआ है कि निजी निवेश की प्रत्याशा में सार्वजनिक निवेश में भारी कटौती की गई। सरकारी क्षेत्र में बहुत कम परियोजनाएं हाथ में ली गईं। परंतु अनेक बाधाओं और निर्णय लेने की जटिल प्रक्रियाओं के कारण निजी निवेश धीमे-धीमे ही हो रहा था। इस कारण बुनियादी संरचना के इस निर्णायक क्षेत्र में अनेक समस्याएं उठ खड़ी हुईं। हाल के एक दस्तावेज़ में बताया गया है कि विद्युत वितरण के क्षेत्र में कोई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नहीं हुआ है।

नौकरियों हेतु प्रौद्योगिकीविदों का प्रबंधन लोक समर्थन प्रणालियां : पिछले पंद्रह वर्षों में अनुसंधान के गंभीर प्रयासों ने निश्चित रूप से यह साबित कर दिया है कि नयी प्रौद्योगिकी के कारण जो विपुल अवसर पैदा हुए हैं, उन्हें ऐसे समूहों और प्रणालियों की आवश्यकता होती है जो अपनी अंतर्विधायी प्रकृति की स्वयं सारसंभाल कर सकें। ऐसी

स्थितियां प्राय: जैव-प्रौद्योगिकी, संचार और कंप्यूटरीकरण जैसे क्षेत्रों में ही पैदा होती हैं। परंतु यदि अधोसंरचना भौतिक और मानवीय ही नहीं होगी तो काफी बड़ा क्षेत्र, इससे वंचित रह जाएगा। ऐसा विकसित देशों में भी हो सकता है। इस मामले में त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित कृषक प्रबंधित सिंचाई प्रणाली और विद्युत सुधार वितरण प्रणालियां, इस दिशा में किए जा रहे अनुकरणीय प्रकरण हैं।

अधिकार, कमज़ोर समूह एवं पारदर्शिता

इक्कीसवीं शताब्दी में देश-विदेश में त्वरित परिवर्तनों के दौर में उच्चतर प्रशासनिक सेवाओं को अच्छी सेवा के ज़रिये ग़रीब, दलित और कमज़ोर एवं वंचित वर्गों को संरक्षण प्रदान करना होगा। संविधान और विभिन्न कानूनों में उल्लिखित, भारत के लोकतांत्रिक आग्रहों और आकांक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से पूरा करना होगा। संविधान निहित भावना के अनुरूप ग़रीबों के अधिकारों की रक्षा करने के साथ-साथ राज्य (सरकार) के बल प्रयोग की शक्तियों को सीमा में ही रखना होगा। जैसे-जैसे बाज़ार अर्थव्यवस्था का विस्तार होता जाएगा, संरक्षा-संजाल को विकसित करने की आवश्यकता भी बढ़ती जाएगी। निर्धन महिलाओं, बालिकाओं, अल्पसंख्यकों, जनजातीय समूहों, दलितों (अनुसूचित जातियों) विकलांगों और अन्य असहाय लोगों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। राज्य शक्ति के ग़लत उपयोग के हाल के उदाहरण काफी कष्टप्रद हैं।

संवैधानिक और वैधानिक परिप्रेक्ष्य मानवाधिकार और पर्यावरणीय कानून

लोक प्रशासन के संवैधानिक और वैधानिक आयाम सरकार की शक्तियां, कार्य और जवाबदेही निर्धारित करते हैं। भारत में प्रशासनिक सेवाओं के विकास में एक बड़ा बदलाव एक ऐसा लोकतांत्रिक संविधान अपनाने से आया, जिसमें कानून का शासन, गारंटीशुदा अधिकार और संसदीय सरकार के विचार समाहित हैं। संविधान में 73वां और 74वां संशोधन इसी दिशा में आए परिवर्तन को और आगे बढ़ाने का काम करते हैं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं को संविधान में ही प्रमुखता दी गई है। प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए वृहद एवं व्यापक अधिकारों वाला स्वायत्त आयोग एक और महत्वपूर्ण पहलू है। इससे संवैधानिक शासन में इसकी भूमिका प्रतिपादित होती है।

उपर्युक्त संदर्भ में देखें तो हमें लिखित संघीय संवैधानिक प्रणाली में कानून का शासन और सीमित सरकार की अवधारणा को समझना होगा। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में उल्लिखित संविधान के मूल्यों को व्यवस्था का हिस्सा बनाना होगा। संविधान के प्रावधान और न्यायालयों द्वारा उनकी व्याख्या, सभी सरकारी कार्रवाइयों के लिए संदर्भ सामग्री का काम करते हैं। यह सब न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। संवैधानिक सरकार की अवधारणा के अंतर्गत यही कानून के शासन की बुनियाद होती है।

मानवाधिकारों, विशेषत: समाज के कमज़ोर वर्गों के मानवाधिकारों के संरक्षण की सरकार की प्रमुख एजेंसी नौकरशाही ही होती है, क्योंकि उन्हीं पर कानून को लागू करने की जिम्मेदारी होती है। न्यायालय तभी हस्तक्षेप करता है जब कार्यकारिणी (सरकार) कानून के अमल में नाकाम होती है या वह कानून के विरुद्ध काम करती है या फिर मनमर्जी से कानून पर अमल कराती है। एक ऐसा संविधान जो धर्म-निरपेक्षता और सामाजिक न्याय का दम भरता है, सरकारों पर भारी जिम्मेदारी डाल देता है, फिर चाहे वह केंद्र की सरकार हो अथवा राज्य की। इसीलिए संवैधानिक परिप्रेक्ष्य का महत्व है।

एक और आयाम जो आधुनिक काल में सिविल समाज के कार्यों का दायरा तय करता है, वह है अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी, प्रौद्योगिकी और अंतरराष्ट्रीय संधियों के तहत बाध्यकारी कानूनों की प्रचुरता। संपदा की अवधारणा में आए परिवर्तन, जिसमें संपत्ति का रूप भौतिक व मूर्त न रहकर बौद्धिक और अमूर्त हो गया है, ने व्यापार एवं वाणिज्यिक कानूनों में एक क्रांति सी पैदा कर दी है। बौद्धिक संपदा कानून और व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार वैश्विक स्तर पर आर्थिक-प्रशासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसके साथ ही सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आई क्रांति भी जुड़ी हुई है, जिसने सरकार के भीतर और बाहर क़ारोबार के नये कानूनी पैमाने तय कर दिए हैं। न केवल बाज़ार के संदर्भ में वैश्वीकरण हो रहा है, बल्कि यह एक सुव्यवस्थित जीवन के सभी पहलुओं में भी हो रहा है। तेज़ी से बदल रहे वैधानिक माहौल, नीति के विकास और प्रशासन, दोनों को प्रभावित कर रहा है।

एक और आयाम जो सभी स्तरों के लोक प्रशासन पर अतिक्रमण कर रहा है, वह है धारणीय विकास का विधिशास्त्र। आज प्रशासन के इस्तेमाल के कानूनी दायरे तय हैं। इनको धारणीय सीमाओं में ही समाहित करना होता है। नीचे कुछ उल्लेखनीय वैधानिक परिप्रेक्ष्य बताए जा रहे हैं, जो भविष्य में सभ्य समाज के लिए निर्णायक होंगे :

परिवर्तन पैमाने

इस विमर्श का उद्देश्य उन लक्षणों को बाहर लाना रहा है जिनकी आने वाले समय में आवश्यकता होगी। इनमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित बातें प्रमुख हैं :

- उस दूरदृष्टि और दिशा का बोध ज़रूरी है जिसमें भारतीय समाज आगे बढ़ रहा है। भारत की विविध सांस्कृतिक बहुलता इसमें शामिल हैं;
- उभरकर आने वाले कुछ वास्तविक अभावों तथा उनसे निपटने की सिविल समाज की शक्तियों को समझने की योग्यता;
- विभिन्न समस्याओं का समाधान करने वाली आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने की क्षमता;
- व्यवस्था के ऊपरी धरातल पर स्थानीय सरकार की संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों, सहकारिताओं और अन्य पेशेवर तथा जन संगठनों के साथ संपर्क स्थापित करने की योग्यता;
- लक्ष्यों को हासिल करने के लिए व्यावसायिकता (पेशेवर अंदाज़), ज़िद और हठ की भावना;
- लक्ष्यों का पीछा करने की ऊर्जा;
- निष्पक्ष व्यवहार, ईमानदार, राजनीतिक और व्यवस्थागत समर्थन की भावना;
- कमज़ोर वर्गों के लिए संवेदना और इन सबसे ऊपर, जैसा देश के संविधान निर्माताओं की परिकल्पना रही है, भारत के प्रति प्रतिबद्धता। ❑

(लेखक प्रख्यात अर्थशास्त्री एवं वर्तमान में नगालैंड विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। वे भारत के ऊर्जा, नियोजन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी रह चुके हैं।

ई-मेल : yalagh@gmail.com)

ग्रामीण ई-प्रशासन

● अर्पिता शर्मा

वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने ई-प्रशासन को परिभाषित किया था कि ''ई-प्रशासन ऐसी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों का नाम है जिनका उद्देश्य सूचना और सेवा वितरण में सुधार लाना, निर्णय करने की प्रक्रिया में नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना और सरकार को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और सक्षम बनाना है।'' भारत गांवों का देश है देश में ग्रामीण जनसमुदाय भारतीय समाज का केंद्रबिंदु है और वह वास्तविक भारत का प्रतिनिधित्व भी करता है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में 6,38,387 गांव हैं जो कुल जनसंख्या के 72 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। भागीदारीपूर्ण लोकतांत्रिक समाज में आईसीटी यानी सूचना संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बेहतर प्रशासन, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने और नागरिक सशक्तीकरण के लिए किया जा सकता है। डिज़िटल शासन से नागरिकों और सरकार के बीच बेहतर संपर्क कायम होता है और शासन में उनकी भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। यह प्रक्रिया सरकारी नीति-निर्माण में महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी के आयाम खोलने का अवसर प्रदान करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा अत्यंत महत्वपूर्ण है जहां लोग विभिन्न समेकित विकास कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने से वंचित हैं।

ई-प्रशासन की परिभाषा: विश्व बैंक, 2001

ई-प्रशासन सरकार के स्वामित्व अथवा सरकार द्वारा प्रचालित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों की प्रणालियों का नाम है, जो नागरिकों, निजी क्षेत्रों और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ संबंधों को रूपांतरित करती हैं, ताकि नागरिक अधिकारिता प्रोत्साहित करने, सेवा वितरण में सुधार लाने, जवाबदेही सुदृढ़ करने, पारदर्शिता बढ़ाने अथवा प्रशासन की सक्षमता में सुधार लाने जैसे लक्ष्य हासिल किए जा सके।

समावेशी विकास के लिए ई-प्रशासन का इस्तेमाल

जैसाकि चित्र-1 में दर्शाया गया है कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से किस प्रकार बंद दरवाज़ों से खुले दिमागों में रूपांतरण संभव हो जाते हैं। ई-प्रशासन का इस्तेमाल मुक्त प्रशासन और पारदर्शी सरकार का निर्माण कर सकता है। ई-प्रशासन के जरिये ग्रामीण विकास के लिए डिजाइनिंग संदेश का वर्णन करने के लिए यह विचार किया गया है कि इसका डिज़ाइन नागरिक उन्मुखी सेवाओं से युक्त और भरोसेमंद होना चाहिए। इस प्रणाली में ग्रामीण संचार और सूचना प्रक्रिया समाधानों के लिए समुचित (भरोसेमंद, व्यावहारिक और लागत की दृष्टि से किफ़ायती) प्रौद्योगिकियों के चयन में समाज की बेहतरी पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। किंतु हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ग्रामीण जनसमुदाय की आर्थिक स्थिति की असमानता के कारण अपेक्षित जानकारी तक उनकी पहुंच बाधित नहीं होनी चाहिए, जो भागीदारीपूर्ण विकास की बुनियादी बाधाओं में से एक है।

चित्र-1

ई-प्रशासन समुदाय प्रबंधन प्रणाली

भारत में ग्रामीण ई-प्रशासन के प्रयास

कंप्यूटरीकृत ग्रामीण सूचना प्रणाली परियोजना (क्रिस्प): इस प्रणाली का उद्देश्य जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) को ऐसी सुविधा प्रदान करना है, जिससे वह कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली के जरिये ग़रीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर निगरानी रख सके। अभी तक *क्रिस्प* अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर पैकेज़ों के चार संस्करण विकसित किए जा चुके हैं। चौथे संस्करण को रूरल सॉफ्ट 2000 का नया नाम दिया गया है। ग्रामीण सूचना प्रयास भारत में ई-प्रशासन की शुरुआत की ओर इंगित करते हैं। ऐसा प्रारंभिक प्रयास रूरल सॉफ्ट 2000 के रूप में किया गया था। रूरल सॉफ्ट 2000 के माध्यम से केंद्र और राज्यों के स्तर पर निगरानी एजेंसियों के डेस्कटॉप से ऑनलाइन निगरानी प्रक्रिया संभव हो पाती है और आम आदमी सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान किए गए ब्राउजर आधारित इंटरफेस का इस्तेमाल करके सूचना तक पहुंच कायम करने में सक्षम हो जाता है।

राष्ट्रीय ई-प्रशासन कार्ययोजना, 2003 : राष्ट्रीय ई-प्रशासन कार्ययोजना में आधारभूत नीतियों की एक सूची निर्धारित की गई है: (1) समग्र लक्ष्य, मिशन कार्यनीति दृष्टिकोण (2) ई-प्रशासन प्रौद्योगिकी ढांचा, फ्रेमवर्क और दिशानिर्देश (3) मानव संसाधन कार्यनीति (4) फ्रंट इंड सुविधा काउंटरों, कियॉस्कों, समेकित सेवा केंद्रों के लिए नीति (5) पार्श्व विभाग ऑटोमेशन संबंधी नीति।

राज्यव्यापी नेटवर्क एरिया परियोजना (स्वान) : इस परियोजना का लक्ष्य सरकार की सेवाओं तक तीव्र पहुंच कायम करने हेतु ब्लॉक स्तर पर कार्यालयों को जोड़ने के लिए तीव्र गति, उच्च संपर्क नेटवर्क प्रदान करना है। जीडीआई ने 27 अक्तूबर, 2004 को इसकी घोषणा की थी और संचार मंत्री दयानीधि मारन 1,000 करोड़ रुपये की लागत से ऑप्टिक फाइबर वेब का निर्माण हेतु प्रयासरत हैं ताकि निचले स्तर तक ई-प्रशासन को पहुंचाया जा सके क्योंकि ब्लॉक को विकास प्रशासन के बुनियादी स्तर के रूप में विकसित करने के लिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में भरोसेमंद नेटवर्क, संपर्क (कनेक्टिविटी) का प्रावधान अनिवार्य है।

भारत में ग्रामीण ई-प्रशासन परियोजनाएं

ई-चौपाल : कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। भारतीय किसानों को कच्चा माल खरीदने की प्रक्रिया से लेकर अपनी पैदावार को बेचने तक अनेक एजेंटों पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रत्येक एजेंट उसमें अपने लाभ का हिस्सा जोड़ता जाता है, जिससे उत्पाद की लागत बढ़ती जाती है। कुछ एजेंट बाज़ार की जानकारी को अवरूद्ध करने का प्रयास भी करते हैं। किसानों को ऐसी पद्धतियों से संरक्षित करने के लिए इंडियन टोबैको कंपनी की अंतरराष्ट्रीय व्यापार डिविज़न (आईटीसी-आईबीडी) ने ई-प्रशासन प्रयास के रूप में ई-चौपाल का विकास किया। ई-चौपाल न केवल कृषि उत्पादों के लिए उपयोगी है बल्कि कुछ उपकरणों और उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री में भी सहायक है। प्रत्येक ई-चौपाल में एक पर्सनल कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर और अबाधित बिजली आपूर्ति (यूपीएस) की व्यवस्था की गई है। बिजली आपूर्ति अनियमित हो, तो एक सौर पैनल का प्रावधान किया गया है और यदि इंटरनेट कनेक्टिविटी पर्याप्त न हो तो वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल (वीसैट) कनेक्शन और उसकी सहायता के लिए एक अन्य सौर पैनल की व्यवस्था की जाती है। आज देशभर में 6,500 ई-चौपालें काम कर रही है। इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड द्वारा हर रोज़ सात नयी ई-चौपालों की स्थापना की जा रही है और कंपनी की योजना 2012 तक 15 राज्यों में 1.5 करोड़ किसानों को सेवाएं प्रदान करने के लिए 1,00,000 गांवों को कवर करते हुए 20,000 ई-चौपालें बनाने की योजना हैं अनुमान है कि 2010 तक इन ई-चौपालों के जरिये 2.5 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का कारोबार किया गया।

दृष्टि : दृष्टि उपभोक्ता वस्तुओं और बुनियादी सेवाओं के लिए वितरण एवं प्रोत्साहन नेटवर्क का एक ग्रामीण मॉडल है। इस्तेमाल कर्ताओं को इंटरनेट माध्यम से सेवाओं के रूप में सूचना प्रदान की जाती है। दृष्टि ने मध्य प्रदेश के धार, सिओनी और शहडोल

जिलों, हरियाणा में सिरसा जिले और पंजाब में जालंधर जिले में अपनी उपस्थिति दर्ज़ की है। बैक-इंड पर एमएसएसक्यूएल सर्वर पर काम करने वाले सॉफ्टवेयर के परिचालन के लिए एक ग्रामीण उद्यमी को प्रशिक्षित किया जाता है और फ्रंट-इंड पर यह एएसपी, जावा स्क्रिप्ट, वीबी स्क्रिप्ट पर संचालित होता है। हार्डवेयर के अंतर्गत एक वेब सर्वर, एक डिस्ट्रिक सर्वर, कियॉस्क्स और डायल-अप्स शामिल होते हैं। डिस्ट्रिक सर्वर वेब सर्वर से नियमित रूप से जुड़ता है और अद्यतन जानकारी प्रदान करता है। कियॉस्क का डेटाबेस कियॉस्क के डिस्ट्रिक सर्वर अथवा वेब सर्वर से जुड़ते ही अद्यतन हो जाता है। आस-पास के 25-30 गांवों और ग्राम पंचायत भवनों की जरूरतें पूरी करने के लिए सूचनालयों या केंद्रों की स्थापना की गई है।

आकाशगंगा : आकाशगंगा के अंतर्गत सूचना संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल ग्रामीण दूध उत्पादकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिसमें दूध की ख़रीद से लेकर उसका हिसाब-क़िताब रखने तक, ग्रामीण सहकारी समिति के सभी क्रियाकलापों को एकीकृत किया गया है। डेरी सूचना प्रणाली कियॉस्क (डिस्क) का पहला प्रायोगिक मॉडल वर्तमान में गुजरात में उत्तरसांदा डेरी सहकारी समिति में कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रत्येक किसान को एक प्लास्टिक पहचान कार्ड प्रदान किया जाता है। जब किसान कच्चा दूध संग्रहण केंद्र (रॉ-मिल्क रिसीविंग डॉक-आरएमआरडी) पर पहुंचते है तो पीसी में उसकी पहचान अद्यतन की जाती है। दूध को तोलसेतु (धर्मकांटे) पर रखे एक बर्तन में उंडेला जाता है और दूध का वजन प्रदर्शित होने के साथ ही कंप्यूटर में दर्ज़ भी हो जाता

है। एक ऑपरेटर की आवश्यकता केनों को भरने के लिए और एक अन्य की आवश्यकता वसा की मात्रा मापने और उसे पीसी में अद्यतन करने के लिए पड़ती हैं इन प्रचालनों को अंजाम देने के लिए प्रयुक्त ढांचे के अंतर्गत धर्मकांटा, माइक्रोप्रोसेसर, प्रिंटर, दूध विश्लेषक और एक डिस्प्ले शामिल है।

ज्ञानदूत : ज्ञानदूत की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य के अभावग्रस्त, जनजातीय-बहुल ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक स्वामित्व वाले, तक़नीकी दृष्टि से नूतन और स्थायी सूचना कियॉस्कों के रूप में की गई है। इसकी सर्वर प्रणाली इंटरनेट सूचना सेवा सर्वर के साथ विंडोज एनटी पर संचालित होती है और ग्राहक के पर्सनल कंप्यूटर विंडोज 98 पर संचालित होते हैं। सूचना कियॉस्कों में डायलअप संपर्क की व्यवस्था की जाती है। सर्वर हब को जिला पंचायत भवन में कंप्यूटर कक्ष में रखा जाता है। कियॉस्कों की स्थापना ग्राम पंचायत भवनों में की गई है। कियॉस्कों की स्थापना के लिए ऐसे गांवों को चुना जाता है जो ब्लॉक मुख्यालय के रूप में काम करते हों, या जहां जनजातीय क्षेत्रों में साप्ताहिक बाज़ारों का आयोजन किया जाता हो, अथवा जो प्रमुख संगम स्थलों पर स्थित हों। 31 कियॉस्कों का समूचा नेटवर्क 600 से अधिक गांवों की 311 पंचायतों और क़रीब 5 लाख आबादी (पूरे जिले की आबादी का क़रीब 50 प्रतिशत) को कवर करता है।

जागृति ई-सेवा : जागृति के अंतर्गत मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया जाता है कि विकासशील देशों में उपलब्ध उपयुक्त सामर्थ्य के अनुकूल, व्यावहारिक और स्थायी प्रौद्योगिकियां तैनात की जाए। यह प्रणाली लिनॅक्स पर काम करती है, जो एक लाइसेंस मुक्त प्रचालन प्रणाली है। कुछ स्थानों पर पुराने कंप्यूटर (यानी पेंटियम-1) इस्तेमाल किए जाते हैं। परियोजना के अंतर्गत डायल अप टेलीफोन लाइनों का इस्तेमाल किया जाता है। समूची प्रणाली को कम से कम समय में किसी भी भाषा में इस्तेमाल किया जा सकता है। कियॉस्कों की स्थापना ऐसे गांवों में की गई है, जहां बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन नियमित रूप से होता है। प्रत्येक कियॉस्क की स्थापना क़रीब 25,000-30,000 लोगों को सेवाएं प्रदान के लिए की जाती है और उसका स्वामी एवं संचालक एक कियॉस्क फ्रैंचाइजी होता है जो आमतौर पर एक शिक्षित युवा या भूतपूर्व सैनिक होता है। कियॉस्क के प्रचालनों को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि कियॉस्क से समुचित राजस्व अर्जित हो।

इंटरनेट के जरिये सेवाओं तक ग्रामीण पहुंच (रूरल एक्सेस टू सर्विसेज थ्रू इंटरनेट-रासी) : ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी पहुंच (सस्टेनेबल ऐक्सेस इन रूरल इंडिया-सारी) ग्रामीण पहुंच (रूरल एक्सेस टू सर्विसेज थ्रू इंटरनेट-आरएएसआई) का नया नाम देते हुए तमिलनाडु के मदुरई जिले के गांवों में इंटरनेट और ध्वनि संपर्क प्रदान किया गया है। परियोजना के अंतर्गत 100 से अधिक गांवों में 100 इंटरनेट कियॉस्क स्थापित किए गए है। चालू नेटवर्क प्रौद्योगिकी *कोरडेक्ट* पर आधारित है जिसका विकास आईआईटी मद्रास में *टेनेट* ग्रुप और चेन्नई के ऐनालॉग डिवाइसेज इंक एवं मिडास ने संयुक्त रूप से किया है। *कोरडेक्ट* ऐक्सेस सेंटर की स्थापना कियॉस्कों से क़रीब 25 किमी दूर की गई है। इंटरनेट की सुविधा वायरलेस लोकर लूप (डब्ल्यूएलएल) के जरिये प्रदान की गई है। प्रत्येक कियॉस्क को ऐसे वेबसाइट से जोड़ा गया है, जहां राजस्व, पंजीकरण, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और पशुपालन संबंधी जानकारी उपलब्ध है। बच्चों के लिए की गई कंप्यूटर शिक्षा व्यवस्था ऑपरेटरों की आय का प्रमुख स्रोत है।

टाटा किसान केंद्र (टीकेके): टाटा केमिकल्स लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब राज्यों के किसानों की सहायता के लिए टीकेके परियोजना शुरू की है। टीकेके के अंतर्गत भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) की सहायता से किसानों से संबंधित महत्वपूर्ण मानदंडों, जैसे मृदा, भूमिजल और मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। जीआईएस सॉफ्टवेयर सड़कों, नदियों या भवनों के बारे में स्थानिक सूचना उपलब्ध कराता है। इसमें डिजिलीकृत मानचित्रों में आंकड़ों की परतें प्रस्तुत की जाती हैं, जिनमें प्रशासनिक, सामाजिक-आर्थिक और भौतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी उपलब्ध रहती है। उपग्रह चित्र प्रक्रिया (सेटेलाइट इमेज प्रोसेसिंग) के जरिये अनुत्पादक खेती पद्धतियों की पहचान करने, विभिन्न राज्यों में कीटों के हमलों की स्थिति का पता लगाने, फ़सलों के बारे में अनुमान लगाने या मानचित्रों को अद्यतन बनाने में मदद मिलती है। वर्तमान में 11 प्रमुख किऑस्क हैं और क़रीब 300 फ्रेंचाइजी टाटा किसान केंद्र हैं। कंपनी 48,000 गांवों को सेवाएं प्रदान करने के लिए 40 और कियॉस्क स्थापित करने तथा 800 फ्रेंचाइजी नियुक्ति करने पर विचार कर रही है।

लोकमित्र : लोकमित्र परियोजना का विकास राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा हिमाचल प्रदेश में किया गया ताकि दूर-दराज़ के क्षेत्रों में लोगों को इंटरनेट तक आसान पहुंच उपलब्ध कराई जा सके और उनकी शिकायतें दूर की जा सकें। हमीरपुर जिले में लोकमित्र इंटरनेट के अंतर्गत दो *पेंटिनम-तीन* आधारित सर्वर हैं और उनके साथ *पेंटिनम-तीन* आधारित चार ग्राहक प्रणालियां हैं। सर्वर और ग्राहक एक लैन से जुड़े हुए हैं। हब को उपायुक्त कार्यालय में स्थापित किया गया है। ग्राहक प्रणालियों का इस्तेमाल लोगों से प्राप्त होने वाली शिकायतों और सवालों का जवाब देने और जानकारी को अद्यतन बनाने के लिए संबद्ध विभागों के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। लोकमित्र सॉफ्टवेयर इंटरफेस वेब-सक्षम इस्तेमालकर्ता के अनुकूल और दो मॉड्यूल्स वाला है। एक नागरिक सूचना केंद्र के लिए और दूसरा नियंत्रण कक्ष के लिए।

एन-लॉग : एन-लॉग कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड भारत के छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करती है। प्रचालनगत प्रयोजनों के लिए एन-लॉग देश को सेवा-क्षेत्रों में विभाजित करती है, जिनका आकार लगभग एक तालुक (तहसील) के समान है। भारत में आज 85 प्रतिशत तहसील मुख्यालयों में ऑप्टिकल फाइबर की व्यवस्था है, जो दूरसंचार और इंटरनेट संपर्क के लिए आधार प्रदान करती है। एन-लॉग द्वारा अनेक सामग्री प्रदाताओं के साथ अनुबंध किया जाता है, जैसे राज्य सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और उर्वरक/कीटनाशक विनिर्माता। एन-लॉग अपने ग्राम-स्तरीय संचार के लिए डब्ल्यूएलएल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करती है। कंपनी द्वारा प्रयुक्त कोरडेक्ट प्रौद्योगिकी उसी सिद्धांत पर काम करती है, जिस पर नियमित वायरलेस प्रौद्योगिक प्रचालित की जाती है, जो 35-70

केबीपीएस से 1 जीबीपीएस तक की गति से इंटरनेट पहुंच प्रदान करती है। उपभोक्ता के सेट से किसी ऐसे लक्षित केंद्र पर ध्वनि और आंकड़ों के संकेत एक साथ ट्रांसमिट किए जा सकते है, जो 25 किमी की दूरी पर स्थित हो।

बेल्लांदुर परियोजना : बेल्लांदुर परियोजना एक ग्राम पंचायत ई-गवर्मेंट समाधान है। पंचायत के सदस्यों और ग्राम निवासियों के साथ मिलकर काम करते हुए सॉफ्टवेयर का ऐसा डिज़ाइन तैयार किया गया जो पंचायत प्रशासन की ज़रूरतें पूरी कर सके। बेल्लांदुर रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस (आरयूपी), सॉफ्टवेयर इंजीनियरी उपकरणों का एक ऐसा समूह है, जो ई-प्रशासन के लिए चरणबद्ध और पुनरावृत्तीय पद्धति को सक्षम बनाता है। वर्तमान में, पंचायत कार्यालय में तीन कंप्यूटर हैं, और प्रत्येक बिल कलेक्टर को एक कंप्यूटर प्रदान किए गया है। सभी जिला कार्यालयों, तहसील कार्यालयों और ग्राम पंचायतों के बीच संपर्क कायम किया गया है। समिति की बैठकों को केबल टेलीविजन पर दिखाया जाता है।

किसान कॉल सेंटर : इनकी स्थापना मुख्यरूप से इस बात को ध्यान में रखकर की गई है कि किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान तत्काल स्थानीय भाषा में और नियमित आधार पर किया जा सके। कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय ने अप्रैल 2002 में यह कार्यक्रम शुरू किया था। इसका उद्देश्य देश में व्यापक दूरसंचार ढांचे को सशक्त बनाना है ताकि कृषक समुदाय को विस्तार सेवाएं प्रदान की जा सकें। परंतु अधिकांश किसानों को इस सेवा की जानकारी नहीं है। अत: यह जरूरी है कि किसान कॉलसेंटरों (केसीसी) के बारे में कृषक समुदाय में जागरुकता बढ़ायी जाए। इसलिए कृषि मंत्रालय ने केसीसी संचार को सुदृढ़ बनाने का निर्णय किया है। इसके लिए कृषि और संबद्ध विभाग, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, आईसीएआर संगठनों से कहा गया है कि वे केसीसी के टोल फ्री नंबर का निरंतर प्रचार करें और अपने सभी कार्यक्रमों, जैसे प्रशिक्षण, प्रदर्शन आदि में टोल फ्री नंबर के बारे में प्रचार सामग्री (पोस्टर, चार्ट, बैनर आदि) प्रदर्शित करें।

सुझाव :

- **लागत में कमी और कार्यक्षमता में सुधार :** सूचना संचार प्रौद्योगिकी के समुचित अनुप्रयोग से प्रक्रियागत अक्षमताओं को कम किया जा सकता है। इससे सरकारी विभागों के बीच फाइलों और आंकड़ों को साझा किया जा सकता है, जिससे हस्तगत प्रक्रियाविधि की त्रुटियां दूर की जा सकती हैं, और प्रक्रियागत समय बचाया जा सकता है। इससे विभागीय प्रक्रियाओं को सुचारू और निर्णय करने की प्रक्रिया को अधिक तीव्र एवं सुविचारित बनाते हुए कार्यविधि में तेज़ी लायी जा सकती है और सक्षमता हासिल की जा सकती है।
- **व्यापार जगत एवं ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण :** सार्वजनिक सेवा वितरण के परंपरागत मॉडल में प्रक्रियाएं लंबी होती हैं, समय अधिक लगता है और पारदर्शिता का अभाव होता है। कोई ऐसा व्यापार जिसमें लाइसेंस या परमिट की आवश्यकता पड़ती हो, के लिए आपको अनेक तरह के आवेदन भरने होंगे, विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने होंगे और काफी समय भी ख़र्च करना होगा। यदि किसी नागरिक को कोई प्रमाण-पत्र या अन्य दस्तावेज़ प्राप्त करना हो उसे केंद्र सरकार के कार्यालय जाना होगा, विभिन्न कार्यालयों मे चक्कर काटने होंगे और एक सामान्य सेवा के लिए काफी समय लगाना पड़ेगा। नतीजतन लागत बहुत आयेगी और नागरिको तथा व्यापारियों को असंतोष होगा। दूसरी तरफ ई-गवर्मेंट एक ऐसा उपाय है, जिसमें सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है, जिससे नौकरशाही का हस्तक्षेप कम होता है, सेवाओं तक पहुंच चौबीसों घंटे बनी रहती है, कार्यनिष्पादन को तीव्र एवं सुविधाजनक ढंग से पूरा किया जाता है और यह स्वाभाविक है कि समय, विषयवस्तु और पहुंच की दृष्टि से सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ जाती है।
- **पारदर्शिता, भ्रष्टाचार-विरोधी और जवाबदेही :** ई-गवर्मेंट निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता का स्तर बढ़ाने में मददगार हैं। अनेक मामलो में ई-गवर्मेंट नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे भागीदारी का अवसर प्रदान करती है, क्योंकि इसके ज़रिये नागरिको को अपने विचार और सुझाव ऑनलाइन संप्रेषित करने का अवसर प्रदान किया जाता है। यदि वेबसाइटों का निर्माण ध्यानपूर्वक और मुक्त रूप से किया जाए तो उन्हें पारदर्शिता का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनाया जा सकता है। वेबसाइट पर नागरिकों, व्यापारियों और अन्य संबद्ध पक्षों को यह अवसर दिया जाना चाहिए कि वे राजनीतिक और सरकार संबधी जानकारी, नियमों और नीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। अतीत में कोई जानकारी हासिल करने के लिए सीधे सरकारी कार्यालयों में जाना होता था, लेकिन अब यह जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होनी चाहिए। पारदर्शिता में वृद्धि के लिए लोक प्रशासन की गतिविधियों और आर्थिक एवं विधायी पहलुओं के बारे में विविध प्रकाशन भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
- **नेटवर्क एवं समाज का निर्माण :** सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) नेटवर्क निर्माण और समुदाय निर्माण के लिए दबाव बनाने के साथ-साथ अवसर भी प्रदान करती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है ई-गवर्मेंट एक ऐसा उपाय है, जिसके लिए सरकार, ग्राहकों, व्यापारियों, कर्मचारियों और अन्य सरकारी एजेंसियों के परस्पर संबंधों का जटिल वेब आवश्यक है। इसके अतिरिक्त ई-गवर्मेंट के स्वरूप और कार्यसंचालन के लिए एक ऐसी नेटवर्क पद्धति अनिवार्य है जो विभिन्न सरकारी एजेंसियों में व्याप्त कौशल, प्रौद्योगिकी, सूचना एवं ज्ञान को एकजुट कर सके। इन सभी विशेषताओं को किसी एक सरकारी एजेंसी में तलाश करना आमतौर पर असंभव होता है।
- **ई-गवर्मेंट से निर्णय करने की प्रक्रिया में सुधार:** समुदाय निर्माण, सरकार और नागरिकों के बीच परस्पर वार्तालाप एवं संचार के लिए मंच प्रदान करने जैसे उपायों को कार्यरूप दिया जाता है, जिससे निर्णय करने की प्रक्रिया में नागरिकों का योगदान और बढ़ाया जा सकता है। राजनीति और सरकार के निर्णयों में सक्रिय भागीदारी से नागरिक अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और ज्ञान एवं सूचना में भागीदारी निभा सकते हैं। इससे सरकार में विश्वास बढ़ता है और शासन एवं शासित के बीच संबंध मज़बूत होते हैं। ❑

(लेखिका जी. बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंत नगर में यूजीसी-जेआरएफ फेलोशिप के साथ डॉक्टरल अनुसंधानकर्ता हैं।
ई-मेल : sharmaarpita35@gmail.com)

सुशासन की उपयुक्त व्यवस्था की ओर

● धरमपाल

भारत में ग़रीबी के अनेक कारण हैं। मूल कारण ऐतिहासिक हैं। फिर भी कहा जा सकता है कि ग़रीबी इतिहास से पहले की देन नहीं है। न ही यह हज़ार साल पहले से चली आ रही है। यह तो महज दो सदी पुरानी है। 1800 से पूर्व भी उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में समकालीन ब्रिटिश इतिहासकारों के विवरण के अनुसार वहां खेतिहर मज़दूरों को ठीक-ठाक मज़दूरी दी जाती थी और इंग्लैंड में दी जाने वाली मज़दूरी से अधिक बैठती थी। 1781-83 के बीच उत्तर प्रदेश और बिहार की यात्रा पर आए एक ब्रिटिश चित्रकार विलियम हाजेस के अनुसार हिंदुओं में उस समय स्वच्छता के प्रति अत्यधिक रुझान थी। सड़कों पर आमतौर पर रोज़ झाड़ू लगाई जाती थी और घर के सामने बालू बिखेर कर उस पर पानी डाला जाता था।

इस समय जिस प्रकार की ग़रीबी देखने को मिलती है वह आमतौर पर वास्तविक रूप से खेती करने वालों के अधिकारों में बाधा पड़ने, ग्रामीण उद्योगों के पतन के चलते बढ़ती बेरोजगारी, सिंचाई साधनों के समाप्त होने, मिट्टी के कटाव, वनभूमि के अतिक्रमण, गांव की साझा ज़मीन के छोटे टुकड़ों में होने और लोगों की शारीरिक क्षमता में ह्रास के चलते हैं। इन सबकी रही-सही कसर पूरी कर दी ब्रिटिश शासन की गलत नीतियों की वजह से ग़रीबी ने अपनी जड़े जमा ली। नतीज़ा यह रहा कि समाज सुधारने का दम भरने वालों की भी हिम्मत इस ग़रीबी को हटाने में जबाब दे गई और राम और कृष्ण जैसे महापुरुषों को भी यह कठिन लगी।

लेकिन सदियों से ग़रीबी दूर करने की बातें की जाती रही हैं। पिछले तीन दशकों में ग़रीबी दूर करने की अनेक कोशिशें की गई हैं लेकिन ये कोशिशें कामयाब क्यों नहीं हुईं। इस ग़रीबी और इसके लिए जिम्मेदार अन्य कारणों के अलावा कुछ अन्य कारकों का भी इस स्थिति में योगदान है। ये कारक प्रशासनिक एवं राजनीतिक किस्म के हैं। इनसे हमारी सार्वजनिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। कारण सिर्फ़ वर्तमान असंगत दृष्टिकोण और नियम ही नहीं है बल्कि इनकी चालू विपरीतता है जिनके कारण हमारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं। ये प्रयास विदेशी उपनिवेशवादी ज़रूरतों की पूर्ति करते हैं। एक सदी तक भारतीय ग्रामीण इलाक़े से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने की कोशिशें की गई और भारतीयों को दबाए रखा गया जिससे चालू व्यवस्था सशक्त हुई।

बाद में अंग्रेज़ शासकों के अपने ही देश में अवधारणाएं एवं व्यवस्थाएं बदल गई। एक सदी तक यही हालत कायम रही। पिछली सदी के प्रारंभ तक ये व्यवस्थाएं खुद अंग्रेज़ों के लिए भी उपयोगी नहीं रह गई। यही कारण है कि अंग्रेज़ों ने विकेंद्रीकरण, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों और 1920 के बाद स्थानीय निकायों के लिए कानून बनाए। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों संबंधी रिपोर्ट में कहा गया था कि ये भी शिकायतें सुनने में आई कि वर्तमान असंतोष अधिकारियों तथा जनता के बीच संपर्क घट जाने के कारण आया। जिला अधिकारी को नियम-विनियमों की चिंता अधिक थी, वह अपने से ऊंचे अधिकारियों को खुश रखने में अधिक व्यस्त रहे। परिणाम यह हुआ कि वह व्यक्ति के स्थान पर मशीन बन गया। सरकारी सत्ता केंद्रों में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं किए गए थे अत: उनका भी परिणाम यह रहा कि सुधारों की ब्रिटिश कोशिशें नाकाम रहीं। 1947 के बाद जहां सरकारी विभागों की संख्या बढ़ गई वहीं उसके कर्मचारियों में अधिक जड़ता व्याप्त हो गई।

आज जिन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है वे न तो भगवान की देन है और न ही असाध्य है। वे पिछली राजनीतिक गतिविधियों के कारण पैदा हुई हैं अत: अगर इच्छाशक्ति से काम लिया जाए तो राजनीतिक और अन्य तरीक़ों से आसानी से दूर की जा सकती है।

यह सही है कि इसके लिए जमकर कोशिशें करने की ज़रूरत होगी। यही नहीं, अक्सर यह होता है व्यक्ति अवांछित स्थिति में होते हुए भी उससे निजात पाने की कोशिश नहीं करता। सरकारी मशीनरी के लिए काम

करने वालों को यह स्थिति पसंद नहीं आएगी। वह न तो इसमें बदलाव चाहेंगे और न ही अपना स्थान बदलना चाहेंगे। बदलाव के बारे में उचित स्पष्टीकरण सुनने के बाद और परिवर्तन से समाज को होने वाले लाभ को महसूस करने के बाद भी कुछ लोग परिवर्तनों का विरोध कर सकते हैं। लेकिन आज इस स्थिति से सिर्फ़ मंत्री ही उबे हुए नहीं हैं बल्कि समाज का एक बड़ा वर्ग भी परिवर्तन चाहता है। इसमें प्रशासनिक तथा तकनीकी कर्मचारी आते हैं। मंत्री लोग अक्सर अपने विभागों का निरीक्षण करते हैं और अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। लेकिन यदि वे अपने मातहतों से ऐसी चर्चा करते हैं तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि जो वे सोचते हैं वहीं दूसरे लोग भी सोचते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उनके मातहतों के क्या विचार हैं।

व्यवस्थाओं को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए परिवर्तन लाने होंगे ताकि उद्देश्य पूरे हों और व्यवस्था व्यक्तियों के प्रति दंडात्मक हो। ज़रूरत इस बात की है कि सरकारी तंत्र का पुनर्गठन किया जाए तथा उसका आधार कुछ सुविचारित सिद्धांतों, समुचित नियमों और प्रक्रियाओं को बनाया जाए और सौंपी गई जिम्मेदारियों के निर्वाह के लिए आवश्यक संसाधन तथा कार्मिक उपलब्ध कराए जाए। जिन क्षेत्रों में संसाधनों अथवा कार्मिकों की कमी है वहीं इन्हें भेजा जाए, और जहां इनकी बहुतायत हो वहां से उन्हें हटाया जाए तथा इस प्रकार जहां जिसकी ज़रूरत हो, वह भेजा जाए। अब जबकि हमें जनता को रोजगार, साक्षरता, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं जैसी सेवाएं उपलब्ध कराना है, किसी को फालतू समझने की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत सिर्फ़ इस बात की है कि उनकी तैनाती और जिम्मेदारी बदली जाए। इस प्रकार के परिवर्तन लाए जाएंगे तो इन्हें अनेक लोगों द्वारा पसंद किया जाएगा। लेकिन कुछ को शुरू-शुरू में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इन सभी बातों पर ध्यान देना होगा। उदाहरणार्थ यदि किसी को सचिवालय से हटाकर जिला, तालुका अथवा गांव में तैनात किया जाता है तो उसे कुछ प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है। यह प्रोत्साहन अधिक भत्ते, पर्याप्त चिकित्सा सुविधा, घरेलू सहायता अथवा नये काम की अनुकूलता की चर्चा के रूप में हो सकती हैं। यदि कोई अपने जिले में जाकर काम करना चाहता है और ऐसा करने की क्षमता उसमें दिखती है तो निश्चय ही इस पर विचार किया जाना चाहिए। वस्तुतः अब समय आ गया है जब हमें सरकारी सेवकों को अपने क्षेत्र से दूर जाकर अन्य क्षेत्रों में काम करने को मज़बूर करने अथवा समय-समय पर उनका तबादला करने की औपनिवेशिक मानसिकता छोड़ देनी चाहिए। इन मामलों में ऐसा जान पड़ता है कि हमारी व्यवस्था ही नहीं बल्कि मस्तिष्क भी असंवेदनशील हो गया है।

जैसे ही कार्यकारी व्यवस्था और जरूरी समस्याओं को सुलझाने के उद्देश्य से परिवर्तन लाने पर सहमति बन जाए, तो उन तरीक़ों को अपनाया जा सकता है। शुरू-शुरू में मंत्रिमंडलीय समितियां और खुद मंत्रिमंडल इन परिवर्तनों के बारे में फ़ैसला कर सकते हैं। दूसरे, मंत्रिमंडल जिन अधिकारियों को संबद्ध मामलों में क्षमता वाले समझे, उन्हें वे परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी सौंप सकता है। वह उन्हें समुचित योजनाएं बनाने और पूरी व्यवस्था में तथा विशेष रूप से अपने विभाग में परिवर्तन लाने के निर्देश दे सकते हैं। तीसरे, विशेषज्ञ परामर्शी व्यावसायिकों की सहायता ली जा सकती है। संगठन संबंधी मामलों में विशेषज्ञ परामर्शी संगठनों को भी शामिल किया जा सकता है। चौथे, उक्त के साथ-साथ सरकार उच्चाधिकार प्राप्त संस्थाओं का गठन कर सकती है जिसमें शैक्षणिक और प्रशासनिक विशेषज्ञ हों तथा उन्हें समाज की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी हो और वे व्यवस्था के विकल्प सुझाएं।

लेकिन याद रहे, सिर्फ़ प्रशासनिक ढांचे में सुधार ही काफी नहीं होंगे। विधायिका की कार्यप्रणाली में भी सुधार ज़रूरी होंगे। पिछले 30 वर्षों के दौरान हम सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों में (चाहे हम ग्राम पंचायत स्तर पर निर्वाचित हुए हों अथवा लोकसभा या राज्यसभा के लिए) निराशा व्याप्त रही है। हमें राष्ट्रीय / राज्य राजधानी में निवास मिल जाता है। (यह सुविधा कम से कम किसी राष्ट्रमंडलीय देश में नहीं है) जिससे हम अपने निर्वाचन क्षेत्र से कट कर रह जाते हैं और इससे हमारी हताशा और बढ़ जाती है। निर्वाचित प्रतिनिधि की प्रक्रिया केसे अधिक उद्देश्यपूर्ण हो और सदस्य बराबरी के आधार पर केसे विधायिका अथवा पंचायत में भागीदारी करें, इस पर सोचने की ज़रूरत है। अन्य बातों के अलावा एक उपाय हो सकता है कि विधायिका को विभाजित कर दिया जाए। यहां जो काम होता है वह किसी मंत्रालय अथवा क्षेत्र से संबंधित कानून से जुड़ा होता है जो किसी प्रश्न का उत्तर देने अथवा नियम बनाने के बारे में हो सकता है। इसे सिर्फ़ एक खास चरण में पहुंच जाने के बाद (उदाहरणार्थ- ब्रिटेन के हाउस ऑफ कामंस में तीसरे वाचन के समय, ऐसी व्यवस्था अन्य देशों में भी हो सकती है) पूरा सदन इस पर विचार करता है।

हमारे अधिशेष संसाधन और जनशक्ति इस व्यवस्था में लगे होते हैं, अतः यह और भी वांछनीय हो जाता है कि तंत्र में ऐसे सुधार लाए जाए कि वह अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक हो, बर्बादी उसी तरह रुके जैसे लोग अपने घरों में और व्यक्तिगत जीवन में रोकते हैं और वे सभी कार्य पूरे करें जिनकी उनसे अपेक्षा की जाती है। आजकल जो भी थोड़ी बहुत सफलता मिल पाती है वह काफी प्रयास के बाद ही मिलती है। यद्यपि कड़ी मेहनत निजी समस्याओं के लिए चिंताएं किसी भी शासक के अच्छे गुणों में गिने जाते हैं, कम से कम वर्तमान युग में ये काफी नहीं हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम अधिक गहराई से सोच-विचार करें और उस सब पर सवाल उठाए जिसे हम बिना सोचे-समझे मंजूर कर लेते हैं। इस प्रकार का चिंतन-व्यवहार ही हमारे रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। ❑

(स्व. धर्मपाल (1922-2006) एक प्रख्यात गांधीवादी चिंतक, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में *द ब्यूटीफुल ट्री* **(1983),** *इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द एट्टीन्थ सेन्च्युरी* **(1971) और** *सिविल डिसओबिडियंस* **शामिल हैं जिनमें ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के पूर्व भारतीय समाज की सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और प्राविधिक उपलब्धियों के पारंपरिक विचारों का मौलिक मूल्यांकन किया गया है। उन्होंने स्वातंत्र्योत्तर भारत के संदर्भ में कुछ तीख़े सामाजिक-राजनीति वक्तव्य भी दिए हैं। मूल रूप से 1977 में लिखे उनके इसी प्रकार के एक वक्तव्य में से अग्रलिखित आलेख उद्धृत किया गया है। उनकी आत्मजा प्रो. गीता धर्मपाल (प्राचार्य, इतिहास विभाग, हीडलबर्ग विश्वविद्यालय, जर्मनी) ने कृपापूर्वक इसकी अनुमति दे दी है।**

15 वर्षों से सामान्य अध्ययन के लिए विशेषीकृत संस्थान, संभावित बदलावों के अनुरूप श्रेष्ठ तैयारी

आस्था IAS

(सफलता का आधार)

IAS / PCS बनाने की प्रक्रिया में निरंतर उच्च सफलता हासिल करते हुए

नामांकन जारी

Shah Faesal, (1st Rank IAS 09) with R.Kumar Director AASTHA IAS

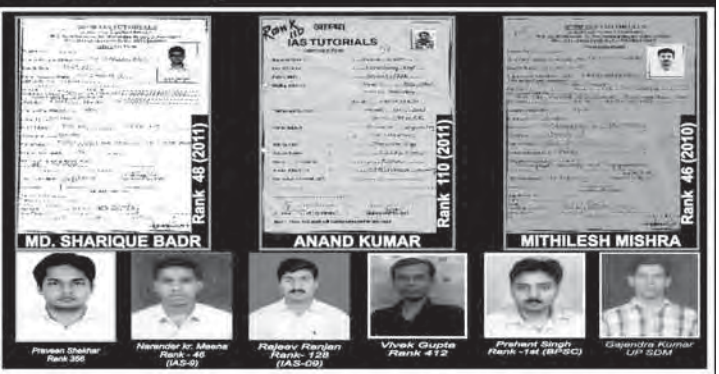

सामान्य अध्ययन

(Mains + Pre. + CSAT)

''क्या पढ़ें? क्या छोड़ें? जो पढ़ें उसे कैसे याद करें?

ऐसी स्थिति में जब सामान्य अध्ययन में सूर्य एवं उसके नीचे की सभी कुछ शामिल

By **R.Kumar & Team**

(सामान्य अध्ययन की अब तक की सर्वश्रेष्ठ टीम, 15 वर्ष का अनुभव)

आस्था IAS एक बेहतर विकल्प क्योंकि

- सभी शिक्षक विषय विशेषज्ञ एवं अनुभवी
- श्रेष्ठ नोट्स, गहन अध्यापन, उच्चस्तरीय समझ के आधार पर To the point लेखन शैली का विकास
- प्रोजेक्टर, इंटरनेट तथा अन्य आधुनिक सुविधाओं का उपयोग
- सहायक सुविधाएँ जैसे सफल छात्रों द्वारा मार्गदर्शन, शाह फैसल, (1st Rank- IAS 09) मिथिलेश मिश्रा (46th Rank IAS 10) नरेन्द्र मीणा (46th Rank IAS 09) प्रशांत सिंह, राजीव रंजन, प्रभाकर चौधरी विवेक गुप्ता द्वारा आस्था IAS के छात्रों का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन किया गया
- UPSC के साथ UP., BPSC, MP, Raj, JPSC, Uttara., Haryana, Chattis.PCS की भी तैयारी

आवासीय सुविधा उपलब्ध

जीवंत पत्राचार पाठ्यक्रम उपलब्ध

सामान्य अध्ययन + CSAT

(लगभग 80% प्रश्न प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में नोट्स से)

(Printed Notes + Class Notes + Test Papers शामिल)

पत्राचार पाठ्यक्रम शुल्क

Mains + Pre. + CSAT ₹ 8,000/-

प्रारम्भिक परीक्षा Paper I & II ₹ 4500/-

GS (Mains) - ₹ 5500/-

फोन से संशय समाधान सुविधा भी उपलब्ध

ड्राफ्ट आस्था IAS के नाम से बनाये

वैकल्पिक विषय : समाजशास्त्र, इतिहास, उर्दू, लोक प्रशासन, मैथिली, हिन्दी साहित्य तथा अन्य...

M-2, Jyoti Bhawan, Mukherjee Nagar, Delhi-9, 011-27651392, 9810664003

YH-242/2012

वैश्विक प्रतिस्पर्धा में चुनौतियां और सुशासन

● रहीस सिंह

लेस्टर सी. थूरो ने अपनी पुस्तक *दि फ्यूचर ऑफ कैपिटलिज्म* में लिखा है कि 'विश्व व्यापार व्यवस्था के नियम-क़ायदे हमेशा वर्चस्वशील अर्थव्यवस्थाओं ने तय किए हैं और लागू कराए हैं। 19वीं सदी में ग्रेट ब्रिटेन ने यह भूमिका निभाई और 20वीं सदी में संयुक्त राज्य अमरीका ने। परंतु 21वीं सदी में आर्थिक प्रबंधन के नियम-कायदों की रूपरेखा बनाने, संगठित करने और उन्हें लागू कराने वाली कोई भी वर्चस्वपूर्ण शक्ति नहीं रहेगी। अमरीका के प्रभाव में संचालित एक-ध्रुवीय व्यवस्था के दिन लद चुके हैं और एक बहु-ध्रुवीय संसार उभर कर विश्व रंगमंच पर आ चुका है।' थूरो के इस निष्कर्ष को आगे बढ़ाते हुए तमाम अर्थविदों ने भावी विश्वव्यवस्था में भारत और चीन का स्थान निर्धारित किया है। अधिकांश निष्कर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में इन दोनों का स्थान और उनकी भावी भूमिका अग्रणी ठहरती है। लेकिन ऐसा करते समय केवल इकोनॉमिक ग्रोथ और पीपीपी (पर्चेजिंग पावर पैरिटी) पर जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के आकार को देखा जाता है जबकि शेष सभी पक्षों को या तो इनके अधीन कर दिया जाता है या फिर वे इनके द्वारा आच्छादित हो जाते हैं। अगर पिछले तीन वर्षों के वैश्विक परिदृश्य पर ध्यान दें तो पता चलेगा इस दशक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रखने या ग्रोथ बढ़ाने की प्रतियोगिता में सबसे आगे निकलने की नहीं बल्कि सुशासन की स्थापना की है। सुशासन की अनुपस्थिति विकास के उन प्रतिदर्शों को, जो सिर्फ़ ग्रोथ को व्यक्त करते हैं, न केवल प्रभावहीन कर देगी बल्कि समग्र व्यवस्था के ख़िलाफ़ एक ऐसी चुनौती उत्पन्न कर देगी जिसके परिणाम भविष्य के लिए संकट का वातावरण निर्मित करेंगे। इस कार्य-कारण संबंध को वैश्विक आर्थिक संकट और जास्मिन क्रांति में खोजा जा सकता है। लेकिन बावजूद इसके क्या यह कहा जा सकता है कि भारत या उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले तमाम देश इस स्थिति पर गंभीर हैं?

जब नवपूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत विकास संबंधी अध्ययनों की शृंखला बढ़ती जा रही हो, नित नये निष्कर्ष आ रहे हों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भारत तथा चीन को भविष्य का अगुआ घोषित कर दिया गया हो, तब यह ज़रूरी हो जाता है कि इसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाए और सुशासन के साथ इसके संबंधों का सिरोच्छेदन हो। इसका कारण यह है कि सक्षम और प्रतिबद्ध शासन के बिना यह स्थिति हासिल नहीं हो सकती। अगर दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्था जो केवल आकार में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी आगे हैं और उनका 'गवर्नेंस स्ट्रक्चर' श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ है तो फिर निष्कर्ष यह भी हो सकता है कि विकास और गवर्नेंस एक-दूसरे के पूरक हैं या अन्योन्याश्रित संबंधों से बंधे हैं। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले या अध्ययन शुरू करने से पहले, यह देखना ज़रूरी है कि वैश्विक आर्थिक संकट के माहौल में दुनिया के अन्य क्षेत्रों में बदलाव के जो स्वर गूंज रहे हैं या वित्त और बैंकिंग क्षेत्र पर हमलों के साथ-साथ प्राइवेट इक्विटी के शीर्ष पर जो हमले हो रहे हैं, वे किस ओर इशारा कर रहे हैं। यानी कहीं कुछ ऐसा है जो संपूर्ण व्यवस्था के लिए हानिकारक है और जिसे लोग अस्वीकार कर रहे हैं। इसका अर्थ तो यही हुआ कि वैश्विक स्तर पर जो चुनौतियां उभर रही हैं, वे किसी हद तक संबंधित देशों में बेहतर गवर्नेंस की अनुपस्थिति या उसके अभाव के कारण हैं। कुछ पीछे जाकर एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता स्टिंग्लिट्ज के उस कथन पर गौर करें जिसमें उन्होंने लिखा है कि अमरीका को अमरीका बनाने में एक पूरी की पूरी नस्ल (रेड इंडियंस) समाप्त हो गई तो यह सिद्ध हो जाएगा कि सुशासन का तात्पर्य एक ऐसे शासन से है जो बेरहम पूंजीवाद या वित्तीय पूंजी के साथ खड़ा है लेकिन वह मानव पूंजी के साथ नहीं है, जिसके लिए उसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में यह चिंता इसलिए और भी बढ़ रही है क्योंकि अब कुछ विद्वान पीटर सिद्धांत को प्रासंगिक होते देख रहे हैं। यह सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक व्यवस्था के क्रम में कोई भी आदमी तब तक अपनी सीढ़ियां चढ़ता रहता है जब तक वह अयोग्यता के स्तर को न पार कर ले। अयोग्य सरकारें स्वाइन फ्लू की चुनौतियों में फंस जाती हैं। अयोग्य कंपनियां अपने सबसे अच्छे ग्राहकों को

परेशान करती हैं और अयोग्य समाज बार-बार सबसे ख़राब विकल्प पैदा करते हैं। वास्तव में जब ये सारी गलतियां मिलकर एक ख़तरनाक स्थिति का निर्माण करती हैं, तब हमारी आस्था इस सिद्धांत में बढ़ जाती है। हो सकता है कि आज के नवविकासवादी इसे स्वीकार न करें लेकिन सच यही है कि भविष्य के वैश्विक नेता की कतार में खड़े भारत में भी सरकार के स्तर पर, कंपनी के स्तर पर और समाज के स्तर पर लगातार अयोग्यता का प्रदर्शन हो रहा है। अब यह कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि यह सुशासन के अभाव का परिणाम है या सुशासन में इस अयोग्यता की उपस्थिति का? लेकिन यह कहने में कोई संकोच नहीं कि ये दोनों ही विषय आज एक वैश्विक चुनौती की तरह पूरी दुनिया के सामने खड़े हैं।

यदि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को देखें तो आने वाला समय काफी चुनौतीपूर्ण होगा और उस स्थिति में सुशासन और नैतिक मूल्यों की सर्वोच्चता बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसे कुछ इस तरह से समझा जा सकता है। अभी हाल ही में मॉर्गन ने वर्ष 2013 के लिए विकास के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। इसके अनुसार वर्ष 2013 में वैश्विक आर्थिक विकास महज़ 3.1 प्रतिशत की गति से चलेगा जोकि मंदी के दौर की 2.7 प्रतिशत और 3.7 प्रतिशत अधिकतम विकास दर के बीच की स्थिति को व्यक्त करती है। मॉर्गन ने विकसित देशों के मामले में अपने दृष्टिकोण में विकसित देशों के लिए जो दो अनुमान व्यक्त किए हैं उनमें से पहला चिंता पैदा करने वाला है। उनके अनुसार विकसित देशों की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि 2012 के 1.2 प्रतिशत के मुक़ाबले 2013 में महज 0.7 प्रतिशत रह जाएगी। उन्होंने अमरीका के लिए इसे 2.2 प्रतिशत से घटाकर 1.4 प्रतिशत कर दिया, यूरो क्षेत्र के लिए 0.5 प्रतिशत की ऋणात्मक दर को प्रस्तुत किया है जबकि जापान के लिए इसे 1.7 प्रतिशत से घटाकर 0.4 प्रतिशत व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी अनुमान व्यक्त किया है कि यदि नीतिगत क़दम नहीं उठाए गए तो विकसित देशों की विकास दर और भी अधिक घटकर 0.5 प्रतिशत की ऋणात्मक दर में परिवर्तित हो जाएगी। हालांकि मॉर्गन ने जीडीपी के मामले में उभरते बाज़ारों के लिए आशाजनक तस्वीर पेश की है लेकिन एक सवाल यह उठता है कि जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे से जुड़ी हों तब भी विकसित देशों की आर्थिक सेहत का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? यद्यपि मॉर्गन के अनुमान से पता चल जाता है कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन बावजूद इसके वे पक्ष चिंता पैदा करते हैं जो क्रेडिट रेटिंग कंपनियों द्वारा रखे गए या फिर भारत की संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। यह भी सच है कि भारत के बारे में विकास, आय, अनुमान और धारणा सभी एकदम निचले स्तर पर पहुंचने के बाद अब सुधार की राह पर हैं लेकिन इनका जारी रहना तभी संभव हो पाएगा जब भारत सुशासन की स्थापना और राजनीतिक नेतृत्व के प्रति लोकविश्वास का निर्माण करे और व्यवसाय के लिए खेल का मैदान समतल कर बिजनेस एथिक्स का परिरक्षण करे।

इस समय भारत को आर्थिक विकास दर बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर कैपिटल इनफ्लो की दरकार है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यदि विकसित दुनिया धराशायी हुई तो फिर भारत में निवेश के लिए पूंजी कहां से आएगी। पूंजी प्रेषण का सपना दिखाकर भारत को नीतिगत क़दम उठाने के लिए बाध्य करने की कोशिश होगी, ताक़ि भारत के बाज़ारों को विदेशी उत्पादों से पाटा जा सके। इसका प्रभाव न केवल रोज़गार पर बल्कि भारतीय निर्यातों, चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटे पर पड़ेगा। ये मिलकर अर्थव्यवस्था को अस्थिर करेंगे और यह अस्थिरता सुशासन को प्रभावित करेगी। सुशासन की कमी व्यापार के माहौल को दूषित करेगी। इस स्थिति में नीतिगत सुधारों के बावजूद या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि लोकविरोधी नीतियों के बावजूद कैपिटल इनफ्लो में बढ़त नहीं हो पाएगी। विदेशी पूंजी अंतर्वहन (फॉरेन कैपिटल इनफ्लो) को बढ़ाने के लिए केवल यह ज़रूरी नहीं है देश एक उदार नीति के सहारे सरके बल्कि इसके सबसे ज्यादा ज़रूरी बात यह है कि विदेशी पूंजी आमंत्रित करने वाले देश का घरेलू वातावरण इसके लिए अनुकूल, सहज़ और उदार हो। इस वातावरण के निर्माण के लिए तो बिजनेस एथिक्स, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, वस्तु और श्रम बाज़ार की क्षमता, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की उपस्थिति, शैक्षणिक गुणवत्ता, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की उपलब्धता, मैक्रोइकोनॉमिक वातावरण, अन्वेषण क्षमता, संस्थानों की गुणवत्ता, भ्रष्टाचार की स्थिति, श्रमिक-नियोक्ता संबंध, कानून और व्यवस्था की स्थिति, बाज़ार की उदारता, कार्पोरेट जवाबदेही आदि की ज़रूरत होगी, विदेशी पूंजी के लिए अपने खिड़की-दरवाज़े खोल देने मात्र से नहीं।

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत व्यवसाय के अनुकूल वातावरण को तैयार करने या वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिए आवश्यक वातावरण का निर्माण करने में कितना सफल और सक्षम हो पा रहा है, इसका अनुमान कुछ रिपोर्टों और अध्ययनों के आधार पर लगाया जा सकता है। अब तक के कुछ अध्ययनों से जो तथ्य सामने आए हैं उनके आधार पर तो भारत की तस्वीर बहुत अच्छी बनती नहीं दिख रही। निजी क्षेत्र को कर्ज़ देने वाली विश्व बैंक की शाखा इंटरनेशनल फाइनेंस कार्पोरेशन द्वारा 2011-12 की 'डूइंग बिजनेस' रिपोर्ट इस संबंध में 2005 के बाद से अब तक की आर्थिक और

तालिका-1

जी-7		दक्षिण एशिया		ब्रिक्स	
देश	ग्लोबल रैंकिंग	देश	ग्लोबल रैंकिंग	देश	ग्लोबल रैंकिंग
अमरीका	4	भारत	132	भारत	132
ब्रिटेन	7	श्रीलंका	81	रूस	112
कनाडा	17	पाकिस्तान	107	चीन	91
जर्मनी	20	नेपाल	108	ब्राज़ील	130
जापान	24	बांग्लादेश	129	द. अफ्रीका	39
फ्रांस	34	मालदीव	95		
इटली	73	भूटान	148		

स्रोत : *डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (आईएफसी) 2012*

सरकारी गतिविधियों संबंधी तस्वीर को काफी स्पष्ट कर रही है। इस रिपोर्ट में व्यावसायिक वातावरण के मामले में पहला स्थान सिंगापुर को दिया गया है और दूसरे स्थान पर हांगकांग है। इसके बाद क्रमशः न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमरीका, डेनमार्क, नार्वे, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जार्जिया और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। इस रिपोर्ट में शामिल 185 देशों की सूची में भारत 132वें पायदान पर है। व्यावसायिक वातावरण में वह उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के साथ ही प्रतिस्पर्धा करने में पीछे नहीं है बल्कि वह ब्रिक्स और दक्षिण एशिया के देशों में भी अच्छी स्थिति नहीं रखता (तुलनात्मक रैंकिंग देखें तालिका-1 में)। इस मामले में भारत चीन से 41 पायदान नीचे है जबकि श्रीलंका और ताइवान से क्रमशः 51 और 116 पायदान नीचे है। आर्थिक स्थिति पर जब चर्चा होती है तो पाकिस्तान को हमेशा ही एक परजीवी राष्ट्र की तरह देखा जाता है और नेपाल को एक कमज़ोर राष्ट्र की तरह। लेकिन भारत पाकिस्तान से 25 और नेपाल से 24 पायदान पीछे है। दक्षिण एशिया के सात देशों में अकेला भूटान ही ऐसा देश है जिससे भारत आगे है। अब सवाल यह उठता है कि इस स्थिति में क्या वास्तव में भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने की क्षमता रखता है? यदि ऐसा नहीं है तो फिर आखिर इसके लिए दोषी किसे माना जाए? शासन की अक्षमता को इसके लिए उत्तरदायी मानें या फिर भारतीय समाज के मनोवैज्ञानिक धरातल को अथवा क़ारोबारियों में बढ़ रही अनैतिकता को?

भारत की इस स्थिति के लिए जिन कुछ कारणों को जिम्मेदार माना गया है उनमें सबसे आगे गवर्नेंस ही है। इसके अनुसार भारत में किसी भी कांट्रैक्ट को हासिल करने में 46 क़दम उठाने होते हैं जिसमें औसतन 1,420 दिन लगते हैं और इसके कारण आने वाली लागत में 40 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो जाती है। इसके बाद ऋण उगाही (डेट रिकवरी) संबंधी कारक को उत्तरदायी माना गया है। डेट रिकवरी के मामले में भारत 116वें स्थान पर है। निर्माण के लिए अनुमति मिलने का मसला भी गवर्नेंस से ही जुड़ा है और इस मामले में भी भारत की स्थिति बहुत ख़राब बताई गई है। कंस्ट्रक्शन अनुमति मिलने के मामले में भारत 182 वें स्थान पर है। यहां इसमें औसतन 196 दिन लग जाते हैं और प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय का 15 गुना ख़र्च होता है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के मामले में भी भारत 94वें स्थान पर है। भारत का बुनियादी ढांचा और ऊर्जा आपूर्ति का मामला भी काफी हद तक भारत में व्यावसायिक वातावरण न बना पाने के लिए जिम्मेदार है। देश में 33 प्रकार के करों का भुगतान करना होता है और यदि स्वयं इन्हें जमा करने जाएं तो इसमें 243 घंटे लग जाते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2012-13 भी इसी प्रकार की स्थिति व्यक्त करती है। इस रिपोर्ट में 144 देशों को शामिल करके निर्मित की गई 'वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट' (जीसीआई) में भारत 56वें स्थान पर है। यहां पर भी वह ब्रिक्स देशों में चीन, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका से पीछे हैं। रिपोर्ट में जिस बात पर ज़ोर दिया गया है वह यह है कि प्रतिस्पर्धा के लिए प्रशासन का ढांचा अथवा सुशासन प्रतियोगिता के स्तर को ऊपर उठाने की गारंटी देता है, व्यावसायिक आत्मविश्वास को बढ़ाता है। रिपोर्ट ने इसमें स्वतंत्र न्याय व्यवस्था, कानून का सशक्त शासन और उच्च स्तर की जवाबदेही वाले सार्वजनिक क्षेत्र को शामिल किया है। इसके साथ - साथ रिपोर्ट इस बात पर ज़ोर देती है कि विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा और अत्यधिक विकसित वित्त बाज़ार तथा बेहतर बाज़ार का पूर्णतः बेहतर कामकाज प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। इन विशेषताओं की विद्यमानता स्विटजरलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, जापान जैसे देशों में तो है लेकिन भारत जैसे देश से ये विशेषताएं काफी दूर खड़ी दिखाई दे रही हैं। शायद यही कारण है कि भारत की रैंकिंग ब्रिक्स देशों में भी बहुत बेहतर नहीं है, जबकि भावी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को चीन के साथ नेतृत्वकर्ता के रूप में देखने की कोशिश की जा रही है (देखें तालिका-2)।

तालिका-2

देश	वैश्विक रैंकिंग 2011-12	वैश्विक रैंकिंग 2012-13	ब्रिक्स देशों में रैंकिंग 2012-13
भारत	56	59	4
चीन	26	29	1
ब्राज़ील	53	48	2
रूस	66	67	5
दक्षिण अफ्रीका	50	52	3

स्रोत : *ग्लोबल कंपटीटिवनेस रिपोर्ट 2011-12 एवं 2012-13 (वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम)*

यहां एक बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर वह कौन सी वजह है कि भारत अफ्रीका, जिसकी अर्थव्यवस्था का आकार भारत के मुक़ाबले बहुत कम है और संघर्ष की जटिल स्थितियां तथा हिंसा के तत्व मौजूद हैं अथवा फिर चीन, जिसकी भारी-भरकम अर्थव्यवस्था है जिसमें पारदर्शिता और बर्डनसम रेग्यूलेशंस की अधिकता है, जैसे देशों से पीछे क्यों है? ऐसे बहुत से पक्ष हैं जो तुलनात्मक अध्ययन के बाद सामने आते हैं, लेकिन जो शासन से जुड़े पक्ष हैं वे कहीं ज़्यादा जिम्मेदार प्रतीत होते हैं। मैक्रोइकोनॉमिक वातावरण में फिसड्डीपन (ग्लोबल कंपटीटिवनेस इंडेक्स में 105वें स्थान पर) तो भारत के लिए चिंता का विषय है ही लेकिन भ्रष्टाचार में कमी न ला पाना (ग्लोबल कंपटीटिवनेस इंडेक्स में 99वें स्थान पर) और राजनीतिक नेतृत्व पर जनता के विश्वास (ग्लोबल कंपटीटिवनेस इंडेक्स में 106वें स्थान पर) में लगातार आ रही कमी भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है जिसका समाधान हाल-फिलहाल में तो दिखाई नहीं दे रहा। अगर पहला पक्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की आर्थिक साख को कमज़ोर कर रहा है तो अगले दोनों पक्ष भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा, विश्वविद्यालयों में हो रहे शोधों के स्तर तथा उनकी बाज़ार से संबद्धता, अन्वेषण, विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा, बेहतरीन सार्वजनिक संस्थाओं के निर्माण और कार्पोरेट जवाबदेही के क्षेत्र को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। इस स्थिति में यह स्वाभाविक ही है कि भारत 'खेल के मैदान के स्तर' (लेवल ऑफ प्लेंइंग फील्ड्स) को सुनिश्चत करने में अक्षम साबित हो। ❑

(लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं।

ई-मेल : raheessingh@gmail.com)

CHRONICLE IAS ACADEMY

A Civil Services Chronicle Initiative

आईएएस टारगेट 2013

60 दिन	350 घंटे	10 फरवरी से 12 अप्रैल	शतप्रतिशत पाठ्यक्रम कवरेज	अध्ययन सामग्री	30+ टेस्ट

सामान्य अध्ययन + सीसैट

आरंभ 10 फरवरी 2013

केवल नॉर्थ कैम्पस पर

नॉर्थ कैंपस

2520, हडसन लेन, विजयनगर चौक, नई दिल्ली

Call: 09582263947, 09953120676

For Venue Detail Visit: **chronicleias.com**

Civil Services CHRONICLE

22yrs of Guiding Success

YH-227/2012

सभ्य समाज, सुशासन और नयी तक़नीकें

● प्रांजल धर

आज जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की संसद में 'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' की ताज़ा रिपोर्ट का हवाला देते हुए भ्रष्टाचार के भयावह स्तर पर गंभीर चिंता जताई जाती है, तब एक आम नागरिक ज़रूर सोचता है कि शासन को कैसा होना चाहिए और उसका क्या रूप हो गया है। जब पूरी दुनिया में भुख़मरी के हालात का ज़ायज़ा लेने वाला 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स' जारी किया जाता है, तो किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के माथे की लकीरें गहरी हो जाती हैं। समय के घूमते पहिए ने शासन-प्रशासन की जिम्मेदारियों को निस्संदेह बढ़ाया है और इसी बढ़े हुए काम को पूर्ण करने के लिए सभ्य समाज का जन्म हुआ। पहले राज्य और सभ्य समाज (सिविल सोसायटी) को लगभग समानार्थी ही माना जाता था लेकिन नयी तकनीक़ों के दौर में आज ऐसा नहीं है। गुड गवर्नेंस यानी सुशासन को एक ज़रूरी विचार मानने वाले वर्तमान समय में यह भलीभांति स्पष्ट हो चुका है कि राज्य और सभ्य समाज के बीच पर्याप्त अंतर है। बहुत मोटे तौर पर देखें तो सभ्य समाज ऐसे व्यक्तियों का समुच्चय, समूह या संस्थाएं हैं जो सामूहिक हित में काम करती हैं और अक्सर ये काम लोककल्याण को लक्ष्य मानकर किए जाते हैं। सभ्य समाज की संस्थाएं सीधे राज्य द्वारा नियंत्रित नहीं होती हैं। आज जब राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सभ्य समाज की भूमिका बढ़ती जा रही है, तब यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुशासन में सभ्य समाज का क्या योगदान है? विकसित देशों की सरकारों ने जनता के लिए उपयोगी लगभग समस्त सूचनाओं का डिजिटलीकरण कर दिया है और विकासशील तथा अविकसित देशों की सरकारें इस दिशा में सतत प्रयासरत हैं। सवाल उठता है कि नयी तक़नीकों के प्रचार-प्रसार से जिस ई-प्रशासन की संकल्पना को बल मिल रहा है, वह सुशासन में किस प्रकार सहायक है?

जिस सभ्य समाज को हम आए दिन अख़बारों और अन्य संचार माध्यमों के ज़रिये देखते, सुनते और पढ़ते रहते हैं उसकी मूलभूत पहचान क्या है? यहां इस सैद्धांतिक पहलू की अधिक प्रासंगिकता नहीं है कि वुडरो विल्सन ने क्या कहा या लिखा है अथवा गुडनाऊ ने अपनी चर्चित पुस्तक *राजनीति तथा प्रशासन* (1990) में कौन-से सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। अंतिम रूप से हमें व्यावहारिक पहलू की ही ज़्यादा फिक्र करनी पड़ती है क्योंकि दैनिक जीवन में हमारा सामना व्यावहारिकता से ही होता है। उम्दा संविधान रखने वाले भारत जैसे विकासशील और बड़े देश में आज जब पारदर्शिता की मांग के लिए अनेक आंदोलन चलाए जा रहे हैं, तब इस प्रश्न की महत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। असल में सभ्य समाज की मूलभूत पहचान यही है कि यह वैधानिकता के दायरे में स्वतंत्रता-प्राप्त और स्वसंगठित समूहों से भरपूर होता है। इसके अनेक बुनियादी लक्षण हैं। जैसे, यह राज्य से इतर संस्थाओं को इंगित करता है और इसके अंतर्गत समाज का विशाल क्षेत्र शामिल होता

है। संगठित समाज को इंगित करने वाले इस सभ्य समाज के तहत वे समूह आते हैं जो राज्य यानी राजनीतिक समाज और परिवार यानी नैसर्गिक समाज के बीच स्थित होते हैं। समाज में नैतिकता, सभ्यता और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ-साथ सहयोग की भावना का विकास करना इसका प्रमुख काम माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि यह उत्पीड़न नहीं, बल्कि स्वैच्छिकता का महत्वपूर्ण प्रतीक है।

राज्य के अनावश्यक आधिपत्य को कम करने के लिए सभ्य समाज बहुलतावाद की वकालत करता है। सत्तावाद और निरंकुशतावाद का विरोध करने वाले सभ्य समाज का लक्ष्य सार्वजनिक भलाई है। यह व्यक्तियों को शिक्षित करके नागरिकता को बढ़ावा देता है। जनता को शिक्षित करने का सवाल बेहद आवश्यक है क्योंकि आज पठन-पाठन की संस्कृति पर ख़तरों के बादल मंडरा रहे हैं। किसी भी स्वस्थ व सभ्य समाज के निर्माण में पुस्तकों का योगदान सर्वविदित है और कौटिल्य के *अर्थशास्त्र* के ज़माने से ही सुशासन के लिए पुस्तकों की महत्ता निर्विवाद रही है। आज जब हमारी संसद में पुस्तक-संस्कृति और राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन को लेकर गंभीर चर्चाएं की जा रही हों तब यह सोचना पड़ जाता है कि नयी तक़नीकों के ज़रिये हम सुशासन और सभ्य समाज के लक्ष्य को किस तरह पूर्ण कर सकते हैं। शिक्षा राजनीतिक-प्रशासनिक मामलों में जनता की भागीदारी का रास्ता खोलती है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में 'महालिर थिटम' नामक कार्यक्रम के ज़रिये विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई। नयी तक़नीकें इस भागीदारी को सुगम बनाती हैं और आए दिन हमारे सरकारी मंत्रालय इस बात पर विचार करते रहते हैं कि सूचनाओं को इन नयी संचार तक़नीकों का इस्तेमाल करते हुए किस सीमा तक डिजिटलीकृत किया जाए। दूसरे शब्दों में हम पेपरलेस ऑफिस को अपना लक्ष्य बनाएं या फिर पेपरलेस ऑफिस को?

आमतौर पर सभ्य समाज की अवधारणा बहुत व्यापक है। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के संगठन आते हैं, जैसे- युवा संगठन, कृषक संघ, श्रमिक यूनियन, कार्मिक संघ, स्वयंसेवी संस्थाएं, जातीय संगठन, राजनीतिक पार्टियां, सहकारी समितियां, धार्मिक संगठन, धर्मसभाएं, महिला संगठन, समाज सुधार आंदोलन तथा अन्य गैर-सरकारी संस्थाएं आदि। सुशासन के हित में प्राय: ये संगठन जनमत का निर्माण करते हैं और सामान्य प्रकृति की मांगों को तय करते हैं। ऐसे समाजों के पनपने और फलने-फूलने के लिए समाज और व्यक्तियों के भीतर खुलेपन का होना अनिवार्य है। विविधता, आदर, सहनशीलता और सर्वसम्मति आदि वे मुख्य तत्व हैं जो किसी भी देश में सभ्य समाज का निर्माण करते हैं। देखा जाए तो व्यक्ति का परिवार भी सभ्य समाज की एक मज़बूत इकाई ही है। सभ्य समाज के विकास का स्तर एक देश से दूसरे देश में बदलता रहता है और इसीलिए सुशासन के प्रति सरकारों की संवेदनशीलता भी एक देश से दूसरे देश में बदलती रहती है। इसकी वज़ह आर्थिक विकास के साथ-साथ तक़नीकी प्रगति का अलग-अलग स्तर भी है। शायद यही कारण है कि संयुक्त राज्य अमरीका में सभ्य समाज अत्यंत विकसित है जबकि भारत में अभी यह विकासशील अवस्था में ही है। दूसरी तरफ अफ्रीका महाद्वीप में तमाम देश ऐसे हैं जहां अभी तक किसी भी प्रकार के सभ्य समाज का जन्म ही नहीं हुआ है। अभी तक वहां समस्या किसी भी प्रकार के शासन की ही है, न कि सुशासन की। सभ्य समाज द्वारा किए गए कार्य कभी-कभी क्रांति तक के स्तर के हो जाते हैं। मसलन, सन् 1989 में पूर्वी और मध्य यूरोप में जिस सभ्य समाज का उदय हुआ उसे मख़मली क्रांति का नाम दिया गया था। वास्तव में यह राज्य के अति नियंत्रण से मुक्ति का एक उपाय था।

हमारे यहां बीसवीं सदी के सातवें दशक से इसका विकास तेज़ी से हो रहा है और इक्कीसवीं सदी में इसकी प्रगति की रफ़्तार बहुत तेज़ हो गई है। सूचना क्रांति ने इसमें महती भूमिका निभाई है और कहना न होगा कि आज दिल्ली के जंतर-मंतर पर अक्सर होने वाले छोटे-छोटे आंदोलन भी जिस तरीक़े से गांव-गांव तक पहुंच पा रहे हैं, इसके लिए इंटरनेट समेत सोशल मीडिया की नयी तक़नीकें भी जिम्मेदार हैं। यह नयी तक़नीकों की ही देन है कि जनता को सुशासन से संबंधित किसी सार्वजनिक मुद्दे पर लामबंद करना और जागरुकता फैलाना अपेक्षाकृत आसान हो गया है। लोगों के मोबाइल फोन पर महज़ कुछ संदेशों को भेजकर उन्हें बाकायदा सूचित करने की सुविधा पहले बिल्कुल उपलब्ध नहीं थी। सभ्य समाज की यह लामबंदी विकास के कारण होने वाले विस्थापन के ख़िलाफ़ हो सकती है, दहेज या नशाख़ोरी जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध हो सकती है तथा शासन-व्यवस्था से जुड़े नागरिक स्वतंत्रता या भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों की शक्ल में हो सकती है। इसी परिप्रेक्ष्य में नक्सलवादियों अथवा इसी तरह के अनेक सामूहिक तथा वैयक्तिक प्रयासों पर भी सरकार ध्यान दे रही है क्योंकि इन्होंने राज्य की शक्ति को उसकी सीमाओं के परे जाकर सुशासन इत्यादि के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण चुनौती दी है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत में सभ्य समाज राज्य के कार्यक्षेत्र में प्रवेश करके सुशासन से जुड़े अपने कर्तव्यों को निभाने की कोशिशें कर रहा है।

सभ्य समाज को सशक्त बनाकर हम स्थानीय शक्ति को बढ़ाते हैं तथा सुशासन और विकास की नवीन परिभाषा गढ़ते हैं कि राज्य को उनके प्रति भी उत्तरदायी बनाया जाए। इससे लोकतांत्रिक सहभागिता का ऐसा मार्ग प्रशस्त होता है जो शासन को वास्तव में जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए हितकारी बनाता है। सभ्य समाज सुशासन के सर्वाधिक आवश्यक तत्व उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के सारे प्रयास कर रहा है। उदाहरण के लिए मज़दूर-किसान शक्ति संस्थान आंदोलन ने राजस्थान में एक विशिष्ट प्रणाली को जन्म दिया। इस आंदोलन ने जन-सुनवाई की प्रणाली अपनाई और नौकरशाही के साथ स्थानीय राजनीतिज्ञों के तालमेल को उज़ागर किया। इससे जनता अपने अधिकारों को लेकर जागरूक भी हुई और विकास के नये रास्ते भी खुले। जन-सुनवाई के माध्यम से इसने सरकारी कामों की खुली पंचायत में समीक्षा की तथा सामान्य जनता की गवाही से उनके दावों की कलई भी खोली। इससे सरकारी रिकॉर्ड तथा ज़मीनी सच्चाइयों के बीच पसरे विशाल अंतराल का अनुमान लग सका। इसी संगठन की अगुवाई में भारत में सूचना प्राप्त करने का पहला आंदोलन राजस्थान के ब्याबर नामक शहर में शुरू हुआ और बाद में यह एक बड़े आंदोलन में बदल गया। इसका परिणाम आज सूचना के अधिकार अधिनियम के रूप में हम समस्त भारतवासियों के सामने मौजूद

है। शुरू में जब इस संस्था ने जन-सुनवाई द्वारा सामाजिक अंकेक्षण का प्रयोग प्रारंभ किया था, तब शासन में ख़लबली मच गई थी। सुशासन के लिए ऐसे प्रयास करने में अनेक अप्रत्याशित चुनौतियां भी सामने आ जाती हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में आतंकवाद के ख़तरों को देखते हुए सूचना के अधिकार को देर से लागू किया गया था। देखा जाए तो किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। सरकार में खुलापन और सुगम सूचना उपलब्धता नागरिकों को मज़बूत तो बनाती है लेकिन यह आतंकवादियों, असामाजिक और अराजक तत्वों या विद्रोहियों के विध्वंसात्मक कामों का रास्ता भी आसान कर देती है। इन दोनों पहलुओं में संतुलन साधना किसी भी सरकार के लिए चुनौतीभरा काम है।

आज ऊपरी स्तरों से लेकर निचले स्तरों तक सरकारी नज़रिया बदला है और सुधारों के फलस्वरूप इन्हीं प्रयासों से राज्य पर ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा है। राज्य जिस समाज को पहले हाशिये पर रखता था, आज उसे केंद्र में रखने पर विवश हुआ है। इसी क्रम में दिल्ली में 'परिवर्तन' नामक सामाजिक कार्यकर्ताओं का संगठन भी उल्लेखनीय है। सन् 2001 में राजस्थान में 'अकाल संघर्ष समिति' तथा देश के साठ से भी ज़्यादा संगठनों ने प्राथमिक स्तर पर अनावृष्टि के कारण पैदा हुई मानवीय पीड़ाओं को मुख़रित किया। इसी साल राजस्थान में ही 'पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबरटीज' ने उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। न्यायालय ने घोषणा की कि भोजन का अधिकार, नागरिकों के जीवन के अधिकार का ही अभिन्न अंग है। फलस्वरूप निर्धनता-स्तर के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए भोजन, प्राथमिक विद्यालयों में बालक-बालिकाओं के लिए दोपहर के भोजन तथा संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना आदि जैसे राज्य के विचारों ने ज़मीनी हक़ीक़त का रूप ग्रहण किया।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो 'ग्रीन पीस' जैसे आंदोलनों ने अनेक राज्य व्यवस्थाओं को सुशासन की ओर मोड़ा है। राष्ट्रीय स्तर पर कहा जाए तो मेधा पाटेकर द्वारा चलाए गए 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' और रैमन मैग्ससे पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह द्वारा चलाए जा रहे 'तरुण भारत संघ' जैसे आंदोलन सुशासन हासिल करने की दिशा में सभ्य समाज की भूमिका को बड़ी बारीक़ी से रेखांकित करते हैं। सुशासन का ही असर है कि भारत सरकार ने कार्पोरेट मंत्रालय में एमसीए-21 नामक योजना चला रखी है और दिल्ली सरकार ने सर्विस लेवल एग्रीमेंट कानून के अंतर्गत बत्तीस प्रकार की सेवाओं के लिए 15 सितंबर, 2011 से सिटीजन चार्टर लागू कर दिया है। इसके तहत राजस्व विभाग, दिल्ली से संबंधित कोई भी प्रमाण-पत्र आवेदक को इक्कीस दिनों में दे दिया जाएगा। इसी तरह राशन कार्ड पैंतालीस दिनों में और जन्म या मृत्यु प्रमाण-पत्र सात दिनों में दिया जाएगा। यह तो आने वाले दिन ही बताएंगे कि इस प्रकार दिन निर्धारित करने से प्रशासन कितना जन हितकारी साबित हुआ। लेकिन सुशासन के लिहाज़ से इसे एक बड़ी उपलब्धि मानने से कोई इंकार नहीं कर सकता। यह भी ग़ौरतलब है कि इन सबमें नयी तक़नीकों की महती भूमिका रही है।

सुशासन के लिए चलने वाले कामयाब आंदोलन हमें बताते हैं कि सभ्य समाज के माध्यम से सेवाधर्मी राज्य के लक्ष्य तक आसानी और शीघ्रता से पहुंचा जा सकता है। सभ्य समाज के अनेक संगठन विकास कार्यों के लिए निरंतर कोशिश कर रहे हैं जिनका सिद्धांत सुशासन पर ही आधारित है। कुछ लोग सभ्य समाज को शासन के विरुद्ध देखते हैं। वास्तव में ऐसा सतही और सरलीकृत नज़रिया गलत है। सभ्य समाज तो शासन-प्रशासन और राज्य की गलतियां सुधारने का उपकरण है। आज ज़रूरत इस नज़रिये की है कि किस प्रकार राज्य तथा सभ्य समाज एक-दूसरे के पूरक और हितैषी के रूप में कार्य करें। बढ़ती प्रशासनिक जटिलता वाले आधुनिक समय की मांग यही है कि सभ्य समाज और स्थानीय सरकारों के बीच पूरकता हो तथा स्थानीय सरकारों में सभ्य समाज की भागीदारी अधिकाधिक बढ़े। लेकिन दोनों में कई बार टकराव की स्थिति भी उपस्थित हो जाती है। मसलन, कई बार स्थानीय विकास के लिए बजट सभ्य समाज के संगठनों को आवंटित होता है तो कई बार स्थानीय पंचायत को, और दोनों की कार्य संस्कृतियों में अंतर होने के कारण उनमें विरोध या टकराव उत्पन्न हो जाता है।

अगर हम विश्व बैंक और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के विचारों पर निगाह डालें तो सुशासन के विषय में हमें कुछ मुख्य तत्व प्राप्त होते हैं। ये हैं- उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, सहभागिता, वचनबद्धता, निश्चितता, विश्वसनीयता, विधि का शासन, अनुक्रियाशीलता या संवेदनशीलता, दक्षता और प्रभावशीलता, समदृष्टि, सामंजस्य, मतैक्य, मानव विकास लक्ष्य, मानवाधिकार, सभ्य समाज और सरकार के मध्य सहयोग और सहसंबंध आदि। देखा जाए तो सुशासन के इन तत्वों में कुछ ऐसा नया या अनोखा नहीं है जिससे हम सब परिचित न हों। नया केवल यह है कि सुशासन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रखी गई अवधारणा है जिसे सभी की मान्यता प्राप्त है और सभी देश सुशासन पर एकमत हैं। इसीलिए सुशासन एक वैश्विक शासन की अवधारणा से जुड़ा है और वैश्विक शासन की दिशा में एक क़दम के रूप में सर्वथा नया प्रयोग है। सुशासन ने शासन की अवधारणाओं को काफी व्यापक बनाया है और कुछ सीमा तक इन्हें बदलकर रख दिया है। सुशासन ने राज्य के चरित्र को पहले प्रशासकीय राज्य से कल्याणकारी राज्य की ओर मोड़ा और अब इसकी दिशा कल्याणकारी से सेवाधर्मी राज्य की तरफ मुड़ रही है। आर्थिक विकास और सामाजिक समस्याओं के मध्य संबंध स्थापित कर उन्हें मानव विकास और मानवाधिकारों से जोड़ने का प्रयास सुशासन ने ही किया है। यह सुशासन का ही असर है कि यूनाइटेड किंगडम में यूबीएस यानी यूनिट बीट सिस्टम नामक कार्यक्रम चलाया गया जिसमें पुलिस को कानून व्यवस्था के साथ-साथ ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों से भी संबद्ध किया गया जिससे समाज तक उसकी और उस तक समाज के सदस्यों की पहुंच में वृद्धि हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि समाज में अपराध कम हुए और सामाजिक शांति में बढ़ोत्तरी हुई। इसी तरह भारत के तिहाड़ जेल में प्रिजन मैनेजमेंट सिस्टम का कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड रखे जाने से अपराधों पर अंकुश लगा। मध्य प्रदेश में 'ज्ञानदूत' कार्यक्रम, उत्तराखंड की 'आरोही' परियोजना, महाराष्ट्र की 'केडीएमसी', तमिलनाडु की 'सरल डिलीवरी', आंध्र प्रदेश की 'पंचायत' तथा दिल्ली की 'पासपोर्ट' सेवा आदि तमाम परियोजनाएं आज भारत में सरकार द्वारा नयी तक़नीकों के प्रयोग तथा सुशासन तक पहुंचने के प्रयास की परिचायक हैं।

लोकतंत्र में विरोधी विचारों को भी पर्याप्त स्थान दिया जाता है। इस संदर्भ में सुशासन सकारात्मक व नकारात्मक दोनों दृष्टिकोणों को साथ लेकर चलता है। एक ओर यह शासन की अच्छाइयों को बढ़ावा देता है, वहीं दूसरी ओर उसकी बुराइयों और गंदगी को साफ़ करने का प्रयत्न भी करता है। इस प्रकार का समग्र नज़रिया सुशासन की ही उपज है। सुशासन का माध्यम बन चुके सभ्य समाज का परम उद्देश्य यही है कि सभी विकास कार्यों में सामान्य आदमी की सीधी भूमिका और भागीदारी सुनिश्चित की जाए। सुशासन के विचार पर बल देने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भी भ्रष्टाचार या कुप्रशासन के उन्मूलन और सुशासन के उद्देश्यों को जोड़ने के प्रयास किए हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने उत्तरदायित्व और पारदर्शिता लाने के लिए पैक्ट (प्रोग्राम फॉर एकाउंटिबिलिटी एंड ट्रांसपैरेंसी) नामक कार्यक्रम चलाया। सुशासन की महत्ता पर इससे ज़्यादा क्या कहा जाए कि इस स्थान पर पहले कभी ऐसी कोई अवधारणा नहीं पहुंची जिसे विकसित, विकासशील व अल्पविकसित देशों समेत समस्त विश्व में इतनी अधिक स्वीकृति प्राप्त हो।

सभ्य समाज, सुशासन और नयी तक़नीकों पर बात करते हुए इस तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक है कि प्रशासन में नयी तक़नीकों के प्रयोग के लिहाज़ से 1980 का दशक महत्वपूर्ण है। इस दौर में ई-गवर्नमेंट का विकास शुरू हुआ। इसका उदय सूचना-संचार तक़नीक, प्रबंधन और सरकार जैसे तीन भिन्न कारकों के मध्य अंतर्क्रियाओं से हुआ। विगत दो दशकों से प्रशासन में कंप्यूटरों, इंटरनेट और ई-मेल के प्रयोग के कारण ई-प्रशासन को बढ़ावा मिला। इससे सुशासन के पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे बुनियादी तत्वों के प्रवर्तन में सुविधा उपलब्ध होती है। अनेक सरकारी वेबसाइटों की मौजूदगी से नागरिकों और सरकारों के मध्य संपर्क व संबंध सरल होता गया है। पिछली शताब्दी के अंत में Y2K जैसी तक़नीकी समस्याओं ने भी अनेक सरकारों का ध्यान नयी तक़नीकों की तरफ दिलाया था। यह नयी तक़नीकों की ही देन है कि आज ई-लोकतंत्र और ई-प्रशासन जैसे अनेक शब्द चलन में आए हैं और शिक्षित जन इनसे परिचित हो रहे हैं। ई-लोकतंत्र का संबंध इलेक्ट्रॉनिक तक़नीकों का उपयोग करते हुए नीति-निर्माण की लोकतांत्रिक पद्धति से है। इससे सुशासन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलनी शुरू हो गई है। इसमें सरकारी निर्णयों व कार्यों के संदर्भ में लोक विमर्श के इलेक्ट्रॉनिक चैनल और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी शामिल है।

सुशासन के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आज संयुक्त राष्ट्र संघ की अनेक एजेंसियां भी शासन-प्रशासन में नयी तक़नीकों को प्रोत्साहित कर रही हैं। इससे विभिन्न लोक-प्रशासनों की तुलना पर आधारित प्रशासकीय विकास व सुधारों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। अगर हम बारीक़ी से विश्लेषण करें तो यह बात सामने आती है कि नयी सूचना-संचार तक़नीकों ने चार प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष प्रभाव डाला है। पहला प्रभाव नागरिक आधारित सेवाओं पर है जिन्हें प्रदान करने के लिए अनेक प्रशासकीय चरणों को सरलीकृत किया जा रहा है ताकि सुशासन की तरफ आगे बढ़ा जा सके। नागरिक केंद्रित मॉडल का ही अभिन्न अंग स्वयं सेवा है जिसमें ऑनलाइन सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में ग्राहक सेवा से जुड़े तमाम कामों को स्वयं कर लेता है। ये कार्य पूरे चौबीसों घंटे किए जा सकते हैं। अनुभव बताता है कि जिस प्रकार सभी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, उसी प्रकार सभी नागरिक उन्हें इलेक्ट्रॉनिक तरीक़े से प्राप्त करने के इच्छुक भी नहीं होते। इस समस्या के कारण सेवाओं को एकीकृत रूप से प्रदान करने के लिए सरकार व जनसंपर्क के विभिन्न चैनलों का एक साथ प्रयोग किया जा रहा है। इसमें टेलीफोन, ई-मेल तथा ऑनलाइन सेवा शामिल है। ग्राहक और लक्ष्य आधारित प्रशासन ने इस तथ्य पर पूरा ज़ोर दिया है कि नागरिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक मार्ग ही अनिवार्य नहीं है, बल्कि वैकल्पिक उपागमों यानी नज़रियों का विकास भी ज़रूरी है। दूसरा प्रभाव सूचना का सरकारी स्रोत के रूप में उभरना है। वित्तीय और मानव संसाधन की तरह ही आज सूचना को भी सरकार एक महत्वपूर्ण पूंजी मानती है। तीसरा प्रभाव यह है कि नयी तक़नीकों ने उस पर्यावरण को विशिष्ट स्वरूप प्रदान कर दिया है जिसमें प्रशासन क्रियान्वित होता है तथा जिसमें लोकसेवा प्रबंधकों और कर्ताओं को ज्ञान और कौशल की ज़रूरत होती है। मसलन, आज लोक सेवा कार्यस्थल वह है जहां प्रत्येक मेज पर एक कंप्यूटर हो और ई-मेल, वर्ड-प्रोसेसिंग तथा इंटरनेट का नियमित प्रयोग हो। आज अनेक ऐसे लोक सेवा कार्यस्थल अस्तित्व में आए हैं जहां थ्री-जी तक़नीक तक उपलब्ध है। यह हालत पिछले दशकों से एकदम अलग है जब केवल दूरभाष और डाक-तार ही कार्यप्रणाली के साधन हुआ करते थे।

इस नवीन विकास से प्रशासन और निजी क्षेत्र के बीच नवीन संबंध उभरे हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण आउटसोर्सिंग है। नयी सूचना-संचार तक़नीकों का चौथा प्रभाव यह है कि अब जनता, लोकसेवकों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच के आपसी संबंध बदलने लगे हैं। नागरिकों को उत्तम सेवा प्रदान करने पर ज़ोर देने के कारण लोकसेवकों के इस विश्वास को बल मिला है कि उनकी जवाबदेही नागरिकों के प्रति है, न कि राजनीतिज्ञों के प्रति। राजनीतिज्ञ भी अनुभव कर सकते हैं कि उनकी भूमिका अब कुछ सीमित हुई है। जहां पहले इस विचार का प्रभुत्व था कि नेतृत्व ऊपर से आता है और अधीनस्थों पर उत्तम परिणामों के लिए नियंत्रण बनाए रखता है, वहीं आज अधीनस्थों को अधिकतम स्वायत्तता और प्रोत्साहन दिए जाने की बात की जाती है ताकि प्रशासन दक्षता से सुशासन की शर्तों को पूरा कर सके।

विकासशील राष्ट्र जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उनसे अनेक समस्याएं जुड़ी हुई हैं। इन राज्यों के पास आर्थिक नीतियों को बदलने के अधिक विकल्प मौजूद नहीं हैं। अधिकांश विकासशील राष्ट्रों के लिए बिजली और दूरसंचार की आधारिक संरचना का निर्माण संभव नहीं है। ये आंतरिक असंतोषों, बाहरी ख़तरों, गृह अशांति, आतंकवाद, प्राकृतिक आपदाओं और सामंती सोच वाली सामाजिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। नयी तक़नीकों से जुड़े उपकरण और कौशल महंगे और आयातित हैं, साथ ही ये हर जगह उपलब्ध भी नहीं हैं। ग़रीब देशों में इनकी मांग भी कम है क्योंकि जनता एक तो ग़रीब है, दूसरे उसकी साक्षरता का स्तर भी निम्न है। जब ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, प्रशासन और समाज की चिंता की जा रही हो, तब ये सवाल और

भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सुशासन का लक्ष्य सभ्य समाज के बिना पूरा नहीं हो सकता। एक यथार्थपरक पक्ष यह भी है कि सुशासन तो दूर, हमारे यहां तो नागरिकता की बुनियादी सीख का भी अभाव दिखने को मिल जाता है। मसलन, सार्वजनिक सूचना-पटों पर फ़िल्मी पोस्टर चिपकाए जाते हैं, पुरातात्विक महत्व के स्थलों पर खुरच-खुरच कर लोगों के नाम-पते लिखे रहते हैं और सार्वजनिक शौचालयों के भीतर अपशब्दों की भरमार रहती है।

सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करना, सड़कों पर अपने चौपहिया वाहनों को रात-रात भर खड़ा करके बाक़ी लोगों के यातायात को अवरुद्ध करना, रेलवे फाटक बंद होने पर भी संकरी गली खोजकर निकलने का रास्ता बनाना, शादी-विवाह या त्यौहार के बाद भारी मात्रा में क़चरे व गंदगी को सड़क पर छोड़ देना, सड़कों पर मेन होल का खुला रहना, न्यायालयों में लोगों का अपने वचनों से मुकर जाना, मुंह से तो ईमानदारी के बड़े-बड़े आदर्शों का गुणगान करना और हाथों से रिश्वत ले लेना क्या सभ्य नागरिकता के लक्षण कहे जा सकते हैं? यह विडंबना नहीं तो और क्या है कि अच्छे अंकों के लिए दहेज प्रथा के विरुद्ध निबंध लिखकर अभ्यर्थी जब बड़ी-बड़ी परीक्षाओं में कामयाब होते हैं तो स्वयं दहेज लेने से नहीं चूकते? बल्कि वे उसी विकल्प को चुनते हैं जहां से सबसे ज़्यादा दहेज मिल रहा हो। क्या इससे महिलाओं को बराबरी का दर्ज़ा देने वाली सभ्य समाज की सोच को धक्का नहीं पहुंचता? नैतिकता के ये दोहरे मानदंड सभ्य समाज और सुशासन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हैं और इन बाधाओं को कोई भी तक़नीक दूर नहीं कर सकती। इसके लिए पारंपरिक और रूढ़ीवादी सोच को जड़ से बदलना होगा, तभी लोग सुशासन की आत्मा को समझ सकते हैं। नयी तक़नीकों से लैस फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया के साधन ऐसी सोच पर थोड़ा-बहुत प्रहार तो करते ही हैं, जिसे सुशासन और सभ्य समाज के निर्माण के लिहाज़ से सकारात्मक अवश्य कहा जा सकता है।

आज सुशासन के लिए सबसे ज़रूरी तो यही है कि वह सामाजिक सीमा रेखाओं को समाप्त करके सामर्थ्य निर्माण करे और समाज के उस हिस्से की मदद करे जो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों से वंचित हैं और हाशिये पर खड़े हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि इस दुनिया का एक हिस्सा भले ही डिजिटल हो चुका हो, लेकिन एक बड़ा हिस्सा अभी भी नान-डिजिटल ही है। इस डिजिटल डिवाइड की खाई को पाटना सुशासन के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु सबसे ज़रूरी है। सुशासन के विकास का एक कारण वैश्वीकरण की अवधारणा भी रही है। आज पूरी दुनिया एक भूमंडलीय ग्राम में सिकुड़ गई है और इसे एक बाज़ार के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन क्या बाज़ार हमारी दुनिया की क़रीब आधी आबादी को साफ़ पेयजल उपलब्ध करा सकता है, जिन्हें आज भी पीने के लिए साफ़ पानी उपलब्ध नहीं है? एक अरब की आबादी को भरपेट भोजन नहीं मिलता, उसके लिए क्या बाज़ार का कोई भी अर्थ निकलता है? विचारकों का मानना है कि सुशासन का इस्तेमाल वैश्वीकरण व क्रूर बाज़ार की अमानवीय बुराइयों को हटाने के लिए भी किया जा सकता है। सुखद है कि दुनिया के कुछ हिस्सों में सुशासन ने समानता और संवेदनशीलता जैसे अपने मानवीय मूल्यों के आधार पर बाज़ार या वैश्वीकरण की चुनौतियों से निबटने की शुरुआत कर दी है। विश्व इतिहास के हिसाब से अभी ज़्यादा समय नहीं बीता, जब प्रसिद्ध विचारक मैक्स वेबर ने राजनीतिक दलों को लोकतंत्र की संतान कहा था। कहना न होगा कि सभ्य समाज लोकतंत्र की सबसे योग्य संतान साबित होती जा रही है और आज के समय की ज़रूरत है कि सुशासन के हित में इस संतान की परवरिश ठीक-ठाक माहौल में संपन्न कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।
ई-मेल : pranjaldhar@gmail.com)

नयी दवा नीति मंज़ूर

ज़ल्द ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के इलाज मे काम आने वाली दवाओं की क़ीमत 15 से 20 फीसदी तक कम हो जाएगी। सरकार ने आवश्यक दवाओं की लिस्ट को 74 से बढ़ाकर 348 कर दिया है। इनकी क़ीमत भी सरकार ही तय करेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने नयी दवा मूल्य नीति को मंज़ूरी दे दी है।

नयी नीति के मुताबिक सभी ब्रांड्स की औसत क़ीमत निकालकर उसे अधिकतम क़ीमत घोषित किया जाएगा। कैंसर और एड्स के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के अलावा इस सूची में दर्द और अवसाद दूर करने वाली दवाएं एवं स्टेरॉयड यानी ताक़त की दवाएं भी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इससे आम आदमी को राहत मिलेगी। दवाओं की क़ीमतों की बेतहाशा बढ़ती रफ्तार थमेगी। आंकड़ों के मुताबिक 1996 से 2006 के बीच दवाओं की औसत क़ीमत 40 फीसदी बढ़ी हैं।

कैबिनेट के अन्य फ़ैसले

- एनटीपीसी में 84.50 फीसदी की सरकारी हिस्सेदारी में से 9.5 फीसदी हिस्सेदारी बेचने को मंज़ूरी मिल गई है। इस विनिवेश से 13 हज़ार करोड़ रुपये हासिल होने की उम्मीद है।
- एनएमडीसी द्वारा ऑस्ट्रेलियाई कंपनी लीगेसी आयरन-ओर में 50 फीसदी की हिस्सेदारी और 99.63 करोड़ रुपये में ख़रीदने को भी मंज़ूरी मिली।
- कोलकाता के नेताजी सुभाषचंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के विकास पर बढ़ी हुई लागत के 23.25 अरब रुपये के प्रस्ताव को मंज़ूरी।
- डाकघरों के आधुनिकीकरण के लिए 4,909 करोड़ रुपये की राशि को मंज़ूरी मिली है।
- आधुनिक शौचालयों के लिए 481.45 करोड़ रुपये की योजना को मंज़ूरी मिल गई है।। ❑

हिन्दी माध्यम का सर्वश्रेष्ठ संस्थान

निर्माण IAS

Give the best ... Take the best

सफलता का पर्याय | by कमल देव (K.D.)

नया दौर, नई चुनौती..... नई रणनीति

नये पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा एवं शिक्षण सामग्री

सामान्य अध्ययन

(PT SPECIAL BATCH)

27 दिसम्बर — द्वितीय बैच

7 जनवरी — तृतीय बैच

CSAT

17 दिसम्बर (चतुर्थ बैच)

जनवरी (द्वितीय सप्ताह) पंचम बैच

सफलता का सफर

दिल्ली HEAD OFFICE 12, Mall Road, Hudson Lane, Kingsway Camp, Delhi-9

CLASS ROOM 624, IInd Floor, Mukherjee Nagar (Near Aggarwal Sweet) Delhi-9

Website:- www.nirmanias.com

पत्राचार कार्यक्रम उपलब्ध (9990765484)

Ph. : 011-47058219, 9990765484, 9891327521

ग्वालियर 2/3, Aziz Complax, New Khedapati colony, Infront of G.D.A Office

Ph:- 9753002277 - 88

YH-241/2012

पारदर्शिता व दक्षता से सुशासन संभव

● कैलाश चंद्र पपनै

भ्रष्टाचार की समस्या नयी नहीं है परंतु भारत में यह इतने जोर-शोर से पहले कभी नहीं उठी। ऐसा भी नहीं है कि इस बीमारी के निदान के लिए कभी सोचा नहीं गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से गांधीजी के राम राज्य की अवधारणा व आज के युग तक शासन में सुधार व इसे भ्रष्टाचार मुक्त रखने के बारे में चिंताएं सामने आती रही हैं। बीमारी का पता था और उपचार भी सुझाए गए परंतु कहीं न कहीं इच्छाशक्ति का अभाव रहा और निजी स्वार्थों द्वारा पैदा की जाने वाली रुकावटें भी प्रभावी रहीं

बीते हुए साल में भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा तेज़ रही। समाजसेवी अन्ना हजारे के आंदोलनों से पैदा हुई गर्मी किसी न किसी रूप में कायम रही। सीएजी के खुलासों के बाद और अरविंद केजरीवाल के आरोपों के कारण भी भ्रष्टाचार पर किसी न किसी स्तर पर चर्चा जारी रही। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2012 की रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार के मामले में 176 देशों की सूची में भारत 94वें स्थान पर है। यह तुलना भ्रष्टाचार के बारे में एक आकलन सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित होती है। सबसे कम भ्रष्टाचार पीड़ित देशों में पहले स्थान वाले देश डेनमार्क के 90 अंक की तुलना में भारत के अंक 36 हैं जबकि भ्रष्टाचार की तलहटी पर स्थित देश सोमालिया का अंक मात्र आठ है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दुनिया के दो-तिहाई से अधिक देशों का अंक 50 से कम है। ज़ाहिर है कि भ्रष्टाचार एक विश्वव्यापी समस्या है परंतु यह भी मानना होगा कि विकसित देशों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के प्रभावी उपाय किए गए जो सफल भी रहे। आमतौर पर सरकारी ठेके देने, निजी कंपनियों को क़ारोबार की अनुमति देने और राजनीतिज्ञों द्वारा चुनावों के लिए धन जुटाने जैसे कामों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। आम आदमी को सरकारी एजेंसियों से नागरिक सुविधाएं लेने में जिस प्रकार की कृत्रिम अड़चनों का सामना करना पड़ता है वो प्राय: कुछ न कुछ धन ऐंठने के लिए पैदा की गई होती हैं। इस प्रकार से ऐंठा गया धन एक प्रकार से प्रत्यक्ष कर है जो सरकारी ख़ज़ाने में नहीं, कर्मचारियों की जेब में जाता है। इस प्रकार के तमाम भ्रष्टाचार से संसाधनों की बर्बादी होती है, भ्रष्टाचार करने वालों की जेब भरती है और समाज को इसका ख़ामियाज़ा भुगतना पड़ता है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि भ्रष्टाचार का सबसे ज़्यादा प्रतिकूल असर ग़रीबों पर ही पड़ता है।

भ्रष्टाचार की समस्या नयी नहीं है परंतु भारत में यह इतने जोर-शोर से पहले कभी नहीं उठी। ऐसा भी नहीं है कि इस बीमारी के निदान के लिए कभी सोचा नहीं गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से गांधीजी के राम राज्य की अवधारणा व आज के युग तक शासन में सुधार व इसे भ्रष्टाचार मुक्त रखने के बारे में चिंताएं सामने आती रही हैं। बीमारी का पता था और उपचार भी सुझाए गए परंतु कहीं न कहीं इच्छाशक्ति का अभाव रहा और निजी स्वार्थों द्वारा पैदा की जाने वाली रुकावटें भी प्रभावी रहीं। लिहाज़ा नतीजे सामने नहीं आए। लोकतांत्रिक देश होने के कारण भारत में फ़ैसले लेने की प्रक्रिया भी जटिल एवं समयसाध्य रही हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में दंड देने की न्यायिक प्रक्रिया भी लंबी व उबाऊ होने से धीरे-धीरे दोषियों के बच निकलने का रास्ता भी बनता रहता है। कुल मिला कर जन-मानस पर यह असर पड़ता है कि सरकारें भ्रष्टाचार निवारण के मामले में सुस्त हैं और बेहद उदासीन हैं। इससे निराशा बढ़ती है और जन असंतोष को बढ़ावा मिलता है। इसका एक नतीज़ा यह है कि भ्रष्टाचार राजनीति का एजेंडा बनता जाता है। परंतु राजनीतिक संस्कृति इस तरह की है कि जनता किसी को भी दूध धुला मानने को तैयार नहीं होती है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को राजनीतिक एजेंडे में उभारने के साथ ही अब तक किए गए उपायों को प्रभावी बना कर प्रशासन में सुधार के उपायों को तेज़ किया जाए। वास्तव में प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता लाना ही भ्रष्टाचार निवारण की कुंजी है। सरकार में बैठे प्रभावी लोगों के विवेकाधीन अधिकारों में कटौती करने से

भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। सरकारों से जुड़ी सेवाओं के लिए प्रक्रियाओं को सरल एवं स्पष्ट बनाया जाए ताकि विलंब और भ्रष्टाचार की संभावनाएं खत्म हों। तमाम प्रक्रियाओं से जुड़े फ़ैसले समयबद्ध हों और विलंब होने पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। कंप्यूटरीकरण को बढ़ावा देकर ई-शासन का मार्ग प्रशस्त किया जाए ताकि प्रशासन में दक्षता और पारदर्शिता का समावेश हो और किसी भी प्रकार की हेराफेरी की संभावना ख़त्म हो सके। प्रशासन में सुधार की ज़रूरतों को सरकार और उससे जुड़े निकायों ने स्वीकार किया है और सुशासन की ज़रूरत को भी स्वीकार किया गया है। विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत भी सुशासन की ज़रूरत को रेखांकित किया गया है। कई बार इन संगठनों की वित्तीय मदद के साथ प्रक्रियागत शर्तें भी लगी होती हैं ताकि दिए गए धन का दक्षता के साथ उपयोग हो और भ्रष्टाचार की संभावना ख़त्म हो सके।

भारत में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज़ों में शासन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार की ज़रूरत को रेखांकित किया गया ताकि समावेशी विकास, ग़रीबी में कमी और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विसंगतियों को कम करने के लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ा जा सके। यह समझना मुश्किल नहीं है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से विभिन्न स्तरों पर निष्पक्षता के साथ निर्वाचित सरकारों के गठन के संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करना भी सुशासन की अनिवार्य शर्त है। इसके अलावा जवाबदेही, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार उन्मूलन तथा जनता को प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण तरीक़े से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं सुलभ करवाना भी सुशासन का अभिन्न अंग है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सुशासन के लिए निर्धारित की गई रणनीति में निम्नलिखित बातें शामिल थीं:

- पंचायती राज संस्थाओं का विकेंद्रीकरण व सुदृढ़ीकरण।
- केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर कमियां दूर करना और इनमें ढांचागत सुधार लाना।
- जिला स्तर पर नियोजन को बढ़ावा देना।
- सामुदायिक एवं स्वैच्छिक संगठनों के बीच भागीदारी व परस्पर-सहयोग को बढ़ावा देना।
- धन या संसाधन लगाने पर ज़ोर देने के बजाय लगाए जाने वाले धन के उपयोग एवं अंततः उपलब्धियों पर ध्यान देना।
- निगरानी व मूल्यांकन तंत्र का सुदृढ़ीकरण।
- बेहतर नागरिक सुविधाओं को सुलभ करवाने के लिए ई-शासन को बढ़ावा देना।
- भ्रष्टाचार दूर करने के क़दम।
- नागरिकों की सेवा की दृष्टि से नौकरशाही में वांछित सुधार।
- नियामक एजेंसियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना व उनकी स्वायत्तता को बढ़ावा देना।
- पुलिस व न्यायपालिका में सुधार कर विधि के शासन को सुनिश्चित करना।

ग्यारहवीं योजना के क्रियान्वयन के दौरान इनमें से कुछ के अमल की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज़ की गई परंतु कुछ में ख़ास प्रगति नहीं हुई। इसमें संदेह नहीं है कि राशन कार्ड बनाने, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल करने, निवास प्रमाण-पत्र हासिल करने, भूमि का पट्टा हासिल करने व पासपोर्ट बनवाने जैसे कामों में लोगों को अड़चनों और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता रहा है। यह महसूस किया गया है कि ई-शासन के तहत कंप्यूटरीकरण के माध्यम से लोगों को कठिनाइयों से बचाया जा सकता है और भ्रष्टाचार-मुक्त सेवाएं दी जा सकती हैं। इन सेवाओं को सुलभ करवाने की समय-सीमा निर्धारित करने और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के कानूनी उपाय भी ज़रूरी समझे गए हैं। इनमें से कुछ मामलों में अच्छी प्रगति हुई है। कुछ अन्य सेवाओं को भी इसी दायरे में ला कर सुशासन की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।

ग्यारहवीं योजना पर अमल के दौरान सुशासन की दिशा में एक क़दम के रूप में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए 15 पहलुओं के बारे में की गई सिफ़ारिशों को शामिल किया जा सकता है। ये सिफ़ारिशें सूचना के अधिकार, शासन में नैतिकता, ई-शासन, मानव पूंजी को अवमुक्त करने, आपदा-प्रबंधन, आम व्यवस्था, स्थानीय शासन, आतंकवाद से निबटने, टकरावों से निबटने की क्षमता पैदा करने, नागरिक केंद्रित प्रशासन, भारत सरकार के प्रशासनिक ढांचे, वित्तीय प्रबंधन तथा राज्यों व जिलों के प्रशासन के क्षेत्र में सुधार के बारे में हैं। सरकार व इसके विभिन्न मंत्रालय इन सुधारों पर धीरे-धीरे अमल आरंभ कर प्रशासनिक सुधार कर सुशासन की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। इससे आम नागरिक के प्रति सरकार की जवाबदेही बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।

भले ही इंसान प्रौद्योगिकियां ईजाद करता है और इस्तेमाल करता है परंतु यह एक सीमा तक व्यक्ति निरपेक्ष होती है। इस दृष्टि से सूचना प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है। इसके इस्तेमाल से प्रशासन के अनेक क्षेत्रों में पारदर्शिता और दक्षता लाना संभव हुआ है और भ्रष्टाचार की संभावनाओं में कमी आई है।

सूचना के अधिकार के बढ़ते उपयोग ने सरकारी महकमों को चौकन्ना कर दिया है और भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया है। इस क्षेत्र में सक्रिय जन संगठनों और मीडिया की भूमिका ने सूचना के अधिकार को धारदार बनाया है। न्यायपालिका ने भी इस कानून के तहत सूचना देने के लिए अनेक क़दम उठाए हैं। इतना ही नहीं न्यायाधीशों द्वारा अपनी परिसंपत्तियों के बारे में सार्वजनिक रूप से ब्यौरे भी दिए गए हैं। इससे पारदर्शिता और सुशासन के बारे में नए मानदंड स्थापित करने में मदद मिली है।

अनेक क्षेत्रों में सुधार की दिशा में प्रगति के बावजूद कई क्षेत्र पीछे छूट गए हैं। योजना आयोग द्वारा ग्यारहवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा में इन क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के ढांचे में सुधार और स्थानीय स्तर पर संसाधनों के तेज़ी से हस्तांतरण की ज़रूरत बनी हुई है। भूमि संबंधी मामलों में राहत और पुनर्वास की प्रक्रिया में तेज़ी लाने की ज़रूरत बनी हुई है। इसके बिना विकास योजनाओं के लिए ज़मीन उपलब्ध करवाने तथा पुनर्वास की पुख़्ता व्यवस्था करने के उद्देश्यों को हासिल करना मुश्किल होता है। प्रभावी तरीक़ों से सेवाएं सुलभ करवाने के लिए स्मार्ट कार्ड बनाने की योजना पर अमल धीमा है। नये आधार कार्ड बनने से इस काम में कुछ तेज़ी आने की उम्मीद की जा सकती है। नागरिकों

को दक्षता के साथ सेवाएं सुलभ करवाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए उन क्षेत्रों में भी प्रक्रियाओं को सरल और दक्षतापूर्ण बनाने की आवश्यकता बनी हुई है जहां ई-शासन की पहुंच नहीं है। नौकरशाही और न्यायपालिका के क्षेत्र में सुधारों की प्रक्रिया में तेज़ी लाने की ज़रूरत बनी हुई है।

यह स्वीकार किया जाता है कि सुशासन के मार्ग की एक रुकावट भ्रष्टाचार है जिससे संसाधनों की बर्बादी होती है। अब तक उठाए गए क़दमों के बावजूद भ्रष्टाचार में कमी नहीं आई है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टि पत्र में भ्रष्टाचार की समस्या को रेखांकित करते हुए कहा गया है कि भ्रष्टाचार कई रूपों में सामने आता है जिससे शासन की गुणवत्ता के बारे में जनता के विश्वास में कमी आती है। सामान्य रूप से मिलने वाली अनुमतियों के लिए छोटे स्तर के भ्रष्टाचार से लेकर बड़े ठेकों से जुड़ी दोषपूर्ण प्रक्रियाओं के चलते बड़े पैमाने पर होने वाले भ्रष्टाचार और विवेकाधीन अधिकारों के कारण होने वाले भ्रष्टाचार तक नाना रूपों में भ्रष्टाचार के दर्शन होते हैं। ये समस्याएं सिर्फ़ भारत में ही नहीं हैं और न ही ये हाल ही में पैदा हुई हैं। नयी बात यह है कि अब लोग भ्रष्टाचार को एक सर्वव्यापी समस्या के रूप मे स्वीकार करने लगे हैं। जागरुकता बढ़ने और सूचना के अधिकार जैसे कानूनों के कारण पारदर्शिता बढ़ने और मीडिया के चौकन्ने रहने से जनचेतना में भ्रष्टाचार का मुद्दा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता गया है। कारण जो भी हो इस बारे में दो राय नहीं हो सकती है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस समस्या की तरफ विशेष रूप से ध्यान देना होगा। दृष्टि पत्र में इस अवधारणा का खंडन किया गया है कि आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के कारण भ्रष्टाचार पैदा हुआ है। इसके विपरीत इसमें कहा गया है कि औद्योगिक लाइसेंस और आयात लाइसेंसों की प्रथा को ख़त्म करने जैसे उदारतावादी क़दमों से भ्रष्टाचार में कमी आई है परंतु आर्थिक विकास में तेज़ी के कारण भूमि, खनिज संपदा और स्पैक्ट्रम जैसे दुर्लभ संसाधनों की मांग बढ़ी है। इनमें विवेकाधीन अधिकारों का अपारदर्शिता के साथ इस्तेमाल किए जाने से भ्रष्टाचार में वृद्धि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। वास्तव में इन क्षेत्रों में ऐसे सुधारों को लाने की ज़रूरत है जिनसे भ्रष्टाचार की संभावनाएं समाप्त हों। भ्रष्टाचार के कारण लोगों को न केवल परेशानियों का सामना करना पड़ता है वरन इससे लागत में भी वृद्धि होती है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अनेक स्तरों पर निबटने की आवश्यकता है। जहां प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर दक्षता और पारदर्शिता लाने की ज़रूरत है वहीं प्रशासनिक स्तर पर सुधार कर प्रक्रियाओं को सरल बनाने, फ़ैसले लेने में तेज़ी और जवाबदेही को सुनिश्चित करने की दरकार है। राजनीतिक स्तर पर भी इच्छाशक्ति व संकल्प की ज़रूरत है ताकि भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर स्वीकार न किया जाए तथा दोषियों को दंडित किया जाए। फिलहाल भारत में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जनमत जाग्रत है और सरकार अगर समय रहते लोकायुक्तों की नियुक्ति के साथ ही अन्य संस्थागत एवं बुनियादी सुधारों की दिशा में आगे बढ़ें तो तस्वीर बदल सकती है। भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन और शीघ्र न्याय को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है।

भारत में कई चिंतकों ने चुनाव प्रणाली को भ्रष्टाचार की जननी बताया है। महंगे चुनाव लड़कर सत्ता में आने वाले राजनीतिज्ञों की प्राथमिकता किसी भी तरह से धन अर्जित करके अपने पैसे वसूल करने और आने वाले चुनावों के लिए धन संग्रह और पार्टी की आर्थिक ताक़त बढ़ाने की होती है। इससे निबटने के लिए चुनाव सुधारों को उच्च प्राथमिकता देना आवश्यक होगा। इसमें संदेह नहीं है कि भारत के निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष चुनावों का आयोजन करने में अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित की है। अब ऐसे चुनावों को संभव बनाने की ज़रूरत है जिसमें संसाधनों से वंचित आदमी भी आम चुनाव की प्रक्रिया का हिस्सा बन सके। चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और आदर्श चुनाव संहिता को और पुख़्ता बनाने की ज़रूरत है। इस दिशा में प्रस्ताव विचाराधीन रहे हैं परंतु ठोस क़दम अपेक्षित हैं।

आर्थिक उदारीकरण के साथ सेवा के अनेक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भूमिका का विस्तार हुआ है और इसके साथ ही उन पर नियंत्रण रखने व नियमन की ज़रूरत भी पैदा हुई है। इस काम को कुछ नियामक एजेंसियों व प्राधिकरणों को सौंपा गया है। इन्हें स्वायत्त व सुदृढ़ बनाने तथा इसके प्रभावी नियंत्रण का ख़ास महत्व है। इसके अभाव में मनमानी व भ्रष्ट आचरण की संभावना बनी रहती है। आम लोगों को उनसे जुड़ी हर सेवा के लिए बिना अड़चन के सेवाएं मिलनी चाहिए। इसके साथ ही सेवाओं का मूल्य भी तर्क़संगत होना चाहिए। यह सुशासन की एक शर्त समझी जानी चाहिए। सेवाओं को तत्परता के साथ उचित क़ीमत पर सुलभ करवाने के मामले में जवाबदेही का निर्धारण भी साफ़ तौर पर होना चाहिए।

भ्रष्टाचार से मुक्त शासन देने के लिए सरकार से जुड़े लोगों में यह अहसास पैदा करना आवश्यक है कि वे शासक नहीं, आम लोगों के सेवक हैं। उनकी जिम्मेदारी बड़ी है। जब सत्ता का अहंकार होता है तो आमजन की उपेक्षा होती है और हर स्तर पर भ्रष्टाचार का रास्ता खुल जाता है। लिहाज़ा यह देखना होगा कि सरकार, प्रशासन और नौकरशाही के तौर-तरीक़ों में सुधार के सतत प्रयास किए जाएं। प्रशासनिक सुधार आयोग तथा अन्य निकायों द्वारा इस बारे में की गई सिफ़ारिशों व अपेक्षाओं का पालन होना चाहिए। बुनियादी तौर पर सुशासन के मानदंडों का पालन होना चाहिए। यदि यह हुआ तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना संभव होगा। जो देश भ्रष्टाचार की दृष्टि से अन्य की अपेक्षा बेहतर माने गए हैं वहां भी बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल की 2012 की रिपोर्ट में सबसे बेहतर माने गए देशों- डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड में भी भ्रष्टाचार सूचकांक 90 के स्तर पर है। इसके बाद जिन देशों– स्वीडन, सिंगापुर और स्विट्ज़रलैंड आदि का स्थान है वे भी 88, 87 व 86 के सूचकांक पर हैं। ज़ाहिर है कि इन देशों में भी किसी सीमा तक भ्रष्टाचार की समस्या है। परंतु यह तथ्य भारत के लिए कतई संतोष की बात नहीं हो सकती है। भारत को भ्रष्टाचार की गर्त से निकल कर सुशासन वाले देश के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए सतत प्रयास करने होंगे। निश्चय ही किसी जादू की छड़ी से भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता है। ❑

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।
ई-मेल : kailash.papnai@gmail.com)

AN ISO 9001:2008 CERTIFIED INSTITUTE

There is no holiday in moral life.

सामान्य अध्ययन एवं सीसैट
(हिन्दी माध्यम)

अतुल लोहिया एवं विशेषज्ञ समूह

टेस्ट सीरिज सामान्य अध्ययन एवं सीसैट

नया बैच : 20 जनवरी

प्रारंभिक परीक्षा विशेष

प्रारंभ 27 जनवरी एवं 10 फरवरी

लोक प्रशासन
(हिन्दी माध्यम)

By **Atul Lohiya**

New Batch

30 May (Morning) & 13 June (Evening)

पत्राचार पाठ्यक्रम भी उपलब्ध

द हिन्दू, द इंडियन एक्सप्रेस, फ्रंटलाइन, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, आदि की परीक्षा उपयोगी एवं सारगर्भित सामग्री के अनुवाद तथा संकलन पर आधारित मासिक पत्रिकाएं

लोक प्रशासन
वर्तमान और भविष्य के लिए एकमात्र सुरक्षित विषय

Admission Open

'अतुल लोहिया'
शिक्षक; मार्गदर्शक और मित्र भी

"PRABHA"
AN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION

HEAD OFFICE : 105, VIRAT BHAWAN (MTNL BLDG.), NEAR BATRA CINEMA, MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009.
CLASS ROOM : 702, ABOVE MEERUT WALE SWEETS, MAIN ROAD MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009.
Phone : 27653498, 27655134. Cell.: 9810651005, 8010282492

YH-239/2012

सुशासन की अवधारणा

● अवधेश कुमार

सुशासन शब्द से ही उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है इसलिए इसका अलग से बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं। किंतु यह अर्थ नहीं कि सुशासन की कल्पना में भी एकरूपता है। यह आवश्यक नहीं कि सुशासन की जो कल्पना हमारी हो वही दूसरे की भी हो। इसी तरह एक देश या राज्य के लिए सुशासन के सारे अभिकरण दूसरे देश या राज्य के लिए उसी रूप में उपयुक्त हों, यह आवश्यक नहीं है। हां, उसकी मूल कल्पना यानी शत-प्रतिशत लोकहित को समर्पित और लोगों के साथ अपनत्व का भाव पैदा करने वाली जो भी राज्य व्यवस्था होगी वह सुशासन की श्रेणी में आएगी। सामान्यत: यह अंग्रेज़ी के 'गुड गवर्नेंस' शब्द के हिंदी रूपांतर के रूप में प्रयुक्त होता है। यह शब्द वर्तमान लोकतंत्र के साथ अभिन्न है। हम जिस वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं वह अंग्रेज़ी के 'डेमोक्रेसी' शब्द का हिंदी रूपांतर है और इसका उद्भव भी पश्चिम के देश हैं, इसलिए हम इस लोकतंत्र के साथ उनसे जुड़े दूसरे शब्द भी उसी अनुरूप लेते हैं। इस समय सुशासन की ज़्यादातर अवधारणाएं और विचार विश्व के पश्चिमी विकसित देशों को आदर्श बनाकर पेश करती हैं। उनका राजनीतिक ढांचा, आर्थिक विकास, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उनका व्यवहार, उनके मानवाधिकार, उनकी न्याय प्रणाली, पुलिस व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य ढांचे आदि सुशासन के आदर्श हैं जिनका अनुकरण करके हमें भी अपने देश या राज्य को उसी तरह बनाना है। ऐसा करने में हम जितने सफल होंगे, सुशासन के मापदंड पर भी हम उतने ही सफल माने जाएंगे। आज का सच यही है कि पूरी दुनिया के लिए सुशासन के उपर्युक्त मॉडल सर्वस्वीकृत हैं और ज़्यादातर देश उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने भी सुशासन की कल्पना दी है यानी- लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, आधुनिक शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य, ग़रीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों, बच्चों, वृद्धों और महिलाओं की संरक्षा, मानवाधिकार, श्रम के नियम, व्यापार के नियम, न्याय प्रणाली आदि सारे मॉडल उन देशों द्वारा ही तैयार किए गए हैं।

इनमें निस्संदेह सुशासन के जन कल्याण के तत्व हैं, पर वे पूर्ण हैं, आदर्श हैं ऐसा मानना उचित नहीं होगा। वैसे यह भी सच है वर्तमान लोकतंत्र के आने से पूर्व तत्कालीन परिस्थितियों और समाज व्यवस्था के अनुरूप विश्व एवं भारत के न जाने कितने चिंतकों, मनीषियों, राजनेताओं ने सुशासन के बारे में गहन विचार किया। यूनान के दार्शनिक प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य, राजा, न्याय व्यवस्था आदि का विस्तृत वर्णन किया है। अरस्तु के चिंतन में राज्य, संविधान, कानून, शासक, नागरिक आदि का उस समय के संदर्भ में विशद वर्णन है। अरस्तु की कुछ पंक्तियों पर नज़र दौड़ाइए–'राज्य कुलों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है।' 'राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ और सद्जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है।' 'राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, अत: इसका कार्य बुरे कामों अथवा अपराधों को रोकना नहीं, वरन मानव को नैतिकता और सद्गुणों के मार्ग पर आगे बढ़ाना है।' आज के संदर्भ में प्लेटो एवं अरस्तु के राज्य और शासन संबंधी विचारों की आलोचना होती है, लेकिन सुशासन की दृष्टि से उनके दर्शन के अनेक पहलुओं की प्रासंगिकता हर काल में बनी रहेगी। इसके बाद हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल एक लंबी शृंखला उन विचारकों और नेताओं की है जिन्होंने अपनी दृष्टि से और तत्कालीन स्थान, समय और परिस्थितियों के अनुसार सुशासन की कल्पना की है। लेकिन हमें यह सच स्वीकार करना होगा कि सुशासन का जितना गहरा और विशद विचार भारतीय मनीषियों ने किया उतना दुनिया में कहीं नहीं हुआ। अलग-अलग प्रश्नों के उत्तर में राज्य, राजा, प्रजा, अधिकारी सबके कर्तव्यों का जो वर्णन है वही वस्तुत: सुशासन है। उदाहरण के लिए *वाल्मिकी रामायण* के कुछ विवेचनाओं को देखिए–चौदह वर्ष वनवास न जाने की सलाह पर श्रीराम कहते हैं, *सत्यमेवानृशंसं च राजवृत्तं सनातनम्। तस्मात् सत्यात्मकं राज्यं सत्ये लोक:*

प्रतिष्ठित:।। अर्थात् हिंसारहित सत्य ही राजा का सनातन धर्म है। राज्य सत्यात्मक है, सत्य में ही जगत प्रतिष्ठित है। यानी राज्य सत्य के साथ कभी समझौता न करे और सत्य के प्रतिपालन में हिंसा भी न हो। राज्य का अगर सत्य के साथ आत्मियता नहीं है और वह हिंसक है तो फिर वह सुशासन नहीं हो सकता। सुशासन की इससे श्रेष्ठ अवधारणा क्या हो सकती है। महाभारत के शांतिपर्व में भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं कि 'धर्मानुवर्ती राजा का यह कर्तव्य है कि वह अपना प्रिय परित्याग कर वही करे जिससे लोकहित हो।' यानी जिनके जिम्मे शासन की, जनता के लिए निर्णय करने की जिम्मेदारी है उनके एक-एक क़दम, एक-एक निर्णय का लक्ष्य केवल लोकहित ही होना चाहिए। उसमें हमारा कोई प्रिय है, अपना है अथवा उसका हित या अहित नहीं। सामाजिक न्याय या वर्तमान शासन के तीनों अंगों– कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की निष्पक्षता के लिए इससे बड़ा मापदंड और कुछ हो सकता है क्या? शांतिपर्व में ही भीष्म युधिष्ठिर को यह भी कहते हैं कि राजा बिना युद्ध के विजय प्राप्त करे। युद्ध से विजय प्राप्त करना उचित नहीं। इस तरह हिंसा से राज्य को मुक्त रखने यानी सत्य और शांति के आधार पर जो शासन हो वही भारतीय अवधारणा में सुशासन कहा जाएगा।

वेदों में कई प्रकार की राज व्यवस्था का वर्णन है *अथर्ववेद* में कहा गया है– *विराड् वा इदमग्र आसीत।* यानी ऐसा राज जहां राजा या कोई शासक नहीं हो। सारी जनता स्वयं अपना प्रबंधन करती हो उसे वैराज्य कहते थे। ज़रा सोचिए, क्या हम आज ऐसे सुशासन की कल्पना कर सकते हैं जहां शासक नहीं बल्कि स्वयं जनता समस्त प्रबंधन करती हो। गांधीजी ने स्वराज्य को वैदिक शब्द और अवधारणा यूं ही नहीं कहा। स्वराज्य शासन का सविस्तार वर्णन *ऋग्वेद* में ही है। लिखा है, *व्यचिष्टे बहुपाच्ये स्वराज्ये आ यतेमहि।* यानी बहुतों द्वारा जिसका पालन होता है, ऐसे स्वराज्य शासन में हम जनता की भलाई के लिए यत्न करते रहेंगे। इसका अर्थ बड़ा व्यापक है। ऐसा शासन जो विस्तृत, व्यापक हो और जिसमें संकुचित भाव नहीं हो। दूसरे शब्दों में जो शासन जनता के प्रत्येक मनुष्य को सुख देने का प्रयत्न करता है, जो संकुचित नहीं है यानी अपना, अपने परिवार, रिश्तेदार, जाति, समर्थक और यहां तक कि अपने समान विचार वाले के लिए भी पक्षपात नहीं करता है, सभी मनुष्य में एक ही तत्व की भावना से जो व्यवहार करता है वही असंकुचित, व्यापक भाव है। तो वैदिक स्वराज्य में सुशासन का अर्थ संकुचित भाव से रहित एवं बहुसम्मत से राज्य व्यवस्था संचालित करने वाला शासन है।

वास्तव में भारतीय परंपरा में सुशासन की अवधारणा की प्रमुख विशेषता यही रही है कि यहां जिनके हाथों में शासन संचालन की जिम्मेदारी है उनकी पात्रता पर सर्वाधिक विचार किया जाता है। शासन संचालन करने की पात्रता के साथ ही सुशासन का उल्लेख भी होता है। वास्तव में सुशासन का सिद्धांत कितना भी विस्तृत हो उसे साकार तो उन्हें ही करना है जिनके हाथों में यह दायित्व है। इसलिए उनका सुपात्र होना अनिवार्य है। ऐसे सुपात्र व्यक्तियों का समूह ही सुशासन की कल्पना कर सकता है और उसे साकार करने का निष्ठापूर्वक प्रयत्न कर सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि शासन की अवधारणा चाहे जितनी अच्छी हो, अगर शासन संचालन सक्षम व्यक्तियों के हाथों में नहीं है तो वहां सुशासन कभी साकार हो ही नहीं सकता, वहां जो होगा वह कुशासन ही होगा। ऐसे असंख्य उदाहरण हमारे वांगमय में भरे पड़े हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से सुशासन के दस निर्देशक तत्व प्राप्त होते हैं। कौटिल्य के अनुसार 'राजा राज्य का सेवक है जिसकी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती।' वे कहते हैं, 'राजा का दिल ही प्रजा का शील है। राजा या राज्य के अधिकारी जैसे होंगे प्रजा भी वैसी ही होगी।' इसलिए वे राजा की योग्यता से लेकर अधिकारियों की नियुक्ति तक का विस्तृत मापदंड पेश करते हैं। इन सबका उद्देश्य राज्य को न्यायपालक एवं सर्वकल्याणकारी बनाना है यही तो सुशासन है।

भारत ने 26 जनवरी, 1950 को संविधान अंगीकार करते हुए *सत्यमेव जयते* शब्द यों ही नहीं अपनाया। उसके पीछे की कल्पना वही थी कि राज्य यानी शासन हमेशा सत्य के अनुपालन और उस पर विजय प्राप्त करने के लिए ही काम करती रहेगी। स्वतंत्रता के बाद जिनके हाथों भारत के पुनर्निर्माण का अवसर आया उनसे हमारी-आपकी कई मामलों में असहमति हो सकती है, पर वे भारतीय परंपरा में राज्य की, शासन की क्या भूमिका होनी चाहिए और सुशासन क्या होगा इसे अच्छी तरह से समझते थे। आधुनिक भारतीय नेताओं और विचारकों में महात्मा गांधी को सुशासन संबंधी भारतीय परंपरा की सोच का वारिस कहा जा सकता है। अलग-अलग समयों और प्रसंगों में स्वराज्य के संबंध में उन्होंने जो विचार व्यक्त किए, दरअसल वही सुशासन का दर्शन है। उनके कुछ विचारों को देखिए– 'स्वराज्य से मेरा अभिप्राय है लोकसम्मति के अनुसार होने वाला भारतवर्ष का शासन। लोकसम्मति का निश्चय देश के बालिग लोगों के मत के ज़रिये हो, फिर वे चाहें स्त्रियां हों या पुरुष, इसी देश के हों या इस देश में आकर बस गए हों- वे लोग ऐसे हों जिन्होंने अपने शारीरिक श्रम के द्वारा राज्य की कुछ सेवा की हो। सच्चा स्वराज्य थोड़े लोगों द्वारा सत्ता प्राप्त कर लेने से ही नहीं, बल्कि जब सत्ता का दुरुपयोग होता हो तब सभी लोगों के द्वारा उसका प्रतिकार करने की क्षमता प्राप्त करके हासिल किया जा सकता है। यदि स्वराज्य मिल जाने पर जनता अपने जीवन की हर छोटी बात के नियमन के लिए सरकार का मुंह ताकना शुरू कर दें तो यह स्वराज्य किसी काम का नहीं होगा। हमारे सपनों के स्वराज्य में जाति या धर्म के भेदों को कोई स्थान नहीं होगा। वह स्वराज्य सबके लिए सबके कल्याण के लिए होगा। सबकी गिनती में किसान तो आते ही हैं, किंतु लूले, लंगड़े, अंधे और भूख से मरने वाले लाखों-करोड़ों मेहनतकश मज़दूर भी आते हैं। मेरे सपनों का स्वराज्य तो ग़रीबों का स्वराज्य होगा। जीवन की जिन आवश्यकताओं का उपभोग राजा और अमीर करते हैं, वहीं तुम्हें भी सुलभ होनी चाहिए, इसमें फर्क़ के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। इसका यह अर्थ नहीं कि हमारे पास उनके जैसे महल होने चाहिए। लेकिन तुम्हें जीवन की वे सामान्य सुविधाएं अवश्य मिलनी चाहिए, जिनका उपभोग अमीर आदमी करता है। मुझे इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि हमारा स्वराज्य तब तक पूर्ण स्वराज्य नहीं होगा, जब तक वह तुम्हें ये सारी सुविधाएं देने की पूरी व्यवस्था नहीं कर देता।' किसी सुशासन का स्वरूप ऐसा ही हो सकता है।

(शेषांश पृष्ठ 68 पर)

गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां

- **गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां किसे कहते हैं?**

गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति (एनपीए) का तात्पर्य ऐसे ऋण से है जिसमें बैंक को विस्तारित समयावधि के लिए ब्याज अथवा मूल धन वापस नहीं मिलता। इस तरह ऋण देने वाली संस्था को इन कर्ज़ों से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। इन कर्ज़ों को नॉन परफॉर्मिंग असेट (एनपीए) की श्रेणी में रखा जाता है। हम कह सकते हैं कि एनपीए का अर्थ ऐसे कर्ज़ से है, जिसमें भुगतान न होने का ज़ोखिम रहता है।

कोई भी ऋण जिसकी किस्त निरंतर तीन महीने तक बैंक या वित्तीय सहायता देने वाले संस्थान को अदा नहीं की जाती, उसे एनपीए की श्रेणी में डाल दिया जाता है, और बैंक उसे अपने खातों में एनपीए के रूप में दर्ज़ कर लेता है। अगर कोई संपत्ति 12 महीने या उससे कम समय तक गैर निष्पादनकारी बनी रहती है, तो उस परिसंपत्ति को उप मानक परिसंपत्ति का दर्ज़ा दिया जाता है, और ऐसी परिसंपत्तियों को प्रावधानीकरण में रखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि बैंक ऐसी परिसंपत्तियों के धन को अलग कर देते हैं, ताकि संभावित नुक़सान को कवर किया जा सके। अगर कोई परिसंपत्ति लगातार 12 महीनों तक गैर निष्पादनकारी या कार्यविहीन बनी रहती है तो इसे संदेहजनक परिसंपत्ति के खाते में डाल दिया जाता है, जिसके लिए 25 से 100 प्रतिशत तक अस्थायी (प्रॉविजनिंग) व्यवस्था की आवश्यकता होती है। अगर किसी परिसंपत्ति को संग्रहविहीन परिसंपत्ति के रूप में चिह्नित किया जाता है, तो ऐसी परिसंपत्ति को हानिकारक परिसंपत्ति के रूप में चिह्नित किया जाता है। ऐसी परिसंपत्ति को 100 प्रतिशत तक प्रावधानीकरण की ज़रूरत होती है, और इन्हें समाप्त कर दिए जाने की आवश्यकता होती है। एनपीए अपनी संस्था पर बोझ होता है, और अक्सर संस्था की स्थिति बताने वाला अच्छा सूचक साबित होता है।

- **अंकीय हस्ताक्षर से क्या तात्पर्य है?**

हस्तलिखित हस्ताक्षर का अंकीय अथवा डिजिटल स्वरूप ही डिजिटल हस्ताक्षर कहलाता है। जिस तरह कागज़ी दस्तावेज़ हस्तलिखित हस्ताक्षर से प्रमाणित किए जाते हैं, डिजिटल संसार में ठीक उसी तरह डिजिटल हस्ताक्षर दस्तावेज़ के स्वामी की पहचान को प्रमाणित करते हैं। यह न केवल दस्तावेज़ के प्रेषक का ब्योरा सुनिश्चित करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि दस्तावेज़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। अंकीय हस्ताक्षर एक प्रकार की मोहर होते हैं, जिनकी नकल या उसकी धोखाधड़ी करना बहुत मुश्किल होता है। सूचना एवं तकनीकी कानून, 2000 में अपेक्षा की जाती है, कि इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से दाखिल किए गए सभी प्रकार के दस्तावेज़ों की सुरक्षा और प्रामाणिकता के लिए डिजिटल हस्ताक्षरों का प्रयोग किया जाए।

डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) को सर्टिफिकेशन एजेंसी के माध्यम से खरीदा जा सकता है, जो सीसीए अर्थात कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज से अनुमोदित होता है। वर्तमान में एमटीएनएल सीए, टीसीएस, आईडीबीआरटी, सेफ्टीक्रिप्ट (सत्यम), एनकोड सोल्यूशंस, एनआईसी और ई-मुद्रा भारत में लोगों के लिए अधिकृत प्रमाणन एजेंसियां हैं। आमतौर पर डीएससी की वैधता एक या दो वर्ष की होती है। सामान्य तौर पर सीए एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जारी करने में 3 से 7 दिन का समय लेता है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अदालत में संवैधानिक रूप से मान्य होता है। डीएससी की क़ीमत, उस वैध अवधि पर निर्भर करती है, जिस अवधि के लिए इसे ख़रीदा गया है। वैसे इसका मूल्य बिक्री करने वाली उस एजेंसी पर भी निर्भर करता है, जहां से इसे ख़रीदा गया है। लेकिन यह ज्यादा क़ीमती नहीं होता और इसका मूल्य कुछ सौ रुपये से लेकर डेढ़ हज़ार रुपये तक ही होता है।

हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र दो वर्गों में विभाजित किए गए हैं :

पहला, किसी व्यक्ति की पहचान एक विश्वसनीय, पूर्व प्रमाणित डाटाबेस के आधार पर होती है।

दूसरा, यह डीएससी का उच्चतम स्तर होता है। इस प्रमाणन में व्यक्ति या व्यक्तियों को अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी (आरए) के समक्ष स्वयं उपस्थित होना पड़ता है।

- **पैन डीकोडेड का क्या अर्थ है?**

परमानेंट अकाउंट नंबर अर्थात पैन नंबर दस अंकों वाला एक अल्फा न्यूमेरिकल यानी अक्षर-अंकीय नंबर होता है, जो आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। पैन नं. आवंटित करने का उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था के वित्तीय लेन-देन को आयकर विभाग से संबद्ध करना होता है। पैन सुविधा विभिन्न दस्तावेज़ों, जैसे- आयकर रिटर्न, टैक्स डिडक्शन ऐट

(शेषांश पृष्ठ 72 पर)

TM

Classic IAS ACADEMY

SHAPING TALENT

20% रियायत
अनुसुचित जाति, जनजाति एवं विकलांग

15% रियायत
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), ग्रामीण क्षेत्र एवं अल्पसंख्यक छात्र

10% रियायत
शहरी गरीब छात्र

हमारे द्वारा योग्य, पिछड़े और ई.डब्लयू.एस. छात्रों के लिए शुल्क रियायतों के खुलेआम विज्ञापन से इस क्षेत्र में क्रांति हुई है। कोई अन्य संस्थान ये शुल्क रियायतें समाज के इन वर्गों को नहीं दे रहा। 100% शुल्क रियायतें पहले से ही विभिन्न योग्य छात्रों को दिया जा चुका है। हम आश्वस्त हैं कि हमारी गुणवत्ता की पहचान कोई भी कर सकता है।

दिल्ली के सबसे उत्कर्ष्ट एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन। निःशुल्क ट्रायल क्लास की व्यवस्था।

सामान्य अध्ययन, **CSAT**

वैकल्पिक विषय : भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र एवं लोक प्रशासन

पत्राचार पाठ्यक्रम उपलब्ध

UG-33 & 34, Ansal Chamber-I, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110066
Ph. : 32323293, 32323294 Mob. : 9310034050, 9310034060
Web : www.classiciasacademy.com Email: enquiry@classiciasacademy.com,

हॉस्टल सुविधा उपलब्ध

YH-240/2012

जन आकांक्षाओं पर खरा उतरता सूचना का अधिकार कानून

● मनीष कुमार चौबे

किसी भी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में शासन व प्रशासन के कार्यों में जवाबदेही व पारदर्शिता की अपेक्षा जन समुदाय द्वारा की जाती है इसी कारण लोकतंत्र में सरकार की नीतियां एवं उनके लेखा-जोखा में खुलेपन की मांग एक लंबे समय से बुद्धिजीवियों द्वारा की जाती रही है। सूचना का अधिकार कानून बुद्धिजीवियों की इसी मांग की एक प्रमुख कड़ी है। भारतीय लोकतंत्र जिसे संपूर्ण विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाले देश का दर्ज़ा प्राप्त है, वहां के लोगों को सूचना के अधिकार के लिए अपनी मांग प्रभावी रूप से शासन व्यवस्था के समक्ष रखना एक स्वभाविक क़दम है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय नागरिकों को भारतीय संविधान के भाग तीन में अनेक प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 (1)क में प्रदत्त किया गया है। सूचना के अधिकार को संवैधानिक मान्यता भारतीय संविधान के इसी अनुच्छेद से प्राप्त होती है। भारतीय न्यायपालिका ने सूचना के अधिकार को भारतीय विधि व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है यद्यपि भारतीय संविधान में कहीं पर भी सूचना के अधिकार जैसी पदावली का प्रयोग नहीं किया गया है परंतु लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के एक प्रमुख स्तंभ- न्यायपालिका ने संविधान के अनुच्छेद 19 (1)क की व्याख्या कर यह स्पष्ट किया कि जानने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1)क के अंतर्गत सम्मिलित है। वास्तव में किसी भी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की मूल अवधारणा यह है कि नागरिकों की सहमति के आधार पर शासन होना चाहिए। यह सहमति स्वतंत्र एवं स्वभाविक होने के साथ ही विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं और विचार-विमर्श पर आधारित होना चाहिए। स्वस्थ विचार-विमर्श की प्रक्रिया तब तक अपने उद्देश्यों को चरितार्थ नहीं कर सकती जब तक कि उसके पास पर्याप्त विश्वसनीय सूचनाएं न हो। सुशासन एवं स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण सूचना के अधिकार कानून के बिना अधूरा था। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है जब तक कि वे उस विषय में पर्याप्त व विश्वसनीय सूचना को न जाने, इसी कारण सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 में अंतर्निहित है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का यह अभिमत कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में लोग मालिक हैं, इसलिए लोगों को यह जानने का अधिकार है कि सरकारें जो उनकी सेवा के लिए हैं, क्या कर रही हैं? देश का प्रत्येक नागरिक विभिन्न तरह के कर देता है। यहां तक कि गली में भीख मांगने वाला भिखारी भी कर देता है। वह इस प्रकार कि जब वह बाज़ार से साबुन, तेल आदि सामान ख़रीदता है तो वह बिक्री कर या उत्पाद कर आदि के रूप में कर का भुगतान करता है अत: नागरिकों के पास यह जानने का पूरा अधिकार है कि उनका धन किस प्रकार ख़र्च हो रहा है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उचित प्रयोग विश्वसनीय सूचनाओं की प्राप्ति पर निर्भर होता है, यदि ऐसी विश्वसनीय सूचनाएं मिलती रहें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के चार विशेष उद्देश्यों की पूर्ति होती है। पहला, यह व्यक्ति की आत्मोन्नति में सहायक है, दूसरा, सत्य की खोज में सहायक है, तीसरा, यह व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को मज़बूत करता है और चौथे में यह स्थिरता और सामाजिक परिवर्तन में युक्तियुक्त सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है।

भारतीय न्यायालयों ने सूचनाओं के आदान-प्रदान की प्रक्रिया को सार्वभौमिक मान्यता ही नहीं दी है, अपितु इसे लोकतंत्र के एक आधार स्तंभ के रूप में स्वीकार भी किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 भी सूचना के अधिकार के सार्वभौमिकरण पर बल देती है। धारा 4 के अनुसार सभी लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को इस प्रकार सम्यक् रूप से सूचिपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध रूप में रखेंगे, जो इस सूचना के अधिकार अधिनियम को सुगम बनाता है, और ऐसे सभी अभिलेखों,

जो कंप्यूटरीकृत किए जाने योग्य हैं, को उचित समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए कंप्यूटरीकृत करेंगे। साथ ही अधिनियम के लागू होने के 120 दिनों के भीतर धारा 4 (i) (बी) के अंतर्गत प्रावधानित व्यवस्था के तहत सूचनाओं को अग्रसारित एवं प्रकटीकरण करते हुए उन्हें प्रत्येक वर्ष अद्यतन करेंगे और विभिन्न माध्यमों जैसे- इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया, नोटिसबोर्ड, जन सूचना वेबसाइट आदि के माध्यम से क्षेत्रीय भाषा और संचार माध्यमों की अधिकाधिक रूप में प्रकट करने योग्य सूचना सार्वजनिक क्षेत्र में रखी जाएं ताकि नागरिकों को सूचना प्राप्ति के लिए आवेदन-पत्र देने की न्यूनतम आवश्यकता पड़े।

सूचना के अधिकार से तात्पर्य सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन योग्य सूचना प्राप्त करने से है जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा उसके नियंत्रण क्षेत्र से प्राप्त किया जा सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्रदान करता है कि वो सरकार से कुछ भी पूछे या कोई भी सूचना मांग सके, किसी सरकारी निर्णय की प्रति ले सके, किसी भी सरकारी दस्तावेज़ का निरीक्षण कर सके एवं किसी भी सरकारी कार्य का निरीक्षण कर सके, किसी भी सरकारी कार्य के पदार्थों के नमूने ले सकें। भारत वर्ष में सूचना का अधिकार अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल रहा है।

रेखाचित्र-1

सूचना प्राप्ति हेतु आवेदनों की कुल संख्या (वर्षवार)

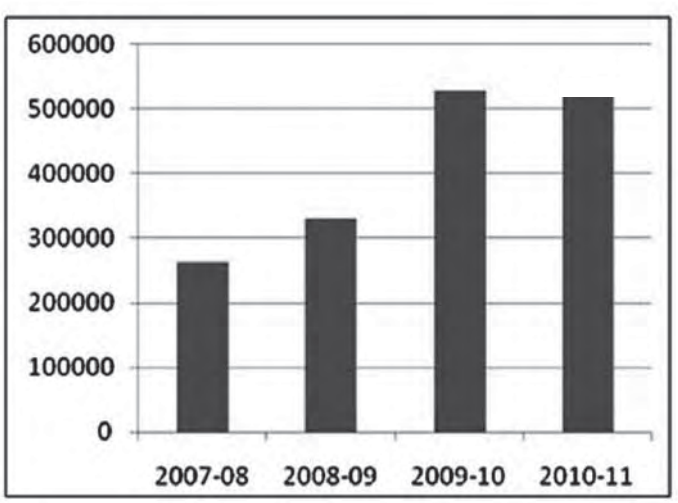

स्रोत : केंद्रीय सूचना आयोग की रिपोर्ट (वर्ष 2011) पर आधारित

रेखाचित्र-2

मांगी गई सूचनाओं की अस्वीकृति का प्रतिशत

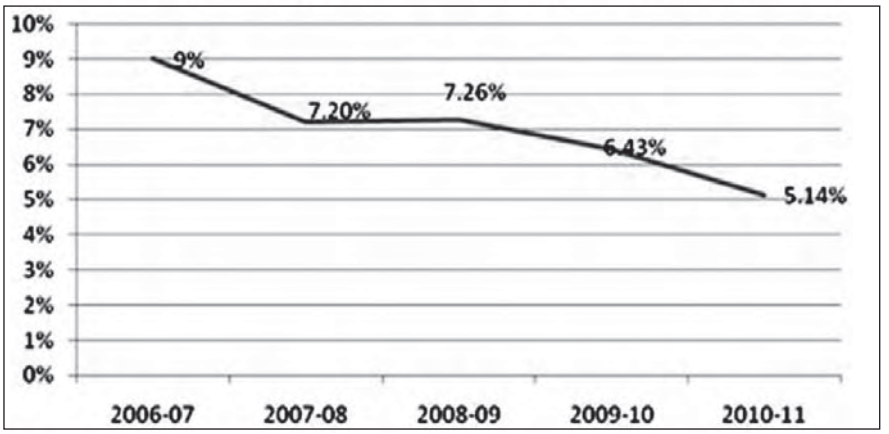

स्रोत : केंद्रीय सूचना आयोग की रिपोर्ट (वर्ष 2011) पर आधारित

जन सामान्य का विश्वास प्राप्त करने में यह कानून निरंतर अग्रसर है। भारतीय जनमानस की सक्रियता एवं सूचना प्रप्ति के आवेदनों का बढ़ता प्रतिशत यह सिद्ध करता है कि लोगों में सूचना प्राप्ति की जिज्ञासाएं बढ़ी हैं। यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। यहां केंद्रीय सूचना आयोग के विरिन चारों का उल्लेख करना बेहद उपयोगी होगा जिसमें सूचना प्राप्ति के आवेदनों एवं उसके निस्तारण दर को बताया गया है।

सूचना प्राप्ति के लिए आवेदकों की संख्या में बढ़ोतरी :

केंद्रीय सूचना आयोग के वर्ष 2011 की रिपोर्ट यह दर्शाति है कि वर्ष 2007-08 से सूचना हेतु प्राप्त अनुरोधों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। यद्यपि वर्ष 2008-09 की तुलना में वर्ष 2009-10 में सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या लगभग 73 प्रतिशत बढ़ गई, जो वर्ष 2010-11 में पिछले वर्ष की तुलना में 11.33 प्रतिशत घट गई।

प्रतिवेदन वर्ष के प्रारंभ में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का प्रारंभिक वर्षों, अर्थात 1 अप्रैल को लोकप्राधिकारियों के पास निस्तारण हेतु लंबित आवेदनों की संख्या एवं विभिन्न वर्षों के दौरान उतार-चढ़ाव की स्थिति को दर्शाती है। यह 2007-08 से 2009-10 के बीच वृद्धि को दर्शाता है, लेकिन वर्ष 2010-11 में कुछ नीचे आ जाता है। (देखें रेखाचित्र 1 और 2)

सूचना प्राप्ति हेतु ऐसे अनुरोधों की संख्या, जिन्हें अस्वीकृत किया गया, वह वर्ष 2010-11 के दौरान पर्याप्त रूप से कम हुई है, यद्यपि सूचना का अधिकार अनुरोधों की प्राप्ति, एक ऋणात्मक वृद्धि दर दर्शाती है। यह संतोषप्रद होता यदि सूचना हेतु अनुरोधों की संख्या में हुई यह ऋणात्मक वृद्धि दर शत-प्रतिशत लोक प्राधिकारियों द्वारा विवरण दाखिल करने की दशा में होता, लेकिन अफ़सोस ऐसा नहीं है। मंत्रालयों/विभागों और उनके अधीन लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(2) का अपर्याप्त अनुपालन वर्ष 2010-11 के अंत तक अनुरोधों की संख्या में हुई ऋणात्मक कमी में प्रमुख रूप से शामिल है। हालांकि, लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अनुरोधों की अस्वीकृति की घटती प्रवृत्ति भविष्य में सकारात्मक तरीक़े से बेहतर निष्पादन के प्रति उनकी जागरुकता का संकेत है। वर्ष 2010-11 में वर्ष 2009-10 के 6.43 प्रतिशत के सापेक्ष केवल 5.14 प्रतिशत अनुरोधों को ही अस्वीकृत किया गया।

स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार कोई कानून किसी अधिकारी की अकर्मण्यता के प्रति जवाबदेही निर्धारित करता है। यदि संबंधित अधिकारी समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराता है तो उस पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से सूचना आयुक्त द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि दी गई सूचना गलत हो तो अधिनियम के तहत 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माना उस अधिकारी के वेतन से काटा जाता है।

सूचना का अधिकार कानून की प्रभावोत्पादकता निरंतर बढ़ रही है। जो प्राधिकारी सूचना के अधिकार कानून की अनदेखी कर सूचना प्रदान करने में आना-कानी कर रहे हैं उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। केंद्रीय सूचना आयोग की वर्ष 2011 की रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि लोकप्राधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों में वृद्धि हो रही है। रेखाचित्र द्वारा हम इस निरंतर बढ़ती अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा को देख सकते हैं।

रेखा चित्र-3
अधिकारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की गई

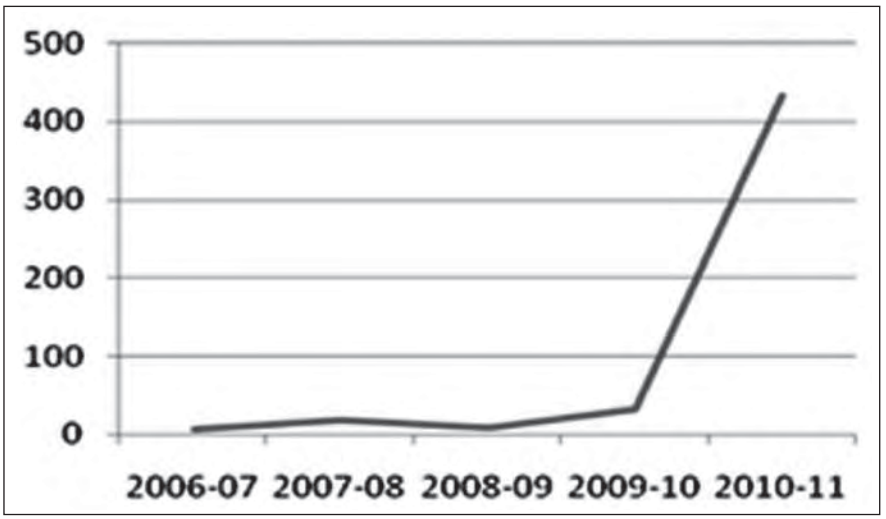

स्रोत : केंद्रीय सूचना आयोग की रिपोर्ट (वर्ष 2011) पर आधारित

सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन का 'एम' मॉडल

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्ति के आवेदकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक मॉडल योजना विकसित की गई है। जिसे 'एम' मॉडल योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत यह व्यवस्था की गई है कि सूचना प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा सूचना बैंक की स्थापना की जानी चाहिए। सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन-पत्र आवेदक इस सूचना बैंक को उपलब्ध कराएगा। सूचना बैंक संबंधित विभागों को अपने माध्यम से यह आवेदन भेज कर सूचना की मांग करेगा। विभाग इस सूचना बैंक को यह सूचना उपलब्ध कराएगा तत्पश्चात बैंक वह सूचना आवेदक को प्रदान करेगा। इस 'एम' मॉडल के तहत सूचना के आदान-प्रदान के अनेक फायदे देखे जा सकते हैं जो निम्न हैं :

- इस पद्धति को अपनाने से आवेदक के सामने यह दुविधा या समस्या नहीं रहती कि जो सूचना हम चाहते हैं उसे किस विभाग या संस्था के समक्ष अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है। किसी भी मामले में आवेदक अपना प्रार्थना-पत्र सीधे सूचना बैंक को प्रस्तुत कर देगा।
- सूचना बैंक की स्थापना से विभागों द्वारा प्रदान की गई समस्त सूचनाओं का लेखा-जोखा रखा जाएगा और पुनः ऐसी सूचना यदि दूसरा आवेदक मांगता है तो सूचना बैंक अपने स्तर पर ही उसे सूचना उपल्बध करा देगा। इससे समय व धन दोनों की बचत होगी।
- वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक व्यवहारिक समस्या यह आ रही है कि एक ही मामले में भिन्न-भिन्न प्रकार की सूचनाएं विभाग द्वारा उपल्बध कराई जा रही है, जिससे भ्रम व संदेह उत्पन्न हो रहा है और विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। यदि सूचना बैंक के माध्यम से यह सूचना आवेदक को मिलती तो सूचनाओं की प्राप्ति में एकरूपता देखी जा सकती है।
- इस पद्धति से सूचनाओं की प्राप्ति आवेदक को आसानी व सुगमता से हो सकेगी। सामान्यतः मामलों में यह देखा जा रहा है कि संबंधित विभाग सूचना देने में कोताही करते हैं। कई ऐसे भी मामले आए हैं जिसमें वह सूचना हेतु आवेदन-पत्र की प्राप्ति को स्वीकार ही नहीं करते। ऐसे मामलों में यह मॉडल काफी उपयोगी होगा क्योंकि आवेदक को सूचना प्रदान करना सूचना बैंक की जिम्मेदारी होगी।
- इस पद्धति से सूचना के आदान-प्रदान में आवेदक का नाम व उसकी पहचान गुप्त रहेगी। संबंधित विभाग या प्राधिकारी सूचना प्राप्तकर्ता से ईर्ष्या की भावना नहीं रख पाएंगे।

निष्कर्ष

सूचना का अधिकार कानून भारत के लिए अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। यह कानून लोकतंत्र के लिए धारदार हथियार साबित हो रहा है। पिछले सात वर्षों के दौरान इस अधिनियम ने शासन एवं प्रशासन के कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को अग्रसारित करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। लोकतंत्र की सबसे छोटी ईकाई ग्राम पंचायत स्तर पर भी यह कानून प्रभावी प्रतीत हो रहा है। इसके माध्यम से जनता अपने क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का लेखा-जोखा मांग कर उसका निरीक्षण कर सकती है ताकि इस बात का पता चल सके कि क्या सरकारी योजनाओं के लिए स्वीकृत धन का प्रयोग उचित ढंग से किया गया है? यह कानून इतने कम वर्षों में ही जन आकांक्षाओं की कसौटी पर ख़रा उतरा है जो हम भारतीयों के लिए शुभ संकेत है। ❑

(लेखक काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी के विधि विभाग से संबद्ध हैं।
ई-मेल : drmanishchaubey@gmail.com)

सुशासन और मीडिया की भूमिका

● पूनम कुमारी

सुशासन एक परिवर्तनकारी व युग प्रवर्तक विचार है, इसमें किसी भी लोकतंत्र के अधिक अर्थवान व समृद्ध होने की प्रबल संभावना होती है। आवश्यकता सिर्फ़ इस बात की है कि इसके लिए हर वह क़दम उठाया जाए, जो सरकार व प्रशासन की क्षमताएं बढ़ाकर सुशासन की स्थापना करने में सहायक हों। मीडिया में सुशासन के निहितार्थों को वास्तविकता में बदलने की पर्याप्त क्षमता है

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के वेब-पोर्टल पर भारत की सफलता का वर्णन कुछ इस प्रकार है: ''विश्व का सबसे बड़ा व तेज़ी से प्रगति कर रहा लोकतांत्रिक देश भारत आज एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। उदाहरणार्थ भारतीय अर्थव्यवस्था 2005-06 से 2007-08 के दौरान 9.5 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ी है।'' परंतु वर्तमान संकटग्रस्त स्थानीय व वैश्विक स्थितियों में अपनी शानदार प्रगति को कायम रखने तथा तमाम नकारात्मक स्थितियों को नियंत्रण में रखने के लिये 'सुशासन' की अवधारणा को सैद्धांतिक आदर्श से निकालकर वास्तविकता के व्यावहारिक धरातल पर उतारना अत्यावश्यक है।

सुशासन एक सर्वकालिक, सार्वभौमिक, आदर्शात्मक व नागरिक केंद्रित अवधारणा है। किसी भी देश, काल व परिस्थितियों में यदि सरकार जनकेंद्रित, समता-उन्मुखी, संवेदनशील है, तो उसके शासन को सुशासन कहा जा सकता है। सुशासन की संकल्पना को दो दृष्टिकोणों से विश्लेषित किया जा सकता है। व्यापक दृष्टिकोण सुशासन को एक सार्वभौमिक व सर्वकालिक अवधारणा के रूप में देखता है, जिसे भारतीय विद्वान कौटिल्य ने अपनी कृति *अर्थशास्त्र* में वर्णित किया है। जबकि संकीर्ण दृष्टिकोण सुशासन को तृतीय विश्व के विकासशील देशों के लिए विकसित की गई एक संकल्पना मानता है, जिसे विश्व बैंक द्वारा अपनी विभिन्न रिपोर्टों के जरिये प्रस्तुत किया गया है।

मानव इतिहास के विभिन्न कालखंडों में सुशासन के प्रमाण मिलते रहे हैं। यदि भारतीय संदर्भ में देखें तो इसके इतिहास में मौर्य प्रशासन, हर्ष व मुगल प्रशासन सुशासन के अच्छे उदाहरण माने जा सकते हैं। एडेरियन लेफ्टविक रेखांकित करते हैं कि विश्व बैंक की रिपोर्ट 'राज्य से बाज़ार तक' में 1989 में सर्वप्रथम 'सुशासन' शब्द का प्रयोग किया गया था। विश्व बैंक द्वारा एशिया व अफ्रीका के विकासशील देशों को प्रदान किए गए विकास ऋणों के उपयुक्त ढंग से प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु 'सुशासन' को एक शर्त के रूप में रखा गया। इस रिपोर्ट में सुशासन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपयुक्त प्रबंधन, नया विधिक ढांचा, उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता व सूचना के अधिकार जैसे सुधारों को अमल में लाने पर बल दिया गया था। विश्व बैंक ने अपनी द्वितीय रिपोर्ट 'विकास और अभिशासन-1992' में सुशासन के निम्न तत्वों का उल्लेख किया- शासन का अधिक लोकतांत्रिक स्वरूप, मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयुक्त दोहन तथा विकासोन्मुख व दीर्घकालीक नीति-निर्माण व क्रियान्वयन हेतु सक्षमताओं का निर्माण इत्यादि।

सुशासन के द्वारा लोक प्रशासन में कुछ नये तत्वों का समावेशन किया गया है ताकि प्रशासन समाज के लिए अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सके। मनीला अभिघोषणा 1999 ने सुशासन हेतु अग्रलिखित तत्वों की पहचान की है - सहभागिता, पारदर्शिता, समता, सहनशीलता, सेवान्मुखता, विधि का शासन, सतत विकास व विनियामक अभिशासन इत्यादि। सार रूप में सुशासन के आठ मुख्य तत्व माने जा सकते हैं, जो निम्नलिखित है- सहभागिता, आम सहमति, उन्मुखी, समावेशी, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, प्रभावी व सक्षम, अनुक्रियात्मक और विधि का शासन आदि। इस प्रकार सुशासन के लिए कुछ ऐसे मार्गदर्शक गुणों का विकास किया गया है, जिसके द्वारा प्रशासन को अधिक सजग व संवेदनशील बनाया जा सके।

सुशासन एक परिवर्तनकारी व युग प्रवर्तक विचार है, इसमें किसी भी लोकतंत्र के अधिक अर्थवान व समृद्ध होने की प्रबल संभावना होती है। आवश्यकता सिर्फ़ इस बात की है कि इसके लिए हर वह क़दम उठाया जाए, जो सरकार व प्रशासन की क्षमताएं बढ़ाकर सुशासन की स्थापना करने में सहायक हों। मीडिया में सुशासन के निहितार्थों को वास्तविकता में बदलने की पर्याप्त क्षमता है। सतत् व सफल लोकतंत्र के लिए स्वच्छ

व निष्पक्ष चुनावों के साथ-साथ, स्वतंत्र न्यायपालिका, सशक्त लोकतांत्रिक संस्थाएं तथा आज़ाद, गतिशील व बहुस्वरूपी मीडिया (प्रेस) भी नितांत आवश्यक है। अधिकतर समाजों के ज्यादातर लोग अपनी लगभग सभी सूचनाएं मीडिया से ही प्राप्त करते हैं। लोकतंत्र के विभिन्न मुद्दों व संस्थाओं के बारे में लोगों के विचारों को प्रभावित करके एक आम राय बनाने में मीडिया अगुवा की भूमिका निभाता है। मीडिया प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा एक बड़े भू-भाग में फैले हुए विजातीय जनसमूह को सूचनाओं का संचरण करने वाला माध्यम है, जिसमें राष्ट्रीय समाचार-पत्रों से लेकर विद्यार्थी पत्रिकाओं, वैश्विक प्रसारण से सामुदायिक रेडियो, वेबसाइट व ब्लॉग से सामाजिक नेटवर्क व आभासी समुदायों तथा नागरिक पत्रकारों से लेकर सरकारी प्रवक्ता तक सभी शामिल हैं। पारंपरिक मीडिया से लेकर अत्याधुनिक संचार माध्यमों तक मीडिया के विविध स्वरूप मौजूद हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं- टीवी, रेडियो, अख़बार, पत्रिकाएं, क़िताबें, फ़िल्में, एफ. एम. रेडियो, सामुदायिक रेडियो, डीटीएच, हिट्स, आई.पॉड, कंप्यूटर व इंटरनेट, मोबाइल, टेबलेट, नागरिक पत्रकारिता तथा ब्लॉगिंग, ट्विटर व फेसबुक जैसे सोशल मीडिया इत्यादि।

स्वतंत्र, निष्पक्ष, तटस्थ व बहुआयामी मीडिया जनहित में कार्य करते हुए पारदर्शिता व उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करके, सहभागिता व कानून के शासन को बढ़ावा देकर तथा सामाजिक असमानता व बुराइयों के ख़िलाफ़ समर्थन जुटाकर सुशासन की स्थापना में अपनी अहम भूमिका निभाता है। सुशासन का एक अहम तत्व है- उत्तरदायित्व, जिसके निर्धारण में मीडिया का मुख्य योगदान रहता है। जन पहरेदार के रूप में कार्य करते हुए मीडिया राजनीतिज्ञों व प्रशासकों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग की संभावना को नियंत्रण में रखता है। सरकारी नीतियों को जनहित के दृष्टिकोण से अन्वेषित व विश्लेषित करके पर्याप्त छानबीन द्वारा उनकी सार्थकता को उज़ागर करने का अहम कार्य भी मीडिया द्वारा ही किया जाता है। मीडिया सरकारी कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन एवं उन्हें प्रदान की गई शक्तियों के प्रयोग के ढंग का संतोषजनक लेखा-जोखा जनता के सामने प्रस्तुत करके गलत और मनमाने प्रशासनिक कार्यों को रोकता है। विभिन्न प्रशासनिक गतिविधियों का अनुश्रवण करके प्रशासन को उत्तरदायित्व बनाने का कार्य भी मीडिया सहजता से करता है।

सुशासन का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व है- सक्षमता व प्रभावशीलता। मीडिया द्वारा शासन के कार्यों, योजनाओं व कार्यक्रमों को सरल, स्पष्ट एवं आमजन के समझ आने वाली भाषा में विश्लेषित करता है। किसी भी योजना व कार्यक्रम की सार्थकता इस बाम पर निर्भर है कि वह आमजन की समझ में आए। मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी द्वारा न केवल आमजन की समझ में इज़ाफ़ा होता है बल्कि जननीतियों व विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा को आमजन का समर्थन भी मिलता है। लोगों द्वारा स्वीकार्यता की मुहर लगाए जाने से शासन की वैधानिकता व सक्षमता में वृद्धि होती है। मीडिया से प्राप्त जानकारी के चलते न केवल आमजन जागरूक होता है, बल्कि प्रशासनिक मशीनरी भी सतर्क व सचेत हो जाती है। मीडिया द्वारा की गई रिपोर्टिंग के आधार पर किसी भी योजना या कार्यक्रम की जनता द्वारा स्वीकार्यता, आमजन तक पहुंच, सफलता व असफलता तथा बाधाओं का पता लगाकर आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं ताकि उस योजना व कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा सके।

सुशासन की अवधारणा का एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम है- राज्य अनुक्रियात्मकता। निष्पक्ष, तटस्थ व सचेष्ट मीडिया द्वारा की गई जनहितकारी रिपोर्टिंग के चलते सरकार तक नागरिकों की सहज पहुंच सुनिश्चित होती है। मीडिया के निरंतर दखल से न केवल नागरिकों व सरकार के बीच दूरी कम हो रही है बल्कि नागरिकों व सरकार के मध्य अंतर्क्रिया भी बढ़ रही है। मीडिया लोक महत्व के मुद्दों को जनता के बीच ले जाकर संवाद व वार्तालाप को बढ़ावा देता है जिसके चलते उन लोक महत्व के मुद्दों पर राजनीतिज्ञों व लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। इस प्रकार बने जनदबाव के चलते शासन द्वारा उन मुद्दों पर त्वरित प्रतिक्रिया जताई जाती है। मीडिया द्वारा विभिन्न समस्याओं को सामने लाकर सरकार को शीघ्र प्रतिक्रिया व उपयुक्त समाधान के लिए प्रेरित किया जाता है।

पारदर्शिता को सुशासन का पर्याय माना जा सकता है। भारत में भी पारदर्शिता को पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है। वर्ष 2005 में 'सूचना का अधिकार अधिनियम' पारित होने के बाद अब लोगों को शासन के बारे में जानने का एक सशक्त माध्यम मिल गया है। न केवल केंद्र सरकार ने, बल्कि अधिकतर राज्य सरकारों ने भी सूचना के अधिकार को मान्यता देकर जनसशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण क़दम उठाया है। आमजन के जानने के अधिकार को ध्यान में रखते हुए मीडिया ने जनता की सूचना तक पहुंच को आसान बना दिया है। सूचना के अधिकार को विभिन्न रूपों में कार्यान्वित करने के मुद्दे को 'पब्लिक-एजेंडा' में शामिल करने का मुद्दा मीडिया ने ही उठाया है। इस विषय को पर्याप्त कवरेज़ देकर सरकार पर दबाव बनाया गया ताकि इस हेतु एक पर्याप्त व्यवस्थित व वैज्ञानिक ढांचा खड़ा किया जा सके। अतः सूचना का अधिकार अन्य नागरिक अधिकारों की प्राप्ति सुनिश्चित कर रहा है जो सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। विभिन्न सरकारी परियोजनाओं व कार्यक्रमों में हुए ख़र्च को जनता के समक्ष लाने में सूचना के अधिकार के साथ-साथ मीडिया की भी अहम भूमिका है। विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लोगों के सामने लाना, लोकसेवाओं हेतु लिए जा रहे शुल्क की जानकारी प्रसारित करना तथा शासन में संस्थागत सुधार करके तुरंत प्रतिक्रिया दर्शाने में सक्षम बनाना इत्यादि कुछ अन्य महत्वपूर्ण योगदानों द्वारा मीडिया पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। हाल ही के समय में सजग पत्रकारिता की बदौलत ही करोड़ों रुपये के घोटालों को उज़ागर किया जा सका है। मीडिया ने ही विभिन्न राजनीतिज्ञों, प्रशासकों, उद्यमियों व व्यावसायिक घरानों से जुड़े काले धन से संबंधित मामलों को उजागर करके भ्रष्टाचार रहित व्यवस्था की स्थापना में अपना योगदान किया है।

सुशासन मूलतः एक नागरिक केंद्रित संकल्पना है तथा जनसहभागिता इसका सबसे महत्वूपर्ण तत्व है। मीडिया अपने विभिन्न स्वरूपों के साथ भारत के विभिन्न भागों में विकास कार्यों में जनसहभागिता सुनिश्चित करने हेतु निरंतर प्रयासरत है। मीडिया आम आदमी की सरकारी क्रियाओं, योजनाओं व

कार्यक्रमों से संबंधित समझ को बढ़ाता है। सुशासन का अर्थ है लोगों के लिए शासन के स्थान पर लोगों के साथ शासन सुनिश्चित करना, जिसमें लोग स्वविकास प्राप्ति हेतु विकास की रणनीति स्वयं निर्धारित कर सकें। इस दिशा में भारत में 73वां व 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया हैं। ग्रामीण गणतंत्र व सहभागी लोकतंत्र की उम्मीद के साथ पारित इन अधिनियमों को वास्तविकता के धरातल पर उतारने में मीडिया एक सक्रिय माध्यम साबित हो रहा है। शासन व विकास की प्रक्रिया में नागरिक समाज, गैर-सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र, आम आदमी व बुद्धिजीवियों की सहभागिता अति आवश्यक है। वह मीडिया ही है जो सुशासन के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण करके सभी भागीदारों को शासन की निर्णय निर्माण-प्रक्रिया में शामिल करवाता है।

सुशासन के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पक्षों में जनोन्मुखी, आम सहमति उन्मुखी, समावेशी व समताउन्मुखी तथा विधि के शासन की स्थापना करना शामिल है। सुशासन के इन सभी पक्षों को मीडिया द्वारा सकारात्मक रूप से प्रभावित किया जाता है। निष्पक्ष व तटस्थ पत्रकारिता, सटीक सूचना व जनसंवाद की स्थापना, विभिन्न लोकहितकारी मुद्दों से संबंधित कार्यक्रम, विभिन्न भागीदारों की बैठकों व सेमिनारों, नीति पर सलाहकारी व विश्लेषणात्मक वार्तालाप, नागरिक पत्रकारिता, सुनवाई क्लब, सामुदायिक रेडियो, कॉल इन प्रोग्राम व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाकर मीडिया समतावादी व समावेशी शासन की स्थापना में अपना योगदान देता है। मूलभूत सुविधाओं यथा- शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास व बिजली-पानी से संबंधित मुद्दों को अपनी सुर्खियां बनाने वाला मीडिया आपदाओ के समय लाइफ लाइन कार्यक्रमों का संचालन करके राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाता है। सरकारी नीतियों पर नियंत्रण व संतुलन के साथ-साथ विधिक व नीतिगत सुधारों के द्वारा नागरिक अधिकारों की रक्षा करना भी मीडिया के सकारात्मक प्रयासों का हिस्सा है। जन उन्मुख व संवेदनशील सरकार, जो मानवाधिकारों, महिला व बाल अधिकारों तथा सरल, सस्ते व त्वरित न्याय युक्त विधि के शासन को पूर्ण सम्मान दें, एसी शासन की स्थापना हेतु विभिन्न अधिनियमों जैसे- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, घरेलू हिंसा-रोकथाम अधिनियम इत्यादि के निर्माण तथा फास्ट ट्रैक अदालतों, लोक अदालतों व ग्राम न्यायालयों की स्थापना में मीडिया का अविस्मरणीय योगदान रहा है। स्थानीय विकास में लोगों की भागीदारी, नेटवर्क व हित समूहों के निर्माण द्वारा आम लोगों का राजनीति में प्रतिनिधित्व बढ़ाने तथा स्थानीय निर्णय निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु आमजन को सक्षम बनाने में मीडिया की भूमिका सराहनीय रही है। सुशासन का लाभ कमज़ोर व हाशिए पर स्थित लोगों तथा गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए सेवा प्रदायगी को सुधारना अति आवश्यक है। लोगों को लोकसेवाओं की समयबद्ध प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अगस्त-2010 में 'लोकसेवा गारंटी अधिनियम' पारित किया गया था। मीडिया द्वारा दिए गए बेहतर कवरेज व सकारात्मक प्रतिक्रिया के चलते अब तक आठ राज्यों में यह अधिनियम पारित हो चुका है तथा कई राज्यों में प्रक्रियाधीन है।

मीडिया की तमाम सकारात्मक योगदानों के चलते ही एकमंड बुर्के ने इसे 'फोर्थ स्टेट' अर्थात लोकतंत्र के 'चौथे स्तंभ' की संज्ञा दी है। मीडिया को 'राजनीति की तंत्रिका' भी कहा जाता है, क्योंकि यह चुनावों के समय मुद्दों का सकारात्मक व नकारात्मक विश्लेषण करने, आमजन को जागरूक करने, लोकवार्ता व लोकसंवाद को बढ़ावा देकर लोगों की राय का निर्माण करने के साथ-साथ चुनावों के अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) द्वारा लोकतांत्रिक संस्कृति का पोषण करने का कार्य भी करता है। हाल ही में प्रचलित हुए फेसबुक व ट्वीटर जैसे सोशल मीडिया के जरिये दो तरफ़ा संवाद द्वारा जननीतियों के निर्माण व क्रियान्वयन में जनता की भागीदारी तेज़ी से बढ़ी है। संख्या में करोड़ों की तादाद वाले सोशल मीडिया को एच. डटन ने लोकतंत्र के पांचवें स्तंभ की संज्ञा दी है। सुशासन में इसका योगदान एक वर्तमान सच्चाई है।

स्वस्थ, सफल व प्रगतिकारी लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष व तटस्थ मीडिया के साथ-साथ उसके नकरात्मक पक्ष में शामिल सनसनीखेज व खोजी पत्रकारिता, राज्य नियंत्रित ख़बरें, पेड न्यूज, डेड न्यूज, राजनीतिक पूर्वाग्रहयुक्त ख़बरें और लाभ की प्रवृत्ति जैसे तत्वों को दूर करना भी आवश्यक है। मीडिया के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 19 (1) (क) 'भाषा व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' के तहत प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना शासन का एक अहम दायित्व है। राष्ट्र निर्माण में निर्णायक भूमिका अदा करने के लिए मीडिया को स्वयं की आचार-संहिता का निर्माण व पालन करके संगठित व सामूहिक प्रयास द्वारा सतत व समावेशी विकास को सुशासन द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। वर्तमान समय में सुशासन व मीडिया आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़कर परस्पर समीप आ रहे हैं तथा एक-दूसरे के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस 'परस्पर सशक्तीकरण' द्वारा ही स्वस्थ, सशक्त व खुशहाल राष्ट्र का निर्माण सुनिश्चित होगा। ❑

(लेखिका लोक प्रशासन विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर हैं।
ई-मेल : puunoo@gmail.com)

राष्ट्रीय भालू संरक्षण अभियान

सरकार ने देश में भालुओं की कम होती संख्या के मद्देनज़र उसके संरक्षण के अपने प्रयासों के तहत एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है।

पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन ने भालू अनुसंधान व प्रबंधन पर 21वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत के मौके पर राष्ट्रीय भालू संरक्षण एवं कल्याण कार्ययोजना शुरू की।

योजना में भारत में भालुओं की ओर से सामना किए जाने वाले ख़तरों को चिह्नित करने के साथ ही इस जानवर के संरक्षण एवं कल्याण के लिए राज्यों की ओर से उठाए जाने वाले प्रबंधन कार्यों की रूपरेखा पेश की गई है। ❑

सुशासन तथा ई-प्रशासन

● नितेश कुमार श्रीवास्तव

राजनीतिक चिंतन से सुशासन संबंधी धारणा आदर्श राज्य या रामराज्य के रूप में प्राचीन काल से विद्यमान रही है परंतु श्रेष्ठ शासन गत शताब्दी में लोक-प्रशासन के साथ जोड़ दिया गया। सुशासन को समग्रता में देखने की ज़रूरत है। केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी या पुलिस अधिकारी ही सुशासन के लिए जवाबदेह नहीं होते, बल्कि अधिकारियों से ज़्यादा जवाबदेही राजनीतिज्ञों की बनती है। साथ ही, आम नागरिकों की सहभागिता से ही यह मज़बूत हो सकेगा। समय-समय पर विधानसभा अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के अलावा राज्यों के मुख्य सचिवों तथा अन्य अधिकारियों की गोष्ठी, सेमिनार तथा प्रशिक्षण आयोजित किया जाना भी सुशासन की दिशा में ही प्रयास कहा जा सकता है।

भारतीय प्रशासन पर सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभाव से सबसे अधिक प्रशासनिक संचार की अवधारणा प्रभावित हुई है। इसका एक प्रमुख अनुप्रयोग नागरिकों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन है। ई-प्रशासन के माध्यम से सरकार और नागरिकों के बीच कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिये सुरक्षित, विश्वसनीय और नियंत्रित संपर्क क़ायम किया जा सकता है। हमारे देश में ई-प्रशासन का वास्तविक आरंभ 1976 में राष्ट्रीय सूचना केंद्र की स्थापना के समय से ही हो गया था। यह केंद्र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से इलेक्ट्रॉनिकी आयोग ने आरंभ किया था और इसने अपने आरंभिक दिनों में ही सबसे पहले देश के सभी जिलों को आपस में जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य अपने जिम्मे लिया और उसे कुछ ही वर्षों में बखूबी अंजाम दिया। इसके बाद के दशकों में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में भूमि संबंधी सूचनाओं के कंप्यूटरीकरण का कार्य आरंभ हुआ। इसी के साथ रेल सेवाओं और विशेषकर रेल टिकट बिक्री के लिए कंप्यूटरों के स्थानीय एवं वृहद तंत्र कायम किए गए। चुनाव आयोग के काम को सरल बनाने के लिए पहले मतदाता सूचियों का एवं मतदाता पहचान-पत्र के काम में कंप्यूटर का प्रयोग किया गया और जल्दी ही इलेक्ट्रॉनिक मतदान की प्रक्रिया भी आरंभ की गई। आज भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय और कार्यालयों में भी कंप्यूटर का प्रयोग काफी बढ़ गया है कि विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं के परीक्षा के नतीज़े, चिकित्सा और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में दाख़िले की प्रक्रिया भी इंटरनेट के माध्यम से संपन्न की जा रही है। दिल्ली सरकार की तरह ही कई अन्य सरकारें भी संपत्ति कर, आयकर आदि के फॉर्म से लेकर भुगतान की प्रक्रिया इंटरनेट पर ही नागरिकों को उपलब्ध करा रही है। रेल मंत्रालय में जहां जटिल आरक्षण पद्धति थी वहीं आज इंटरनेट और कंप्यूटर की मदद से टिकट आरक्षण प्रणाली को इतना आसान बनाया जा चुका है कि लोग कुछ ही मिनट में टिकट प्राप्त करने लगे हैं। पंचायत से लेकर लोकसभा तक के चुनावों में धड़ल्ले से इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रों का इस्तेमाल हो रहा है और कुछ की घंटों के भीतर लोगों को मतदान के नतीज़े भी उपलब्ध हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार भी इस तकनीक का उपयोग नागरिकों के लिए कर रही है और लोग भी इस प्रक्रिया का लाभ उठा रहे हैं एवं आवश्यक सरकारी सूचनाओं के लिए इंटरनेट का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। अब 'थ्री-टीयर क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी' यानी तीन स्तरीय उपभोक्ता सेवक प्रौद्योगिकी द्वारा एक 'बैक इंड सर्वर' आंकड़ा आधार उपलब्ध कराया जा सकता है, जिसके साथ विश्वभर में किसी भी स्थान से 'फ्रंट इंड' (अग्रणी) उपभोक्ता संपर्क कायम कर सकते हैं।

भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) विभिन्न स्रोतों से मिलने वाले स्थानिक आंकड़ों के एकीकरण के लिए कंप्यूटर आधारित उपकरणों और पद्धतियों का मिला-जुला रूप है। यह आंकड़ों के विश्लेषण, प्रतिरूपण और प्रदर्शन का वातावरण उपलब्ध कराती है। जीआईएस विभिन्न स्वरूप की सूचनाओं

जैसे- वर्ण, संख्यात्मक आंकड़ों, कागज़ पर बने मानचित्रों और दूर-संवेदी चित्रों का मिलान करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है।

भूमि संबंधी रिकॉर्डों का कंप्यूटरीकरण सूचना प्रौद्योगिकी का सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण अनुप्रयोग है। भूमि रिकॉर्ड प्रणाली का असर आधी से अधिक भारतीय आबादी पर पड़ता है। अतः वर्तमान रिकॉर्ड प्रणाली में किया जाने वाला कोई भी परिवर्तन सुरक्षित और शत-प्रतिशत अशुद्धि मुक्त होना चाहिए। भूमि रिकॉर्ड राजस्व वसूली का दस्तावेज़ मात्र नहीं है बल्कि अब उनका इस्तेमाल प्रबंधन के लिए अधिक किया जाने लगा है। भूमि रिकॉर्डों में स्वामित्व, भूमि के वर्गीकरण, खेती पद्धति, काश्तकारों आदि का ब्यौरा होता है।

केरल में चल रही 'भूमि', आंध्र प्रदेश में चल रही 'एपी ऑनलाइन' एवं 'कार्ड' परियोजनाएं, महाराष्ट्र में 'सरिता' एवं तमिलनाडु में 'स्टार' परियोजनाएं भी ई-प्रशासन की पहल के तौर पर चालू की गई हैं। मध्य प्रदेश के धार आदिवासी जिले में चल रही परियोजना 'ज्ञानदूत' और हिमाचल प्रदेश की 'लोकमित्र', राजस्थान की 'ई-मित्र' कुछ ऐसी ही परियोजनाएं हैं जो नागरिकों को मंडी के भाव, जाति प्रमाण-पत्र, जन्म या मृत्यु प्रमाण-पत्र, बिजली-पानी-टेलीफोन के भुगतान आदि की सुविधाएं प्रदान कर रहीं हैं। सरकार ने एक आदेश जारी कर सभी केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों और राज्य सरकारों को भी 2005 तक नेट पर अपनी उपस्थिति दर्ज़ कराने को कहा था। अभी तक प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि सरकार के विभिन्न कार्यालयों की लगभग 3,500 वेबसाइट अब नेट पर उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने इनमें से अनेक मंत्रालयों एवं कार्यालयों की वेबसाइट के अलावा लगभग हर जिले की वेबसाइट तैयार की है। सरकारी वेबसाइटों पर जाने व ई-प्रशासन संबंधी जानकारियां हासिल करने के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र के नेतृत्व में एक पोर्टल भी बनाया गया है।

आज की लोकतांत्रिक सरकारों पर राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर कुशल एवं पारदर्शी प्रशासन देने के दबाव बढ़े हैं। सूचना का अधिकार इसी कड़ी का एक अंग है। निश्चय ही केंद्र सरकार के प्रयास सराहनीय हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव भारतीय प्रशासन के नीति-निर्माण एवं क्रियान्वयन पर भी पड़ा है। भारत में ई-प्रशासन के कारण प्रदत्त विधायन की धारणा प्रभावी हुई है। आज नीति-निर्माण और उसके क्रियान्वयन में ज़बरदस्त तेज़ी आई है इसके पीछे भी ई-प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन तथा प्रतिशत रूप में उनके विकास अनुमान लगाना आसान हो गया है। इसने योजनाओं के क्रियान्वयन में जन सहयोग कायम करने में भी सहयोग प्रदान किया है। सूचना क्रांति के पूर्व नौकरशाही भारतीय प्रशासन में संप्रभु की भांति कार्य कर रही थी। भारतीय प्रशासन और नौकरशाही के बीच अंतर नहीं किया जाता था। सूचना क्रांति के बाद नौकरशाही की अद्वैतवादी प्रवृत्तियों में कमी आई है। प्रशासनिक विनिश्चयकरण की प्रक्रिया परिवर्तित हुई है। इसके प्रभाव से नौकरशाही के स्वरूप का अधिक लोकतंत्रीकरण हुआ है। इसके साथ ही संगठन में कार्मिकों की संख्या में कमी आई है। पूर्व में व्यापक उत्पादन हेतु कार्मिकों की संख्या बहुत अधिक रखने की आवश्यकता होती थी जबकि वर्तमान में सूचना और तक़नीक के विकास से संगठन के अंतर्गत कार्मियों की संख्या में कमी लाना तथा उत्पादन की सीमा को बढ़ाना आसान हो गया है। अतः हम पाते हैं कि भारतीय प्रशासन पर सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रभाव पड़ा है। जिसके फलस्वरूप भारतीय प्रशासन की नीति-निर्माण एवं क्रियान्वयन प्रणाली के साथ-साथ उसकी संरचना भी प्रभावित हुई है।

ज़रूरत यह है कि राजनीतिज्ञ तथा भारतीय प्रशासनिक अधिकारी सुशासन के लिए संयुक्त रूप से कार्य करें तथा उसमें ग्रामीण नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित हो। विधान सभाओं में बैठे राजनीतिज्ञों को भी अपनी तथा अपने दलों के नेताओं के कार्यकलापों की समीक्षा करनी चाहिए कि सुशासन बिगाड़ने तथा उसे बचाने में उनकी क्या भूमिका है, क्योंकि देश चलाने में राजनीतिज्ञों तथा प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की अहम भूमिका होती है।

गलत शासन व्यवस्था अवैध धनोपार्जन का कारण बनती है। इसलिए अधिकारियों की नियुक्ति के समय उनकी संपत्ति का ब्यौरा लिया जाए तथा एक निश्चित अंतराल पर उनकी संपत्ति की जांच कराई जाए। सेवा समाप्ति के बाद यह आकलन किया जाए कि सेवानिवृत्ति के बाद उसकी संपत्ति पूरी कमाई के आधे से अधिक न हो। यह प्रावधान मंत्री, सांसद तथा विधायकों पर भी लागू किया जाए। ❑

(लेखक बाबू शिवपत्तर राय स्मारक बालिका महाविद्यालय, आजमगढ़ में राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता हैं

ई-मेल : hellonitesh2010@rediffmail.com)

अपने लेख हमें ई-मेल करें

आप हमें अपने लेख और पत्र ई-मेल भी कर सकते हैं। ई-मेल करने के लिए कृतिदेव फांट इस्तेमाल करें और वर्ड ओपन फाईल yojanahindi@gmail.com पर भेजें। एक से अधिक लेखकों के नाम केवल विशेष शोध लेखों पर ही दें। जिन रचनाओं के साथ मौलिकता का प्रमाणपत्र संलग्न नहीं होगा वे स्वीकार नहीं की जा सकेंगी। रचना के प्रकाशन के संबंध में किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार अथवा फोन न करें। विशेष अवसरों के लिए लेख तीन माह पूर्व प्राप्त हो जाने चाहिए। रचनाओं के साथ यथासंभव प्रासंगिक चित्र भी भेजें। डाक से भेजे जाने वाले लेखों की एक प्रति सीडी में भी भेजें। वापसी के लिए कृपया टिकट लगा और पता लिखा लिफ़ाफ़ा संलग्न करें।

– संपादक

करगिल : महिला शिक्षा की बेमिसाल पहचान

हमारे देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो अपने ऐतिहासिक महत्व के कारण पहचाने जाते हैं। कोई अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए जाना जाता है तो किसी की पहचान उसकी समृद्ध विरासत होती है। करगिल भी देश का एक ऐसा क्षेत्र है जिसने इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज़ कराया है। वर्ष 1999 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करगिल सुर्खियों में आया। इससे पूर्व करगिल के बारे में देश और दुनिया को बहुत कम जानकारी थी। यह क्षेत्र जम्मू-कश्मीर का एक अंग है। पश्चिमी लद्दाख के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों तक फैला यह ज़िला उत्तर-पूर्वी कश्मीर में स्थित है। श्रीनगर से 204 किलोमीटर और लेह से 234 किमी की दूरी पर बसा करगिल 14,036 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। हिमालयाई पर्वतीयशृंखलाओं के निचले हिस्से में स्थित होने के कारण यह देश के अन्य भागों से अधिक ठंडा है। यहां साल के आधे से अधिक महीने बर्फ़बारी होती रहती है। ऐसे समय में यहां पहुंचना अत्यंत कठिन हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो छह महीने तक यह समूचा क्षेत्र देश और दुनिया से कट जाता है। इस दौरान यहां पहुंचने का एकमात्र साधन वायुसेना का हेलीकॉप्टर होता है।

अपनी विरल प्राकृतिक वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध इस इलाक़े में 8,000 से 18,000 फीट की ऊंचाइयों तक पहाड़ हैं। यहां की आबादी दूर-दराज़ स्थित देहातों में रहती है और जीवन निर्वाह के लिए कृषि अथवा पशुपालन पर निर्भर करती हैं। करगिल युद्ध में पाकिस्तान को शिकस्त देने में भारतीय फौजियों के साथ-साथ स्थानीय निवासियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसे सभी ने सराहा था। बावजूद इसके यहां की स्थानीय आबादी की परेशानियां और मुद्दे आज भी यथावत हैं। इन सबके बीच यहां की युवा पीढ़ी विशेषकर लड़कियां शिक्षा के माध्यम से अपने सपने को साकार करने में लगी हुई हैं। हालांकि लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने की ऐसी आज़ादी पहले नहीं थी। हज़ारों वर्षों से दुनिया के अन्य क्षेत्रों की तरह करगिल में भी यह धारणा आम थी कि लड़की को शिक्षा दिलाना समय और धन को बर्बाद करने से अधिक कुछ नहीं है। उन्हें घर के भीतर कैद रहने और घरेलू कामकाज़ सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। जबकि लड़कों को शिक्षा की पूरी आज़ादी थी। 1981 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर 18.86 प्रतिशत थी जिनमें महिला शिक्षा का मात्र तीन प्रतिशत योगदान था। जिले में एकमात्र सरकारी कन्या विद्यालय के अलावा शायद ही लड़कियों का कोई स्कूल मौजूद था। करगिल के द्रास, चिक्तान, ताएसुरू और ज़न्स्कार जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में लड़कियों का दाखिला नगण्य था।

नब्बे की दहाई के शुरुआती हिस्से में राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल करते हुए एक योजना की शुरुआत की। इस संदर्भ में लड़कियों की शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए शिक्षकों के एक समूह को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे दूर-दराज़ स्थित देहातों में जाकर शिक्षा की महत्ता के प्रति लोगों को जागरूक करें। इसके लिए सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर 6 से 11 वर्ष की आयु वाले बालक-बालिकाओं को स्कूल तक

लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। केवल महिलाओं को शिक्षा देकर ही समाज को पिछड़ेपन से उबारा जा सकता है। महिलाओं की शिक्षा में ही एक स्वस्थ और सामाजिक रूप से सतर्क समाज की कुंजी निहित है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सरकार ने पहली से दसवीं कक्षा तक स्कूल जाने वाली प्रत्येक छात्रा को छात्रवृत्ति देने के अतिरिक्त नि:शुल्क यूनिफार्म, पुस्तकें और अन्य सहायता देना प्रारंभ किया। राज्य शिक्षा विभाग ने इस योजना को शत-प्रतिशत कामयाब बनाने के लिए महिलाओं के एक ऐसे समूह का भी सहारा लिया जो सामाजिक रूप से जागरूक और शैक्षणिक रूप से उन्नत थीं। कनीज़ फ़ातिमा, जो शिक्षा विभाग की मुख्य पदाधिकारी हैं, ने लड़कियों के शिक्षा के प्रति लोगों की सोच को बदलने में बड़ी भूमिका अदा की है। जब उनसे उनके और टीम द्वारा लड़कियों को शिक्षा दिलाने वाले मिशन की प्रगति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ''प्रथागत परंपराओं से जकड़े अभिभावकों को शुरुआत में किसी भी प्रकार से समझाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। परंतु धीरे-धीरे मेहनत रंग लाई और आज कई दूर-दराज़ क्षेत्रों में भी लड़कियों का स्कूली दाखिला 100 प्रतिशत तक पहुंच गया है।'' वह कहती हैं कि ''सालकोट, संकू, चिक्तान, द्रास और बटालिक जैसे दूर देहातों में लड़कियों को स्कूल जाते देख हमें सबसे ज़्यादा खुशी होती है। 'सुश्री फातिमा द्वारा करगिल में लड़कियों के सामाजिक उत्थान के लिए किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए जम्मू-कश्मीर सरकार ने उनका सम्मान किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों और सम्मेलनों में करगिल की महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया है जो करगिल के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

आज करगिल की लड़कियां शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। वह न केवल पढ़ाई बल्कि स्कूल, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले संगीत, चित्रकारी, परिचर्चा और खेल-कूद में भी अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। इस दिशा में राज्य सरकार की पहल भी सराहनीय है। क्षेत्र में महिला शिक्षकों की संख्या को बढ़ाने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। परिणामस्वरूप छात्राओं के दाखिले में बढ़ोतरी और स्कूल छोड़ने के दर में कमी आई है। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाने वाले केंद्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालय तथा अंग्रेज़ी माध्यम पब्लिक स्कूलों जैसे कई स्कूलें आज यहां उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यदि आंकड़ों की बात की जाए तो वर्तमान में यहां 358 सरकारी स्कूल, 236 प्राथमिक स्कूल, 47 मध्यमिक, 12 सीनियर बेसिक, 33 उच्च, एक लोअर हाई और 3 उच्च माध्यमिक स्कूलों का नेटवर्क फैल चुका है। शिक्षा के प्रति यह लोगों के नज़रिये में बदलाव का ही संकेत है कि आज करगिल के माता-पिता अपनी बेटियों को दुनिया दिखाने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिल्ली, चंडीगढ़, हैदराबाद और पुणे भेजने में संकोच नहीं कर रहे हैं।

इतनी बड़ी सफलता के बावजूद शिक्षा में सामान्य कमी, विद्यालयी शिक्षा के सीमित साधन, संचार की कमी, समुदाय की कम भागीदारी, अभिभावकों की कम आमदनी, अच्छे शिक्षकों की कमी, मौसम और स्कूल व घर के बीच सामान्य से अधिक दूरी जैसी इस क्षेत्र में कई समस्याएं हैं जो लड़कियों की शिक्षा को लोकप्रिय बनाने में बड़ी बाधा बन रही हैं। अब जबकि करगिल जिले के प्रतिनिधि कई संगोष्ठियों में भाग ले रहे हैं, बेहतर होगा यदि वे इन संगोष्ठियों में जिले पर विशेष ध्यान दें, जो लद्दाख क्षेत्र का सबसे कठिन और दुर्गम इलाक़ा है। आवश्यकता है कि जिले के स्थानीय संपन्न लोगों और स्थानीय लोगों के हितों के लिए कार्य करने वाले विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच समन्वय को मज़बूत किया जाए। यदि इन संगठनों का मक़सद लद्दाख का अध्ययन और संस्कृति का ज्ञान और उसका उद्धार करना है तो करगिल को जो इस क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा है, नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ❑

(चरखा फीचर्स)

केंद्र सरकार का क्रांतिकारी क़दम

सब्सिडी (अनुदान) का पैसा सीधे लाभ पाने वाले के खाते में भेजने यानी प्रत्यक्ष नगदी हस्तांतरण (डायरेक्ट कैश ट्रांसफर) योजना को सरकार ने हाल ही में अपनी मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत सरकार ने हाल-फिलहाल 29 समाज कल्याण योजनाओं की अनुदान का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजने का फ़ैसला किया है। सरकार अब ग़रीबों को किसी सामान पर अनुदान देने के बदले बैंक खाते में लाभ का पैसा सीधे भेजेगी। राशन पर दी जाने वाली अनुदान हो या फिर पेंशन सहायता, ग़रीब विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति हो या फिर वृद्धावस्था पेंशन, सभी तरह की अनुदान और सहायता अब सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचा दी जाएगी। यही नहीं, आगे चलकर सरकार का इरादा पेट्रोलियम, खाद अनुदान समेत व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने वाली तमाम योजनाओं में भी लाभ की राशि को सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाने का है। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से लगभग 10 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा। यह पूरा काम बहुउद्देश्यीय पहचान-पत्र 'आधार कार्ड' के ज़रिये किया जाएगा। इस योजना से जहां सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार रुकेगा, वहीं बिचौलिए भी आम आदमी का हक़ नहीं मार पाएंगे। योजनाओं में पारदर्शिता आएगी। लेकिन अनुदान हस्तांतरण योजना की राह में कुछ रुकावटें भी हैं, यदि इन्हें दूर कर लिया गया तो आने वाले दिनों में यह योजना क्रांतिकारी साबित हो सकती है। जालसाजी और भ्रष्टाचार, जो आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, उस पर लगाम लगेगी। सामाजिक योजनाएं जिनके लिए बनाई जा रही हैं, उन तक इनकी पहुंच होगी। सही आदमी को इनका फायदा मिलेगा। मुमकिन है कि शुरुआत में इसे लागू करने में कुछ दिक्कतें आएं, लेकिन दूरगामी नज़रिये से देखें तो इस व्यवस्था से आखिरकार ग़रीबों को ही फायदा होगा। योजना यदि सही तरह से अमल में आई तो सचमुच देश की तस्वीर बदल सकती है।❑

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ते क़दम

● सुरेश अवस्थी

नवीकरणीय अर्थात अक्षय ऊर्जा के विकास और उत्पादन की भारत में प्रचुर संभावनाएं हैं। यदि उचित प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए उचित ढंग से इन संसाधनों का दोहन किया जाए तो भारत अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश बन सकता है

ऊर्जा भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत की विकास यात्रा के गतिमान होने में ऊर्जा का अभाव सबसे बड़ी बाधा है। यद्यपि 2010 के अंत तक भारत में ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 170 गीगावाट तक पहुंच चुकी थी, तथापि भावी चुनौतियां काफी गंभीर हैं। लगभग 40 करोड़ लोगों के घरों में अभी भी विद्युत सुविधा नहीं है। एक मोटे अनुमान के अनुसार भारत में विद्युत की कुल मांग, 2030 तक 950 गीगावाट से भी आगे निकल जाने की संभावना है।

यह एक गंभीर चुनौती है। वैश्विक स्तर पर जलवायु में हो रहे नकारात्मक परिवर्तन को देखते हुए, यह एक समस्या का रूप ले चुकी है। कार्बनिक गैसों (ग्रीन हाउस गैसों) के उत्सर्जन में भारत विश्व के अग्रणी देशों में सम्मिलित है। त्वरित आर्थिक विकास तथा औद्योगिक गतिविधियों में आई तेज़ी के कारण ऊर्जा उत्पादन और उपभोग में वृद्धि के फलस्वरूप कार्बनिक गैसों के उत्सर्जन में पिछले दशक में आशातित (लगभग 60 प्रतिशत) बढ़ोतरी हुई है। परिवहन के साधनों के बढ़ते उपयोग ने भी इसमें आग में घी का काम किया है।

परंतु, इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत सामने आई चुनौतियों का सामना करने में सदैव सफल रहा है। चुनौतीपूर्ण स्थितियों से निपटने के लिए देश में राजनीतिक इच्छाओं की कोई कमी नहीं है। आर्थिक विकास की पारिस्थितिकीय लागत में कमी लाने के लिए महत्वपूर्ण क़दम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में, जून 2008 में, भारत में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (एनएपीसीसी) आरंभ की गई, जिसका उद्देश्य एक स्वसंपोषणीय अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करना है। इस कार्ययोजना के अंतर्गत भारत ने आठ क्षेत्रों में उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए वर्तमान और भावी नीतियों की रूपरेखा तैयार की है। इसी के अनुसार जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन ने 2022 तक 20 गीगावाट सौर ऊर्जा की क्षमता विकास का लक्ष्य रखा है।

नवीकरणीय अर्थात अक्षय ऊर्जा के विकास और उत्पादन की भारत में प्रचुर संभावनाएं हैं। यदि उचित प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए उचित ढंग से इन संसाधनों का दोहन किया जाए तो भारत अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश बन सकता है। उदाहरणार्थ, देश के अधिकांश क्षेत्रों में वर्ष में 300 से 330 दिनों तक धूप खिली रहती है जोकि 5,000 ट्रिलियन (1 ट्रिलियन यानी 10 ख़रब) किलोवाट की ऊर्जा के बराबर होती है। भारत की वार्षिक ऊर्जा ख़पत से यह कहीं अधिक

है। राजस्थान में क़रीब 330 दिन धूप रहती है, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार आदि राज्यों में आठ से दस माह तक धूप होती है। इसीलिए भारत को विश्व के ऊर्जा क्षमता वाले देशों की उच्च श्रेणी में रखा जाता है। सौर ऊर्जा के महत्व को देखते हुए केंद्र के साथ कई राज्य भी आगे आए हैं।

भारत के अनेक राज्यों में वैकल्पिक ऊर्जा, विशेषत: सौर ऊर्जा के दोहन से संबंधित नीतियां अपनाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ ने 2017 तक 100 मेवा. सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए एक ख़रब रुपये व्यय किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी सौर ऊर्जा नीति के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया गया है। वहां 2017 तक 500 मेवा. सौर ऊर्जा के दोहन एवं उपयोग करने की योजना है। केरल में सौर ऊर्जा की दरों पर एक विमर्श-पत्र जारी किया गया है, जबकि आंध्र प्रदेश की संशोधित ऊर्जा नीति में मूल्य संवर्धित (वैट) की वापसी का वादा किया गया है। इससे सौर ऊर्जा के उत्पादकों को पूरे राज्य में काम करने की सुविधा मिलेगी। अनेक राज्यों ने सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विद्युत कर में छूट और सौर ऊर्जा के लिए अधिक दर जैसे प्रोत्साहनों की नीति अपनाई है। कुछ मामलों में मुद्रांक (स्टांप ड्यूटी) और भूमि ख़रीदी पर पंजीकरण शुल्क की वापसी की भी पेशकश की गई है ताकि सौर ऊर्जा के उत्पादन में लगी कंपनियां अधिक रुचि लेकर काम करें। छत्तीसगढ़ की हाल ही में घोषित सौर ऊर्जा नीति में ग्रिड से जुड़ी ऊर्जा (सौर) इकाइयां, सौर पार्क और छतों पर लगाई जाने वाली परियोजनाएं शामिल हैं। इन राज्यों को आशा है कि सूर्य के प्रकाश से नहाए 300 से भी अधिक दिनों से इतनी बिजली पैदा की जा सकती है जिससे लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा संकट का निराकरण हो सकता है। इनमें से अधिकांश राज्यों में सौर विकिरण प्रतिघंटे 5-5 किलोवाट प्रतिवर्ग मीटर मापी गई है। राजस्थान में यह विकिरण सबसे अधिक मापा गया है जहां यह प्रतिघंटे 5.78 किलोवाट प्रति वर्गमीटर पाया गया है। राजस्थान ने 2021-23 तक 10 हज़ार मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसी प्रकार कुछ अन्य राज्यों में भी लक्ष्य तय किए गए हैं। तमिलनाडु में 2015 तक 3,000 मेवा., आंध्र प्रदेश में 2017 तक, 1,000 मेवा., गुजरात में 2014 तक 500 मेवा. और कर्नाटक में 2016 तक 200 मे.वा. सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

राजधानी दिल्ली में सौर ऊर्जा के दोहन के लिए अनेक सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों ने पहल की है। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रपति भवन में एक विशाल सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाकर ऊर्जा की बचत के क्षेत्र में एक अनुकरणीय पहल की थी। राजधानी के अनेक सरकारी और निजी भवनों में भी पूरक साधन के तौर पर सौर ऊर्जा पैनल लगवाए जा रहे हैं, ताकि पारंपरिक विद्युत की ख़पत में कमी लाई जा सके। इसी सिलसिले में नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी 5 मेगावाट का एक सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए योजना तैयार की गई है। यह परियोजना निजी क्षेत्र की भागीदारी में लागू करने की तैयारी है। संयंत्र निजी कंपनी लगाएगी और उत्पादित ऊर्जा का उपयोग रेलवे करेगा। इससे रेलवे के बिजली बिल में काफी कमी आने की संभावना है। आगे कुछ और अनुकरणीय और सराहनीय प्रयासों की जानकारी दी जा रही है। यह विवरण अपने आप में संपूर्ण नहीं है। स्थानाभाव के कारण समस्त विवरण देना संभव भी नहीं है।

राजधानी दिल्ली में सौर ऊर्जा के दोहन के लिए अनेक सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों ने पहल की है। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रपति भवन में एक विशाल सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाकर ऊर्जा की बचत के क्षेत्र में एक अनुकरणीय पहल की थी। राजधानी के अनेक सरकारी और निजी भवनों में भी पूरक साधन के तौर पर सौर ऊर्जा पैनल लगवाए जा रहे हैं, ताकि पारंपरिक विद्युत की ख़पत में कमी लाई जा सके।

राज्यों की बात की जाए तो, सौर ऊर्जा के उत्पादन के मामले में गुजरात सबसे आगे है। गुजरात ने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए 600 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की है। राज्य में नर्मदा परियोजना की नहरों पर विशालकाय सौर ऊर्जा पैनल लगाकर विद्युत उत्पाद और संरक्षण का एक नया प्रयोग शुरू किया गया है। इससे नहरों के जल का वाष्पीकरण नहीं होता और नहर में क़चरा भी कम गिरता है। वातावरण में आर्द्रता बनी रहती है जिससे वर्षा की संभावना भी अधिक रहती है। एशिया का सबसे बढ़ा सोलर पार्क भी गुजरात के ही एक गांव में है जो 214 मेगावाट सौर विद्युत का उत्पादन करता है। राज्य में 50 से अधिक सरकारी और 500 से अधिक निजी भवनों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। गुजरात के बाद राजस्थान दूसरा प्रमुख राज्य है जहां सौर ऊर्जा के उत्पादन और दोहन में अच्छे प्रयास किए गए हैं। चालीस मेगावाट फोटो वाल्टिक धीरू भाई अंबानी सौलर पार्क इसी वर्ष बनकर तैयार हुआ है। इसमें 250 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है।

महाराष्ट्र में प्रसिद्ध तीर्थस्थान शिरडी एक अन्य कारण से भी देश में प्रसिद्धि अर्जित कर रहा है। यहां के सांई बाबा संस्थान ट्रस्ट ने एक विशाल सौर वाष्प प्रणाली स्थापित की है, जिसे बनाने में 1.33 करोड़ रुपये की राशि लगी है। इस प्रणाली से प्रतिदिन 50 हज़ार लोगों का भोजन तैयार किया जाता है। इससे प्रतिवर्ष एक लाख किलोग्राम रसोई गैस की बचत होती है। ट्रस्ट के आश्रय स्थलों में भी ऊर्जा की बचत के लिए सोलर हीटर बड़ी संख्या में लगाए गए हैं।

अभी हाल ही में, हरियाणा के सिरसा ने सौर ऊर्जा के उपभोग की दृष्टि से उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। यह देश का ऐसा पहला जिला बन गया है जहां सभी गांवों में सौर ऊर्जा से प्रकाश की व्यवस्था की गई है। हरियाणा अक्षय ऊर्जा विभाग ने ज़िले के सभी 334 गांवों में सौर प्रकाश (सोलर लाइट्स) की व्यवस्था की है। इस परियोजना की सफलता में सरकारी अनुदान की बड़ी भूमिका रही है।

यहां यह कहना समीचीन होगा कि सौर ऊर्जा के दोहन में जो साधन और प्रौद्योगिकी उपयोग में लाई जाती है उसकी लागत बहुत अधिक होती है। इसी कारण आम आदमी और छोटी संस्थाएं इसको अपनाने में हिचकिचाती हैं। योजना की सफलता के लिए सरकारी अथवा संस्थागत सहायता आवश्यक है। इसमें कोई संदेह नहीं कि दुर्गम क्षेत्रों में विद्युत

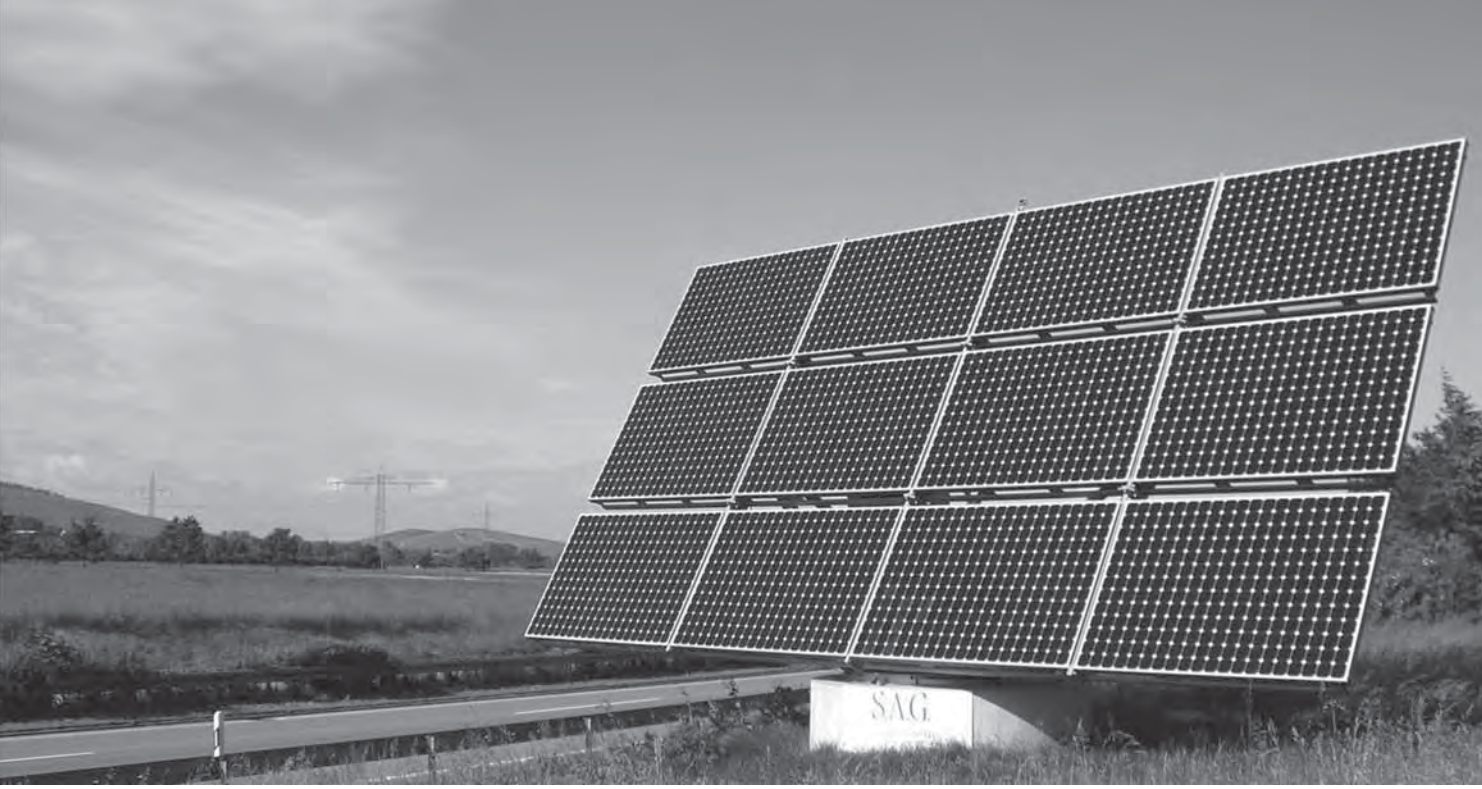

सुविधा को पहुंचाने में सौर ऊर्जा एक अत्यंत व्यवहार्य विकल्प है। ग्रिड के तार बिछाकर पारेषण प्रणाली स्थापित करने में जो व्यय होता है, उससे बचा जा सकता है। सौर ऊर्जा के उपभोक्ताओं को ग्रिड में ख़राबी के कारण अंधेरे में नहीं रहना पड़ेगा। यह एक स्थानीय साधन है, जिसका उत्पादन, वितरण और उपभोग स्थानीय स्तर पर ही होता है। जहां पारंपरिक विद्युत पहुंचाना संभव नहीं है। वहां के लिए सौर ऊर्जा सबसे अच्छा विकल्प है।

बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सौर ऊर्जा से जलने वाली स्ट्रीट लाइटें गांवों में लगाई जा रही हैं। हालांकि अभी नौकरशाही की पुरानी आदतों के कारण इस काम में थोड़ा विलंब होता है, परंतु पहले की अपेक्षा अब काफी तेज़ी आई है। सोलर स्ट्रीट लाइट के अलावा, घरेलू प्रकाश, सौर लालटेन, सोलर पंच, सोलर हीटर, सोलर चूल्हों का उपयोग बिहार के गांवों में तेज़ी से बढ़ रहा है। अब तक उच्च वर्ग के लोग ही सौर ऊर्जा के संसाधनों का उपयोग करते थे, परंतु अनुदान मिलने से आम मध्यमवर्गीय परिवारों के घर भी सौर ऊर्जा से रोशन होने लगे हैं। एक अच्छी बात यह है कि सब्सिडी (अनुदान) देने का काम बैंकों के जिम्मे है, जो बेहतर है।

उत्तर प्रदेश में भी सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए क़दम उठाए जा रहे हैं। ऊसर और बंजर ज़मीन का भूमि बैंक बनाकर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की पहल की गई है। कानपुर का आईआईटी (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान) सौर ऊर्जा का शोध केंद्र है। संस्थान के परिसर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में सौर परियोजनाएं शुरू करने की योजना है। संस्थान सौर ऊर्जा की सस्ती प्रौद्योगिकी के विकास पर विशेष ध्यान दे रहा है। आईआईटी के छात्रावास में 50 हज़ार लीटर क्षमता का सोलर वाटर हीटर लगाकर 'चैरिटी विगिन्स फ्राम होम' की कहावत को चरितार्थ करने की कोशिश की गई है। कानपुर स्थित सीमा शुल्क विभाग और कर्मचारी राज्यबीमा निगम के कार्यालयों में भी दो सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। अन्य संस्थानों और कार्यालयों ने भी इसे अपनाना शुरू कर दिया है। ग्रामीण अंचलों में सोलर लालटेन के साथ लगे हुए मोबाइल चार्जर की सबसे ज्यादा मांग है। इसकी क़ीमत दो से ढाई हज़ार रुपये तक है। धीरे-धीरे ही सही सौर ऊर्जा के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। उत्तराखंड के नैनीताल में एक होटल व्यवसायी ने अपने होटल की छत पर सोलर पैनल लगाकर औरों को राह दिखाने का काम किया है। इससे जहां दो हज़ार रुपये प्रतिदिन की लकड़ी की बचत हो रही है, वहीं धुएं व पर्यावरण क्षति से भी मुक्ति मिली है।

देश के अन्य भागों में सोलर वाटर हीटर लगाए गए हैं। ये हीटर प्रतिदिन कुल मिलाकर 200 मेगावाट विद्युत की बचत करते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में भी सौर ऊर्जा को अनुकरणीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नये बनने वाले सभी भवनों में सोलर वाटर हीटर का होना ज़रूरी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सौर ऊर्जा के साधनों के बढ़ते उपयोग की बात करें तो क़रीब 50 लाख सोलर लालटेनें देश में इस्तेमाल की जा रही है। साढ़े आठ लाख से अधिक घरेलू लाइट्स का इस्तेमाल भी सौर ऊर्जा से हो रहा है। सोलर लैंप नाम के इस उपकरण के उपयोग से जहां गांवों में अंधेरे घरों में रोशनी पहुंची है, वहीं ख़र्च भी कम हो रहा है। पर्यावरण में प्रदूषण भी कम हो रहा है।

खेतों में सिंचाई के लिए भी सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों का प्रयोग बढ़ रहा है। सिंचाई पंपों को पारंपरिक बिजली की आपूर्ति में अवरोध का सामना प्राय: प्रत्येक राज्य में करना पड़ता है। अगर गांव में बिजली नहीं आए तो पंप बंद हो जाते हैं और सिंचाई के अभाव में खेत सूखने लगते हैं। अब सोलर पंप के आने से यह समस्या काफी हद तक सुलझ गई है। देश में इस समय लगभग 8 हज़ार सोलर वाटर पंप खेतों की सिंचाई कर रहे हैं।

अब कुछ बातें सौर ऊर्जा के उपयोग के वैज्ञानिक पहलू के बारे में। सूर्य से सौर ऊर्जा को खींचकर उसे प्रयोग में लाने के लिए

सोलर पैनल की आवश्यकता होती है। ये सोलर सेल से बना होता है। इनके ज़रिये ही सूर्य के ताप को ऊर्जा में बदलते हैं। इन सेलों को फोटोवाल्टिक सेल कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सूर्य की ऊर्जा से हवा अथवा तरल पदार्थों को गर्म किया जाता है। इस विधि का उपयोग घरेलू कार्यों में किया जाता है। इस सरल विधि के दोहन की तक़नीक में निरंतर सुधार लाने के प्रयास हो रहे हैं। भारत सरकार ने सौर ऊर्जा के अधिकाधिक दोहन के लिए 2009 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का अनुमोदन किया था। मिशन ने 2022 तक 20 हज़ार मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा विद्युत ग्रिड में जोड़ने का लक्ष्य रखा है। पिछले वर्ष के बजट में राष्ट्रीय सौर मिशन के कामकाज़ के लिए 10 अरब रुपये का प्रावधान किया गया था। सरकार ने निजी सोलर कंपनियों को सीमा-शुल्क में भी राहत दी है, जिससे उनको सौर ऊर्जा के साधनों, कलपुर्ज़ों और उपकरणों के आयात के लिए प्रोत्साहन मिला है। इस छूट के बाद छतों के ऊपर लगाए जाने वाले सोलर पैनलों की लगात में 15 से 20 प्रतिशत की कमी आई है। सरकार ने पूर्वोत्तर के राज्यों को सोलर फोटोवाल्टिक विद्युत संयंत्र लगाने पर 70 प्रतिशत की छूट देने की योजना भी बनाई है। अन्य राज्यों को यह छूट 30 प्रतिशत तक सीमित है। केंद्र सरकार ने कुछ विशेष जनोपयोगी परियोजनाओं को अतिरिक्त छूट देने का भी फ़ैसला किया है। मैसूर नगर निगम द्वारा प्रस्तावित 'मेगा सोलर पावर प्लांट' इसी तरह की परियोजना है, जिस पर भारत सरकार 50 प्रतिशत की छूट देगी।

हाल के दिनों में वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा की प्रौद्योगिकी को सरल और सस्ता बनाने के लिए शोध कार्यों में तेज़ी आई है। यह तो निश्चित है कि सौर ऊर्जा का स्रोत तो अक्षय और शाश्वत है। वह कभी समाप्त होने वाला नहीं। परंतु उसको मानव मात्र के उपयोग में लाने की प्रविधि महंगी अवश्य है। सारी दुनिया के वैज्ञानिक इसी प्रविधि को सहज़ और सुलभ बनाने के प्रयास में लगे हैं ताकि कार्बनिक उत्सर्जन को नियंत्रित करने के प्रयासों को बल मिल सके। पिछले कुछ वर्षों में हुए शोध के फलस्वरूप फोटो-वाल्टिक सेलों के उत्पादन की लागत में 5 से 10 प्रतिशत तक की कमी आई है। वैश्विक स्तर पर सोलर सेल के उत्पादन में 60 प्रतिशत अधिक की वृद्धि हुई है। बाज़ार की प्रवृत्ति पर शोध करने वाली फर्म 'टेक नेवियो' (इनफिनिटी रिसर्च की शाखा) ने कुछ महीनों पूर्व अपने अध्ययन में कहा था कि सौर ऊर्जा उद्योग अगले तीन वर्षों में 15.3 प्रतिशत की दर से विकास करेगा। क़रीब 6 माह पूर्व प्रकाशित मैक्किंसी की रिपोर्ट तो और भी आशावादी थी, जिसमें कहा गया था कि सोलर सेल के उत्पादन की लागत में 2020 तक प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की गिरावट होती रहेगी। इस समय तक पूरे विश्व में सौर ऊर्जा से 400-600 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन होने लगेगा।

सौर प्रौद्योगिकी, अनुसंधान के लिए युवा वैज्ञानिकों का पसंदीदा क्षेत्र बनता जा रहा है। बाज़ार में नये-नये प्रकार की नयी प्रौद्योगिकियां सामने आ रही हैं। इससे सिलिकॉन आधारित फोटोवाल्टिक सेल प्रभुत्व में कमी आ रही है। हाल ही में अत्यंत पतली (बारीक़) फ़िल्म बाज़ार में आई है। भारत की कुछ परियोजनाओं में भी इस फ़िल्म का उपयोग किया जा रहा है और अब इसका प्रचलन तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त भी नयी सौर तापीय प्रौद्योगिकियों पर भी काम चल रहा है। प्लास्मोनिक सोलर और संपूर्ण कार्बन सोलर सेल इनमें प्रमुख हैं। उत्पादन की तक़नीक और सिस्टम डिज़ाइनिंग में भी परिवर्तन आ रहा है। वैज्ञानिकों को आशा है कि अगले दशक तक कृत्रिम फोटो सिंथेसिस भी उभरकर सामने आ सकती है। यही प्रक्रिया सौर ऊर्जा शोध की आत्मा है।

घरों में सौर ऊर्जा प्रणाली लगाए जाने पर, अपेक्षा यह रहती है कि यह दिनभर की हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लायक पर्याप्त ऊर्जा का उत्पादन करे और हो सके तो तीन-चार दिन के उपयोग के ऊर्जा का भंडारित कर सके ताकि वर्षा और बदली की स्थिति में विद्युत का संकट न हो सके। इस तरह की प्रणाली के लिए एक बैटरी की आवश्यकता होती है, जिसमें दिनभर की उत्पादित ऊर्जा का भंडारण होता रहता है और समय आने पर उसका उपयोग किया जा सकता है। भारत जैसी जलवायु वाले क्षेत्र में ऐसे उपकरण अति उपयोगी हैं। सोलर बैटरी के उत्पादन में वृद्धि और लागत में कमी लाने के शोध पर भी सरकार ने ध्यान दिया है। शुरुआती लागत के बाद इसमें अन्य कोई व्यय नहीं होता।

सौर पैनल, सौर ऊर्जा के उत्पादन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। आमतौर पर 1 वर्ग फुट के सोलर पैनल से 10.6 वाट की ऊर्जा पैदा होती है। इस 1 वर्गफुट के सोलर पैनल की लागत लगभग साढ़े 4 हज़ार रुपये होती है। इतने से केवल कमरे में ही रोशनी की जा सकती है। यदि आपको टेलीविज़न, फ्रिज और कंप्यूटर भी चलाना है तो कम से कम 60-70 सोलर पैनल लगाने होंगे। यह एक महंगा सौदा है और आपके पास इतने पैनल लगाने की जगह भी होनी चाहिए। सरकारी अनुदान से लागत में तो केवल सामूहिक और सहकारी प्रयास से ही मिट सकती है। सोलर पैनल का आकार ही सौर ऊर्जा के उपकरणों की लोकप्रियता में सबसे बड़ी बाधा है। वैज्ञानिकों ने सौर ऊर्जा से चलाए जाने वाले अनेक दोपहिया, तिपहिया वाहनों का आविष्कार किया है, परंतु आकार की असहजता के कारण ही उनका प्रयोग केवल प्रदर्शनियों तक सिमटकर रह गया है।

इस समस्या का एकमात्र निदान है, शोध। भारत में सौर ऊर्जा के शोध को अभी उतनी गति नहीं मिली है, जितनी कि आवश्यकता है। सरकार और ऊर्जा पर अनुदान तो दे रही है, उसे अब इस क्षेत्र में अनुसंधान को अधिकाधिक प्रोत्साहन देना चाहिए। नवंबर, 2012 के अंतिम सप्ताह में कतर की राजधानी दोहा में विश्व के तमाम देश एक बार फिर एकत्रित हो रहे हैं। वे कार्बनिक उत्सर्जन के नये नियम और सीमा तय करने जा रहे हैं। इससे केवल कुछ देशों की प्रगति में रुकावट ही आएगी। बेहतर होगा कि वे सब मिलकर ऐसी निधि का गठन करें जो वैकल्पिक ऊर्जा के संसाधनों की तक़नीक को सहज़ और सुलभ बनाने में योगदान करें। विकासशील और अल्प विकसित देशों को आर्थिक और औद्योगिक विकास के अपने प्रयासों पर बढ़ते रहने के लिए आवश्यक है कि उन पर उत्सर्जन की कटौती के लिए अनावश्यक दबाव न डाला जाए। उनको वैकल्पिक ऊर्जा के साधन और तक़नीक सुलभ कराने से इस समस्या से निबटने में अधिक मदद मिलेगी। ❑

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

भोजन पकाने की स्वचालित मशीन

बिहार के भागलपुर निवासी अभिषेक भगत का जन्म एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता एक व्यवसायी हैं, और एक किराने की दुकान चलाते हैं। उनके बड़े भाई कॉमर्स में स्नातक करने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे हैं। जबकि अभिषेक ने ऐनिमेशन के कोर्स में प्रवेश लिया है। मुश्किल परिस्थितियों में भी अपनी क्षमताओं के अनुसार पिता ने किसी तरह दोनों बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताएं पूरी की। प्रारंभिक पढ़ाई के दौरान अभिषेक एक सामान्य छात्र ही थे, क्योंकि वह केवल पारंपरिक पढ़ाई के बजाय अपने स्तर से कुछ करने में विश्वास रखते थे। भौतिक विज्ञान उनका प्रिय विषय रहा है, जबकि पेंटिंग उनका शौक। जब वह नौवीं कक्षा में थे, तो उन्होंने पेंटिंग की एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। यह प्रतियोगिता इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी। उन्होंने पहला रचनात्मक कार्य तब किया, जब वह मात्र बारह वर्ष के थे। यह टाइमर से संचालित एक विस्फोटक यंत्र था। उनकी इस खोज ने उनके माता-पिता को बहुत डरा दिया और उन्होंने अभिषेक को एक आवासीय विद्यालय में डाल दिया। लेकिन इससे वह ज़रा भी विचलित नहीं हुए।

मां के हाथों के व्यंजनों का स्वाद

वह प्रतिदिन अपना काफी समय रसोई में बिताते थे और अपनी मां को भोजन पकाते हुए देखते थे। एक बार ऐसा भी हुआ कि मां की बीमारी के चलते उन्हें खुद भोजन बनाना पड़ा। तब उन्हें महसूस हुआ कि पूरे साल हर दिन भोजन बनाना महिलाओं के लिए कितना जटिल काम होता है। इस अहसास ने उन्हें अपनी मां के लिए एक ऐसी मशीन बनाने की प्रेरणा दी, जो स्वयं खाना बनाए और मां को मुसीबत से छुटकारा दिलाए। इच्छा की इस ज्वाला और थोड़ी-सी तकनीकी जानकारी ने उनके भीतर एक उत्साह भर दिया और उन्होंने यह मशीन विकसित करने का मन बना लिया। जिन दिनों वह यह मशीन बनाने के तरीक़ों पर विचार कर रहे थे, एक रात हॉस्टल में रात्रि भोज करते समय उन्हें भोजन का स्वाद अच्छा नहीं लगा। तभी उनके मन में अपनी मशीन इस तरह विकसित करने का विचार आया, जो उनकी मां की तरह स्वादिष्ट भोजन पकाए और वह जब और जहां चाहे, मां के हाथों के बने भोजन का स्वाद ले सकें।

इस मशीन का एक खाका उनके मस्तिष्क में बैठ गया। विचार के अनुसार मशीन में अलग-अलग खाने निर्मित करने थे। जिनमें खास व्यंजनों के लिए आवश्यक पदार्थ भरने थे। मशीन को अलग-अलग विधि वाले व्यंजनों के एक कार्ड से संचालित होना था। यह कार्ड, इस तरह तैयार होना था, जिसमें हर किसी के लिए अपनी विधि से व्यंजन तैयार करने का तरीक़ा हो। अभिषेक ने इसके लिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (एनआईएफ) को लिखा, जिसने उनका संपर्क आईएसएम, धनबाद से कराया। मशीन का निर्माण तो

संभव था, लेकिन इसे संचालित करने वाला कोई कैसे बने, यही सबसे बड़ी समस्या थी। आईएसएम, धनबाद में कुछ समय बिताने के बाद अभिषेक वापस लौट आए और इस समस्या पर चिंतन-मनन में डूब गए। उन्होंने अपनी भौतिकी की पुस्तकों की सहायता ली और एक ऐसा कार्ड बनाने में सफलता प्राप्त की, जो योजनाबद्ध (प्रोग्राम) किया जा सकता था। इस मशीन का पहला संस्करण 2009 में बन कर तैयार हो गया। यह मशीन चाय और खीर बना सकती थी। इस आविष्कार के लिए उन्हें इग्नाइट, 2009 प्रतियोगिता (छात्रों के विचार और आविष्कार की राष्ट्रीय प्रतियोगिता) का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार उन्हें डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के हाथों से मिला। जिन्होंने उनकी मशीन की बहुत प्रशंसा की। एनआईएफ ने भी इस मशीन को उनके नाम से (729/केओएल/2010) पेटेंट करा दिया।

बाद में एनआईएफ ने अभिषेक को कुछ बेहतर तकनीक़ों के साथ मशीन का एक संशोधित और परिष्कृत संस्करण विकसित करने में सहायता दी। जिसमें अलग-अलग पदार्थों के लिए आठ बॉक्स थे। इस खोज में दिल्ली के एक डिज़ाइनर को भी शामिल किया गया, ताकि इस नमूने को और अधिक विकसित करके उसे बाज़ार में उतारने लायक उत्पाद बनाया जा सके। अभिषेक ने मार्च, 2011 में राष्ट्रपति भवन की आविष्कार प्रदर्शनी में भी हिस्सा लिया और 2011 में वह विज्ञान संगठन इनोवेशन एंड नॉलेज के सहयोगी बने। उन्होंने मार्च 2012 में आयोजित एनआईएफ की छठी द्विवार्षिक राष्ट्रीय प्रतियोगिता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता, और उन्हें यह पुरस्कार तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से प्राप्त करने का गौरव हासिल हुआ।

स्वचालित भोजन निर्माण मशीन

यह मशीन बिजली से चलने वाली भोजन बनाने की स्वचालित मशीन है, जिसके खानों में केवल मसाले और व्यंजन सामग्री डाली जाती हैं, और मशीन व्यंजन विधि के कार्ड के अनुसार स्वयं खाना तैयार कर देती है। मशीन में आठ खाने और एक केंद्रीय कंटेनर होता है। खानों में अलग-अलग सामग्री और मसाले भरे रहते हैं, जो कार्ड में दर्ज़ आवश्यकता और पहले से तय समय के अनुसार मध्य में लगे कंटेनर में गिरते जाते हैं। यह व्यंजन कार्ड पहले से योजनाबद्ध होता है। व्यंजन विधि का कार्ड डालते ही मशीन पर इस बात की सूचना दिखाई देने लगती है कि अलग-अलग खानों में किस-किस सामग्री की आवश्यकता है। जैसे ही यह मांग पूरी की जाती है, मशीन अपना काम शुरू कर देती है और भोजन पकाने वाले का काम खत्म हो जाता है और वह आराम से बैठ जाता है। इसके बाद जब रेसिपी के अनुसार खाना तैयार हो जाता है, मशीन खुद अलार्म बजा कर खाना तैयार होने की सूचना दे देती है। इस मशीन को हल्के मिक्सर के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। डिज़ाइन और बाज़ार के शोध में इससे पहले ऐसे किसी डिज़ाइन या मशीन की चर्चा नहीं मिलती है।

अभिषेक जब यह मशीन बना रहे थे तो उन्हें धन और अपनी सीमित जानकारी के कारण काफी संघर्ष करना पड़ा। लेकिन मशीन बना लेने के बाद और एक बार इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लेने के बाद 'रसोई के राजा' ने इसके प्रदर्शन के लिए अपने संबंधियों को आमंत्रित किया। बहरहाल, उन्होंने जब उन लोगों के सामने इसे चलाने का प्रयास किया तो अचानक शॉर्ट सर्किट से इसके कुछ अवयव नष्ट हो गए। संबंधियों ने उन्हें इसके लिए काफी चिढ़ाया। लेकिन दृढ़ निश्चयी अभिषेक ने हार नहीं मानी और मशीन एक बार फिर पूरी बना डाली।

इस मशीन के निर्माण के दौरान उनकी मां ने उनका जबर्दस्त उत्साहवर्धन किया और अपनी रिश्ते की एक बहन के साथ उन्हें कुंठा और मानसिक तनाव से बाहर निकाला। मां ने व्यंजन विधि कार्ड पर आधारित इस मशीन के व्यंजन नमूनों को तैयार करने में भी उनकी मदद की। यह मशीन इन दिनों वैल्यू एडीशन की प्रक्रिया से गुज़र रही है, जो बुजुर्गों, अविवाहितों और विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं वाले लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होगी। क्योंकि यह मशीन पूरे भोजन निर्माण प्रक्रिया के दौरान बार-बार देखने के झंझटों से मुक्त होगी। यही नहीं, इसे उपयोग करने वाला व्यक्ति इसके व्यंजन विधि वाले कार्ड की विशेषता के चलते घर से दूर रह कर भी अपने भोजन में घर का स्वाद महसूस कर सकेगा।

रचनात्मक किरण

अभिषेक को एनआईएफ ने दो महीने के लिए आवासीय आविष्कारक के रूप में आमंत्रित किया, ताकि वह अपनी स्वचालित भोजन निर्माण मशीन पर काम कर सकें। उन्होंने वहां न केवल अपनी पूर्व कल्पना पर काम किया बल्कि वहां एक ऐसी मशीन का विकास किया जो फीता मापक के रूप में काम करती है। अर्थात जब आप कोई कपड़ा काट रहे हों, तो आप यह भी देख सकते हैं कि कपड़ा कितने इंच या फीट काटा जा चुका है। इसका अर्थ यह है कि अब आपको कपड़े पर निशान लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, कि कितना कपड़ा कट चुका है और कितना काटना है। आपको बस कपड़ा तब तक काटते जाना है, जब तक कैंची पर दर्ज़ तय निशान तक न पहुंच जाएं।

सूर्यमुखी का फूल अपना मुंह हमेशा सूर्य की तरफ रखता है, इसी आधार पर अभिषेक एक सौर प्रकाश और सौर कुकर के निर्माण पर भी विचार कर रहे हैं। इस रचना में उत्पाद के सौर पंख सूर्य की दिशा स्वयं समझ लेंगे और उसके अनुसार ही घूमते रहेंगे। इस तरह सौर पंक अर्थात सोलर पैनल अपना मुख सूर्य की दिशा में ही रखेंगे और उससे अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करेंगे। अभिषेक की एक परिकल्पना और है, वह है- स्मार्ट घड़ी की। इस घड़ी को 12 घंटों के लिए इस तरह प्रोग्राम किया जा सकता है, कि वह बल्व ऑन-ऑफ करने और दूसरे उपकरणों को उपयोग करने जैसे सामान्य घरेलू काम स्वयं कर सके। उनके पास ऐसी कई अन्य परिकल्पनाएं भी हैं। यानी इस सूची का कोई अंत नहीं है और उनका मस्तिष्क सदा कुछ न कुछ सोचता रहता है। फिलहाल वह एक एनिमेशन कोर्स कर रहे हैं और अपने भीतर के कला पक्ष की खोज में जुटे हुए हैं। हम आशा करते हैं, कि जल्दी ही हमें यह देखने का भी अवसर मिलेगा कि वह अपनी तकनीकी और कला, दोनों क्षमताओं का संयुक्त उपयोग करते हुए कुछ नया कर दिखाएंगे। क्योंकि वह कहते हैं- सिर्फ़ अध्ययन करना और शिक्षा में पास होना ही अध्ययन नहीं होती, पढ़ाई का उपयोग करके कुछ नया करना ही पढ़ाई है। ❑

अनुकरणीय पहल

सामुदायिक श्रमदान से सफल हुआ सफ़ाई अभियान

● अवनीश सोमकुवर

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 160 किमी दूर हरदा जिले के घने जंगलों में स्थित केलझिरी गांव के निवासी व बारहवीं कक्षा के छात्र अमरलाल का एक सपना तब साकार हुआ जब उनके गांव के लिए शौचालय बना। खुशी से उत्साहित राहतगांव सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल के इस विद्यार्थी ने कहा कि मैंने फ़िल्मों में तो शानदार शौचालय देखे थे, लेकिन अब अपने गांव में इन्हें बना देख कर मुझे आश्चर्य हो रहा है। असरलाल की नज़र में ये शौचालय कोई विलासिता की वस्तु नहीं बल्कि एक आवश्यकता है।

असलियत यह कि असरलाल को पता नहीं कि दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे धनी व्यक्ति बिल गेट्स ने अपनी पिछली भारत यात्रा के दौरान भारत की जनता द्वारा अपने रहन-सहन की परिस्थितियां सुधारने की कोशिश की सराहना की थी और उसे जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहायता देने का भरोसा दिलाया था। केल्भिरी में कुल 45 कोर्कू जनजातीय परिवार रहते हैं। अब उनके घरों में सर्वसुविधा संपन्न शौचालय है और उनका गांव 'खुले में शौच मुक्त' गांव घोषित किया जा चुका है। 1999 में भारत सरकार ने इस गांव में 'पूर्ण स्वच्छता अभियान' के तहत एक व्यापक कार्यक्रम चलाया था जिसका लक्ष्य था खुले में शौच जाने की परंपरा का अंत करना। सरकार ने 2017 तक गांव में खुले में शौच जाने की परंपरा समाप्त करने का लक्ष्य रखा और भारत सरकार ने 'निर्मल ग्राम पुरस्कार' की शुरुआत की। इसके अंतर्गत उन संस्थानों और व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाता है जिन्होंने विनिर्दिष्ट क्षेत्र में साफ़-सफ़ाई व्यवस्था लाने में सहायता की है। इन्हें नकद पुरस्कार दिया जाता है। केल्भिरी इस पुरस्कार को प्राप्त करने का पात्र बन सके, इसके लिए दो अन्य ग्रामों को भी यही स्थिति प्राप्त करनी होगी।

शौचालयों का निर्माण ग्राम वन संरक्षण समिति ने करवाया है जिन्होंने इस काम में 1,355 हेक्टेयर भूमि में उपजे सागवान के वृक्षों की लकड़ी बेच कर लाभ कमाया। यह भूमि उन्हें वन संरक्षा के लिए सौंपी गई थी। इस संबंध में राज्य सरकार ने फ़ैसला किया था कि सागवान की लकड़ी बेच कर जो धनराशि मिल सकेगी उससे शौचालय बनाए जाएंगे। गांव के सभी 450 लोगों ने साफ़-सफ़ाई की ज़रूरत महसूस की और यह फ़ैसला किया। उन्होंने अपनी इच्छानुसार ये विचार बनाए और उन्हें मूर्त रूप देने की कार्रवाई की। ग्राम संरक्षा समिति के अध्यक्ष श्री गुलाब ने उत्साह के साथ बताया कि चर्चा के दौरान, मिलने वाले पैसे से शौचालय बनाने का विचार कैसे उनके मस्तिष्क में आया। उन्होंने बताया उस परियोजना में 19,96,000 रुपये का लाभ हुआ। अनेक योजनाएं बनाई गईं लेकिन शौचालयों के निर्माण को प्राथमिकता दी गई।

समिति ने इस आशय का एक प्रस्ताव पास किया और इसकी सूचना उन्होंने वन विभाग के चीफ कंजर्वेटर बी.के. सिंह को दी जिनके कार्यक्षेत्र में यह वन क्षेत्र आता है। बड़वानी ग्राम पंचायत में केल्झिरी का प्रतिनिधत्व करने वाले सक्रिय पंच श्री राजेश ठाकुर ने बताया

कि 'हमें अपने प्रस्ताव को लेकर आशंकाएं थीं, लेकिन श्री बी.के. सिंह के समर्थन से उत्साहित होकर हमने नवंबर 2011 में निर्माण शुरू करवाया। उन्होंने डिज़ाइन तय करने में हमारी मदद की। हर परिवार से श्रमदान मिला जिससे श्रम की लागत में किफ़ायत सहायता मिली। मार्च 2012 में निर्माण पूरा हो गया।

75 वर्षीय साबूलाल का कहना है कि वर्षों से हमारे ग्रामवासी नदी तट का इस्तेमाल शौच जाने के लिए करते रहे हैं। बारिश के दिनों में हमें बहुत परेशानी होती थी। खासतौर से महिलाओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। अब ये शौचालय हमारे लिए इज्ज़त के प्रतीक हैं और इससे बीमारियां दूर रहती है।

श्री बी.के.सिंह के अनुसार इन शौचालयों की सबसे ख़ास बात यह है कि इनका निर्माण बढ़िया हुआ है। ये अब अगले 50 वर्षों तक चलेंगे। नल आदि में बढ़िया गुणवत्ता वाला सामान इस्तेमाल किया गया है। ऊपर 500 लीटर क्षमता के टैंक रखे गए हैं। अच्छी टाइल्सें लगाई गई हैं। टिकाऊपन सुनिश्चित करने के लिए हर शौचालय को 10,000 लीटर क्षमता के ओवरहेड टैंक से जोड़ा गया है। हर यूनिट की लागत 2,39,000 आई है।

केल्झिरी में सबसे बढ़िया बात यह रही कि यहां सारा निर्माण भूतल पर हुआ। ज़रूरी पानी बोरवेल से मिल जाता इससे ये शौचालय लंबे समय तक चलते रहेंगे। पास ही अजनार बहती है जो नर्मदा की सहायक नदी है। इसके कारण यहा भूजल का स्तर गर्मियों में भी कम नहीं होता। समिति के एक सदस्य श्री रामलाल ने बताया कि वन संरक्षा समिति के अंतर्गत एक कार्यकारणी गठित की गई है जो आने वाली परेशानियों को दूर करती है। जल सफ़ाई व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि बोरवेल से 10,000 लीटर क्षमता वाल टैंक प्रात:काल भर दिया जाता है। इसके बाद सभी 45 शौचालयों के ओवरहेड टैंक भरे जाते हैं। बिजली बिल का भुगतान समिति करती है। हर महीने औसतन रुपये 500 का बिल आता है। हर शौचालय एक सेप्टिक टैंक से जुड़ा है। शौचालयों के पास हम पेड़ लगा रहे हैं ताकि पानी बेकार न जाए और उसका भी इस्तेमाल हो सके।

केल्झिरी में एक प्राइमरी स्कूल, एक मिडिल स्कूल और एक आंगनवाड़ी है। मिडिल स्कूल में 42 और प्राइमरी स्कूल में 80 बच्चे पढ़ने आते हैं। इसी परियोजना के अंतर्गत आंगवाड़ी केंद्र और स्कूलों के पहले से चल रहे शौचालयों की भी मरम्मत कराई जा रही है।

मीठीबाई सारे इसे अपने गांव और परिवार की शान बढ़ाने वाली संपत्ति मानती हैं। उनका कहना है कि बहुत जल्दी क़रीब 100 किशोर किशोरियां वयस्क हो जाएंगे। अब बहुओं को ज़िल्लत नहीं उठानी पड़ेगी। गांव की मुश्किलें हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। अब केल्झिरी का जनजीवन नये सिरे से शुरू होगा।

बडवानी ग्राम पंचायत की सरपंच उर्मिला बाई चौधरी के अनुसार केल्झिरी ने अब अपनी अलग पहचान बना ली है। साफ़-सफ़ाई के इस अभियान में उनकी भूमिका के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ग्राम वन संरक्षण समिति में जो भी फ़ैसला किया, उन्होंने उसका सम्मान किया एवं उसे अपना नैतिक समर्थन दिया। महत्व की बात यह रही कि इसके लिए हर परिवार ने प्रतिबद्धता और उत्साह दिखाया। इस ग्राम से प्रेरणा पाकर अब इसी इलाक़े के खूंटी और बड़वानी भी केल्झिरी के रास्ते पर चलने की तैयारी कर रहे हैं।

यह परियोजना कितनी सफल रही, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब लोग कहने लगे हैं कि अगर केल्झिरी ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं। अब आस-पास के ग्रामवासी भी वैसा ही करना चाहते हैं जैसा केल्झिरी वालों ने कर दिखाया है।

आस-पास के समृद्ध ग्रामवासी जो करना चाहते हैं वह केल्झिरीवालों ने कह दिया। अब यह एक अग्रणी गांव बन गया है। यह कहना है कक्षा 9 के छात्र अर्जुन का।

बडवानी ग्राम पंचायत के ज्ञान सिंह तोमर का कहना है कि 'केल्झिरी को खुले में शौचमुक्त गांव' तब तक नहीं घोषित किया जाना चाहिए जब तक पड़ोस के खूंटी और बड़वानी गांव भी पूर्णतया ऐसी ही स्थिति में पहुंच न जाएं। उनका यह भी कहना है कि जिला अधिकारी भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजे जिसमें केल्झिरी की सफलता की चर्चा की जाए और उसे मान्यता मिले। डीएफओ उत्तम शर्मा ने भी ऐसे ही विचार प्रकट किए। उन्होंने वन संरक्षा समिति की कामयाबियां गिनाईं और कहा कि अजमारा नदी पर बनाया गया बांध सिंचाई का भरोसेमंद साधन बन गया है। गांव की कुल 74,000 हेक्टेयर भूमि में से लगभग 50,000 हेक्टेयर की सिंचाई इसी से की जाती है। कम से कम 18 कुएं भी खोदे गए हैं जो सिंचाई के काम आते हैं। हर किसान दो-दो फ़सलें उगाता है।

''स्वास्थ्य और सफ़ाई से जुड़े मुद्दों पर लोगों को शिक्षित करने के लिए विशेष अभियान शुरू करने में हम अधिकारियों की मदद कर रहे हैं। अगला क़दम है। पक्के मकान बनाना।'' यह कहना है बी.के. सिंह का। वह होशंगाबाद के मुख्य वन कंजर्वेटर हैं। उन्होंने केल्झिरी को एक आदर्श गांव बताया जिसने साफ़-सफ़ाई में एक मिसाल कायम की है। गांव के अमरलाल और उनके मित्रों को इस पर नाज़ है। ❑

सुशासन, पंचायतीराज और महिलाएं

● अजय कुमार सिंह

21वीं सदी को महिलाओं की सदी के रूप में जाना जाता है। जब महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ क़दम से क़दम मिलाकर अपनी अंतर्निहित क्षमता के बल पर आत्मविश्वास और साहस के साथ पुरुष प्रधान समाज में अपने अस्तित्व का अहसास दिलाने का सफल प्रयास कर रही है। विश्व के नारी समाज ने सदा से ही अपने को सामाजिक, धार्मिक, विधिक, शैक्षणिक, आर्थिक व सांस्कृतिक हर क्षेत्र में उपेक्षित समझा और उसकी यह पीड़ा सदा से ही संवेदित करती रही कि उसे पुरुष के अधीन ही परतंत्र, पराश्रमी, पराधीन जीवन क्यों जीना पड़ता है?

वर्तमान में पंचायती राज के माध्यम से महिला सशक्तीकरण की समीक्षा मानवाधिकार के नज़रिये से भी की जा रही है। इस संदर्भ में बीजिंग में विश्व स्तर पर संपन्न हुए चौथे सम्मेलन में जारी की गई 'बीजिंग घोषणा' के अहम बिंदुओं पर ध्यान देना होगा, सम्मेलन का नारा था– 'दुनिया को महिलाओं की दृष्टि से देखों'। बीजिंग घोषणा के बिंदु 14 में कहा गया है–'महिलाओं के अधिकार मानवाधिकार हैं।' अत: भारत में पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी से अभिप्राय 'बीजिंग घोषणा' के उपयुक्त बिंदुओं को मूर्त रूप प्रदान करता है इसलिए आज भारत में पंचायतीराज स्तर पर महिलाओं की व्यापक भागीदारी को विश्व स्तर पर सही ढंग से प्रस्तुत करना है। सामाजिक आयाम के साथ-साथ आर्थिक आयाम भी महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण हेतु पंचायतीराज संस्थाओं से जुड़ा है जिसमें निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को ग़रीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही ग्रामीण महिलाओं को रोज़गार मुहैया कराना होगा। इस दिशा में 'मनरेगा' (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना) के तहत महिलाओं को भी कार्य मिले, इसकी पक्की व्यवस्था होनी चाहिए। मनरेगा में मज़दूरों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई महिलाएं हैं, जिन्हें आवश्यक रूप से रोज़गार प्रदान करने की व्यवस्था के साथ ही पुरुषों के समान ही उन्हें 100 रुपया प्रतिदिन मज़दूरी देना सुनिश्चित किया गया है, साथ ही उनके आर्थिक उत्थान हेतु स्वयं सहायता समूहों का गठन अनिवार्य है। इसके अलावा उद्यमियों को आवश्यकतानुसार बैंकों से कर्ज़ भी मुहैया कराना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ग्राम स्तर पर विकास और लोकतांत्रिक क्रियाकलापों से गांव की आम महिला भी जुड़ सकें।

पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक एवं प्रशासन के क्षेत्र में भी स्त्रियों के सशक्त हस्तक्षेप बढ़े हैं। इनमें से कई राजनीति के शिखर तक भी पहुंच रही हैं और इस तरह अपने नेतृत्व क्षमता को साबित कर रही हैं। लेकिन राजनीति के शिखर पर पहुंचने वाली कुछेक महिला नेताओं से निष्कर्ष निकालना भी सही नहीं है कि इससे आम स्त्रियों की समस्या और स्थिति में सुधार हो जाएगा, क्योंकि अभी भी स्त्रियों को 33 प्रतिशत आरक्षण देने में पुरुष वर्चस्व वाली सभी राजनीतिक पार्टियां आनाकानी और टालमटोल कर रही हैं। उन्हें यह डर सता रहा है कि इसके कारण कहीं उनकी अपनी सत्ता न छिन जाए। पंचायत की सीटों पर जो आरक्षण स्त्रियों को दिए गए हैं उसके कारण उनकी स्थिति और चेतना में निश्चित रूप से बदलाव व विकास हुआ है। नारी को आर्थिक एवं सामाजिक बराबरी करने का बेहतर अवसर मिला है जिसको रूढ़िवादी ताक़तों ने और संघर्षमय और चुनौतीपूर्ण बना दिया था। निश्चय ही यह कहा जा सकता है कि सुशासन के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका इस समय दुनिया में सबसे अहम है। सर्वजन-शिक्षा जो सुशासन की देन है, ने नारी का सशक्तीकरण उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता देकर किया है। इसके अलावा शिक्षा ने नारी के लिए नये आयामों का संचार किया है, जिससे वह हर क्षेत्र में अपनी योग्यता एवं सक्षमता दिखाने की स्थिति में है। पंचायतों में आरक्षण करके सरकार ने नारी के लिए विशाल क्षेत्रों को खोल दिया है जिनमें वह पूरी शक्ति से भाग ले सकती हैं।

भारत में महिलाओं को त्रिस्तरीय अवसरों की उपलब्धता है। प्रथम, राजनीतिक दलों के स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं की भागीदारी दिखाई पड़ती है। वह शहरी परिवेश हो अथवा ग्रामीण, राष्ट्रीय राजनीति से लेकर पंचायत तक में महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का सुअवसर मिल रहा है। द्वितीय, संस्थागत स्तर

पर, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, महिला अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध संगठन है जिसने विधिक आधिकारों के प्रति जागरुकता उत्पन्न की। महिला आयोग की स्थापना के पश्चात एक महत्वपूर्ण प्रयास 73वां व 74वां संविधान संशोधन रहा है जिसके अंतर्गत महिलाओं को स्थानीय स्तर पर 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया ताकि महिलाओं के अधिकारों एवं नेतृत्व को वास्तविक रूप से क्रियान्वित किया जा सके। तृतीय, आंदोलन की राजनीति के स्तर पर, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय अथवा स्थानीय मुद्दों पर संगठित होकर प्रतिरोध प्रदर्शित करना एवं उसके माध्यम से राजनीतिक निर्णय निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करना भी महत्वपूर्ण परिवर्तन है। महिलाओं की परिस्थिति पर कमेटी की रिपोर्ट 'समानता की ओर' में उल्लेख किया गया है कि भारतीय राजनीति परिदृश्य में किसी एक कारक और राजनीतिक व्यवहार के मध्य परस्पर संबंध था। विभिन्न क्षेत्रों से राजनीतिक व्यवहार का आदर्श विभिन्न संबंधों को दर्शाता है और उन पर प्रभाव डालता है क्योंकि वे सब राजनीतिक व्यवहार द्वारा अंतर्संबंधित होते हैं जैसे– महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक मानक और विस्तृत समाज में महिलाओं की भागीदारी की ओर सभी क्षेत्रों का दृष्टिकोण। वर्तमान ग्रामीण परिदृश्य इस बात को दर्शाता है कि अब भी महिलाएं समाज के हाशिये पर हैं वे इतनी जागरूक नहीं हो पाई हैं कि ग्रामसभा की बैठकों में भाग लेने के लिए तत्पर रहे। आम ग्रामीण महिलाओं को शायद जानकारी नहीं है कि अब ग्राम सभा को 73वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक मान्यता मिल गई है। इसलिए ज़रूरी है कि आम महिलाओं की सक्रिय भूमिका पंचायती राज के हर स्तर पर हो एवं एक मज़बूत महिला समिति का गठन हो। हाल ही में ये बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान व महाराष्ट्र में ज़्यादा सक्रिय हुई हैं। नयी पुनर्निर्वाचित पंचायतों में प्रवेश के बाद भारत की ग्रामीण महिलाओं ने आत्मविश्वास के साथ अपनी छवी बदलने की कोशिश शुरू कर दी हैं।

आज महिलाओं ने अपने आत्मविश्वास से पंचायतों के अंदर एवं बाहर अपनी भागीदारी से सुशासन के स्तर को और सशक्त बनाया है। महिलाओं की क्षमताओं को लेकर सबसे ज़्यादा संदेह ग्राम पंचायतों में ही प्रकट किया गया था। लेकिन महिलाओं के सफल नेतृत्व ने उनकी क्षमताओं को और उभारने का काम किया है। इससे पहले महिलाएं हमेशा सत्ता में हाशिये पर ही रहीं। निर्मला बुच का मानना है कि पंचायतों में महिलाओं के सशक्तीकरण की प्रक्रिया उन्हें अपने जीवन की फिर से जांच-पड़ताल करने, अपने अधीनस्थता व शक्ति के स्रोतों तथा ढांचों की पहचान करने और मौजूदा विचार व्यवस्थाओं के साथ-साथ संस्थाओं को चुनौती देने के लिए कार्यवाही करने में समर्थ बनाएगी। ❑

(लेखक गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में शोध छात्र हैं।
ई-मेल : ajaykumarsingh0@gmail.com)

बायोजेट ईंधन को मिली हरी झंडी

जेट विमान के लिए तैयार किए गए बायोजेट फ्यूल को जहाज़ का इंजन बनाने वाली कनाडा की प्रेट ह्विटनी कंपनी ने हरी झंडी दे दी है। अब देहरादून स्थित भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आइआइपी) बायोजेट फ्यूल की तक़नीक को देश की सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को सौंपने की अंतिम तैयारी कर रहा है। तेल कंपनियों ने बायोफ्यूल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए स्थान तलाशना शुरू कर दिया है।

मुख्य बातें

- इंटरनेशनल एविएशन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आइएटीए) ने वर्ष 2017 तक एयरक्राफ्ट्स के सामान्य ईंधन में 10 फीसदी तक बायो जेट फ्यूल मिलाने का लक्ष्य रखा है।
- जेट विमानों के ईंधन से वातावरण की ऊपरी परत में दो फीसदी कार्बन डाई-ऑक्साइड पहुंचता है, जो निचले स्तर के प्रदूषण से अधिक ख़तरनाक है। बायोजेट से यह समस्या काफी कम हो जाएगी।
- जेट ईंधन की ख़पत एक दशक में 21 फीसदी से अधिक की दर से बढ़ी है।

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आइआइपी) के वैज्ञानिकों ने जैट्रोफा से उन्नत किस्म का बायोजेट फ्यूल तैयार कर इसे जहाज़ के इंजन में परीक्षण के लिए प्रेट ह्विटनी कंपनी के पास कनाडा भेजा था, जिसे कंपनी ने हरी झंडी दिखा दी। साथ ही, भारत ने अमरीका के बाद दूसरे ऐसे देश का दर्ज़ा हासिल कर लिया है, जिसके पास जेट विमान उड़ाने के लिए बायोफ्यूल की तक़नीक मौजूद है। ख़ास बात यह कि अमरीका का बायोजेट डबल प्रोसेसिंग से बनाया गया है, जबकि भारत में बना यह ईंधन महज़ सिंगल प्रोसेस से तैयार किया गया है, जिससे समय व लागत दोनों में कमी आएगी।

तक़नीक के आधार पर बायोफ्यूल का वाणिज्यिक उत्पादन के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आइओसी) व हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (एचपीसी) व भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसी) ने हामी भरी है। आइआइपी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अनिल सिन्हा ने बताया कि तेल कंपनियों ने ईंधन के उत्पादन की जोर-शोर से तैयारी शुरू कर दी है। सब कुछ ठीक रहा तो तीन माह के बाद यह तक़नीक तेल कंपनियों को सौंप दी जाएगी।

एक लीटर जैट्रोफा के तेल से 900 ग्राम बायोफ्यूल बनता है, जिसमें 40 फीसदी जेट विमान का ईंधन बनाने के साथ-साथ 30-30 फीसदी पेट्रोल व डीज़ल भी बनाया जा सकता है।

आइआइपी के वैज्ञानिकों के मुताबिक बायोजेट को सीधे या सामान्य ईंधन के साथ मिलाकर दोनों तरीक़े से जेट विमान में इस्तेमाल किया जा सकता है। ❑

गांधीजी आज भी प्रासंगिक हैं

● सुभाष सेतिया

द्वंद्वों और तनाव से जूझ रही मानवता भी विश्वशांति और सद्भाव के लिए गांधीवाद की ओर निहार रही है। भारत के इस सपूत को 20वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति घोषित किया जाना और उनके जन्म दिन 2 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय गांधीजी की विचारधारा और कार्यपद्धति के साथ-साथ भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को भी नमन है

देश-विदेश में हाल की अनेक घटनाएं इस मान्यता की पुष्टि करती हैं कि गांधीजी के शारीरिक अवसान के 60 वर्ष से अधिक समय के बाद भी गांधीजी और उनके सिद्धांत लोगों को राह दिखा रहे हैं। अपने देश में गत दिनों हुए कुछ आंदोलनों पर नज़र डालें तो पाएंगे कि वह काफ़ी हद तक गांधीवादी चिंतन एवं आचरण से न केवल प्रभावित बल्कि प्रेरित भी रहे। इसका अर्थ यह है कि आंदोलनकारी और उनके नेता अपने कार्यक्रम की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए गांधीवाद का सहारा लेना उपयोगी एवं सार्थक मानते रहे हैं। जब भी किसी समूह को अपनी मांगों के सिलसिले में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना होता है तो वे राजघाट या संसद भवन के परिसर में बापू की विशाल प्रतिमा की छाया का आश्रय लेते हैं। अब तो युवा भी गांधीजी को अपना आदर्श मानने लगे हैं। गांधीगिरि विरोध प्रदर्शन का नया तरीक़ा बन गया है जिसमें फूल या अन्य उपहार भेंट कर अपने विरोधी का दिल जीतने की चेष्टा की जाती है।

यह कम आश्चर्य की बात नहीं है कि बीसवीं सदी में ब्रिटेन के विशाल साम्राज्यवाद से लोहा लेने वाला गुलाम देश का एक नेता सदी के समाप्त होते-होते विश्व के शिखर पुरुष के रूप में उभरने लगा। यह स्थिति भारत के लिए गर्व का विषय है। द्वंद्वों और तनाव से जूझ रही मानवता भी विश्वशांति और सद्भाव के लिए गांधीवाद की ओर निहार रही है। भारत के इस सपूत को 20वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति घोषित किया जाना और उनके जन्म दिन 2 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय गांधीजी की विचारधारा और कार्यपद्धति के साथ-साथ भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को भी नमन है। अमरीका में मार्टिन लूथर किंग, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला और पाकिस्तान में सरहदी गांधी जैसे अनेक नेता और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह और असहयोग का रास्ता अपनाकर गांधीवाद की सार्वभौमिकता और सार्थकता सिद्ध की है। यूरोपीय संघ की संसद ने विश्व में मानव अधिकारों की स्थिति पर जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि उसकी नज़र में ''आधारभूत मानव अधिकारों के सम्मान, पालन और प्रोत्साहन के लिए गांधीवादी अहिंसा का रास्ता सबसे अधिक उपयुक्त है।'' अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अनेक अवसरों पर महात्मा गांधी को याद कर चुके हैं।

सच तो यह है कि भारतीय जनजीवन का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिस पर उन्होंने अपनी ठोस राय हमारे सामने न रखी हो। लोकतंत्र से लेकर ग्राम स्वराज, ब्रह्मचर्य से लेकर स्त्री सशक्तीकरण और नशाबंदी से लेकर शिक्षा

जैसे हर पहलू पर गांधीजी ने गहन चिंतन किया और व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत किए। संभवत: गांधीजी हमारे युग की ऐसी विभूति हैं जिन पर सबसे अधिक लिखा गया है। उनका जीवन हमारे सांस्कृतिक जीवन का भी प्रमुख हिस्सा बन गया है। उन पर अनेक फ़िल्में बनी हैं, नाटकों का मंचन हुआ है और उनकी विभिन्न मुद्राओं में असंख्य प्रतिमाएं समूचे देश में प्रतिष्ठित हैं। भारत का शायद ही कोई ऐसा शहर, कस्बा हो, जहां उनके नाम पर किसी सड़क या मार्ग का नामकरण न किया गया हो। जो राजनीतिक एवं सामाजिक दल या समूह पहले गांधी विरोधी थे, वे भी गांधीजी और गांधीवाद के कायल हो गए हैं। जिस एक नाम पर भारत के सभी वर्गों, समूहों और क्षेत्रों को एक साथ लाया जा सकता है वह हैं- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी।

गांधीवाद एक ऐसा दर्शन है जो पिछले 8 दशकों से ज्योति-स्तंभ के रूप में हमारे राष्ट्रीय जीवन के बीच मौजूद है। यों गांधीवाद कोई शास्त्रीय दर्शन या स्कूल नहीं है, जिसे किसी विशेष विषय अथवा अनुशासन से जोड़ा जा सके। विशुद्ध रूप से यह न तो राजनीतिक विचारधारा है और न ही आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक चिंतन। गांधीवाद वास्तव में मानव आचरण को दिशा देने वाली एक दृष्टि है, जो महात्मा गांधी के लंबे संघर्षशील जीवन से उपजे कुछ सिद्धांतों, कार्यशैलियों, आचार-पद्धतियों एवं विचारों को अपने में समेटे हुए है। उनकी यही व्यावहारिकता उन्हें आज भी प्रासंगिक बनाती है।

गांधीवादी चिंतन का सबसे बड़ा पहलू है 'अहिंसा'। गांधीजी ने अपने तथा देश के उस शत्रु के ख़िलाफ़ भी हिंसा के प्रयोग की वर्जना की जो स्वयं उन पर तथा देशवासियों पर हिंसक अत्याचार कर रहा था। गांधीजी ने कहा था, ''अहिंसा मेरा धर्म और सत्य मेरा ईश्वर है।'' उन्होंने अनेक बार हिंसा की रोकथाम के लिए अपने प्राणों की बाज़ी लगा दी थी। हिंसा का विरोध उनके चिंतन में इतना गहरा पैठ चुका था कि उन्होंने चौरा-चौरी में सांप्रदायिक हिंसा होने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन तक स्थगित कर दिया। उनका कथन है ''हिंसा कायरता की पराकाष्ठा है।'' गांधीवाद का एक और तत्व है- सर्वधर्म समभाव या धर्म निरपेक्षता। हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रति गांधी जी की निष्ठा की गहराई का अनुमान इस ऐतिहासिक तथ्य से लगाया जा सकता है कि जिस स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, उसकी प्राप्ति के जश्न के मौके पर वे नोआखाली में सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलसे लोगों के ज़ख़्मों पर मरहम लगाने में जुटे हुए थे। महात्मा गांधी स्वयं एक धार्मिक व्यक्ति थे, किंतु दूसरे धर्मों का पूरा सम्मान करते थे।

जब हम गांधीवाद के अन्य व्यावहारिक पहलुओं की उपयोगिता और उन्हें अपनाने के उनके प्रयोगों का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि कुछ मामलों में हम सफल रहे हैं तो कुछ क्षेत्रों में उनके विश्वास पर खरे नहीं उतरे हैं। यह आत्मविश्लेषण हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कहां और क्यों चूके हैं तथा किस तरह आज भी गांधीवाद को अपनाकर अपने तथा समाज के जीवन को सार्थक बना सकते हैं। गांधीजी 'सादा जीवन-उच्च विचार' की उक्ति को शत-प्रतिशत चरितार्थ करते थे। किंतु हमारा सामाजिक जीवन, विशेषकर महानगरीय जीवन इस मूल्य के एकदम विपरीत दिखाई दे रहा है। अब विचारों की उच्चता गौण हो गई है और वैभव प्रदर्शन ही बड़ा होने का लक्षण बनता जा रहा है। वैश्वीकरण से हालात और बिगड़ गए हैं। जिस धर्म निरपेक्षता के लिए गांधीजी अपने प्राणों को दाव पर लगाने में नहीं हिचकिचाए, वह अब राजनीति का हथियार बनती दिखाई दे रही है। सत्य और अहिंसा गांधीजी के सर्वाधिक प्रिय सिद्धांत थे किंतु हमारे सामाजिक जीवन में अब इन मूल्यों को केवल मौखिक समर्थन प्राप्त है, व्यवहार तथा आचरण से ये तेज़ी से गायब होते जा रहे हैं। धर्म गांधीजी के लिए सर्वोच्च जीवन मूल्य था किंतु अब वह केवल कर्मकांड और स्वार्थ सिद्धि का माध्यम बनता जा रहा है। और तो और आदर्श शासन के लिए 'रामराज्य' की उनकी कल्पना भी तुच्छ राजनीति का शिकार बन गई है। इस प्रकार इन मूल्यों के आधार पर मूल्यांकन करें तो निराशा ही हमारे हाथ लगती है।

किंतु ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, जिनमें हम गांधीजी के मार्ग पर कुछ हद तक चल पाए हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही गांधीजी तथा अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने लोकतंत्र की अवधारणा को आत्मसात कर लिया था जिससे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शासन तंत्र चुनने में देश को कोई दुविधा नहीं हुई। गांधीजी ने कहा था-''असली स्वराज कुछ लोगों द्वारा सत्ता प्राप्त करने से नहीं आएगा बल्कि यह सभी के द्वारा इसकी क्षमता हासिल करने से ही आ पाएगा।'' लोकतंत्र ही वास्तव में वह व्यवस्था है जो आम आदमी को शासन का भागीदार बनने का अवसर प्रदान करती है। भारत के लिए यह गर्व की बात है कि अनेक संकटों के बावजूद उसने लोकतंत्र का रास्ता नहीं छोड़ा। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। गांधीजी की दृष्टि में लोकतंत्र का अर्थ था गांव में रहने वाले निर्धनतम व्यक्ति को भी शासन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार देना। 18 जनवरी, 1948 को *हरिजन* में गांधीजी ने लिखा था-''सच्चे लोकतंत्र का परिपालन केंद्र में बैठे 20 व्यक्तियों द्वारा नहीं कराया जा सकता। इसका कार्यान्वयन प्रत्येक गांव के निवासियों द्वारा ही होना चाहिए। भारत के सच्चे लोकतंत्र की इकाई गांव ही है।''

इसमें कोई संदेह नहीं कि सच्चा विकास तभी हो सकता है जब उसमें लोगों की भागीदारी हो और विकास योजनाएं उन पर ऊपर से न थोपी जाएं। यद्यपि आज हम यह तो नहीं कह सकते कि निचले स्तर तक वास्तविक अर्थों में लोकतंत्र पहुंच गया है, किंतु इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि इस दिशा में प्रारंभ से ही प्रयास किए जाते रहे हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह तक सभी नेताओं की पंचायती राज व्यवस्था में अटूट निष्ठा रही है। राजीव गांधी ने तो पंचायतों को अधिकार-संपन्न बनाने के लिए संविधान में संशोधन का भी प्रयास किया। दिसंबर, 1992 में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित करके सरकार ने पंचायती राज के संबंध में गांधीजी के चिंतन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण क़दम बढ़ाया। महिलाओं और उपेक्षित वर्गों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के कारण गांवों में सत्ता उन लोगों के हाथों में भी पहुंच रही है, जो इससे सदियों से वंचित थे। महिलाएं अब प्रशासन का दायित्व बखूबी संभाल रही हैं। हाल में केंद्र सरकार ने पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 50 प्रतिशत कर दिया है। इसी तरह

कई प्रांतों में नगरपालिकाओं में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। निश्चय ही गांधीजी का ग्राम स्वराज और महिला सशक्तीकरण का सपना धीरे-धीरे पूरा हो रहा है।

महात्मा गांधी कहा करते थे कि वास्तविक भारत गांवों में बसता है। गांवों में रह रहे करोड़ों लोगों का जीवन स्तर सुधारने के उद्देश्य से ही उन्होंने स्वराज प्राप्ति का बीड़ा उठाया था। 26 मार्च, 1939 को *यंग इंडिया* में अपनी इस धारणा को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा, ''मैं स्वराज प्राप्ति के लिए काम कर रहा हूं उन करोड़ों बेरोज़गार और मेहनतकश लोगों के लिए जिन्हें एक जून का खाना भी नसीब नहीं होता और जो थोड़े से नमक के साथ रोटी खाकर गुज़ारा कर रहे हैं।'' गांधीजी ने खेतों में काम करने वाले कृषि मज़दूरों, कारीगरों तथा उपेक्षित गांववासियों की दशा सुधारने के लिए ही खादी जैसे आर्थिक कार्यक्रमों का पक्ष लिया और मशीनों के इस्तेमाल का विरोध किया। वे गांव को आत्मनिर्भर इकाई बनाना चाहते थे जो शहरों पर निर्भर न हों। गांव के संबंध में उनकी कल्पना इन शब्दों में देखी जा सकती है जो उन्होंने *हरिजन* के 26 जुलाई, 1942 के अंक में व्यक्त किए, ''ग्राम स्वराज की मेरी अवधारणा यह है कि यह पूर्ण गणतंत्र होगा जो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए अपने पड़ोसियों पर निर्भर नहीं होगा। इस प्रकार प्रत्येक गांव की पहली चिंता अपनी आवश्यकता का अनाज तथा वस्त्रों के लिए कपास उगाने की होगी।'' इससे ज़ाहिर होता है कि गांधीजी कृषि के माध्यम से ग्रामीण जीवन को खुशहाल और अपने आप में पूर्ण इकाई बनाने के समर्थक थे। उन्होंने अपने आचरण से भी यही संदेश दिया। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए वे प्रतिदिन खेती और बागवानी का काम करते थे। अपने आश्रमों में भी गांधीजी कई तरह की फ़सलें उगाते थे। उनकी प्रेरणा से ही उनके सहयोगी विनोबा भावे ने ग्रामदान एवं भूदान आंदोलन के माध्यम से भूमिहीन व बेसहारा ग्रामवासियों को किसानी करने का अवसर देने की दिशा में अथक प्रयास किए।

1998 के दशक में उदारीकरण के बाद शहरीकरण को बढ़ावा मिला है तथा ग्रामीण क्षेत्र उपेक्षित होने लगे हैं। किंतु सरकार ने बढ़ती विषमताओं को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष योजनाएं शुरू कीं जिनके ज़रिये उपेक्षित और ग़रीब लोगों को रोज़गार सब्सिडी तथा नक़द राशि के रूप में मदद देने का प्रयास किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ऐसा ही एक क्रांतिकारी क़दम है। साथ ही सूचना का अधिकार कानून बनाकर 'मनरेगा' तथा अन्य विकास योजनाओं में होने वाले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रबंध किया गया। हाल में सरकार ने खेतिहर मज़दूरों तथा असंगठित क्षेत्र के अन्य कामगारों के लिए आदर्श स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से निर्धनता की रेखा से नीचे की गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। खाद्य सुरक्षा कानून के माध्यम से ग़रीबों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इन उपायों से गावों से शहरों में पलायन की गति पर कुछ अंकुश लगा है।

देश आज अनाज के मामले में आत्मनिर्भर है। किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य मिल रहे हैं। लगभग हर साल कृषि उत्पादों का न्यूनतम ख़रीद मूल्य बढ़ाया जा रहा है। किंतु किसान आज भी संतुष्ट और सुखी नहीं हैं। वे आत्महत्याएं कर रहे हैं। सरकार ने उनके ऋणों को माफ करके उनकी दशा सुधारने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के क़दम उठाएं हैं। सरकार किसानों की ज़मीन के अधिग्रहण और उनके पुनर्वास का व्यापक विधेयक संसद में ला रही है। परंतु किसानों को उनके वाज़िब हक़ अभी नहीं मिले हैं और गांवों को स्वतंत्र आर्थिक एवं सामाजिक इकाई का रूप देने का गांधीजी का सपना पूरी तरह साकार नहीं हो पाया है।

भारतीय समाज में जातीय आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं की कलंकपूर्ण स्थिति से गांधीजी पूरी तरह अवगत थे। इसलिए उन्होंने इस विषमता को दूर करने के लिए अस्पृश्यता निवारण को अपने राजनीतिक आंदोलन का अंग बनाया था। उन्होंने केवल भाषणों और उपदेशों से नहीं बल्कि छोटे समझे जाने वाले काम स्वयं अपने हाथों से करके और अस्पृश्य माने जाने वाले वर्गों के बीच रहकर लोगों को प्रेरित किया। वे समानता के लिए संघर्ष की बजाय सामाजिक समरसता पर बल देते थे। यद्यपि दलितों के उद्धार के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण तथा शिक्षा व अन्य सामाजिक सेवाओं में रियायतें देकर काफ़ी कुछ किया गया है किंतु सामाजिक समरसता एवं सामाजिक न्याय का लक्ष्य अभी बहुत दूर है। यह सच है कि सामाजिक न्याय अब हमारे राष्ट्रीय एजेंडे का महत्वपूर्ण अंग बन गया है और उपेक्षित वर्गों में पहले से अधिक जागरुकता दिखाई देने लगी है किंतु विकास के लाभों का समान बंटवारा अभी नहीं हो पा रहा है और आर्थिक विषमता समाप्त नहीं हो पाई है।

स्वदेशी की भावना को गांधीजी ने स्वाधीनता आंदोलन के अभिन्न अंग के रूप में अपनाया तथा उसे जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। गांधीजी की स्वदेशी भावना कोई संकीर्ण राष्ट्रवादी सोच की उत्पत्ति नहीं, बल्कि देश के आर्थिक विकास और कुशल कारीगरों व श्रमिकों के रोज़गार से जुड़ी हुई थी। इसी दृष्टि पर ज़ोर देते हुए उन्होंने खादी और चरखा आंदोलन चलाया। साथ ही गांधीजी लघु और कुटीर उद्योगों के पक्षधर थे। वे कहते थे कि मनुष्य को मशीन का गुलाम नहीं होना चाहिए। मशीनों का वे इसलिए विरोध करते थे क्योंकि उनसे जितने लोगों को काम मिलता है उससे कई गुणा कारीगर बेकार हो जाते हैं। इसके अलावा बड़े उद्योगों में उत्पादन वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धा के कारण होता है। बड़ी कंपनियां कृत्रिम मांग पैदा करती हैं और लोगों की इच्छाएं जगाने का प्रयास करती हैं। गांधीजी ने कहा–''सामूहिक उत्पादन में लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह विश्व के संकट के लिए जिम्मेदार है।'' आज जिस गति से उपभोक्तावाद और संग्रह की संस्कृति बढ़ रही है और अमरीका तथा यूरोप के विकसित देशों समेत समूचे विश्व में आर्थिक मंदी तथा बेरोज़गारी बढ़ रही है, उसे देखते हुए गांधीजी की चेतावनी ठीक लगती है। यह सही है कि आज के युग में औद्योगीकरण के बिना विकास तथा प्रगति कर पाना कठिन है किंतु यदि गांधीजी के सिद्धांत पर चलकर हम छोटे, कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों के विकास पर अधिक ध्यान देते तो बेरोज़गारी, आर्थिक विषमता, शोषण और उपभोक्तावाद जैसी समस्याएं इतना विकराल

रूप न ले पातीं। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण और वैश्विक तपन का जो ख़तरा मंडरा रहा है, उससे भी हम मुक्त होते। हम गांव वालों और आदिवासियों को उनके घरों से उजाड़ कर देश का विकास नहीं कर सकते। प्रकृति के साथ सामंजस्य की गांधीवादी सोच को अपनाकर हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के साथ-साथ नक्सलवाद जैसी समस्याओं से भी बच सकते हैं।

गांधीजी ने राष्ट्रीय एकता और विश्व में भारत के सम्मान से जुड़े राष्ट्र भाषा के पहलू पर भी समुचित ध्यान दिया। गांधीजी अपनी मातृभाषा गुजराती से बहुत प्यार करते थे। उस समय हमारे अधिकतर नेता और बुद्धिजीवी अंग्रेज़ी माध्यम से शिक्षित थे और अपने दैनिक कार्यों में अंग्रेज़ी का ही प्रयोग करते थे, किंतु गांधीजी अपना सारा काम अपनी मातृभाषा गुजराती में करते थे और देश के विभिन्न भागों में जनता को संबोधित करने के लिए सबसे अधिक देशवासियों द्वारा बोली जाने वाली हिंदी का प्रयोग करते थे। वे हिंदी को देश की संपर्क भाषा और राष्ट्र भाषा मानते थे और खुलकर इसका समर्थन करते थे। उन्होंने कई बार हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की और विभिन्न राज्यों, विशेषकर दक्षिण भारत में हिंदी प्रचारिणी सभाओं की स्थापना में सहयोग दिया। उनकी प्रेरणा से हिंदी का प्रश्न स्वतंत्रता आंदोलन का अंग बन गया और अनेक नेताओं ने हिंदी प्रसार को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। उनके नेतृत्व में बने वातावरण के कारण ही संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में बिना किसी विरोध के स्वीकृति मिल गई। किंतु हम गांधीजी की इस शिक्षा से भी भटक गए और 15 वर्ष में हिंदी को पूर्णरूपेण राजभाषा बनाने का संविधान निर्माताओं का संकल्प पूरा नहीं कर पाए। परंतु आज स्थिति आशाजनक लग रही है। पहले हिंदी सिनेमा और अब हिंदी टीवी चैनलों और रेडियो ने हिंदी को देशभर की वाणी बना दिया है। न्यूयार्क में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन में हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। दक्षिणी राज्यों में हिंदी सीखने की होड़ लग गई है। जो राजनीतिक दल हिंदी के विरोधी थे, उनके नेता भी हिंदी बोलने और पढ़ने का प्रशिक्षण ले रहे हैं। अमरीका, चीन, कोरिया, जापान और यूरोपीय देशों के लोग हिंदी सीखने के लिए भारत के विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले रहे हैं। लगता है हिंदी को व्यावहारिक स्तर पर देश की अखिल भारतीय भाषा बनाने का गांधीजी का सपना भी साकार होने जा रहा है।

ज़ाहिर है कि गांधीजी, उनका चिंतन और कर्म-केवल भारत के लिए ही नहीं अपितु समूची मानवता के लिए प्रकाश स्तंभ हैं, जिसकी किरणों और रोशनी की सहायता से हम अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। सच तो यह है कि आने वाले समय में हमें उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने की और अधिक आवश्यकता होगी और उनकी प्रासंगिकता सदियों तक बनी रहेगी। ❑

(लेखक आकाशवाणी के समाचार निदेशक रह चुके हैं।)

ई-मेल : setia_subhash@yahoo.co.in)

(पृष्ठ 42 का शेषांश)

गांधीजी के विचारों को थोड़े शब्दों में समेटना हो तो कहा जा सकता है कि ऐसा शासन जो लोकसम्मति से चले, जो सबके कल्याण के लिए काम करे, जिसमें सत्ता पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का कब्ज़ा न हो, जहां लोग हर चीज़ के लिए राज्य मुखापेक्षी न हों, जिसमें समाज के निचले तबके को भी कुछ जीवन की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों, या जो उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्नशील हो। किंतु इन सबमें गांधीजी के सुशासन की मूल भारतीय कल्पना सत्य, अहिंसा और नैतिकता को प्रमुख स्थान देती हैं। वे लिखते हैं, 'मेरी कल्पना का स्वराज तभी आएगा जब हमारे मन में यह बात अच्छी तरह जम जाए कि हमें अपना स्वराज सत्य और अहिंसा के शुद्ध साधनों द्वारा ही हासिल करना है, उन्हीं के द्वारा उसका संचालन करना है और उन्हीं के द्वारा हमें उसे कायम रखना है। सच्ची लोकसत्ता या जनता का स्वराज कभी भी असत्य और हिंसक साधनों से नहीं आ सकता। कारण स्पष्ट और सीधा है, यदि असत्य और हिंसक उपायों का प्रयोग किया गया, तो उसका परिणाम यह होगा कि सारा विरोध या तो विरोधियों को दबाकर या उनका नाश करके ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा नहीं हो सकती। वैयक्तिक स्वतंत्रता को प्रकट होने का पूरा अवकाश केवल विशुद्ध अहिंसा पर आधारित शासन में ही मिल सकता है।'

तो इतनी गहरी कल्पना सुशासन के संदर्भ में हमारे राष्ट्रपिता की थी। सच यह है कि भारत का स्वाधीनता संघर्ष केवल अंग्रेज़ों को भगाने के लिए नहीं था, उसके साथ भारत को विश्व के समक्ष एक आदर्श शासन, आदर्श देश के रूप में साकार करने का लक्ष्य भी था और हमारे ज़्यादातर मनीषियों ने इस दिशा में काफी विचार किया है। इन सबके बीच व्यवस्था के अलग-अलग बिंदुओं पर कुछ मतभेद थे, पर मूल कल्पना सुशासन की लगभग एक ही थी। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, वल्लभभाई पटेल आदि का नाम ले सकते हैं। आज़ाद भारत के लिए उन सबकी कुछ कल्पनाएं थीं और सबका मूल सुशासन ही था। सत्य और न्याय पर टिकी ऐसी शासन व्यवस्था जो देश के लिए शांति, सुव्यवस्था और सामूहिक भाईचारा का भावनात्मक भाव कायम करे और विश्व को भी सत्य, अहिंसा, नैतिकता और भाईचारे की ओर अग्रसर करने वाले सुशासन के लिए प्रेरित करे। कहने का अर्थ यह है कि भारत के सुशासन का लक्ष्य केवल देश तक सीमित नहीं था। इसका वैश्विक लक्ष्य भी था। पंडित नेहरू ने आज़ादी के बाद से विश्व स्तर पर तीसरी दुनिया के साथ गठबंधन बनाने की जो कोशिशें कीं। वह भारत के उसी सार्वभौमिक लक्ष्य की ओर अग्रसर होना था। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का सिद्धांत वैश्विक सुशासन के लिए ही तो था। चीन के हमले से भारत के सुशासन को वैश्विक और आंतरिक दोनों ओर के प्रयास को धक्का लगा। किंतु हम अपना लक्ष्य भूल नहीं सकते। अंत में हम कह सकते हैं कि भारत को अपनी कल्पना के सुशासन के लिए अभी काफी कुछ करने की ज़रूरत है। जब हम स्वयं वास्तविक सुशासन के साकार रूप हो जाएंगे तो विश्व अवश्य हमारे आदर्शों पर चलेगा। ❑

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं।

ई-मेल : awadheshkmr@yahoo.com)

हमारे अनमोल रत्न

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

PUBLICATIONS DIVISION
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING, GOVERNMENT OF INDIA

E-mail: dpd@sb.nic.in, dpd@mail.nic.in
Website: publicationsdivision.nic.in

स्वामी विवेकानंद : नये युग के प्रवर्तक

● सरोज कुमार वर्मा

समय सबसे गतिशील अवधारणा है। इसकी गतिशीलता के कारण ही बुद्ध को भी कहना पड़ा कि एक ही नदी में कोई दुबारा नहीं उतर सकता, क्योंकि इस बीच कितना पानी बह चुका होता है। इस दृष्टिकोण से डेढ़ सौ साल का वक़्त कुछ कम नहीं होता। यह एक लंबा फ़ासला है। लेकिन इस फ़ासले के बावजूद यदि कोई शख्स जेहन में बचा होता है, तो निश्चित ही वह उस वक्त का नायक होता है। लेकिन कोई भी नायक अपने समय में सिमटा नहीं होता। उसका उद्बोधन आने वाले दिनों में युगों-युगों तक भ्रमित लोगों को रास्ता दिखा रहा होता है। स्वामी विवेकानंद डेढ़ सौ साल पहले पैदा हुए ऐसे ही नायक हैं, जिन्होंने न केवल इस मुल्क़ को बल्कि समूची दुनिया और पूरी मानवता को तब भी रास्ता दिखाया था और अब भी रास्ता दिखा रहे हैं। इस लिहाज़ से वे भारत के महानायक हैं। तभी तो रवीन्द्र नाथ टैगोर भारत को समझने के लिए विवेकानंद को पढ़ने की सलाह देते हैं और डॉ. ए. एल. बाशम कहते हैं- 'नरेंद्र नाथ दत्त, जो बाद में स्वामी विवेकानंद हुए, के जन्म के सौ वर्ष बाद भी आज विश्व इतिहास की तुला पर उनके महत्व का मूल्यांकन कर पाना अत्यंत कठिन है। किसी पाश्चात्य इतिहासकार अथवा अधिकांश भारतीय इतिहासकारों के लिए भी यह कार्य उनके देहांत के समय जितना कठिन था, अब उससे कहीं अधिक कठिन हो गया है, क्योंकि तब से अब तक के अंतराल के वर्षों में होने वाली अनेक विस्मयकारी एवं अप्रत्याशित घटनाओं से ऐसा संकेत मिलता है कि आनेवाली सदियों में विशेषकर जहां तक एशिया का सवाल है, वे आधुनिक विश्व

को गढ़ने वाले लोगों में अन्यतम के रूप में याद किए जाएंगे और भारतीय धर्म के संपूर्ण इतिहास में वे सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक के रूप में गिने जाएंगे।'' (*स्वामी विवेकानंद और उनका अवदान*, संपादक, स्वामी विदहात्मानन्द, पृ. 60-61)

इस गिनती की मुख्य वजह तो यह है कि उन्होंने सदियों से सोये हुए भारत को झकझोड़ कर जगाया। विवेकानंद का काल भारतीय गुलामी का काल था। उस वक़्त भारत पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। अंग्रेज़ यहां के शासक थे। इसलिए स्वाभाविक तौर पर वे यहां की जनता पर अपनी श्रेष्ठता का भाव चस्पां कर रहे थे। इस कारण यहां की जनता एक हीनता की ग्रंथी से ग्रसित थीं। उसके मन में यह ख्याल बैठ गया था कि अंग्रेज़ और अंग्रेज़ीयत बेहतर है और यह ख्याल केवल साधारणजन के जेहन में नहीं बैठा था, बल्कि यहां का पढ़ा-लिखा बौद्धिक तबका भी इसी हीन ग्रंथी का शिकार था। इसलिए यहां का शिक्षित वर्ग अपनी परंपरा को हेय दृष्टि से देखने लगा था और अपनी परंपरा की खिल्ली उड़ाता था। तब का भारतीय समुदाय यूरोपीयों के बौद्धिक हमले से ऐसा कुंठित हो गया था कि वह उसी को श्रेष्ठ मानता था, जिसे पश्चिम वाले श्रेष्ठ कहते थे। उनकी गवाही के बगैर भारतवासी अपनी रीति-नीति, अपना धर्म-दर्शन, अपनी परंपरा-त्योहार किसी भी चीज़ को बेहतर मानने को राज़ी न थे। विवेकानंद के लिए यह स्थिति बेहद अपमानजनक थी। इसलिए सबसे पहले उन्होंने भारतीयों की इस हीनता ग्रंथी पर चोट की। उसे तोड़ा। इसके लिए उन्होंने अपनी आध्यात्मिक परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और दार्शनिक स्थापनाओं की ऐसी व्याख्या प्रस्तुत की कि भारतवासियों की झुकी रीढ़ तन कर सीधी हो गई, वे आत्मगौरव की भावना से आप्लावित हो गए, उनका मुख मंडल तेज़ से दमक उठा।

और ऐसा इसलिए हो सका कि अपनी व्याख्या में विवेकानंद ने न केवल भारतीय धर्म और दर्शन को श्रेष्ठ बताया, बल्कि यह भी कहा कि भारत के पास एक ऐसी आध्यात्मिक संपदा है, जिसकी आवश्यकता पश्चिमी जगत को भी है और चूंकि यह संपदा भारत के पास प्रचुरता में है, इसलिए वह पश्चिमी जगत को इसका दान कर सकता है। शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद द्वारा दिया गया भाषण उनकी आध्यात्मिक संपदा की श्रेष्ठता और प्रचुरता की घोषणा का दास्तावेज़ है। सर जदुनाथ सरकार इस घोषणा के पचास वर्षों बाद, 1943 में लिखे अपने एक लेख में इसकी पुष्टि करते हैं। वे लिखते हैं- 'तब से पचास वर्ष बीत चुके जब एक अज्ञात और विचित्र वेषधारी युवा भारतीय संन्यासी ने विश्व के सर्वाधिक प्रगतिशील लोगों के समक्ष यह दावा किया कि हिंदू धर्म आधुनिक सभ्य जगत के सामने लज्जित, लाचारी से

कांपने वाला, ईसाई मिशनरियों के आक्रमण के समक्ष पीठ दिखाने वाला, दिवालोक से भयभीत एक उल्लू के समान अपने रूढ़िवाद के कोटर में रहने वाला एक अपमानित और भ्रष्ट अंधविश्वास मात्र नहीं है। उन्होंने साहस पूर्वक यह दावा किया कि हिंदू धर्म के पास विश्व को देने के लिए एक संदेश है, जिसकी आधुनिक सभ्यता को नितांत आवश्यकता है और जिसकी उपेक्षा करने में जगत का अपना ही नुक़सान है।' (*स्वामी विवेकानंद* और उनका अवदान, पृ. 54)

विवेकानंद ने यह बात 19वीं सदी में कही थी। 19वीं सदी भारतीय इतिहास में पुनर्जागरण काल के नाम से दर्ज़ है। 'पुनर्जागरण' का शाब्दिक अर्थ फिर से जागना होता है। भारतीय संदर्भ में यह जागना सदियों की गुलामी, प्रताड़ना, अपमान, हीनता और लाचारगी से उबरने के लिए होने वाली कसमसाहट से है। इसी कसमसाहट के चलते 19वीं सदी में एक सांस्कृतिक आंदोलन का सूत्रपात हुआ, जिसके अगुआ राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने इसके लिए ब्रह्म समाज नामक संस्था की भी स्थापना की, जिसकी बागडोर उनके बाद महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाली। आगे चलकर केशव चंद्रसेन भी इससे जुड़े। सेन के प्रयास से ही महाराष्ट्र में 'प्रार्थना समाज' की स्थापना हुई, जिसके कर्ता-धर्ता महादेव गोविंद रानाडे थे। इसी तरह दयानंद सरस्वती ने 'आर्य समाज' और एनी बेसेंट ने थिनो सोफिकल सोसाइटी द्वारा उस आंदोलन को विकसित और विस्तारित किया। फिर रामकृष्ण आए जिन्होंने अपनी अनुभूति के द्वारा यह सिद्ध किया कि धर्म बौद्धिक अनुमान की वस्तु नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है। विवेकानंद इन्हीं रामकृष्ण के शिष्य थे, जिन्होंने गुरू से प्राप्त सत्य के आधार पर देश और दुनिया की समस्याओं का समाधान निकाला। रामधारी सिंह 'दिनकर' इस पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि- 'रामकृष्ण के जीवन में यह सत्य साकार हो उठा था। अतएव धर्म की सारी उपलब्धियां उन्हें आप से आप प्राप्त हो गई। उन उपलब्धियों के प्रकाश में विवेकानंद ने भारत और समग्र विश्व की समस्याओं पर विचार किया एवं उनके जो समाधान उन्होंने उपस्थित किए वे असल में रामकृष्ण के ही दिए हुए समाधान हैं। रामकृष्ण और विवेकानंद एक ही जीवन के दो अंश एक ही सत्य के दो पक्ष हैं। रामकृष्ण अनुभूति थे, विवेकानंद उनकी व्याख्या बनकर आए। रामकृष्ण दर्शन थे, विवेकानंद ने उनके क्रिया पक्ष का आख्यान किया। स्वामी निर्वेदानंद ने रामकृष्ण को हिंदू धर्म की गंगा कहा है, जो वैयक्तिक समाधि के कमंडलु में बंद थी। विवेकानंद इस गंगा के भागीरथ हुए और उन्होंने देवसरिता को रामकृष्ण के कमंडलु से निकाल कर सारे विश्व में फैला दिया।' (*संस्कृति के चार अध्याय*, पृ. 499)। विवेकानंद को ऐसा करने के लिए सामाजिक सुगबुगाहट की सख्त ज़मीन मिली थी। इसी ज़मीन पर खड़े होकर उन्होंने अपनी ओज वाणी और विचार का ऐसा शंखनाद किया कि समूचा भारत अपनी शिथिलता त्याग कर नयी ऊर्जा से लैस हो गया। और ऐसा इसलिए हुआ कि उस शंखनाद में भारत को अपने नये भविष्य का नक्शा मिल गया था, अपनी नयी मंजिल का पता मिल गया था। इसी अर्थ में विवेकानंद नये युग के प्रवर्तक कहे जा सकते हैं।

विवेकानंद को नये युग का प्रवर्तक इस अर्थ में भी कहा जा सकता है कि उन्होंने धर्म और विज्ञान के समन्वय की पुरज़ोर वक़ालत की। इस वक़ालत की पृष्ठभूमि भारत की दरिद्रता रही। अपने गुरू रामकृष्ण के मृत्यु के पश्चात, जब उनके कार्यों की पूरी जिम्मेवारी विवेकानंद पर आ गई तो इसका ठीक तरह से निर्वहन करने के लिए उन्होंने भारत का भ्रमण करना ज़रूरी समझा। इस भ्रमण के द्वारा वे भारत की समस्याओं को ठीक से समझ लेना चाहते थे। वे जानना चाहते थे कि आखिर धर्म, अध्याय, संस्कृति, परंपरा और नैतिकता की समृद्ध विरासत होने के बावजूद भारत इतना अकिंचन क्यों बना हुआ है? क्यों उसका सर झुका रहता है? वह सम्मान और स्वाभिमान के साथ क्यों नहीं जी पाता? इन प्रश्नों का उत्तर उन्हें ग़रीबी के रूप में मिला। उन्होंने देखा कि भारत की बहुसंख्यक जनता निर्धन हैं। वह भूखी और फटेहाल है। उसे दो वक़्त की रोटी, दो गज कपड़ा और दो हाथ का छप्पर भी नहीं मिल पा रहा है। वह कुपोषण, अशिक्षा, और बदहाली का शिकार है। यह स्थिति दयनीय और असहनीय थी। विवेकानंद यह देखकर आकुल-व्याकुल हो उठे। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि भारत की रीढ़ झुकी क्यों है? क्यों वह दीन-हीन, बेबस और लाचार बना हुआ है। इन सबके पीछे ग़रीबी और सिर्फ़ ग़रीबी थी। इसलिए उनके सामने यक्ष प्रश्न यही था कि इस गरीबी को कैसे दूर किया जाए? कौन-सा जतन कौन-सा उपाय किया जाए कि भारत इस भयानक ग़रीबी से मुक़्त हो सके।

इसके लिए उन्हें जो सबसे संगत और समाधानपरक उपाय लगा वह पश्चिम से धन लाना था। उन्होंने जान लिया था कि यूरोप के पास अकूत धन संपदा है। भौतिक वस्तुओं का अंबार है। आर्थिक समृद्धि और दैहिक ज़रूरतों को मिटाने वाली सामग्री उसके पास प्रचुरता में है। इसलिए यदि वहां से कुछ धन-संपदा मिलेगा तो भारत की ग़रीबी दूर हो सकती है। लेकिन यह धन वे मुफ़्त में नहीं चाहते थे। कोई उन्हें ख़ैरात में कुछ दे यह उन्हें स्वीकार्य नहीं था। इसलिए वे याचक की तरह झोली फैला कर कुछ मांगने के लिए वहां नहीं जाना चाहते थे। वे चाहते थे कि यदि वे हमें धन देते हैं तो हमें भी उन्हें कुछ देना चाहिए और चूंकि हमारे पास धर्म की अकूत संपदा है, इसलिए उनके धन के बदले में हम उन्हें धर्म का दान देंगे। यह एक प्रकार का विनिमय होगा। जिसमें लेने-देने वाला दोनों पक्ष समानता के स्तर पर होगा। मित्रता के लिए यह समानता जरूरी होती है, क्योंकि समानता के बगैर मित्रता हो ही नहीं पाती। अत: पश्चिम वालों से केवल लेने के बदले भारत को उसे कुछ देना भी होगा। और यह देना धर्म का हो सकता है, धर्म का ही हो सकता है, क्योंकि यही भारत के पास प्रचुरता में है।

विवेकानंद यह दान इसलिए देना चाहते थे कि यूरोप धार्मिक रूप से अकिंचन है। उन्होंने अपनी गहन दृष्टि से यह देख लिया था कि जिस प्रकार भारत दैहिक स्तर पर दरिद्र है, उसी प्रकार यूरोप आत्मिक स्तर पर दरिद्र है। अत: दरिद्रता उसकी भी मिटनी चाहिए और यह मिट सकती है धर्म से अध्यात्म से। इस आध्यात्मिक संपदा के नहीं होने के कारण ही पश्चिम इतना अशांत है। अब चूंकि पश्चिम के पास भौतिक समृद्धि बहुत है और यह समृद्धि विज्ञान के द्वारा पैदा हुई है, इसलिए पश्चिम वाले विज्ञान के अलावा और किसी चीज़ की महत्ता स्वीकार ही नहीं करते। वे विज्ञान को ही सर्वोपरी मान बैठे हैं। यों तो होने के लिए धर्म वहां भी है, लेकिन वहां

धर्म बाहरी कर्मकांड से ज्यादा गहरे नहीं जा पाया है। जबकि वास्तविक धर्म आंतरिक बोध है, आत्मा की अनुभूति है, स्वयं का साक्षात्कार है। पश्चिम वालों ने यह बोध, यह अनुभूति, यह साक्षात्कार प्राप्त नहीं किया है। इसलिए वे आत्मिक स्तर पर खोखले हैं, रिक्त हैं। यही रिक्तता, यही खोखलापन उनमें अशांति पैदा करती है, उन्हें बेचैन बनाए रखती है। अत: इस बेचैनी को दूर कर शांति प्राप्त करने के लिए आत्मिक स्तर पर भरा होना जरूरी है, और यह भराव आत्मबोध वाले धर्म से हो सकता है, जो कि भारत के पास है। इसलिए यदि भारत के धर्म और पश्चिम के विज्ञान का समन्वय हो जाए, तो भारत की ग़रीबी और यूरोप की अशांति दोनों दूर हो जाएगी। इसलिए उन्होंने धर्म और विज्ञान के मिलने का मसौदा प्रस्तुत किया और यह यकीन भी ज़ाहिर किया कि आने वाले दिनों में दोनों मिल पाएंगे, मिल जाएंगे। इस संबंध में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि- 'आज हम बुद्धिवादिता के इस चमकते सूर्य को चाहते हैं जिसमें बुद्ध का हृदय हो, आश्चर्यजनक, असीम प्रेम और करुणा का हृदय। यह संगम हमें उच्चतम दर्शन प्रदान करेगा। विज्ञान और धर्म मिलेंगे और हाथ मिलाएंगे। कविता और दर्शन मित्र बनेंगे। यह भविष्य का धर्म होगा और यदि हम उसे ढाल सकें तो यह सभी कालों और सभी लोगों के लिए होगा। यह एक रास्ता है, जो आधुनिक विज्ञान को स्वीकार होगा क्योंकि यह स्थिति लगभग आ गई है।' जिन दिनों विवेकानंद ने यह बात कही थी वह एक शताब्दी पहले का काल था। उन दिनों धर्म और विज्ञान की ऐसी गलबहियां करने का ख्याल संभवत: किसी के जेहन में नहीं आया था। इसलिए धर्म और विज्ञान के समन्वय का यह प्रस्ताव शायद बिल्कुल नया प्रस्ताव था, जो पूरी मानवता के हित में था। इस प्रस्ताव के द्वारा विवेकानंद एक ऐसे मनुष्य को निर्मित करना चाहते थे, जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से समृद्ध हो। इसी समृद्धि से एक ऐसा संतुलित समाज विकसित होगा, जिसमें भूख, ग़रीबी, गुलामी, शोषण और वर्चस्व का कोई संजाले नहीं बन पाएंगा। तभी पूरी दुनिया सुख-शांति और चैन से रह पाएंगी।

इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि विवेकानंद का योगदान द्विस्तरीय है। एक स्तर देश का है और दूसरा स्तर दुनिया का। देश के स्तर पर उन्होंने यहां की सदियों से सोई हुई चेतना को गहन खुमारी से जगाकर तरोताजा कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां की ग़रीबी दूर करने के भी अथक प्रयास किए। इस प्रयास के तहत ही उन्होंने पश्चिम से विनिमय करने के सूत्र दिए। इसी सूत्र के आधार पर उन्होंने धर्म और विज्ञान के समन्वय का विचार भी प्रतिपादित किया। जो दुनिया के स्तर पर सारी मानवता के लिए कल्याणकारी है। इसलिए विष्णु प्रभाकर का यह कहना बिल्कुल सही है कि- 'स्वामी विवेकानंद की याद आते ही एक ऐसे तेजस्वी व्यक्ति का चित्र आंखों में उभर आता है जिसके शरीर पर वस्त्र तो हिंदू संयासी के हैं, पर जिसके अंतर में समूची मानवता के लिए दर्द भरा हुआ है। मनुष्य ही उसका एकमात्र लक्ष्य है। मनुष्य की जड़ता का नाश करना ही उसका एकमात्र आदर्श है।' चूंकि यह आदर्श अब भी पूरी तरह पूरा नहीं हो पाया है। इसलिए आज 150 वर्षों बाद भी विवेकानंद प्रासंगिक हैं और जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक प्रासंगिक बने रहेंगे। ❑

(लेखक बीआरए बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के दर्शन विभाग में उपाचार्य हैं)

(पृष्ठ 43 का शेषांश)

सोर्स (टीडीएस), टैक्स एरियर्स, व्यक्तियों को रिफंड और लोगों के पहचानकर्ता के रूप में होता है। यह कर चोरी पर निग़ाह रखने और कर आधार को वृहत्तर बनाने की एक महत्पूर्ण प्रक्रिया है।

बहरहाल, दस अंकों वाला यह अक्षर अकीय पैन नंबर का एक विशिष्ट अर्थ होता है। हम किसी पैन का एक नमूना लेते हैं, और देखते हैं, कि विभिन्न अंक और संख्या का क्या अर्थ है। पहले तीन अक्षर- अक्षरात्मक श्रृंखला से लिए जाते हैं, जो ए से जेड के बीच के होते हैं। ये नंबर क्रमहीन या ढंग से आवंटित होते हैं।

चौथा अक्षर पैन स्वामी की स्थिति व्यक्त करता है। पी-व्यक्तिगत के लिए, एफ-फर्म के लिए, सी- कंपनी के लिए, एच- एचयूएफ (हिंदु अनडिवाइडेड फैमिली) के लिए और टी- ट्रस्ट को चिह्नित करने के लिए होता है।

पांचवां अक्षर यह पैन स्वामी के कुल नाम (सरनेम) का पहला अक्षर होता है। अगर कोई व्यक्ति विवाह या किसी अन्य कारण से सरनेम बदलता है, तो पैन परिवर्तित नहीं होता।

छठे से नवे अंक-अक्षर ये आनुक्रमिक अंक होते हैं, जो 0001 से 9999 के बीच होते हैं। ये नंबर भी क्रमविहीन रूप से आवंटित होते हैं।

दसवां अंक-अक्षर यह अक्षरात्म इकाई होती है, जो पिछले नौ अंकों और संख्याओं के आधार पर एक निश्चित फॉर्मूले से सृजित होती है।

- **चेक ट्रंकेशन सिस्टम किसे कहते हैं?**

चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस), बैंकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य धनादेशों अर्थात चेकों को जारी करने वाले बैंक से लेकर प्रस्तुत करने वाले बैंक तक भौतिक रूप से लाने-ले-जाने की प्रक्रिया को रोकना और समय की बचत करना है। इस प्रणाली में उस चेक की एक इलेक्ट्रॉनिक छवि अदाकर्ता बैंक शाखा को आवश्यक सूचनाओं, जैसे मैग्नेटिक इंक केरेक्टर रिकग्निशन (एमआईसीआर) कोड, प्रस्तुतीकरण की तिथि और चेक प्रस्तुत करने वाले बैंक का विवरण आदि के साथ स्थानांतरित कर दी जाती है।

चेक ट्रंकेशन की नयी प्रणाली पूरे देश में लागू की जानी है। यह प्रणाली उस समय में कमी लाएगी, जो पहले चेकों के जमाकर्ता बैंक से लेकर अदाकर्ता बैंक तक भौतिक स्थानांतरण में ख़र्च होता था। वर्तमान में गैर-स्थानीय चेक क्लियर होने में लगभग सात दिन लगते हैं। लेकिन एक बार पूरे देश में यह प्रणाली लागू होते ही चेक क्लियर होने में मात्र एक या दो दिन लगेंगे। इससे बैंकों का निपटान चक्र या भुगतान अवधि भी काफी संक्षिप्त हो जाएगा। इससे भौतिक स्थानांतरण की तरह चेकों के गुम होने या ख़राब होने का ख़तरा भी समाप्त हो जाएगा। इस प्रणाली के तहत चेकों में फेर-बदल स्वीकार्य नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यह प्रणाली फरवरी 2008 से लागू है। ❑

Latest Arrivals

Publications Division

Ministry of Information & Broadcasting,
Government of India

For further details please contact: Business Manager, Publications Division,
Soochna Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003, Ph: 011-24367260, Fax: 011-24365609

e-mail: dpd@sb.nic.in
website: publicationsdivision.nic.in

प्रकाशक व मुद्रक : ईरा जोशी, अपर महानिदेशक (प्रमुख) द्वारा प्रकाशन विभाग के लिए ब्रजबासी आर्ट प्रेस लिमिटेड, ई-46/11, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-2, नयी दिल्ली-110 020 से मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003 से प्रकाशित। वरिष्ठ संपादक : वी.एम. वनोल

Licenced under U (DN)-55/2012-14
आर.एन.आई. 951/57
R.N.I. 951/57

रजि.सं.डीएल (एस)-05/3231/2012-14
Reg. No. D.L.(S)-05/3231/2012-14 at RMS, Delhi
26 दिसंबर, 2012 को प्रकाशित • 29-30 दिसंबर, 2012 को डाक द्वारा जारी

नवीन संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण

संघ एवं राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन हेतु अत्यन्त लाभदायक सामग्री. विभिन्न विश्वविद्यालयों के **भारतीय अर्थशास्त्र** के प्रश्न-पत्र के लिए भी उपयोगी.

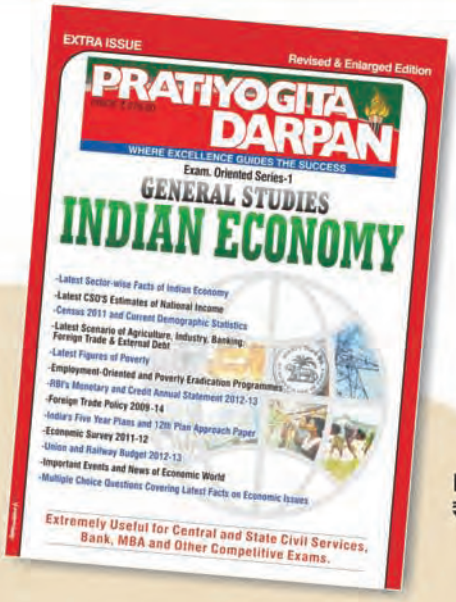

मूल्य
₹ 265.00

Price
₹ 275.00

टॉपर्स की राय में...

➥ मैंने अर्थव्यवस्था का विशेषांक पढ़ा है. यह अपने आप में बेजोड़ एवं तैयारी के क्रम में पठनीय अनिवार्य पुस्तक है.
—विवेक अग्रवाल
सिविल सेवा परीक्षा, 2011 में उच्च स्थान पर चयनित

➥ मैंने प्रतियोगिता दर्पण के अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक का अध्ययन किया है जो मेरे लिए तैयारी के दौरान काफी उपयोगी साबित हुआ है.
—शिव सहाय अवस्थी
सिविल सेवा परीक्षा, 2010 में हिन्दी माध्यम से प्रथम स्थान

➥ प्रतियोगिता दर्पण का भारतीय अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक तो मेरा पसंदीदा है. प्रारम्भिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं के लिए मैं काफी हद तक इस पर निर्भर रहा हूँ. अन्य अतिरिक्तांक भी काफी उपयोगी हैं.
—राहुल कुमार
सिविल सेवा परीक्षा, 2010 में हिन्दी माध्यम से प्रथम स्थान

➥ मैंने प्रतियोगिता दर्पण की सामान्य अध्ययन के अतिरिक्तांक सीरीज पढ़ी. मैंने राजव्यवस्था व अर्थशास्त्र अतिरिक्तांक को अधिक उपयोगी पाया. अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक कम श्रम व समय में भी अच्छी तैयारी कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
—राकेश कुमार सिंह
उ.प्र. राज्य सिविल सेवा, 2009 में सर्वोच्च स्थान

➥ अतिरिक्तांकों में—अर्थशास्त्र, राजव्यवस्था एवं समाजशास्त्र के अंक संग्रहणीय हैं. अर्थशास्त्र अंक की उपेक्षा करना सीधे-सीधे असफलता को आमंत्रित करना है.
—नमः शिवाय अराजरिया
म.प्र. राज्य सेवा परीक्षा, 2009 में प्रथम स्थान

मुख्य आकर्षण

* भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं * महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली * भारत की जनगणना 2011 के महत्वपूर्ण आँकड़े * राष्ट्रीय आय, कृषि, उद्योग, मुद्रा, बैंकिंग, परिवहन, संचार, विदेशी व्यापार एवं विदेशी ऋण आदि के अद्यतन आँकड़े * मौद्रिक एवं साख नीति 2012-13 * 2012-13 का केन्द्रीय बजट एवं रेल बजट * विदेशी व्यापार नीति 2009-14 * भारत की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं * भारत में संचालित रोजगारपरक एवं निर्धनता निवारण कार्यक्रम * प्रमुख केन्द्रीय मंत्रालयों के नवीनतम प्रतिवेदनों पर आधारित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री * सामयिक आर्थिक विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ * महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न.

अपने निकटतम पुस्तक विक्रेता से अपनी प्रति सुरक्षित कराएं

प्रतियोगिता दर्पण
To purchase online log on to www.pdgroup.in

2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा – 282 002 फोन : 4053333, 2531101, 2530966; फैक्स : (0562) 4053330
Website : www.pdgroup.in E-mail : care@pdgroup.in
ब्रॉंच आफिस : • नई दिल्ली फोन : 011-23251844/66 • हैदराबाद फोन : 040-66753330 • पटना मो. : 09334137572

YH-238/2012